वार्षिक प्रतिवेदन

2019 - 2020

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राजेंद्रनगर, हैदराबाद - 500030, भारत

वार्षिक प्रतिवेदन

2019 - 2020

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

राजेंद्रनगर, हैदराबाद - 500030, भारत

www.nirdpr.org

प्रकाशन:

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राजेंद्रनगर, हैदराबाद - 500030, तेलंगाना, भारत

वेबसाईट: www.nirdpr.org.in

कवर डिज़ाइन: श्री वी.जी. भट्ट
ले आऊट: श्री जी. शिवनाग (सीआरयू)
श्री एम. क्रांति किरण (सीपीआरडीपी और एसएसडी)

स्वरूप

एनआईआरडीपीआर का स्वरूप उन नीतियों और कार्यक्रमों पर प्रकाश डालना है जो ग्रामीण निर्धनों को लाभ पहुँचाये, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में उन्हें बल प्रदान करें, ग्रामीण विकास कार्यकर्ताओं की क्षमता और परिचालन को सुधारे, अपने सामाजिक प्रयोगशालाओं और प्रौद्योगिकी पार्क के माध्यम से प्रौद्योगिकी अंतरण को बढ़ावा दे तथा पर्यावरणात्मक चेतना जगाए ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के "विचार भंडार" के रूप में कार्य करते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, ग्रामीण विकास पर ज्ञान संचयन का कार्य करते हुए मंत्रालय को नीति प्रतिपादन और ग्रामीण विकास के बदलते स्वरूप में विकल्पों का चयन करने में सहायता प्रदान करता है ।

मिशन

अनुसंधान, कार्य अनुसंधान, परामर्शी और प्रलेखन प्रयासों के माध्यम से ग्रामीण निर्धन और अन्य पिछड़े समूहों पर प्रकाश डालते हुए सतत आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में, लोगों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के सुधार में सहयोग देने वाले कारकों का विश्लेषण और परीक्षण करना ।

प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन कर ग्रामीण विकास से जुड़े सरकारी और गैर-सरकारी अधिकारियों के ज्ञान, हुनर और दृष्टिकोण में सुधार द्वारा ग्रामीण गरीब पर विशेष जोर और फोकस करते हुए ग्रामीण विकास प्रयासों को सरलीकृत करना ।

विषय सूची

1

कार्यकारी सार 1

विहंगावलोकन 6

2

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

2.1 प्रशिक्षण कार्यक्रम: 2019-20 13

2.2 नई पहल 19

2.3 अन्य पहल 21

2.4 राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों और विस्तार प्रशिक्षण केंद्रों के साथ नेटवर्किंग 24

2.5 एनआईआरडीपीआर और यूनिसेफ के बीच सहयोगात्मक पहल 26

3

अनुसंधान और परामर्श

3.1 अनुसंधान की श्रेणियाँ 29

3.2 2019-20 में आयोजित अनुसंधान अध्ययन 30

3.3 कार्य अनुसंधान 36

3.4 मामला अध्ययन 38

3.5 परामर्शी अध्ययन 40

3.6 ग्राम अभिग्रहण 42

4

प्रौद्योगिकी अंतरण

4.1 वर्ष 2019-2020 के लिए क्रियाकलाप 44

4.2 गणमान्य व्यक्तियों का दौरा 45

4.3 विशेष पहल 46

4.4 अध्ययन दौरा और औद्योगिक दौरे 46

4.5 परामर्शी और तकनीकी समर्थन सेवायें 46

4.6 वार्षिक कार्यक्रम 47

4.7 वर्ष 2019-2020 में अन्य उपलब्धियां 49

4.8 नई प्रौद्योगिकी इकाइयाँ 49

5

नवोन्मेषी कौशल और आजीविका

5.1 स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना विशेष परियोजनाएं (एसजीएसवाई (एसपी)) 51

5.2 दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) 51

5.3 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) परियोजना 60

5.4 दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) 61

6
शैक्षणिक कार्यक्रम
6.1 नियमित स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम 66
6.2 उपयुक्त प्रौद्योगिकी और उद्यमिता पर सहयोगात्मक दो-वर्षीय एम.टेक. कार्यक्रम 69
6.3 दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम 69

7
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र पर विशेष फोकस
7.1 प्रशिक्षण विशेषताएँ : 2019-2020 72
7.2 आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर सहयोगात्मक कार्यक्रम 74
7.3 2019-2020 के दौरान अनुसंधान हस्तक्षेपों की विशेषताएं 74
7.4 इंटर्नशिप 2019-20 74
7.5 एनआरएलएम-संसाधन सेल, एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी, गुवाहाटी की गतिविधियाँ 75

8
नीति परामर्श
8.1 आरडी योजनाओं और कार्यक्रमों का मूल्यांकन 78
8.2 पीईएसए अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन: नीति कार्यान्वयन के लिए एक रुपरेखा 79
8.3 राष्ट्रीय रुर्बन मिशन- डिजाइन में सुधार 80
8.4 ग्रामीण भारत में लाभकारी रोजगार अवसरों के विस्तार में सेवा क्षेत्र की भूमिका 81
8.5 एसएलएसीसी परियोजना : नीति सिफ़ारिशें 81

9
प्रशासन
9.1 विभिन्न परिषद 84
9.2 एनआईआरडीपीआर के कार्यात्मक केंद्र 84
9.3 सामान्य प्रशासन 85
9.4 2019- 2020 में संस्थान द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण कार्यक्रम 86
9.5 प्रलेखन और संचार 87
9.6 राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रगामी प्रयोग: 2019-20 89

10
वित्त एवं लेखा
10.1 एनआईआरडीपीआर संचित निधि 92
10.2 एनआईआरडीपीआर द्वारा अनुरक्षित अन्य निधि 92

परिशिष्ट 93

विषय सूची

परिवर्णी शब्द

ए ए आर डी ओ (आर्डो): अफ्रीकी - एशियाई ग्रामीण विकास संगठन

बी डी ओ: खंड विकास अधिकारी

सी ए पी ए आर टी (कपार्ट): लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद

सी बी ओ: समुदाय आधारित संगठन

सी एफ टी: समूह सुविधा दल

सी आई आर डी ए पी (सिर्डा: एशिया और पैसिफिक एकीकृत ग्रामीण विकास केंद्र

सी आई सी टी ए बी: कृषि बैंकिंग में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता एवं प्रशिक्षण केंद्र

सी एफ एम सी: समग्र निधि प्रबंधन समिति

सी आर पी: सामुदायिक स्रोत व्यक्ति

डी ए वाई – एन आर एल एम: दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

डी डी यू - जी के वाई: दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना

डी आर डी ए: जिला ग्रामीण विकास एजेंसी

डी एम एम यू: जिला मिशन अनुश्रवण इकाई

ईआर: निर्वाचित प्रतिनिधि

ई डब्लु आर: निर्वाचित महिला प्रतिनिधि

ई टी सी: विस्तार प्रशिक्षण केंद्र

एफ एफ सी: चौदहवां वित्त आयोग

एफ पी ओ: किसान उत्पादक संगठन

जी आई एस: भू-संसूचना प्रणाली

जीपी: ग्राम पंचायत

जी पी डी पी: ग्राम पंचायत विकास योजना

आई सी टी: सूचना एवं संचार तकनोलॉजी

आई ई सी: सूचना, शिक्षा एवं संचार

आई एस आर ओ: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन

आई टी ई सी: भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहकारिता

एम जी एन आर ई जी एस: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

एम आई एस: प्रबंध सूचना प्रणाली

एम ओ आर डी: ग्रामीण विकास मंत्रालय

एम ओ पी आर: पंचायती राज मंत्रालय

एम ओ यू: समझौता ज्ञापन

एम एस डी ई: कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय

एम आर पी: मास्टर स्रोत व्यक्ति

एन ए बी ए आर डी (नाबार्ड): राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

एन ए बी सी ओ एन एस: नाबार्ड परामर्शी सेवाएँ

एन सी डब्ल्यु: राष्ट्रीय महिला आयोग

एन जी ओ: गैर सरकारी संगठन

एन आई आर डी पी आर - एन ई आर सी: एनआईआरडीपीआर उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र

एन एम एम यू: राष्ट्रीय मिशन अनुश्रवण इकाई

एन पी ए: गैर-निष्पादक आस्तियाँ
एन आर पी: राष्ट्रीय स्रोत व्यक्ति
एन एस ए पी: राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
ओ डी एफ: खुले में शौच से मुक्त
पी जी डी आर डी एम: ग्रामीण विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
पी जी डी एम – आर एम: प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा – ग्रामीण प्रबंधन
पी आई ए: परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी
पी आर आई: पंचायती राज संस्थान
पी ई एस ए: अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार
पी एम जी एस वाई: प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना
पी एम के एस वाई: प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना
आर जी एस ए: राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
आर एस ई टी आई: ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान
एस ए जी वाई: सांसद आदर्श ग्राम योजना
एस बी एम: स्वच्छ भारत मिशन
एस एफ सी: राज्य वित्त आयोग
एस एच जी: स्व-सहायता समूह
एस आई आर डी पी आर: राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
एस एल ए सी सी: सतत आजीविका और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन
एस आर एल एम: राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
टी ओ टी: प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण
यू एन आई सी ई एफ (यूनिसेफ): संयुक्त राष्ट्र बाल निधि
यू टी: केंद्र शासित प्रदेश

कार्यकारी सार

अपनी कीर्तिमान यात्रा के 62 वें वर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद छह फोकस क्षेत्रों में कार्यरत है। वे है: प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, अनुसंधान और परामर्श, नीति निर्माण और परामर्श, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, शैक्षणिक कार्यक्रम और नवोन्मेषी कौशल एवं आजीविका ।

वर्ष 2019-20 में, संस्थान ने कार्यशालाओं और सेमिनारों, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं नेटवर्किंग कार्यक्रमों को मिलाकर कुल 1,699 कार्यक्रमों (ऑन कैम्पस और ऑफ कैम्पस) का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों में सरकारी संगठनों, वित्तीय संस्थानों, पीआरआई, एफपीओ, एनजीओ, सीबीओ, अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य संस्थानों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों सहित कुल 61,484 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इनमें 17 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम थे, जिसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों के 358 प्रतिभागियों ने भाग लिया। संस्थान ने 16 बार आठ प्रमाणपत्र प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जिसमें प्रतिभागियों की संख्या 525 थी ।

नि:शुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा कई स्व–निधिपोषित प्रदर्शनी-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित किया गया जिसे मुख्यत: देश के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों से स्व सहायता समूहों, बेरोजगारों / अल्प बेरोजगार युवाओं के लिए आयोजित किया गया और इस प्रकार 12,156 प्रतिभागियों को कवर किया गया । वर्ष 2019-20 में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए समग्र औसत प्रतिनिवेश स्कोर 85 प्रतिशत था । एनईआरसी गुवाहाटी केंद्र ने कुल 103 कार्यक्रमों का आयोजन किया जिसमें 3,425 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

फ्लैगशिप स्किलिंग कार्यक्रमों के मामले में, एनआईआरडीपीआर 18 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों में रोशनी (वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में) और हिमायत (जम्मू-कश्मीर में) के बैनर तले डीडीयू - जीकेवाई कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करता है । एनआईआरडीपीआर में डीडीयू जीकेवाई सेल ने 2,596 प्रतिभागियों के साथ 105 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, 1,515 केंद्रों का निरीक्षण किया, 1,141 केंद्रों पर वास्तविक स्थापन का सत्यापन किया और 113 प्रदर्शन समीक्षा में सहभागिता आयोजन किया ।

एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद में डीएवाई-एनआरएलएम संसाधन सेल ने विभिन्न एसआरएलएम को आवश्यकता-आधारित कार्यक्रम संचालित करने में समर्थन दिया है। विभिन्न विषयों पर कुल 101 ऑन कैम्पस और ऑफ-कैम्पस प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं, प्रेरण और समीक्षा कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 17 राज्यों के 4,746 प्रतिभागियों ने भाग लिया। पांच राज्यों से 673 बैंक सखी को वित्तीय समावेशन विषय पर प्रशिक्षित किया गया । सेल ने 10 राज्यों में बैंक अधिकारियों के लिए एक दिन का उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करने के अलावा नौ राज्यों में छह एनआरपी को तैनात किया और 172 बैचों में 12658 प्रतिभागियों को कवर किया। वित्तीय समावेशन पर दो ई-लर्निंग मॉड्यूल (एसएचजी-बैंक लिंकेज और एसबी खाता खोलना) भी विकसित किए गए ।

संस्थान आरसेटी के तहत आधारभूत संरचना निर्माण के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) की नोडल एजेंसी है। मार्च 2020 तक एनआईआरडीपीआर ने रु. 376.04 करोड़ की राशि 28 राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित 492 आरसेटी को जारी की है।

2019-20 में विभिन्न श्रेणियों के तहत लगभग 90 अनुसंधान अध्ययन (पिछले वर्षों के 73 चल रहे प्रस्तावों सहित) आरम्भ किए गए अर्थात अनुसंधान अध्ययन, मामला अध्ययन और सहयोगात्मक अध्ययन। 2019-20 के दौरान, 23 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को कवर करते हुए 39 अनुसंधान अध्ययन पूरे किए गए। 33 अध्ययन अभी भी चल रहे हैं। 2019-20 से पहले चल रहे आठ अध्ययनों के अलावा, 13 नए परामर्शी अध्ययन आरंभ किए गए। 2019-20 में कुल 24 परामर्शी अध्ययन सम्पूरित किए गए ।

वर्ष 2019-20 के दौरान, संकाय सदस्यों ने 15 पत्रिका लेखों और एक कामेंट्री प्रकाशित की। 15 प्रपत्रों में से, तीन को एनआईआरडीपीआरआर के जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट में प्रकाशित किया गया, जबकि 12 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ख्याति की अन्य पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। इसके अलावा, संकाय ने दो पुस्तके लिखी, विभिन्न प्रकाशनों के लिए छह अध्यायों का योगदान दिया और दो लेख प्रकाशित किए। इस अवधि के दौरान, संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम और संकाय के लेख 96 अवसरों पर समाचार पत्रों द्वारा कवर किए गए ।

अकादमिक पहल के तहत, ग्रामीण विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के 17 वें बैच के 31 छात्र, एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा – ग्रामीण प्रबंधन कार्यक्रम के बैच 2 के 21 छात्र और उपयुक्त प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता पर सहयोगी एम.टेक कार्यक्रम के 2 छात्र नियमित कार्यक्रमों का हिस्सा हैं। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के भाग के रूप में, 256 छात्रों के साथ सतत ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, 33 छात्रों के साथ जनजाति विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, 98 छात्रों के साथ ग्रामीण विकास में भू-स्थानिक और तकनीकी

अनुप्रयोगों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और हैदराबाद विश्वविद्यालय के सहयोग से 131 छात्रों के साथ पंचायती राज शासन और ग्रामीण विकास पर डिप्लोमा कार्यक्रम चालू वित्तीय वर्ष में चलाये जा रहे है। इसके अलावा, एनआरएलएम के परामर्श से एक सर्टिफिकेट कार्यक्रम तैयार किया गया है, जो कि अपनी तरह का पहला है, और जलवायु परिवर्तनशील प्रथाओं पर सीआरपी और मिशन के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए है।

8 नवंबर 2019 को एनआईआरडीपीआर ने 61 वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जिसमें ग्रामीण विकास पर चौथा राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शामिल था। 29 नवंबर से 3 दिसंबर 2019 तक 24 राज्यों के प्रतिनिधियों सहित पांच दिवसीय 17 वां ग्रामीण प्रौद्योगिकी और शिल्प मेले का आयोजन किया गया।

पहली बार संस्थान ने सिर्डाप की 34 वीं तकनीकी समिति की वर्च्युअल बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

एनआईआरडीपीआर ने 19 और 20 फरवरी, 2020 को जल और अपशिष्ट जल पर द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें 30 देशों के प्रतिनिधियों ने अपनी प्रौद्योगिकियों को एसेम्बल कर साझा किया। संस्थान ने 9-10 जनवरी, 2020 के दौरान राज्य चुनाव आयोग (एसईसी), तेलंगाना के सहयोग से राज्य चुनाव आयुक्तों (एसईसी) का दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया। सम्मेलन का उद्देश्य स्थानीय निकायों के लिए समयबद्ध और स्वतंत्र चुनाव कराने में राज्य निर्वाचन आयोगों को हुए फायदे और सामना की गई चुनौतियाँ का पता लगाना था।

ग्रामीण इनोवेटर्स स्टार्ट-अप कॉन्क्लेव -2019 (आरआईएससी-2019), जो कि 2017 से एक वार्षिक कार्यक्रम है, का आयोजन 27-28 सितंबर, 2019 को किया गया। कार्यक्रम में प्रदर्शित नवाचारों ने फंडिंग संस्थानों के साथ साझेदारी करने के लिए 90 इनोवेटर्स और 48 स्टार्ट-अप को नेटवर्किंग के अवसर प्रदान किए। इसके अलावा, 58 कॉलेज छात्रों और 68 स्कूली छात्रों ने अपने अभिनव डिजाइन और प्रोटोटाइप मॉडल के साथ भाग लिया।

वर्ष के दौरान नई पहल में माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर, ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं कृषि और किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार द्वारा ग्राम स्वराज ईलर्निंग पोर्टल का शुभारंभ शामिल है।

वर्ष के दौरान आयोजित अन्य कार्यक्रमों में युवा आईएएस अधिकारियों के लिए ग्रामीण विकास नेतृत्व पर प्रबंधन विकास कार्यक्रम शामिल है जिसमें छह राज्यों से भागीदारी देखी गई।

संस्थान ने 'मिशन अंत्योदय' सर्वेक्षण को सफलतापूर्वक संचालित करने और सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) में ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की तैयारी के लिए जन योजना अभियान 2019 को शुरू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दो राष्ट्रीय स्तर के अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम और पांच क्षेत्रीय विषयगत कार्यशालाएं भी अभियान के भाग के रुप में आयोजित की गईं। परिणामस्वरुप, जीपी द्वारा कुल 2,43,940 जीपीडीपी तैयार किए गए।

मॉडल जीपी के सृजन का दायरा बढाने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 250 मॉडल जीपी क्लस्टर के सृजन पर एक परियोजना को मंजूरी दी।

एनआईआरडीपीआर ने एफपीओ की मानक बहीखाता पद्धति के लिए प्रारुप भी तैयार किया हैं, जो एक नई पहल है और जिसे नाबार्ड आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कई अन्य राज्यों के एफपीओ ने अपनाया। एनआईआरडीपीआर ने 'एग्रेरियन डिस्ट्रेस इंडेक्स' तैयार किया है, जो पीआरआई और एसएचजी के संस्थागत समर्थन के साथ ग्रामीण परिवारों में संकट के चेतावनी संकेतों को पहचानने और मापने के लिए एक अभिनव ढांचा है। इससे सरकारी सहायता योजनाओं के लिए परिवारों को प्राथमिकता देने में मदद मिलेगी।

सततयोग्य आजीविकाओं एवं जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन (एसएलएसीसी) के लिए एनआईआरडीपीआर एक शीर्ष तकनीकी समर्थन एजेन्सी रहा है, यह ग्लोबल पर्यावरण सुविधा द्वारा वित्त पोषित एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए विश्व बैंक (डीएवाई-एनआरएलएम-एमओआरडी) द्वारा समर्थित है। प्रायोगिक तौर पर इस परियोजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन मध्य प्रदेश और बिहार दो राज्यों में किया गया।

शैक्षणिक संकाय के वैज्ञानिक मूल्यांकन को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य् से वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) के रूप में अकादमिक संकाय के पूर्ण प्रदर्शन स्पेक्ट्रम / समग्र कामकाज को देखने के लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) प्रारूपों को संशोधित किया गया है। ए पी ए आर को समय पर जमा करने के लिए, फार्मेंट को एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में स्थानांतरित कर दिया गया है-'ई-एपीएआर- एनआईआरडीपीआर'-'ई-स्पैरो' की तर्ज पर, जिसका उपयोग भारत की अखिल भारतीय सेवाओं / भारत सरकार की केंद्रीय सेवाओं के लिए किया जा रहा है।

संस्थान के पुस्तकालय में 1,23,448 पुस्तकों / प्रकाशनों का संग्रह है। संस्थान द्वारा त्रैमासिक रुप से प्रकाशित जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट में महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती से संबंधित एक विशेष अंक प्रकाशित किया गया। वर्ष 2019-20 के दौरान अन्य प्रमुख प्रकाशनों में जल संग्रह - महात्मा गांधी एनआरईजीएस (एमओआरडी के लिए) के तहत जल संरक्षण की कहानियां और लगभग 20 पुस्तकें शामिल हैं, जो अंग्रेजी और हिंदी में प्रगति समाचार पत्र के अलावा हैं।

संस्थान द्वारा अनुरक्षित प्रलेखन प्रबंधन प्रणाली में पावर-प्वाईंट प्रेजेंटेशन, आयोजित कार्यक्रमों की अध्ययन सामग्री, शोध पत्र और वार्षिक रिपोर्ट सहित 542 प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित सामग्री है ।

परामर्शी-सह-मार्गदर्शन केंद्र, वैशाली के क्रियाकलापों को पुनर्जीवित करने के सम्बन्ध में एनआईआरडीपीआर और कपार्ट के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए जिसके मद्देनजर बिहार के एसएचजी और बेरोजगार युवाओं के लिए छह प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया । मोरेना, मध्य प्रदेश में एक नये ग्रामीण प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की गई । वर्ष 2019-20 के दौरान संस्थान ने 10 राष्ट्रीय स्तर के और दो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए संस्थान का व्यय 80.00 करोड रुपये है । 31 मार्च, 2020 तक इन निधियों का शेष - संचित निधि 263.21 करोड, विकास निधि 9.48 करोड, भवन निधि 29.26 करोड, हितकारी निधि 5.76 करोड, भविष्य निधि 19.68 करोड और चिकित्सा संचित निधि 1.63 करोड रुपये था ।

हमारा अब तक का सफर

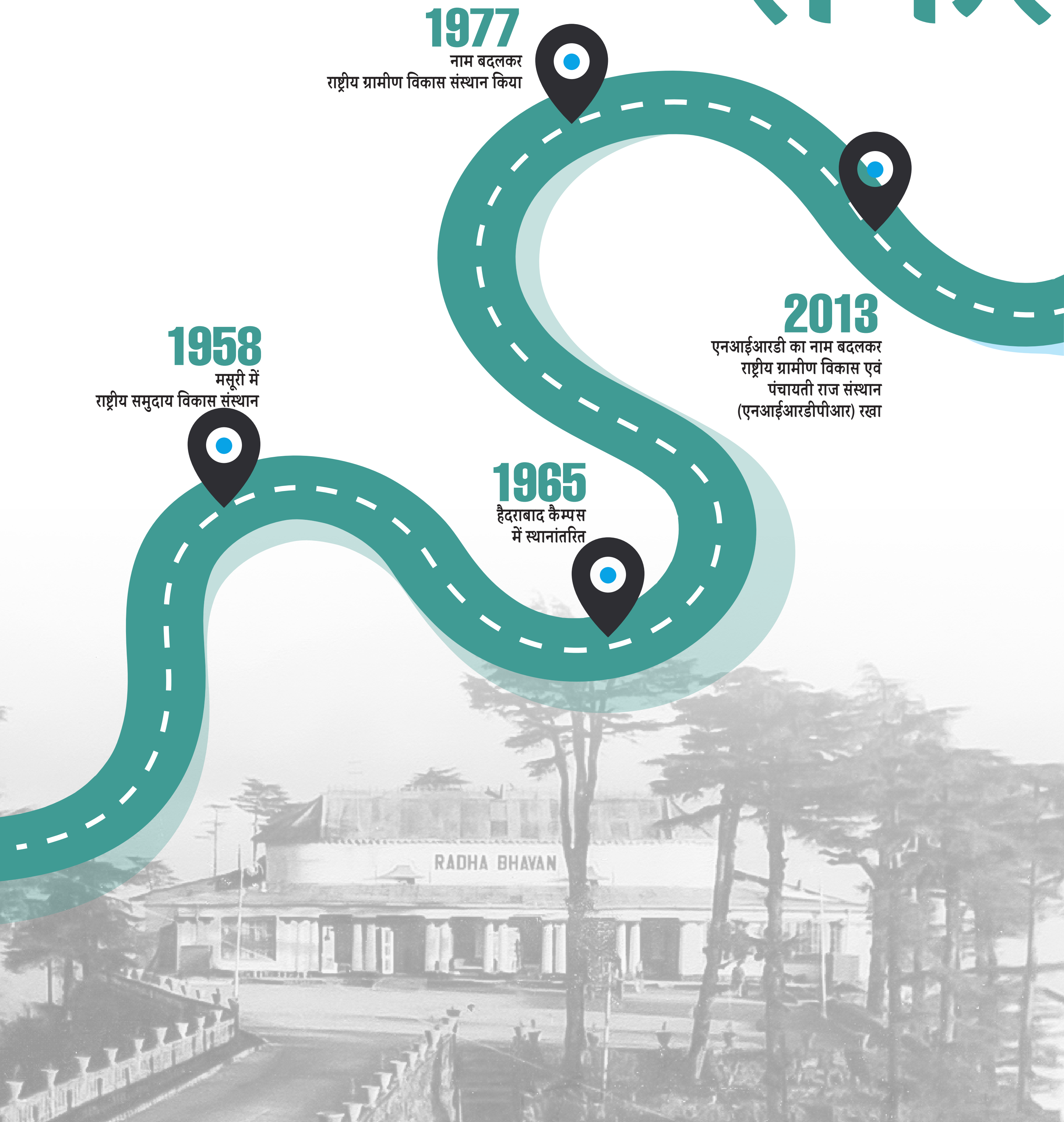

हम क्या करते हैं ?

1. वरिष्ठ स्तर के विकास प्रबंधकों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, बैंकरों, एन जी ओ और अन्य हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, सम्मेलन, सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन करना।
2. अनुसंधान को प्रारंभ करना, सहायता, समन्वयन और बढ़ावा देना।
3. विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की कार्यप्रणाली का अध्ययन करना।
4. ग्रामीण विकास हेतु कार्यक्रमों के नियोजन और कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं का विश्लेषण और समाधान करना।
5. आवधिक पत्रिकाओं, प्रतिवेदनों, ई मॉड्यूल व अन्य प्रकाशनों के माध्यम से सूचना का प्रचार-प्रसार और सामग्री तैयार करना।

अध्याय 1

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) ग्रामीण विकास मंत्रालय का स्वायत्त संगठन है तथा ग्रामीण विकास और पंचायती राज के क्षेत्र में एक शीर्ष राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र है । यह प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्शी, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण इत्यादि के अलावा अंतर संबंधित क्रियाकलापों के माध्यम से ग्रामीण विकास पदाधिकारियों, चयनित प्रतिनिधियों, वित्तीय संस्थाओं, समुदाय आधारित संगठनों और अन्य हितधारकों का क्षमता निर्माण करता है । सर्वप्रथम वर्ष 1958 में मसूरी में राष्ट्रीय समुदाय विकास संस्थान के रुप में स्थापित इस संस्थान को 1965 में हैदराबाद परिसर में स्थानांतरित कर वर्ष 1977 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) रखा गया । पंचायती राज प्रणाली के सुदृढीकरण तथा पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकर्ताओं के क्षमता निर्माण पर अधिक बल देने की आवश्यकता को पहचानते हुए संस्थान की महापरिषद के निर्णयानुसार 4 दिसंबर, 2013 को एनआईआरडी का नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एवं पीआर) रखा गया । संस्थान राजेन्द्रनगर, हैदराबाद के प्रशांत ग्रामीण परिवेश के 174.21 एकड़ के विशाल परिसर में स्थित है । संस्थान ने वर्ष 2008 में अपनी स्वर्ण जयंती मनाई ।

एनआईआरडीपीआर के अधिदेश में ग्रामीण निर्धनों का विकास और उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है । संस्थान, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय के कार्यों और कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देते हुए भारत सरकार और राज्य सरकारों के लिए "विचार भंडार" के रूप में कार्य करता है तथा विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रमों पर कार्य अनुसंधान सहित प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्य करता है । संस्थान की सेवाएँ केंद्र और राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालयों / विभागों, बैंकिंग संस्थाओं, सरकारी तथा निजी क्षेत्र संगठनों, सिविल सोसायटी, पंचायती राज संस्थाओं तथा ग्रामीण विकास से जुड़े अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के लिए भी उपलब्ध है ।

अपने अस्तित्व के लगभग 6 दशकों से अधिक समय में एनआईआरडीपीआर प्रशिक्षण, अनुसंधान, कार्य अनुसंधान, परामर्शी, सूचना का प्रचार-प्रसार तथा सूचना प्राप्ति की प्रक्रिया द्वारा कार्यक्रम प्रबंध में गुणात्मक परिवर्तन लाने में सामान्य परन्तु महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है । इसके चलते ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के क्षेत्र में संस्थान राष्ट्रीय शीर्ष संस्थान के रुप में उभर कर आया है ।

1983 में गुवाहाटी में स्थापित एनआईआरडीपीआर के उत्तर-पूर्वी प्रादेशिक केंद्र (एनईआरसी) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करता है । अपने अस्तित्व के 36 वर्ष के दौरान एनईआरसी ने क्षेत्र के विशिष्ट प्रशिक्षण और अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करने में विशेषज्ञता और अनुभव प्राप्त किया है ।

वर्ष 2019-20 के दौरान कवरेज के प्रमुख क्षेत्रों पर संस्थान के कार्य निष्पादन का एक संक्षिप्त अवलोकन नीचे दिया गया है :

सिंहावलोकन

1.1 प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

संस्थान ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाला, संगोष्ठी, सेमिनार आदि का आयोजन करता है। एनआईआरडीपीआर में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के नीति निरूपण, प्रबंधन एवं कार्यान्वयन में कार्यरत वरिष्ठ और मध्यम स्तर के विकास कार्यकर्ताओं और ग्रामीण विकास के विभिन्न अन्य हितधारकों अर्थात समुदाय आधारित संगठनों, वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों, प्रौद्योगिकी एजेंसियों, एनजीओ इत्यादि को प्रशिक्षित करने के लिए विशेषज्ञता और बेहतर आधारभूत संरचना उपलब्ध है।

इन कार्यक्रमों का फोकस प्रक्रिया पहलुओं के विशेष संदर्भ के साथ कार्यक्रम प्रबंधन के तरीकों और तंत्र पर है, जो विकास पेशेवरों को अपेक्षित लक्ष्यों और कार्यों के उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद करेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य ज्ञान आधार का सृजन करना, कौशल विकसित करना और सही दृष्टिकोण और मूल्यों को विकसित करना है। संस्थान प्रति वर्ष प्रशिक्षण क्रियाकलापों की परिधि को बढ़ा रहा है और उन्हें अधिक आवश्यकता-आधारित और केंद्रित बनाने में सफल रहा है। संस्थान निरंतर आधार पर नई प्रशिक्षण विधियों और तकनीकों को विकसित कर अपनाते हुए प्रतिभागियों में संतुष्टि की एक बहुत ही उच्च दर प्राप्त कर रहा है। इसके अलावा, अनुसंधान अध्ययन और कार्य अनुसंधान के निष्कर्ष का प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण इनपुट के रूप में उपयोग किया जाता है।

पिछले कुछ वर्षों में संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। संपर्क (आउटरीच) कार्यक्रमों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संस्थान, विकासशील देशों के पेशेवरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर अपनी विशेषज्ञता और अनुभव साझा करने का प्रयास कर रहा है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, अधिक से अधिक 1699 कार्यक्रमों का आयोजन कर, कुल 61,484 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जबकि पिछले वर्ष 1676 कार्यक्रमों का आयोजन कर 54,817 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया। वर्ष के दौरान एनआईआरडीपीआर ने कई कार्यशालाओं, सेमिनारों, संगोष्ठियों और राष्ट्रीय परामर्शों का आयोजन किया और उनके विचार-विमर्श की रिपोर्ट को किताबों और संस्थान के मासिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया। संस्थान ने विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और अन्य संगठनों के अनुरोध पर 17 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए।

अपने संपर्क संस्थानों अर्थात् राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थानों (एसआईआरडीपीआर) और विस्तार प्रशिक्षण केंद्रों (ईटीसी) की प्रशिक्षण क्षमताओं का निर्माण करना संस्थान के अधिदेश का अभिन्न अंग हैं। प्रशिक्षण आधारभूत ढांचे और इन संस्थाओं के संकाय को सुदृढ़ करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की केंद्रीय योजना के अंतर्गत एनआईआरडीपीआर वित्तीय सहायता की सुविधा भी देता हैं। संस्थान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से एसआईआरडीपीआर और ईटीसी संकाय के लिए क्षमता विकास कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है। इसके भाग के रूप में, वर्ष के दौरान इन संस्थाओं में 1204 ऑफ कैम्पस / क्षेत्रीय और नेटवर्किंग कार्यक्रम आयोजित किए गए और 478 कार्यक्रम संस्थान में आयोजित किए गए। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे आर्डो, सिर्डाप, यू एन वुमेन आदि के साथ निकट समन्वय में काम करता है।

पंचायती राज पदाधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण को ध्यान में रखते हुए संस्थान ने ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रशिक्षण सामग्री और प्रशिक्षकों एवं स्त्रोत व्यक्तियों के विकास के रूप में विभिन्न कार्यों को प्रारंभ किया है। विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में उभरते भू-संसूचना अनुप्रयोग के महत्व को पहचानते हुए, संस्थान के ग्रामीण विकास में भू-संसूचना अनुप्रयोग केंद्र (सी-गार्ड) नवीनतम भू-संसूचना प्रौद्योगिकी और उपकरणों में कौशल प्रदान करने और ज्ञान के स्तर में सुधार के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार करता है।

1.2 अनुसंधान और परामर्श

अनुसंधान, संस्थान के परिप्रेक्ष्य का एक महत्वपूर्ण घटक है। संस्थान, कार्य अनुसंधान और परामर्श के माध्यम से ग्रामीण गरीबों और अन्य वंचित समूहों पर फोकस के साथ ग्रामीण लोगों के सामाजिक कल्याण में सुधार के लिए योगदान देने वाले कारकों की जांच और विश्लेषण करता है। संस्थान द्वारा आयोजित अनुसंधान वर्तमान ग्रामीण विकास के मुद्दों पर जोर देने के साथ-साथ क्षेत्र-आधारित स्वरूप का है। संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निष्कर्ष उपयोगी जानकारी प्रदान करते है और ग्रामीण विकास के लिए नीति निरुपण में महत्वपूर्ण है।

संस्थान स्थान-विशिष्ट कार्य अनुसंधान भी करता है जिसमें विषय या मॉडल का चरण-दर-चरण में क्षेत्र परीक्षण किया जाता है और स्थान में प्रचलित स्थिति के अनुसार दिन-प्रतिदिन के हस्तक्षेपों को संशोधित किया जाता है। इसका मुख्य फोकस स्थानीय निर्णय क्षमता और भागीदारी मूल्यांकन के साथ योजना और कार्यान्वयन में लोक-केंद्रित दृष्टिकोण को विकसित करना है।

ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु संस्थान की कार्य उन्मुख पहल को और मजबूत करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों से गांवों को अपनाकर "ग्राम अभिग्रहण" पर जोर दिया गया है। यह एनआईआरडीपीआर संकाय सदस्यों को जमीनी वास्तविकताओं और विकास चुनौतियों से स्वयं को अवगत कराने में सक्षम बनाएंगे।

इसके अलावा, राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों और अन्य संस्थानों के सहयोग से अध्ययन किए जाते है। संस्थान विभिन्न विकास विषयों पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों को परामर्शी समर्थन प्रदान करता है। संस्थान केंद्रीय मंत्रालय, राज्य विभागों और अन्य संगठनों के अनुरोध पर भी अध्ययन आयोजित करता है।

2019-20 के दौरान लगभग 90 अनुसंधान अध्ययन (पिछले वर्षों के चल रहे 73 प्रस्तावों सहित) आयोजित किए गए, जिसमें एसआईआरडीपीआर, ईटीसी और राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से 11 अध्ययन शामिल है। वर्ष 2019-20 के दौरान 69 अनुसंधान अध्ययन संपूरित किए गए।

मैनुअल गलतियों को कम करने के लिए, संस्थान मोबाइल – आधारित अनुसंधान डेटा संग्रह के उपयोग को प्रोत्साहित करता है। वर्ष के दौरान, मोबाइल आधारित ओपन सोर्स ओपन डेटा किट (ओडीके) टूल का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न प्रमुख विषयों पर कई अनुसंधान अध्ययनों के क्षेत्र डेटा एकत्र किए गए।

1.3 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

सततयोग्य ग्रामीण विकास के लिए उचित और किफायती प्रौद्योगिकियों के विकास और व्यापक प्रसार-प्रचार पहल के भाग के रूप में, एनआईआरडीपीआर ने 1999 में ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी) की स्थापना की। आरटीपी में राष्ट्रीय ग्रामीण भवन केंद्र ने 40 विभिन्न प्रौद्योगिकियों के साथ ग्रामीण मकानों की लागत के प्रभावी मॉडल को प्रदर्शित किया है। व्यक्तिगत स्वच्छ शौचालय मॉडल की एक बड़ी संख्या के साथ एक स्वच्छता पार्क भी स्थापित किया गया है जो ग्रामीण जनता के लिए काफी किफायती हैं। ग्रामीण प्रौद्योगिकियों, नवाचारों, ग्रामीण उत्पादों के विपणन आदि को बढ़ावा देने के लिए हर साल एक ग्रामीण प्रौद्योगिकी और शिल्प मेला आयोजित किया जाता है।

2019-20 के दौरान, आरटीपी द्वारा आयोजित विभिन्न गतिविधियों में ग्रामीण नवोन्मेषण स्टार्टअप कॉन्क्लेव (आरआईएससी), ग्रामीण प्रौद्योगिकी और शिल्प मेला और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न तकनीकों पर कई प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।.

1.4 नवोन्मेषण कौशल और आजीविका

युवाओं को कौशल और आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की विशेष पहल को सुविधाजनक बनाने के लिए एनआईआरडीपीआर में विशेष परियोजना और संसाधन कक्ष स्थापित किए गए हैं। इनमें दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), दीन दयाल अंत्योदय योजना का संसाधन कक्ष - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरसेटी) का परियोजना कक्ष और एस.आर. शंकरन चेयर शामिल है।

डीडीयू-जीकेवाई, ग्रामीण युवाओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय का कौशल्य प्रशिक्षण और नियुक्ति कार्यक्रम है। संस्थान केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसियों (सीटीएसए) में से एक है और नीति परामर्श के लिए राष्ट्रीय स्तर की समन्वय एजेंसी है और डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम के लिए मानक ऑपरेटिंग प्रक्रियाओं का प्रबंधन करती है। यह राज्यों और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) को प्रशिक्षण और कार्यान्वियन समर्थन प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभाती है।

डीएवाई-एनआरएलएम के लिए संसाधन कक्ष ग्रामीण आजीविकाओं को बढ़ावा देने के लिए क्षमता निर्माण और अनुसंधान क्रियाकलापों की सुविधा प्रदान करता है। यह सेल एनआईआरडीपीआर, राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एसआईआरडीपीआर) और विभिन्न राज्यों के अन्य संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन करता है।

संस्थान की आरसेटी परियोजना सेल बैंकिंग संगठनों के सहयोग से राज्यों में आरसेटी के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु निधि जारी कराने के लिए नोडल एजेंसी है। इसके भाग के रूप में, एनआईआरडीपीआर को बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एमओआरडी द्वारा प्रदान की गई राशि को जारी करने के लिए विभिन्न प्रायोजित बैंकों के प्रस्तावों को संसाधित करने की ज़िम्मेदारी दी गई है।

एमओआरडी, भारत सरकार के वित्त पोषण समर्थन के साथ वर्ष 2012 में संस्थान द्वारा ग्रामीण श्रम पर एस.आर. शंकरन चेयर की स्थापना की गई। चेयर का मुख्य उद्देश्य उन मुद्दों पर अनुसंधान को बढ़ावा देना है जो ग्रामीण श्रम की स्थितियों में सुधार लाने में मदद और सहायता करेंगे।

1.5 शैक्षणिक कार्यक्रम

समय-समय पर ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न पहल ने भिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी और कुशल प्रबंधन के लिए पेशवरो की मांग सृजित की है। इसे ध्यान में रखते हुए, संस्थान ने ग्रामीण विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआरडीएम) के रूप में 2008 में एक वर्ष की अवधि के लिए प्रबंधन शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम का उद्देश्य व्यावसायिक कार्यक्रम वितरण प्रबंधकों का एक बड़ा पूल सृजित करना है, जिनकी प्रेरणा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।

बदलते विकास परिदृश्य और प्रभावी प्रबंधन के लिए व्यापक समझ और दक्ष व्यावसायिकों की आवश्यकता के संदर्भ में, दीर्घकालिक अवधि के कार्यक्रम को शुरु करने का विचार किया गया। तदनुसार, वर्ष 2018 में, संस्थान ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर दो साल का पूर्णकालिक पीजीडीएम-आरएम कार्यक्रम प्रारंभ किया।

व्यापक पहुंच के लिए संस्थान की पहल में वर्ष 2010 में एक दूरस्थ शिक्षा सेल (डीईसी) की स्थापना की गई और एक वर्ष का सतत ग्रामीण विकास पीजी डिप्लोमा (पीजीडीएसआरडी) प्रारंभ किया गया। विशेष जनजातीय विकास व्यावसायिकों के एक सुसज्जित प्रशिक्षित विकास आवश्यकता को पूरा करने के लिए, संस्थान ने जनवरी 2013 में दूरस्थ पद्धति में जनजाति विकास में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम (पीजीडीटीडीएम) भी शुरू किया। इसके अलावा, अगस्त 2015 में ग्रामीण विकास में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों (पीजीडीगार्ड) पर स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम भी शुरू किया गया।

वर्ष 2019-20 में पीजीडीआरडीएम का 16 वां बैच, पीजीडीएसआरडी का 11 वां बैच, पीजीटीडीएम का 8 वां बैच और पीजीडीगार्ड का चौथा बैच पूर्ण हुआ। वर्ष के दौरान इन कार्यक्रमों के नए बैच शुरू हुए और अभी चल रहे है।

1.6 एनआईआरडीपीआर-उत्तर पूर्वी केंद्र, गुवाहाटी

एनआईआरडीपीआर का उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र 1983 में गुवाहाटी में भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों की विशिष्ट आवश्यकता हेतु प्रशिक्षण और अनुसंधान क्रियाकलापों को उन्मुख करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। वर्ष 2019-20 के दौरान, 3425 प्रतिभागियों को शामिल करते हुए एनआरएलएम कार्यक्रमों सहित 103 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए (एनआरएलएम के तहत 1672 सहित) जिनमें क्षेत्र में एसआईआरडी और अन्य संस्थानों में ऑन- कैम्पस और ऑफ-कैम्पस कार्यक्रम शामिल थे।

वर्ष के दौरान अनुसंधान और कार्य अनुसंधान, ग्राम अभिग्रहण, मामला अध्ययन और सहयोगी अध्ययन जैसे अलग-अलग श्रेणियों के तहत कुल 10 अध्ययन किए गए। तीन अध्ययन संपूरित हो चुके हैं और शेष 7 प्रगति पर हैं।

1.7 नीति परामर्श

एनआईपीडीपीआर, एक शीर्ष संस्थान के रूप में, ग्रामीण विकास और पंचायत राज के क्षेत्रों में विचार भंडार के रूप में कार्य करने के लिए

उत्तरदायी है। इसके भाग के रूप में, संस्थान विभिन्न पहलुओं और सक्रियता पर कार्य अनुसंधान और अनुसंधान अध्ययन, कार्यशाला, सेमिनार इत्यादि करता है और विभिन्न विकास कार्यक्रमों के नीति निर्माण और प्रभावी प्रबंधन के लिए इनपुट प्रदान करता है। अध्ययन निष्कर्ष, केंद्र और राज्य सरकारों को विकास प्रशासन एवं प्रबंधन की बारीकियो का फीडबैक देते है ।

1.8 प्रशासन और वित्त

एनआईआरडीपीआर का प्रशासन और वित्त प्रभाग संस्थान का प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श क्रियाकलाप करने में संकाय सदस्यों की सहायता और सुविधा प्रदान करता हैं। संस्थान की नीतियाँ और रणनीतियों का निर्धारण महापरिषद द्वारा किया जाता हैं। माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज मंत्री, परिषद के अध्यक्ष होते हैं। संस्थान का प्रबंधन और प्रशासन का कार्य कार्यकारी परिषद में निहित है जिसके अध्यक्ष सचिव, ग्रामीण विकास होते है। महानिदेशक संस्थान के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। शैक्षणिक और अनुसंधान सलाहकार समितियां प्रशिक्षण, अनुसंधान, कार्य अनुसंधान और परामर्श एवं अकादमिक गतिविधियों की योजना बनाने में मदद करती हैं। डॉ. वाई.के. अलघ समिति की सिफारिशों के आधार पर, संस्थान को प्रत्येक स्कूल में केंद्रों और स्कूलों में पुनर्गठित किया गया है।

संस्थान के वित्त और लेखा प्रभाग के कार्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ, बजटिंग, निधियों का आहरण, लेखांकन, रसीदों और भुगतानों का वर्गीकरण, प्रबंधन द्वारा निर्णय लेने के लिए प्रशासन / प्रशिक्षण / परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न मामलों पर वित्तीय सलाह देने के अलावा, वार्षिक लेखा की तैयारी और संकलन, मंत्रालय को लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा प्रेषित करना भी शामिल है।

1.9 प्रचार प्रसार तथा प्रकाशन

एनआईआरडीपीआर के अधिदेश में ग्रामीण विकास पर सूचना का प्रसार-प्रचार करना शामिल है। संस्थान ने वर्ष के दौरान ग्रामीण विकास के मुद्दों पर साहित्य के प्रकाशन में अपना प्रयास जारी रखा है। संस्थान द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक "जर्नल ऑफ रुरल डेवलपमेंट" ग्रामीण विकास और विकेंद्रीकृत शासन पर अकादमिक पत्रिकाओं के बीच एक अग्रणी पत्रिका बनी हुई है। अंग्रेजी और हिंदी में एनआईआरडीपीआर समाचार पत्र 'प्रगति' प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए व्यापक प्रचार प्रदान करने और नियमित आधार पर संस्थान द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों को उजागर करने के लिए प्रकाशित किया जाता है। संस्थान इनके अलावा डीडीयू-जीकेवाई के तहत विभिन्न गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक ऑनलाइन मासिक समाचार पत्र 'कौशल समाचार' भी प्रकाशित करता है। संस्थान के अन्य प्रकाशनों में अनुसंधान रिपोर्ट श्रृंखला, मामला अध्ययन सीरीज़ और कार्य अनुसंधान श्रृंखला शामिल है। संस्थान के पुस्तकालय ने संस्थागत प्रकाशन जैसे कि अनुसंधान विशिष्टतायें, प्रशिक्षण / पठन सामग्री और ग्रामीण विकास पर संकाय सदस्यों के प्रकाशनों के डिजिटलीकरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

2 अध्याय

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

उद्देश्य

- प्रभावी कार्यक्रम योजना और कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा जागरूकता सृजन करना, कौशल में सुधार, सही दृष्टिकोण को बढ़ावा देना और विकास कार्यकर्ताओं के ज्ञान को व्यापक बनाना।
- कार्यशालाओं, राईटशॉप सेमिनारों और परामर्शों के माध्यम से ग्रामीण जनसंख्या की उभरती जरूरतों पर रणनीति विकसित करना।
- सतत योग्य ग्रामीण विकास के लिए विकास कर्मियों में भावुक योगदान हेतु व्यवहार संबंधी परिवर्तन की सुविधा प्रदान करना
- विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन में श्रेष्ठ पद्धतियों और सफल कहानियों से विकास अधिकारियों को परिचित कराना।

ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र और पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण संस्थान की प्रमुख गतिविधियों में से एक है। ग्रामीण विकास में चल रही पहल के प्रभावी और कुशल प्रबंधन के लिए विकास व्यावसायिकों के क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। संस्थान द्वारा प्रारंभ क्षमता निर्माण कार्यक्रम सतत योग्य ग्रामीण विकास के लिए विकास कर्मियों में भावुक योगदान हेतु व्यवहारिक परिवर्तन की सुविधा प्रदान करते हैं। प्रतिभागियों को सर्वोत्तम पद्धतियां बतायी जाती है और विकास कार्यक्रमों के बेहतर प्रबंधन के लिए सफलता की कहानियां साझा की जाती हैं । जमीनी हकीकत को सामने लाने और प्रतिभागियों को जमीनी हकीकत और क्षेत्र में अनुभव की जाने वाली चुनौतियों को समझने में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण में अनुसंधान, कार्य अनुसंधान, ग्राम अभिग्रहण और मामला अध्ययन के निष्कर्षों का भी उपयोग किया जाता है। कार्यशालाओं, सेमिनारों और परामर्शों के माध्यम से ग्रामीण आबादी की उभरती जरूरतों पर विभिन्न रणनीतियाँ तैयार की जाती है।

संस्थान में विकास क्षेत्र के कार्यकर्ताओं एवं विभिन्न स्तर के अधिकारियों और पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने की विशेषज्ञता और आधारभूत संरचना उपलब्ध है। संस्थान लगातार नई प्रशिक्षण विधियों और तकनीकों को खोज करता और अपनाता है। प्रशिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, आंतरिक और बाह्य विषय विशेषज्ञों के साथ एक प्रशिक्षण गुणवत्ता सुधार उपाय समिति (टीक्यूआईएमसी) का गठन किया गया है जो पाठ्यक्रम के डिजाइन और सामग्रियों की छानबीन करता है और कार्यक्रमों को बेहतर बनाने के लिए उपाय सुझाता है।

वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर को संस्थान के स्वरुप और मिशन के बनिस्बत उभरने वाले व्यापक प्रवृत्तियों की तुलना में तैयार किया गया है। समय-समय पर आयोजित प्रशिक्षण आवश्यकता के आकलन के परिणाम, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के विचार-विमर्श, प्रशिक्षण कार्यक्रमों से अनुसंधान निष्कर्ष और प्रतिक्रिया भी प्रशिक्षण कैलेंडर की तैयारी के कारक है। एसआईआरडी और राज्य सरकारों के साथ परामर्श में शिनाख्त ऑफ-कैम्पस पाठ्यक्रमों की आवश्यकताओं, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रम प्रभागों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को भी वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर की तैयारी के समय ध्यान में रखा जाता है।

संस्थान के प्रयास के भाग के रूप में बड़ी संख्या में हितधारकों तक पहुँचना और सबसे महत्वपूर्ण राज्य और उप-राज्य स्तर पर पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण को मजबूत करने के लिए एसआईआरडी, ईटीसी तथा अन्य ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज संस्थानों के अधिकारियों के लिए ऑफ-कैम्पस और नेटवर्किंग कार्यक्रम तैयार किए जाते है। इसके अलावा, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला कैस्केडिंग मोड में क्षमता निर्माण की सुविधा के लिए एसआईआरडी / ईटीसी, राज्य और जिला स्तर के स्त्रोत व्यक्तियों और मास्टर प्रशिक्षकों के संकाय सदस्यों के लिए भी तैयार की गयी।

संस्थान, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से निपटने वाले केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के वरिष्ठ और मध्यम स्तरीय और आधिकारिक सदस्यों तथा गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ), वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू), शिक्षाविद, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी, आदि सहित अन्य हितधारकों के लिए कार्यक्रम तैयार करता हैं।

एनआईआरडीपीआर राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एसआईआरडीपीआर) और विस्तार प्रशिक्षण केंद्रों (ईटीसीएस) के क्षमता निर्माण कार्य भी करता हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने दुनिया भर के विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों को अपनी ओर आकर्षित किया है।

प्रतिभागियों के प्रशिक्षण की विविध प्रकृति और विविध प्रोफ़ाइल को ध्यान में रखते हुए, व्याख्यान-सह-चर्चा, मामला अध्ययन, समूह चर्चा, पैनल चर्चा, अभ्यास और प्रायोगिक सत्र, रोल प्ले और सिमुलेशन गेम्स जैसे विशिष्ट और उचित प्रशिक्षण के तरीके, क्षेत्र दौरा, आदि का उपयोग किया जाता है। प्रशिक्षण क्रियाविधि के भाग के रूप में, स्त्रोत व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुतियाँ और प्रतिभागियों के अनुभवों और सहभागिता को साझा करने की सुविधा है। प्रतिभागियों को सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों और सफलता की कहानियों के बारे में बताने के लिए क्षेत्र दौरों का आयोजन भी किया जाता है।

प्रतिभागियों के लिए प्रायोगिक प्रशिक्षण

2.1 प्रशिक्षण कार्यक्रम : 2019-20

वर्ष 2019-20 में, कुल 1,699 कार्यक्रम आयोजित किए गए थे । एनआईआरडीपीआर के लगभग 28 प्रतिशत कार्यक्रम एनआईआरडीपीआर अनुदान (एमओआरडी) से आयोजित किए गए और 72 प्रतिशत कार्यक्रम विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के माध्यम से वित्त पोषित किए गए, जो एमजीएनआरईजीएस, एनआरएलएम और डीडीयु-जीकेवाई है ।

तालिका - 1 : आयोजित कार्यक्रमों के प्रकार: 2019-20

क्र.सं.	प्रकार	एनआईआरडी पीआर	एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी	कुल
1	प्रशिक्षण कार्यक्रम	334	46	380
2	कार्यशाला एवं सेमिनार	61	37	98
3	अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम	17	0	17
4	ऑफ-कैम्पस कार्यक्रम	534	20	554
5	नेटवर्किंग कार्यक्रम	650	0	650
	कुल	1596	103	1699

2.1.1 प्रशिक्षण के विषय

कार्यक्रमों का समग्र उद्देश्य ग्रामीण लोगों के सशक्तिकरण के लिए सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों को एकीकृत करके सतत ग्रामीण विकास को सुविधाजनक बनाना है। उभरते ग्रामीण परिदृश्य के संदर्भ में विकास व्यावसायिकों की क्षमता निर्माण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विषय की योजना बनाई गई है। चल रहे ग्रामीण विकास फ्लैगशिप कार्यक्रम तथा पीआरआई कार्यकर्ताओं के सशक्तिकरण की प्रभावी योजना और प्रबंधन पर ध्यान केंद्रीत किया गया है।

एमजीएनआरईजीएस, पीएमकेएसवाई, पीएमजीएसवाई, डीडीयू-जीकेवाई, डीएवाई-एनआरएलएम, आदि जैसे प्रमुख कार्यक्रमों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने और समय-समय पर उभरने वाली आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए विशेष कार्यक्रमों को आयोजित किए जाते है।

2.1.2 प्रतिभागियों की रुपरेखा

संस्थान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है जो प्रतिभागियों की विस्तृत श्रृंखला की आवश्यकताओं को पूरा करता है । वर्ष 2019-20 के दौरान कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की प्रोफाइल नीचे तालिका – 2 में दिया गया है ।

तालिका - 2 प्रतिभागियों की रुपरेखा

क्र.सं.	प्रकार	एनआईआरडी पीआर	एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी	कुल
1	सरकारी अधिकारी	5596	2495	8091
2	वित्तीय संस्थाएँ	610	76	686
3	पंचायती राज संस्थायें	2373	20	2393
4	एनजीओ और सीबीओ	838	131	969
5	राष्ट्रीय और राज्य अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान	17312	74	17386
6	विश्वविद्यालय और कॉलेज	5285	56	5341
7	अंतर्राष्ट्रीय	458	0	458
8	अन्य स्टेकहोल्डर्स	25587	573	26160
	कुल	58059	3425	61484

संसाधन मानचित्रण योजना में भाग लेने वाले ग्रामीण

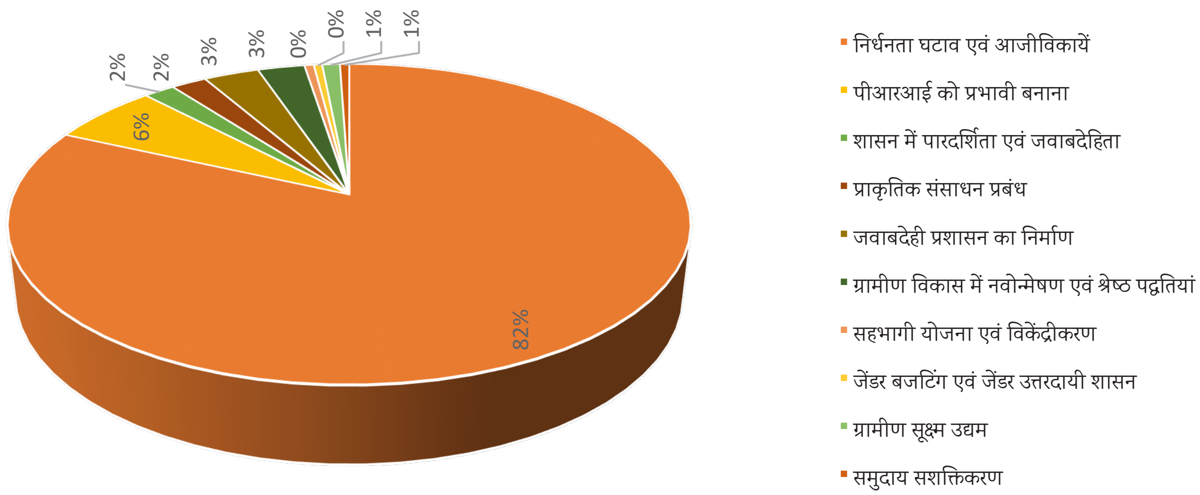

ग्राफ 1 : प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विषयगत वितरण

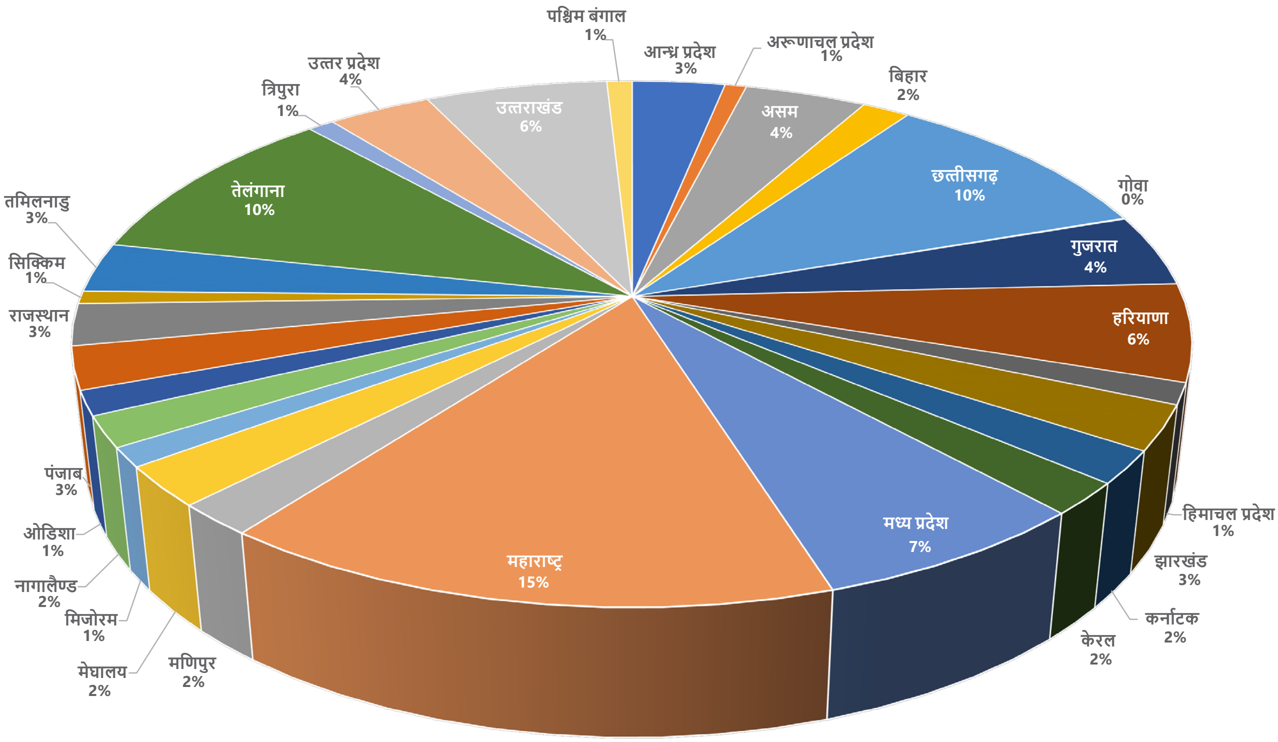

ग्राफ 2: प्रशिक्षण कार्यक्रमों की माह वार सहभागिता

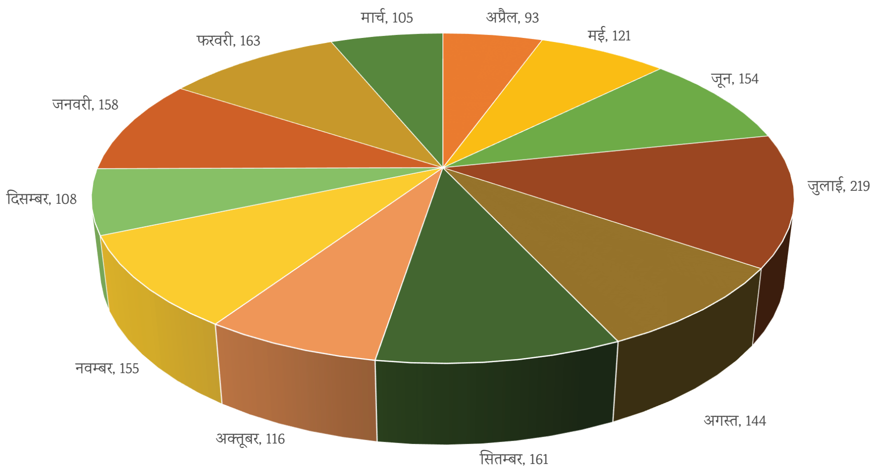

ग्राफ 3: प्रशिक्षण कार्यक्रमों की माह वार आकृति

2.1.3 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जेंडर वितरण

एनआईआरडीपीआर ने जेंडर तटस्थ कार्यक्रमों को तैयार में सघन प्रयास किए है । कार्यक्रमों में पुरुष और महिला प्रतिभागियों की समान सहभागिता को सुनिश्चित किया गया है ।

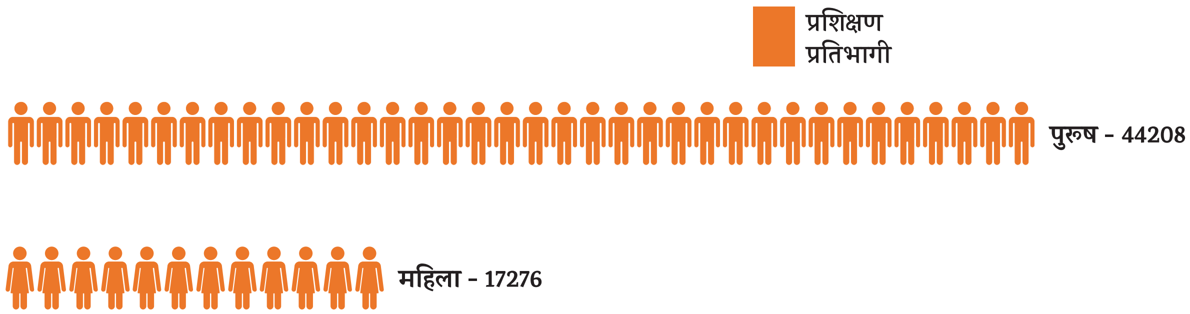

ग्राफ 4: प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जेंडर वितरण

उपरोक्त ग्राफ से पता चलता है कि पुरुषों की भागीदारी तुलनात्मक रूप से अधिक थी, क्योंकि कई विषयगत क्षेत्रों में महिला कर्मचारी की उपस्थिति पुरुषों की तुलना में कम है ।

2.1.4 प्रतिशतता में राज्य-वार भागीदारी

कार्यक्रम में देश के सभी क्षेत्रों से प्रतिभागियों ने कार्यक्रमों में भाग लिया और एनआईआरडीपीआर क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। वर्ष के दौरान भागीदारी का प्रमुख भाग ग्राफ-2 में बताए गए अनुसार महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ राज्यों से था, इसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और गुजरात रहा।

मुख्यालय और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र, गुवाहटी, असम में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यक्रम की श्रेणियाँ तथा माहवार प्रतिभागी के विवरण को परिशिष्ट – I में दिया गया है।

2.1.5 क्षेत्रीय ऑफ-कैम्पस प्रशिक्षण कार्यक्रम

ग्रामीण विकास और पंचायती राज के क्षेत्र में राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने और एसआईआरडी एवं ईटीसी के संकाय सदस्यों का क्षमता निर्माण करने के लिए, एनआईआईआरडीपीआर और इसके क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा 534 ऑफ-कैम्पस कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इसके अलावा, अत्याधुनिक स्तर पर पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण की सुविधा के साथ, इन संस्थानों के माध्यम से 934 नेटवर्किंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। वर्ष के लिए राज्य-वार एसआईआरडी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण तालिका -3 में दिया गया है।

2.1.6 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

संस्थान ग्रामीण विकास के विभिन्न विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन द्वारा अन्य विकासशील देशों के साथ भारतीय अनुभव साझा करने के लिए व्यापक प्रयास कर रहा है। ये कार्यक्रम भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की फेलोशिप योजनाओं और एशिया एवं पेसिफिक के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास केंद्र (सिर्डाप) और कृषि बैंकिंग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रशिक्षण केंद्र (सीआईसीटीएबी) के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं।

2019-20 के दौरान, 17 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए गए और विकासशील देशों के 358 प्रतिभागियों ने कार्यक्रमों में भाग लिया। प्रतिभागी मुख्य रूप से एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, घाना, नेपाल, म्यानमार, मॉरीशस, मलेशिया, सूडान, श्रीलंका, तंजानिया, यमन, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, वियतनाम, जिम्बाब्वे, आदि से थे।

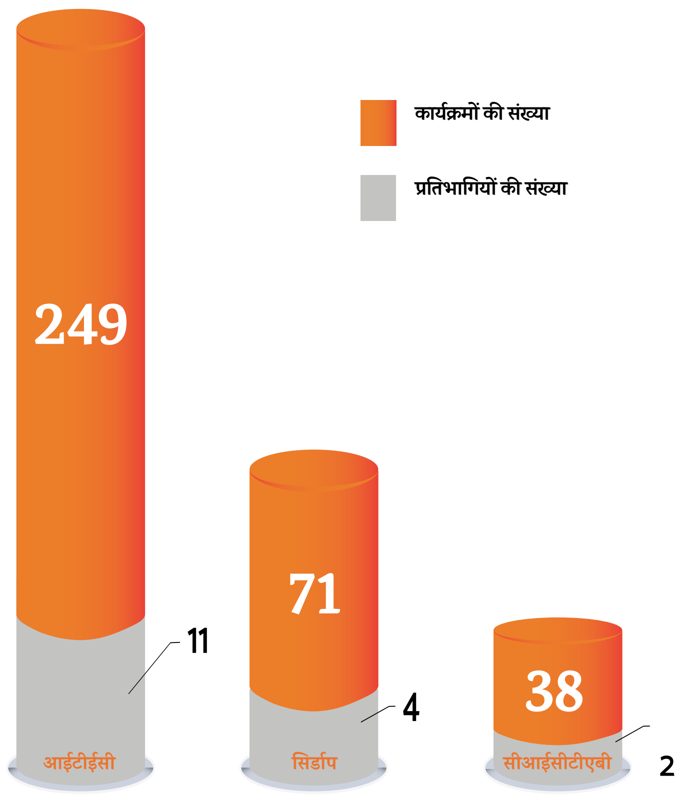

ग्राफ 5: अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण

तालिका 3: 2019-20 के लिए राज्य-वार एसआईआरडीपीआर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	एसआईआरडी	2019 - 20	
			कार्यक्रम	प्रतिभागी
1	आन्ध्र प्रदेश*	एपी, एसआईआरडी	110	2905
2	अरुणाचल प्रदेश	एसआईआरडी, इटानगर	64	7241
3	असम*	एसआईआरडीपीआर, गुवाहाटी	8410	427786
4	बिहार	बीआईपीए एवं आरडी, पटना	9	642
5	छत्तीसगढ़*	टीपीआईपी एवं आरडी, रायपुर	3914	139315
6	गोवा	जीआईआरडीए, पणजी	235	6633
7	गुजरात*	एसआईआरडी, अहमदाबाद	344	22442
8	हरियाणा	एसआईआरडी, निलोखेरी	1812	74431
9	हिमाचल प्रदेश	एचआईपीए, शिमला	102	2388
10	जम्मू-कश्मीर	आईएमपीए एवं आरडी, श्रीनगर	41	1646
11	झारखंड	एसआईआरडी, रांची	1163	45649
12	कर्नाटक*	एएनएस - एसआईआरडीपीआर, मैसुर	115	462243
13	केरल	केआईएलए, कोट्टारकार	962	214843
14	मध्य प्रदेश	एमजी- एसआईआरडी, जबलपुर	3641	177234
15	महाराष्ट्र*	याशदा, पुणे	714	22097
16	मणिपुर	एसआईआरडीपीआर, इंफाल	9	270
17	मेघालय	एसआईआरडी, नांगसडर	196	5831
18	मिजोरम	एसआईआरडीपी आर, ऐजवाल	232	7983
19	नागालैण्ड	एसआईआरडी, कोहिमा	181	6471
20	ओडिशा*	एसआईआरडीपीआर, भुवनेश्वर	1632	69676
21	पंजाब*	एसआईआरडीपीआर, मोहाली	1049	44095
22	राजस्थान	आईजीपीआर एवं जीवीएस, जयपुर	49	2487
23	सिक्किम	एसआईआरडीपीआर, करफ़ेक्टर	107	7714
24	तमिलनाडु*	एसआईआरडीपीआर, मरिमलाइनगर	3321	171856
25	तेलंगाना*	टीपीएसआईआरडी, हैदराबाद	798	35517
26	त्रिपुरा	एसआईपीए एवं आर डी, अदरताला	358	10998
27	उत्तर प्रदेश	एसआईआरडी, बक्शी-का- तालाब	3158	119951
28	उत्तराखंड	यूआईआरडी एवं पीआर, रुद्रपुर	140	5691
29	पश्चिम बंगाल*	बीआरएआईपी एवं आरडी, कल्याणी	398	10505
कुल			**33164**	**2106540**

* इनमें ईटीसी संपर्क कार्यक्रमों और एसएटीसी ओएम मोड के माध्यम से पीआरआई कार्यकर्ताओं के क्षमता निर्माण हेतु आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है ।

तालिका 4: 2019-20 के लिए : अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में देश-वार भागीदारी का विवरण

क्र.सं.	देश	देशवार भागीदारी	क्र.सं.	देश	देशवार भागीदारी
1	अफगानिस्तान	13	32	मलावी	4
2	अल्जीरिया	6	33	मलेशिया	2
3	अर्जेन्टिना	1	34	मॉरिशस	15
4	अजरबैजानी	1	35	म्यांमार	3
5	बांग्लादेश	15	36	मोरक्को	1
6	भूटान	4	37	नैरोबी	1
7	बोलिविया	1	38	नमिबिया	5
8	बोत्सवाना	2	39	नेपाल	38
9	बरुन्डी	1	40	नाईजर	4
10	केमरुन	1	41	नाईजीरिया	10
11	कोस्टा रिका	1	42	ओमान	2
12	दोहुक	1	43	पैलेस्टिन	4
13	डोमिनिकन रिपब्लिक	2	44	पेरु	2
14	डीआर ऑफ कांगो	3	45	फिलिपिन्स	3
15	ईस्ट अफ्रिका	1	46	सेशेल्स	4
16	इक्वेडोर	2	47	सियरा लिओन	1
17	ईजिप्त	7	48	दक्षिण सुडान	8
18	ईथियोपिया	12	49	श्रीलंका	37
19	फिजी	6	50	सुडान	7
20	गया	1	51	सिरिया	1
21	घाना	1	52	तजकिस्तान	5
22	ग्वाटामाला	1	53	तांजेनिया	9
23	गुयाना	1	54	थाइलैंड	2
24	होडरस	2	55	ट्यूनिशिया	4
25	इंडोनेशिया	25	56	यूगांडा	1
26	ईरान	15	57	उरुग्वे	1
27	इराक	8	58	उज़्बेकिस्तान	4
28	जमैका	1	59	वेनेजुला	1
29	जॉर्डन	1	60	वियतनाम	9
30	किनिया	12	61	जाम्बिया	7
31	लाओ पी डी आर	5	62	जिम्बाब्वे	8
कुल सहभागिता					**356**

2.1.7 पिछले कुछ वर्षों में प्रशिक्षण निष्पादन

2015-16 से पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रशिक्षण प्रदर्शन को नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। पिछले कुछ वर्षों में प्रदर्शन में लगातार सुधार हुआ है और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और 2015-16 की तुलना में 2019-20 के दौरान प्रशिक्षार्थियों की संख्या में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

पिछले वर्ष (2018-19) की तुलना में, प्रशिक्षार्थियों में 2019-20 के दौरान वृद्धि लगभग 12 प्रतिशत है। वृद्धि मुख्य रूप से प्रमुख कार्यक्रमों, विशेष रूप से एमजीएनआरईजीएस, डीएवाई-एनआरएलएम और डीडीयू-जीकेवाई पर प्रशिक्षण पर बढ़े हुए फोकस के चलते हुई।

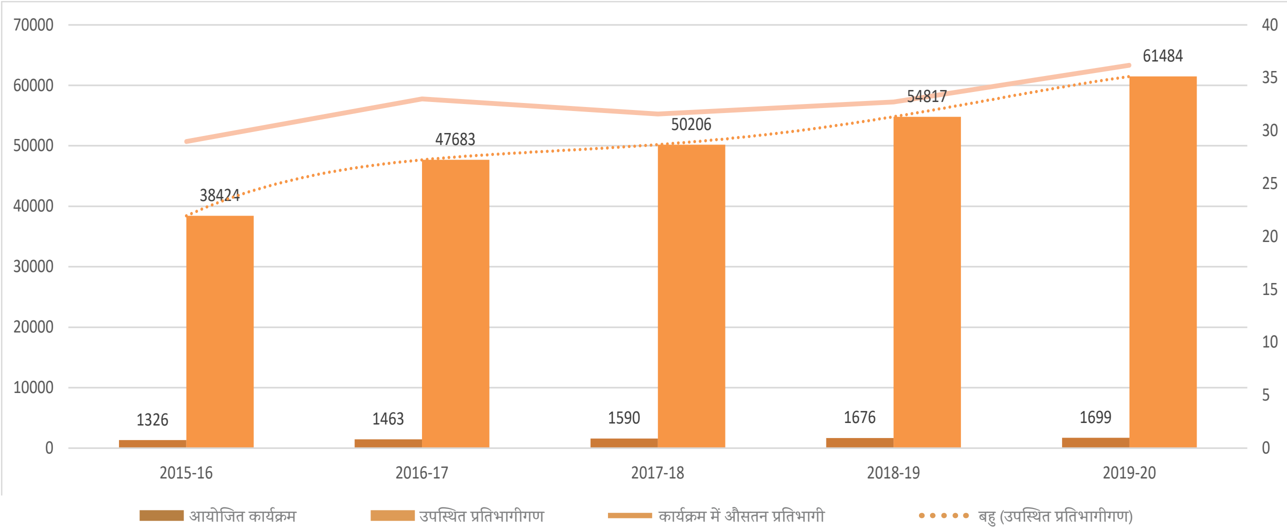

ग्राफ 7: पिछले पांच वर्षों में आयोजित और कार्यक्रमों में सहभागिता का तुलनात्मक विश्लेषण

2.1.8 प्रशिक्षण प्रदर्शन - स्कूल-वार

संस्थान के विभिन्न स्कूलों / केंद्रों, संसाधन कक्षों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्रेकअप नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 5: स्कूल-वार प्रदर्शन: 2019-20

क्र. सं.	स्कूल	कार्यक्रमों की संख्या
1	विकास अध्ययन और सामाजिक न्याय स्कूल	41
2	ग्रामीण आजीविका स्कूल	495
3	सतत विकास स्कूल	15
4	लोक नीति और सुशासन स्कूल	29
5	स्थानीय शासन स्कूल	107
6	विज्ञान, तकनोलॉजी एवं ज्ञान प्रणाली स्कूल	230
7	व्यावसायिक समर्थन केंद्र	17
8	जवाबदेही और पारदर्शिता स्कूल	12
9	एनईआरसी	103
10	नेटवर्किंग	650

2.1.9 प्रशिक्षण प्रतिनिवेश

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रदर्शन का मूल्यांकन ई-मूल्यांकन के माध्यम से प्रशिक्षण डिजाईन, सामग्री, प्रशिक्षण विधियों, प्रशिक्षण सामग्री, वक्ताओं की प्रभावशीलता, भोजन और ठहरने की सुविधा, पुस्तकालय सुविधा आदि घटकों के संदर्भ में पांच-बिंदु पैमाने पर किया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बेहतर बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए निष्पादन को माप कर मूल्यांकन किया जाता है। 2019-20 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रतिनिवेश के लिए कुल औसत स्कोर 85 प्रतिशत था।

श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और कृषि एवं किसान कल्याण केंद्रीय मंत्री द्वारा ग्राम स्वराज का शुभारंभ

2.2 नई पहल

2.2.1 ई-लर्निंग पोर्टल का शुभारंभ - ग्राम स्वराज

ग्राम स्वराज ई-लर्निंग पोर्टल 17 फरवरी, 2020 को श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार के करकमलों से शुरु किया गया था। ग्राम स्वराज पोर्टल शिक्षार्थियों को पंचायती राज, कौशल विकास, आजीविका, सामाजिक लेखापरीक्षा, आदि से संबंधित विषयों पर एनआईआरडीपीआर से ऑनलाइन पाठ्यक्रम का अपनी सुविधानुसार, कभी भी उपयोग करने की अनुमति देने की एक महत्वपूर्ण पहल है। मंच उपयोगकर्ताओं को वस्तुतः कनेक्ट करने और एनआईआरडीपीआर द्वारा आयोजित होने वाले चयनित प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाओं में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है।

2.2.2 कौशल विलेख के तहत प्रशिक्षार्थियों के पहले बैच का प्रशिक्षण और स्थापन

कौशल विलेख एनआईआरडीपीआरआर, झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी (जेएसएलपीएस) और झारखंड में डीडीयू-जीकेवाई के परियोजना कार्यान्वयन साझेदार टीम की एक पहल है। कौशल विलेख कौशल विकास में नौकरी के लिए उम्मीदवारों का चयन करने और उन्हें प्रशिक्षित करने, उन्हें कौशल विकास व्यावसायिकों में बदलने और डीडीयू-जीकेवाई कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में पदस्थापन के अवसर प्रदान करने का कार्यक्रम है।

श्री चरणजीत सिंह, एमओआरडी के संयुक्त सचिव, से पाठ्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले प्रशिक्षार्थी

8 अक्तूबर 2018 को एनआईआरडीपीआर, जेएसएलपीएस और प्रशिक्षण साझेदारों की उपस्थिति में झारखंड के तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुबर दास द्वारा पहल की औपचारिक शुरुआत के बाद, कौशल विलेख ने वर्ष 2019 में बैच -1 के प्रशिक्षार्थियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया और झारखंड तथा राज्य के बाहर के विभिन्न प्रशिक्षण केंद्र में पदस्थापित किया गया। आठ सप्ताह के गहन प्रशिक्षण से गुजरने और प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, प्रशिक्षार्थियों को एमओआरडी के संयुक्त सचिव श्री चरणजीत सिंह से कौशल विलेख पाठ्यक्रम समापन प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ।

2.2.3 नाबार्ड के एफपीओ के लिए संसाधन सहायता एजेंसी के रूप में एनआईआरडीपीआर

स्थायी एफपीओ को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा संस्थान को संसाधन सहायक एजेंसी (आरएसए) के रुप में सूचीबद्ध किया गया है।

संस्थान ने अपने कृषि अध्ययन केंद्र के माध्यम से, 27 उत्पादक संगठन को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं (पीओपीआई) के माध्यम से आंध्र प्रदेश में 87 एफपीओ के साथ गठबंधन कर लिया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एफपीओ के सीईओ के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के अलावा, संस्थान ओडीके के माध्यम से एक प्रामाणिक आधारभूत सर्वेक्षण और एफपीओ क बिजनेस प्लान तैयार करने, मूल्यवर्धन के लिए संस्थागत लिंकेज, बाजार लिंकेज की सुविधा और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से मूल्य जानकारी की तैयारी का काम कर रहा है और मानक बहीखाता पद्धति पर भी एफपीओ प्रशिक्षण दिया गया। 2019-20 के दौरान, लगभग 263 प्रशिक्षण दिवस सीईओ के लिए और 1074 प्रशिक्षण दिवस निदेशक मंडल के लिए पूरे हुए।

2.2.4 बिहार और मध्य प्रदेश में 'जलवायु स्मार्ट कृषि' तकनीक कार्यान्वित

सतत आजीविका और जलवायु परिवर्तन परियोजना का अनुकूलन (एसएलएसीसी) एनआरएलएम के दायरे में जलवायु परिवर्तन लेंस को समुदाय आधारित जलवायु नियोजन को मजबूत करने और स्थायी आजीविका कार्यक्रम में अनुकूलन विषय को शामिल किया है। 2014-2019 के दौरान बिहार और मध्य प्रदेश में एसएलसीसी कार्यक्रम को लागू किया गया था। संस्थान ने एसएलसीएसी परियोजना के लिए प्रमुख तकनीकी सहायता एजेंसी के रूप में अपनी क्षमता के साथ भारत में दो पायलट राज्यों अर्थात् बिहार और मध्य प्रदेश में क्षमता निर्माण गतिविधियों को सफलतापूर्वक लागू किया है। इन जानकारी के आधार पर, एनआईआरडीपीआर ने भारत के अन्य छह राज्यों में क्षमता निर्माण कार्यों को प्रारंभ किया है; जिन्हें जलवायु परिवर्तन की उच्च भेद्यता के आधार पर चुना गया। ये छह राज्य आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब और छत्तीसगढ़ हैं।

एक ग्रामीण स्तर की योजना और निर्णय लेने के साधन 'जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना (सीसीएपी)' को समुदायों में भेद्यता के विभिन्न प्रकार को जानने के लिए विकसित किया गया था, जो जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों को पहचानने और उन्हें दूर करने में मदद करेगी। मध्य प्रदेश और बिहार एसआरएलएम के कैडरों को प्रशिक्षित किया गया और एसएलएसीसी के सभी 793 गांवों में सीसीएपी का संचालन किया गया। सूखे और बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में सीमांत किसानों की आजीविका को सुरक्षित करने के लिए कृषि योग्य क्षेत्र के लिए सूक्ष्म-नियोजन में सहायता हेतु, उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों और मानव श्रम के साथ मौसम आधारित कृषि सलाहकार सेवाएं (डब्ल्युबीएएएस) भी विकसित की गई हैं। डब्ल्युबीएए सेवाओं ने उपज में लगभग 16-19 प्रतिशत की वृद्धि को सक्षम किया है, फसलों को काफी हद तक बचाया है और गैर-लाभार्थियों द्वारा इसकी मांग अधिक थी। धान, गेहूं, मूंग / उड़द, हल्दी और सब्जियों जैसी प्रमुख फसलों पर भी इनपुट लागत लगभग 33 प्रतिशत कम हो गई।

संस्थान के ई-लर्निंग पोर्टल- ग्राम स्वराज के माध्यम से सीआरपी, मिशन स्टाफ, एसआरएलएम और एनजीओ के लिए सतत आजीविका और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन पर 12 सप्ताह का ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया गया था। एसएलएसीसी पर एक पाठ्यक्रम को एनआईआरडीपीआर में दो वर्षीय ग्रामीण विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआरएम) पाठ्यक्रम में एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम के रूप में उपयोग करने के लिए तैयार किया गया है।

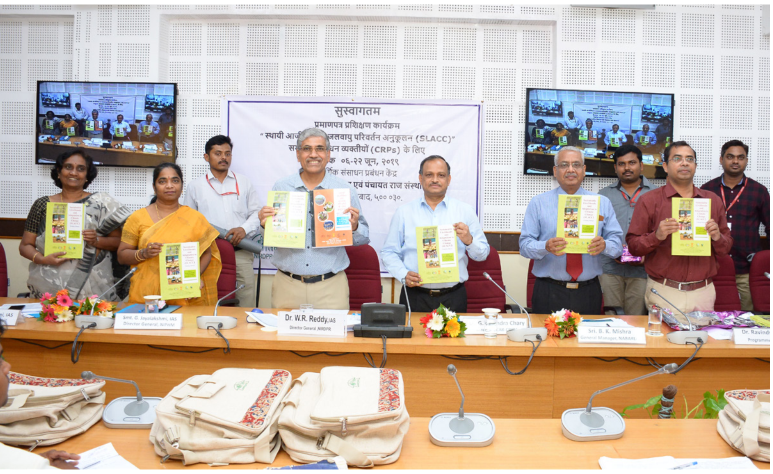

सतत आजीविका और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र

एसएलएसीसी परियोजना में हस्तक्षेप के प्रचार-प्रसार के लिए कुल नौ वीडियो विकसित किए गए। 9-12 मिनट की अवधि वाली फिल्में विभिन्न विषयों पर तैयार की गई, जैसे जलवायु परिवर्तन के बारे में परिचय, कृषि पर इसका प्रभाव और एसएलएसीसी परियोजना का परिचय (10 मिनट), जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना (9.30 मिनट), मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, जैविक खेती और बीज उपचार (10 मिनट), पशुधन और पशुचारा विकास, जुगाली करने वाले और पोल्ट्री प्रबंधन (11 मिनट), वैकल्पिक आजीविका (किचन गार्डन, मशरूम और मधुमक्खी पालन (10.45 मिनट), एग्रोफोरेस्ट्री, वाडी और बंड प्लांटेशन (9.00 मिनट), कस्टम हायरिंग सेंटर (9.05 मिनट), मौसम आधारित कृषि सलाह (11.50 मिनट) और समुदाय एवं सोलर पंप आधारित सिंचाई (7.40 मिनट) आदि।

2.2.5 बिज़ सखी मॉड्यूल तैयार करने में एनआईआरडीपीआर का यूएनडीपी के साथ सहयोग

संस्थान ने यूएनडीपी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौता ज्ञापन के भाग के रूप में एनआईआरडीपीआर एवं यूएनडीपी ने (अपने परियोजना दिशा के तहत) राष्ट्रीय उद्यमशीलता एवं लघु व्यापार विकास संस्थान, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय तथा टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साईंसेस, मुंबई के साथ मिलकर प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और विस्तृत प्रशिक्षण सामग्री तैयार की तथा स्थानीय लोगों से समुदाय मेन्टरों के एक कैडर "बिजनेस सखी" (बिज सखी) को प्रमाणित कराया।

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के दौरान सुश्री नादिया रशीद, राष्ट्र की उप प्रतिनिधि, यूएनडीपी के साथ एनआईआरडीपीआर के महानिदेशक डॉ. डब्ल्यु. आर. रेड्डी

बिज सखी स्थानीय समुदाय के महिलाओं को प्रति उद्यमशीलता के क्रियाकलापों के लिए प्रोत्साहित करेगा और व्यापार तथा मनोसामाजिक समर्थन पर तकनीकी निवेशों के संबंध में समर्थन देगा। उसी प्रकार, इस पहल के तहत, बिज सखी कार्यक्रम के लिए एक मास्टर प्रशिक्षकों के पुल सृजित करने के लिए "बिज-सखी मास्टर प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम" शीर्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

चार खंडो में विस्तृत प्रशिक्षण सामग्री (बिज सखी : महिला उद्यमशीलता विकास एवं सशक्तिकरण के लिए समुदाय आधारित मेंटर्स) एनआईआरडीपीआर के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

राज्य चुनाव आयुक्तों का सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान सभा को संबोधित करते हुए श्री जी. किशन रेड्डी, माननीय गृह राज्य मंत्री

2.3 अन्य पहल

2.3.1 राज्य चुनाव आयुक्तों (एसईसी) का सम्मेलन

यह विचार करते हुए कि संविधान के 73 वें और 74 वें संशोधन की घोषणा के बाद से 25 साल बीत चुके हैं, और एसईसी द्वारा स्थानीय निकायों के लिए समय पर और निर्बाध चुनाव कराने में कामकाज को समझने और चुनौतियों से निपटने के लिए, सम्मेलन को एनआईआरडीपीआर और राज्य चुनाव आयोग तेलंगाना, हैदराबाद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन श्री जी. किशन रेड्डी, माननीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा किया गया। 22 राज्यों के राज्य चुनाव आयुक्तों ने विचार-विमर्श में भाग लिया।

राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन के व्यापक विषय में शेड्यूल के अनुसार स्थानीय निकाय चुनाव आयोजित करना - चुनौतियां और अवसर, निर्बाध, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से स्थानीय निकाय चुनाव कराना, आयोजित करना - प्रासंगिक तरीका और हस्तक्षेप, संपर्क और अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अन्य हितधारकों के साथ एसईसी द्वारा डेटा शेयरिंग साझा करना और स्थानीय निकायों के प्रभावी कामकाज के लिए पूर्वपेक्षा के रूप में अच्छा चुनाव। सम्मेलन में सभी राज्यों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए पैनल चर्चा की एक श्रृंखला आयोजित की गई थी।

श्री आर. परशुराम, आईएएस (सेवानिवृत्त), पूर्व एसईसी, मध्य प्रदेश, श्री पी.एन श्रीनिवासाचार्य, आईएएस (सेवानिवृत्त), पूर्व एसईसी, कर्नाटक, श्री वरेश सिन्हा, आईएएस (सेवानिवृत्त), पूर्व एसईसी, गुजरात, श्री. जे.एस. सहारिया, आईएएस (सेवानिवृत्त), पूर्व एसईसी, महाराष्ट्र, श्री एस.एम. विजयानंद, आईएएस (सेवानिवृत्त), पूर्व सचिव, एमओपीआर, श्री एम.एन. रॉय, आईएएस (सेवानिवृत्त), अध्यक्ष, सिग्मा फाउंडेशन, डॉ. एस.एस. मीनाक्षी सुंदरम, आईएएस (सेवानिवृत्त), अध्यक्ष, एमवाईआरएडीए, आदि, कुछ स्रोत व्यक्तियों ने सम्मेलन में भाग लिया।

2.3.2 सिर्डाप की तकनीकी समिति की बैठक

सिर्डाप की 34 वीं तकनीकी समिति (टीसी) की बैठक को भारत द्वारा 25-28 जून, 2019 के दौरान एनआईआरडीपीआर में आयोजित किया गया था। बैठक के भाग के रूप में, "सिर्डाप सदस्य देशों में जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण" पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी। सिर्डाप के चौदह सदस्य देशों ने संगोष्ठी और टीसी बैठक में भाग लिया। बैठक का विषय था "सिर्डाप सदस्य देशों में जलवायु परिवर्तन शमन"। बैठक का उद्देश्य उन उपायों पर चर्चा करना था जो वैश्विक जलवायु परिवर्तनशीलता को कम करने में मदद कर सकते हैं और सदस्य देशों में ग्रामीण समुदायों के सर्वांगीण विकास के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए बदल सकते हैं। बैठक में कुल 20 एजेंडा मदों पर चर्चा की गई, जिसमें सिर्डाप के लिए कार्य योजना, संगठनात्मक संरचना की समीक्षा, शासी परिषद् के निर्णयों का कार्यान्वयन, कार्यक्रम गतिविधियों का संचालन नियमावली का संशोधन, सिर्डाप रिसोर्स मोबलाइजेशन प्लान का मसौदा, सिर्डाप संचार रणनीति का मसौदा, ग्रामीण विकास रिपोर्ट (आरडीआर) 2021 के लिए विषयगत विषय का चयन आदि शामिल थे।

4 मार्च, 2020 को विशिष्ट कार्यसूची मद पर चर्चा करने के लिए तकनीकी समिति के साथ सिर्डाप सदस्य देशों की पहली बार वास्तविक बैठक हुई। सिर्डाप सचिवालय के साथ एनआईआरडीपीआर के अध्यक्ष, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर उपलब्ध थे जबकि टीसी सदस्य अपने देशों में ही रहकर डिजिटल माध्यम से जुडे।

2.3.3 एनआईआरडीपीआर महापरिषद के गैर-पदाधिकारी सदस्यों के लिए कार्यशाला

महापरिषद (जीसी) संस्थान का सर्वोच्च शासी निकाय है जिसमें 72 सदस्य होते हैं, जिनमें आधिकारिक और गैर-आधिकारिक सदस्य शामिल होते हैं। महापरिषद की साल में कम से कम एक बैठक होती है तथा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, अनुसंधान, नीति परामर्श और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के माध्यम से सतत ग्रामीण विकास को सक्षम बनाने के लिए संस्थान के कार्य में मार्गदर्शन करता है।

महापरिषद के गैर-आधिकारिक सदस्यों के लिए दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन एनआईआरडीपीआर की सुविधाओं और गतिविधियों के बारे में प्रथम दृष्टतया जानकारी हासिल करने और संस्थान की कार्यपद्धति में सुधार के लिए सदस्यों से सुझाव प्राप्त करने के लिए किया गया था। इसके अलावा, कार्यशाला का उद्देश्य एनआईआरडीपीआर संकाय के लिए महापरिषद सदस्यों के अनुभव से सीखने का अवसर प्रदान करना है।

2.3.4 ग्रामीण विकास नेतृत्व पद्धति पर प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान 2017-18 से जिलों में प्रचलित विभिन्न सामाजिक क्षेत्र के मुद्दों के समाधान में युवा सिविल सेवकों की मदद करने के लिए ग्रामीण विकास नेतृत्व पद्धति पर प्रबंधन विकास कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। यह कार्यक्रम अधिकारियों को विभिन्न सहायक संस्थानों जैसे एनआईआरडीपीआर और इसी तरह की एजेंसियों के साथ जुड़ने का विशिष्ट अवसर प्रदान करते हैं, ताकि स्थानीय विशिष्ट समस्याओं का समाधान के लिए अभिनव योजना तैयार करने हेतु त्वरित अध्ययन आरंभ किया जा सके ।

वर्ष 2019-20 के दौरान, एमडीपी कार्यक्रम में सहायक आयुक्त, पंचायत निदेशक, आयुक्त, उप-विभागीय अधिकारी, निदेशक, उप-सीईओ, सहायक जिला आयुक्त और छह राज्यों के वरिष्ठ जिला मजिस्ट्रेट ने भाग लिया। इस कार्यक्रम की पाठ्यक्रम सामग्री, प्रशिक्षण विधियों, विषयों के चयन, क्षेत्र दौरे, प्रख्यात स्रोत व्यक्तियों की पहचान आदि के संबंध में प्रतिभागियों द्वारा प्रशंसा की गई।

2.3.5 ग्राम पंचायतों के नव निर्वाचित सरपंचों और पंचों को प्रेरण प्रशिक्षण प्रदान के लिए जम्मू और कश्मीर को प्रशिक्षण समर्थन

दिसंबर 2018 से फरवरी 2019 तक जम्मू और कश्मीर में पंचायत चुनाव संपन्न होने के साथ केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में लगभग 40,000 हलका पंचायत सरपंच और पंच चुने गए। पंचों के लिए तीन दिन और सरपंचों के लिए पांच दिनों के प्रशिक्षण मॉड्यूल के साथ निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआरएस) का प्रेरण प्रशिक्षण एनआईआरडीपीआर द्वारा आयोजित किया गया था। एमआरपी कार्यक्रम का प्रमाणन 14 बैचों के लिए पूरा किया गया । कार्यक्रम में भाग लेने वाले 618 एमआरपी में से 381 योग्य थे और इन्हें ए और बी श्रेणी के रूप में प्रमाणित किया गया था। दूसरी ओर इन एमआरपी ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन की कार्य योजना के अनुसार ब्लॉक / सब-ब्लॉक स्तर पर सभी ईआर के लिए प्रेरण प्रशिक्षण का आयोजन किया।

प्रेरण प्रशिक्षण के लिए, एनआईआरडीपीआरआर ने चार विषयगत क्षेत्रों को कवर करते हुए 16 राज्य-विशिष्ट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए अर्थात् पंचायत प्रशासन, पंचायत प्रबंधन, विकास कार्यक्रम और नेतृत्व। केंद्रशासित प्रदेशों ने इस सामग्री को क्षेत्र प्रशिक्षण में उपयोग करने के लिए इसे अनुकूलित कर लिया और उर्दू भाषा में अनुवादित करने के बाद अपनाया है।

मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के विभिन्न ग्राम पंचायतों के सफल सरपंचों की पहचान की गई और उन्हें जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिनियुक्त किया गया, जबकि प्रेरण प्रशिक्षण चल रहा था। इन सरपंचों ने नव निर्वाचित ईआर के साथ बातचीत की और पंचायत शासन एवं ग्राम पंचायत विकास योजना पर अपने सर्वोत्तम कार्यों को साझा किया। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के बीकन पंचायत नेताओं की शिनाख्त पंचायती राज शासन और ग्राम पंचायत योजना पर जम्मू-कश्मीर के सरपंचों को उन्मुख करने के लिए की गयी । इसने पीआर के कार्यों पर जम्मू-कश्मीर के निर्वाचित प्रतिनिधियों को उन्मुख और बेहतर निष्पादन के लिए प्रेरित किया है ।

एनआईआरडीपीआर के समर्थन से प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल संपूरण के लिए उपलब्धियों को प्रसारित करने के भाग के रूप में एक वीडियो वृत्तचित्र भी तैयार किया गया है। वृत्तचित्र एनआईआरडीपीआर यूट्यूब चैनल पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।

2.3.6 एनआईआरडीपीआर में उत्तराखंड से निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण-सह-प्रदर्शन दौरा

अपने प्रभावी कामकाज के लिए पीआरआई के चयनित प्रतिनिधियों को सुसज्जित करने के लिए राज्यों / एसआईआरडी को प्रोत्साहित करने हेतु संस्थान के प्रयास के तहत, एनआईआरडीपीआर ने 22 अप्रैल, 2019 से 16 मई, 2019 के दौरान 11 बैचों में नोडल अधिकारियों सहित 450 निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने में उत्तराखंड सरकार का समर्थन किया।

2.3.7 सतत आजीविका के लिए जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पद्धति पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

एमओआरडी के ग्रामीण आजीविका प्रभाग के साथ संस्थान ने सामुदायिक स्त्रोत व्यक्तियों (सीआरपी) और मिशन कर्मचारियों को जलवायु-व्यवहार पद्धतियों पर प्रशिक्षण देने के लिए एक अपनी तरह का पहला-प्रमाणपत्र कार्यक्रम तैयार किया। पाठ्यक्रम का उद्देश्य खेती की लागत को कम करना, उपज और आय में सुधार, लाभप्रदता, महिलाओं को सशक्त बनाना और रोजगार सृजन करना है। प्रशिक्षण मॉड्यूल को इन-हाउस के साथ-साथ सीआरआईडीए- केंद्रीय बारानी कृषि संस्थान, हैदराबाद और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन संस्थान (नार्म) के विशेषज्ञों के सहयोग से विकसित किया गया। संस्थान ने आठ बैचों (प्रत्येक 15 दिन) में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके मध्य प्रदेश और बिहार के राज्यों में मास्टर ट्रेनर के रूप में 200 सीआरपी का क्षमता निर्माण किया है।

2.3.8 मणिपुर के पंचायती राज संस्थानों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्युआर) का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण

ईडब्ल्युआर की क्षमता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से संस्थान मणिपुर राज्य में क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किया जिसने इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, बिष्णुपुर और थौबल जैसे चार जिलों को कवर किया। कार्यक्रम, वर्ष 2018-19 में शुरु हुआ और नवंबर 2019 में समाप्त हुआ, जिसका उद्देश्य चार जिलों के पीआरआई के दो स्तरों से 880 ईडब्ल्युआर को कवर करने के 'संतृप्ति पद्धति' दृष्टिकोण को अपनाना था।

पहले चरण में मास्टर ट्रेनर्स का पूल तैयार करने में सम्मिलित था, वहीं दूसरे चरण में छह दिनों के लिए ऑन-साइट प्रशिक्षण और सहायता की गई। प्रशिक्षण की मूल सामग्री में महिलाओं के लिए कानूनी प्रावधानों, विवाद समाधान, बातचीत और वकालत कौशल, संपत्ति निर्माण और सार्वजनिक कार्यों पर विशेष सत्र शामिल थे। कुल मिलाकर, ईडब्ल्यूआर के 91 प्रतिशत ने प्रशिक्षण पूरा किया।

मणिपुर में पंचायत चुनाव के तुरंत बाद एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद की प्रशिक्षण पहल, अपनी तरह की पहली थी। ईडब्ल्यूआर ने बताया कि प्रशिक्षण ने उन्हें पंचायतों में बदलाव की प्रक्रिया का नेतृत्व करने, मौजूदा सामूहिकता को मजबूत करने और विभिन्न स्तरों पर उनके साथ नेटवर्किंग करने के लिए प्रेरित किया। इसने नेतृत्व गुणों को विकसित करने में भी ईडब्ल्युआर की मदद की है।

2.3.9 केंद्र शासित प्रदेशों में ग्राम पंचायत विकास योजना के प्रभावी गठन के लिए पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता निर्माण और संचालन

आरजीएसए के क्षमता निर्माण घटक के तहत पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से संस्थान ने ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के प्रभावी प्रतिपादन हेतु पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों, लाइन विभागों के अधिकारियों और केंद्र शासित प्रदेशों के मास्टर ट्रेनरों (संघ शासित प्रदेशों) के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया। दादरा और नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और दमन एवं दियु के संघ शासित प्रदेशों में लगभग 300 प्रतिभागियों को शामिल करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम को दो चरणों में आयोजित किया गया: क) उन्मुखीकरण स्तर का प्रशिक्षण और ख) लगभग 300 प्रतिभागियों को शामिल करते हुए प्रशिक्षण देना।

इन क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान, पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों को जीपीडीपी के निर्माण के लिए जागरुकता सृजन, मिशन अंत्योदय डेटा संग्रह, स्थिति विश्लेषण, विकास स्थिति रिपोर्ट तैयार करने, ग्राम सभा का संचालन करने और 11 पीईएस अनुप्रयोगों पर जागरुकता के लिए की जाने वाली गतिविधियों पर प्रशिक्षित किया गया। । नियोजन प्रक्रिया में समाज के सीमान्तीकृत वर्गों को शामिल करना, योजना प्लस सॉफ्टवेयर पर अनुमोदित जीपीडीपी अपलोड करना, सामाजिक पूंजी के निर्माण और जीपीडीपी के साथ सतत विकास लक्ष्यों को एकीकृत करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया गया ।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के दौरान श्री एन. बीरेन सिंह, माननीय मुख्यमंत्री, मणिपुर को सम्मानित करते हुए सुश्री रेखा शर्मा, अध्यक्ष, एनसीडब्ल्यु

दर्शकों को संबोधित करते हुए श्री राजेश भूषण, सचिव (एमओआरडी)। साथ ही (बाएं से दाएं) श्री सुनील कुमार, सचिव, एमओपीआर और डॉ. डब्ल्यु.आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर भी उपस्थित

2.4 राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों तथा विस्तार प्रशिक्षण केंद्रों के साथ नेटवर्किंग

एसआईआरडीपीआर और ईटीसी के साथ नेटवर्किंग के संबंध में एनआईआरडीपीआर के प्रमुख कार्य हैं:

(क) एसआईआरडीपीआर और ईटीसी के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन और (ख) एसआईआरडीपीआर और ईटीसी के क्षेत्रीय कार्यशालाओं का संचालन करना हैं। जहां इसी प्रकार सम्मेलन में व्यापक संस्थागत मुद्दों पर विचार-विमर्श और एसआईआरडीपीआर गतिविधियों के अवलोकन की सुविधा है, वहीं क्षेत्रीय कार्यशालाएं एनआईआरडीपीआर, एसआईआरडीपीआर और ईटीसी के मध्य विस्तृत बातचीत और नेटवर्किंग के लिए एक मंच के रूप में काम करती हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ''ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का प्रबंधन समर्थन और जिला योजना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण'' की केंद्रीय योजना के तहत एसआईआरडी तथा ईटीसी को गैर-आवर्ती और आवर्ती मद के लिए वित्तीय सहायता देता है।

परिसर विकास कार्यों, शिक्षण सामग्री की खरीद, कार्यालय उपकरण और फर्नीचर एवं फिक्चर सहित बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए गैर-आवर्ती व्यय के लिए एसआईआरडीपीआर और ईटीसी को सौ प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, एमओआरडी 'गैर-उत्तर-पूर्वी राज्यों' में एसआईआरडीपीआर को आवर्ती व्यय का 50 प्रतिशत और 'पूर्वोत्तर राज्यों' और तीन हिमालयी राज्यों (जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) में एसआईआरडीपीआर को 90 प्रतिशत आवर्ती व्यय प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त, सात मुख्य संकाय सदस्यों के वेतन पर व्यय का 100 प्रतिशत प्रतिवर्ष अदायगी वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर सभी एसआईआरडीपीआर को प्रदान की जाती है। ईटीसी के मामले में आरडी एवं पीआर अधिकारियों और पीआरआई सदस्यों के क्षमता निर्माण के लिए आवर्ती व्यय के लिए प्रति ईटीसी को प्रति वर्ष 20 लाख अधिकतम केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

संस्थान को इस योजना के तहत धन सहायता की मंजूरी पर विचार करने के लिए एमओआरडी को एसआईआरडीपीआर-ईटीसी को विशिष्ट सिफारिशों और प्रस्तावों की जांच द्वारा एसआईआरडी और ईटीसी को धन सहायता चैनलाइज़ करने का अधिदेश दिया गया है। प्रस्तावों की जांच के रूप में, संस्थान मौजूदा बुनियादी ढांचे, संकाय स्थिति और ग्रामीण विकास और पंचायती राज के प्रमुख कार्यक्रमों के विशेष संदर्भ के साथ प्रशिक्षण प्रदर्शन के संदर्भ में संस्थानों से संपर्क करता है।

एसआईआरडी और ईटीसी के साथ बेहतर नेटवर्किंग के लिए संस्थान के कुछ कार्य इस प्रकार है:

2.4.1 संकाय विकास कार्यक्रम

संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) के भाग के रूप में, एनआईआरडीपीआर लगातार एफडीपी के माध्यम से एसआईआरडी के संकाय और अपने स्वयं के संकाय के योग्यता स्तर को विकसित करने में लगा हुआ है। इसके एक भाग के रूप में, एनआईआरडीपीआर ने एनआईआरडीपीआर, एसआईआरडी और ईटीसी संकाय के लिए हार्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप एट दी इनीशिएटिव ऑफ़ चेंज (आईओएफसी) पंचगनी को प्रायोजित किया, जिससे उनमें व्यावहारिक परिवर्तन लाया जा सके।

2.4.2 एनआईआरडीपीआर-राज्य संपर्क अधिकारी योजना

यह योजना पिछले कुछ वर्षों से प्रचलन में है। इस योजना के तहत, एनआईआरडीपीआरआर संकाय सदस्यों को राज्य संपर्क अधिकारियों (एसएलओ) के रूप में नामित किया है, जो राज्यों और एसआईआरडी को आरडी और पीआर अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के संदर्भ में सहायता करते हैं। उप-राज्य स्तरीय आरडी प्रशिक्षण संस्थानों, अर्थात् विभिन्न राज्यों में कार्यरत विस्तार प्रशिक्षण केंद्र (ईटीसी) / क्षेत्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (आरआईआरडी), पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र (पीआरटीसी) और जिला ग्रामीण विकास संस्थान (डीआईआरडी), आदि के अन्य संकायों को शामिल करने के लिए दिशानिदेर्शों के एक नए सेट के साथ योजना में संशोधन किया गया है । एसएलओ राज्य सरकारों, एसआईआरडी, ईटीसी और अन्य ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थानों को प्रशिक्षण, अनुसंधान और कार्रवाई अनुसंधान के क्षेत्रों में अकादमिक सहायता प्रदान कर रहे हैं।

2.4.3 एसआईआरडी और ईटीसी का प्रशिक्षण प्रदर्शन

एनआईआरडीपीआर-एसआईआरडी-ईटीसी के नेटवर्क ने आयोजित कार्यक्रमों की संख्या में वृद्धि और ग्राहक समूहों के कवरेज के संदर्भ में प्रशिक्षण गतिविधियों के दायरे में वृद्धि की है। एमओआरडी और अन्य केंद्र प्रायोजित विकास योजनाओं द्वारा प्रमुख शीर्ष कार्यक्रमों के शुभारंभ के साथ, राज्यों की आवश्यकता और अनुरोधों के आधार पर विशिष्ट कार्यक्रमों के साथ एसआईआरडी और ईटीसी के लिए इन कार्यों पर संस्थान विभिन्न प्रशिक्षण आयोजित करता है। वर्ष 2019-2020 में, विभिन्न एसआईआरडी / ईटीसी के लिए कुल 33,164 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

2.4.4 एसआईआरडी और ईटीसी का राष्ट्रीय सम्मेलन

संस्थान ने एसआईआरडी और ईटीसी के साथ बेहतर समन्वय और नेटवर्किंग के अपने प्रयास में, फरवरी 2020 में आरडी और पीआर विभाग के सचिवों, और एसआईआरडीपीआर के प्रमुखों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। श्री सुनील कुमार, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर), श्री राजेश भूषण, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), सुश्री जुथिका पाटनकर, अपर सचिव, एमओएसडीई, श्री आलोक प्रेम नगर, संयुक्त सचिव (एमओपीआर), एमओपीआर और एमओआरडी के वरिष्ठ अधिकारी, आरडी और पीआर के राज्य सचिव, केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, एसआईआरडीपीआर के प्रमुख, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि और एसआईआरडीपीआर और एनआईआरडीपीआर के संकाय सदस्यों ने सम्मेलन में भाग लिया।

प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में प्रशिक्षण संस्थानों और पंचायतों के एक समूह में मॉडल जीपीडीपी की तैयारी के साथ पीआरआई को सुदृढ़ करने के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रमुखों, संकाय और एसआईआरडीपीआर के प्रतिनिधियों सहित पांच कार्य समूहों का गठन किया गया था। प्रमुख विषयों के अंतर्गत आने वाले मुद्दों में पंचायती राज आंकड़ों के लिए एक ढांचा विकसित करना: वर्तमान स्थिति और भविष्य, प्रशासनिक मुद्दे और मंत्रालयों तथा राज्य सरकार से समर्थन हासिल करना, सभी हितधारकों तक पहुँचने के लिए गुणवत्ता प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का स्केलिंग-अप: सर्वोत्तम पद्धतियों और भावी दिशाएँ, प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण (टीएनए): वर्तमान स्थिति और भविष्य के उपाय, और मॉडल क्लस्टर जीपीडीपी: दृष्टिकोण और संरचनाएं शामिल है। समूहों ने निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआरएस) के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण से संबंधित नीतियों, प्रशासन और गुणात्मक मुद्दों की समीक्षा की और कार्रवाई के लिए सिफारिशें दीं।

श्री राजेश भूषण, सचिव, ग्रा वि मं , एसआईआरडी और ईटीसी के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्‍घाटन के दौरान सभा को संबोधित करते हुए

संचार संसाधन इकाई के शुभारंभके दौरान दीप प्रज्वलित करते हुए श्रीमती सीमा कुमार, सी4डी विशेषज्ञ, यूनिसेफ, श्री सोनी कुट्टी जॉर्ज, अधिकारी प्रभारी और बाल संरक्षण विशेषज्ञ, यूनिसेफ

2.5 एनआईआरडीपीआर और यूनिसेफ के बीच सहयोगात्मक पहल

संचार संसाधन इकाई (सीआरयू) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना राज्यों में विभिन्न सरकारी विभागों की सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार (एसबीसीसी) जरूरतों को पूरा करने के लिए एनआईआरडीपीआर और यूनिसेफ की एक सहयोगी पहल है। संचार संसाधन इकाई द्वारा परामर्श, तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण और आईईसी सामग्री आदि के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभाग की संचार आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश कर रही है। सीआरयू ने पिछले कुछ वर्षों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक तीन राज्यों में स्वयं को स्थापित करने के प्रयास किए हैं और विभिन्न विकास कार्यक्रमों में रणनीतिक संचार के प्रबंधन का प्रदर्शन किया। जहां सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार महत्वपूर्ण है वहाँ राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए गए।

वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित क्रियाकलाप निष्पादित किए गए:

क) पोषण अभियान के लिए जनआंदोलन में पंचायती राज संस्थाओं और स्वयं सहायता समूहों के समावेशन के लिए कार्य योजना विकसित करने के लिए राईटशॉप

19 प्रतिभागियों के साथ राईटशॉप में महिला और बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नीति आयोग, महिला और बाल विकास विभाग - तेलंगाना, एसआईआरडी - तेलंगाना, आंध्र प्रदेश महिला अभिवृद्धि सोसाइटी और यूनिसेफ रायपुर और हैदराबाद कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने एक व्यवस्थित तरीके से पीआरआई और एसएचजी की भागीदारी के लिए सीमाएं, चुनौतियां और समाधान पर विचार-विमर्श किया ।

राईटशॉप के निवेश के आधार पर, नीति आयोग को एक विस्तृत प्रस्ताव और कार्य योजना प्रस्तुत की गई जिसमें राज्यों से 5,06,224 पीआरआई सदस्यों के प्रशिक्षण को चरणवार तरीके से शामिल किया गया।

ख) तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ओडीएफ सततता के लिए जिला-विशिष्ट एसबीसीसी योजना और कार्यान्वयन

तेलंगाना के 10 जिलों, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के पांच जिलों के लिए ओडीएफ सततता के लिए जिला-विशिष्ट एसबीसीसी योजना और कार्यान्वयन पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन सामाजिक विकास प्रक्रिया, आईपीसी कौशल और सोशल मीडिया के उपयोग पर ज्ञान बढ़ाने हेतु जिलों में ओडीएफ स्थिरता के संबंध में एसबीसीसी माइक्रो योजना की लागत और निगरानी और रिपोर्टिंग विकसित करने के लिए किया गया था । कार्यशाला चार बैचों में आयोजित की गई थी और 20 जिलों के पीआर एंड आरडी, आईसीडीएस, शिक्षा, स्वास्थ्य और एसईआरपी जैसे लाइन विभागों के जिला अधिकारियों ने भाग लिया था। प्रतिभागियों को अभियान मीडिया योजना पर उपकरण और तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई और जिले की प्राथमिकताओं के साथ-साथ इसे और अधिक वैज्ञानिक बनाने के लिए जिला-विशिष्ट डेटा पर आधारित ग्राम पंचायत, मंडल और जिला स्तर की लागत वाली एसबीसीसी माइक्रो योजनाओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

ग) तेलंगाना में पोषण अभियान क्रियान्वयन पर अभिसरण बैठक: तेलंगाना को कुपोषण मुक्त बनाएं

तेलंगाना राज्य में पोषण संबंधी परिणामों को प्राप्त करने के प्रयासों को बढ़ाने के लिए प्रमुख लाइन विभागों के साथ एक उच्च-स्तरीय अभिसरण बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में सचिवों और विभागों के प्रमुखों और महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, स्वास्थ्य, शिक्षा, आदिवासी कल्याण, एसईआरपी और यूनिसेफ के अधिकारियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने 2022 के लिए निर्धारित पोषण अभियान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लाइन विभागों, कार्यक्रमों और योजनाओं द्वारा आवश्यक अभिसरण कार्यों पर विचार-विमर्श किया।

घ) नीति आयोग के साथ सहयोग - पोषण अभियान के तहत पोषण परिणामों में सुधार करने के लिए पीआरआई को शामिल करना

नीति आयोग और यूनिसेफ के सहयोग से संस्थान ने नीति आयोग के तहत सात राज्यों के 25 आकांक्षी जिलों में पीआरआई सदस्यों की क्षमता बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया। कार्यक्रम में समुदाय के प्रभावों के रूप में पीआरआई सदस्यों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, ताकि गांव में परिवारों के बीच पोषण व्यवहार (पोषण-विशिष्ट और पोषण-संवेदनशील दोनों) को बढ़ावा दिया जा सके। सभी प्रतिभागियों को पोषण व्यवहार के लिए ग्रामीण स्तर पर पीआरआई सदस्यों को एक परिवर्तन एजेंट के रूप में बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण संदेशों पर उन्मुख किया गया था। टीओटी के अंत में, राज्य स्तर पर जिला स्त्रोत व्यक्तियों के प्रशिक्षण को लेने के लिए एक विस्तृत रोलआउट योजना विकसित की गई थी। यह टाटा ट्रस्ट के फंडिंग समर्थन के साथ आरंभ किया गया था।

ड़) इंटिंटिकी आंगनवाड़ी (आईआईएडब्ल्यु) परामर्श पुस्तिका का उपयोग करके आंगनवाड़ी शिक्षकों का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन

डब्ल्यूसीडी तेलंगाना को तकनीकी सहायता के भाग के रूप में, संस्थान ने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन (आईपीसी) की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन किया और आंगनवाड़ी शिक्षकों द्वारा परामर्श सत्रों का उपयोग करके इंटिंटिकी आंगनवाड़ी (आईआईएडब्ल्यु) परामर्श पुस्तिका का उपयोग किया। अध्ययन तेलंगाना राज्य के भूपालपल्ली, असिफाबाद, खम्मम, वनपर्थी और हैदराबाद के पांच जिलों में 10 आईसीडीएस परियोजनाओं और 30 आंगनवाड़ी केंद्रों को कवर किया गया।

अध्ययन ने प्रमुख रूप से गृह दौरे की योजना बनाने और आईपीसी सत्रों के संचालन में आंगनवाड़ी शिक्षकों के कौशल तथा गृह यात्राओं की योजना बनाने और अपनी क्षमताओं का निर्माण करने के लिए पर्यवेक्षकों द्वारा विस्तारित समर्थन भी आईआईएडब्ल्यू परामर्शदाता पुस्तक का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आकलन किया। अध्ययन में लाभार्थियों / परिवारों के बीच व्यवहार परिवर्तन लाने में आंगनवाड़ी शिक्षकों के कौशल का भी आकलन किया गया।

इंटिटिकि आंगनवाड़ी के माध्यम से पोषण अभियान के लाभार्थियों को परामर्श देते हुए आंगनवाड़ी शिक्षक

च) कोविड -19 की रोकथाम में मास्टर ट्रेनरों का ऑनलाइन प्रशिक्षण

कोविड-19 के कारण संकट के चुनौतीपूर्ण समय में, संस्थान और यूनिसेफ ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की राज्य सरकारों के साथ मिलकर सहयोग किया और पीआरआई, एसएचजी, एनएसएस और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने के लिए (सीआरएस) अपने समूहों और ग्राम समुदायों में कोरोनो वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एक जोखिम संचार योजना विकसित की।

ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यकर्ताओं और ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन सोसायटी, नगरपालिका क्षेत्र में निर्धनता उन्मूलन मिशन, एनएसएस, स्वास्थ्य और तीन राज्यों में कार्य कर रहे समुदाय रेडियो स्टेशन के लिए झूम एप्लीकेशन द्वारा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने संबंधी मुख्य व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए । कुल 15 ऐसे बैचों का आयोजन किया गया और 31 मार्च, 2020 तक 2,944 मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षित किया गया।

अध्याय

3

अनुसंधान और परामर्श

- ग्रामीण विकास की प्रमुख कार्यक्रमों पर ध्यान देने के साथ ही बदलते ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को समझना
- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्रमुख बाधाओं की पहचान करना
- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के सर्वांगीण कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उपयुक्त नीति और कार्यक्रम हस्तक्षेपों का सुझाव देना
- अनुसंधान परिणामों पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम सामग्री विकसित करना

अनुसंधान समय-समय से उभर रहे ग्रामीण विकास के मुद्दों को समझने और ग्रामीण विकास की पद्धतियों से ज्ञान प्रदान करने के लिए भी एनआईआरडीपीआर की प्रमुख गतिविधियों में से एक है। संस्थान द्वारा किए गए अनुसंधान गतिविधियों से ग्रामीण विकास हस्तक्षेपों का एक डेटाबेस बनाने में मदद मिलाती है और डेटा का विस्तृत विश्लेषण नीति विकल्पों के लिए उपयोगी होता है।

3.1 अनुसंधान की श्रेणियाँ

समाधान किए जाने वाले गुणात्मक और मात्रात्मक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, अनुसंधान गतिविधियों को अनुसंधान अध्ययन, मामला अध्ययन, सहयोगी अध्ययन, कार्य अनुसंधान एवं ग्राम अभिग्रहण और परामर्शी अध्ययन की व्यापक श्रेणियों में बांटा गया है।

कार्य अनुसंधान परियोजना के दौरान सहभागी तकनीकों पर प्रदर्शन

संस्थान के संकाय सदस्यों द्वारा स्थूल स्तरीय मुद्दों पर अनुसंधान गतिविधियां की जाती हैं। अनुसंधान अध्ययनों की व्यवहार्यता की जांच करने और नीति सिफारिशों के निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के लिए कार्य अनुसंधान किया जाता है। मामला अध्ययनों में मुख्यत: सफल ग्रामीण विकास पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जिसमें पुनरावृत्ति के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण मूल्य और कार्य-क्षेत्र है। सहयोगी अध्ययन एसआईआरडीपीआर / ईटीसी, राष्ट्रीय संस्थानों और एनजीओ के साथ संकाय सदस्य द्वारा किए जाते हैं। कार्य अनुसंधान, ग्रामीण विकास प्रयासों को बढ़ावा देते हुए अनुसंधानकर्ताओं को मूल स्तर पर समस्याओं के निकट ले जाने का प्रयास करता है।

संस्थान ने अनुसंधान और कार्य अनुसंधान के आधार पर मॉडल और कार्यान्वयन कियाविधि के अनुप्रयोग को प्रदर्शित करने के लिए वर्ष 2012-13 में ग्राम अभिग्रहण योजना आरंभ की थी। यह एक निरंतर और प्रचलित प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन की सुविधा के लिए संकाय सदस्यों की क्षमता को बढ़ावा देना है।

संकाय सदस्यों की विशेषज्ञता और भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों, कॉर्पोरेट क्षेत्र के संगठनों आदि द्वारा सौपी गई जिम्मेदारी को देखते हुए संस्थान द्वारा विभिन्न परामर्शी अध्ययन भी किए जाते हैं।

3.2 2019-20 में आयोजित अनुसंधान अध्ययन

2019-20 में विभिन्न श्रेणियों अर्थात् अनुसंधान अध्ययन, मामला अध्ययन और सहयोगात्मक अध्ययन के तहत लगभग 90 अनुसंधान अध्ययन (पिछले वर्षों के चल रहे 73 प्रस्तावों सहित) संपन्न किए गए। अध्ययनों का विवरण परिशिष्ट - III में दिया गया है।

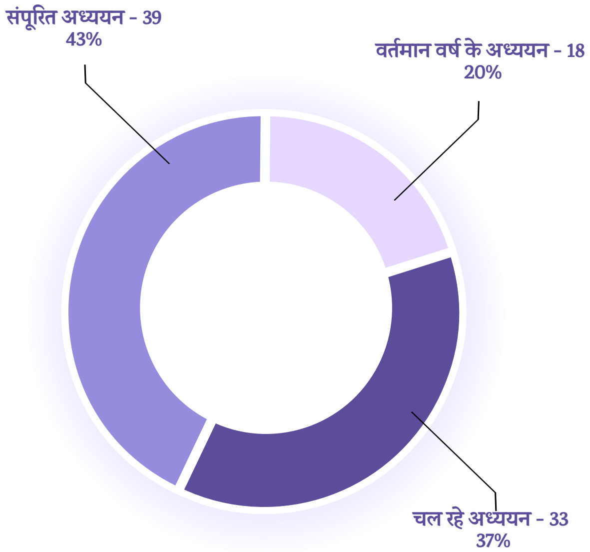

ग्राफ - 7: 2019-20 में अनुसंधान अध्ययन की स्थिति

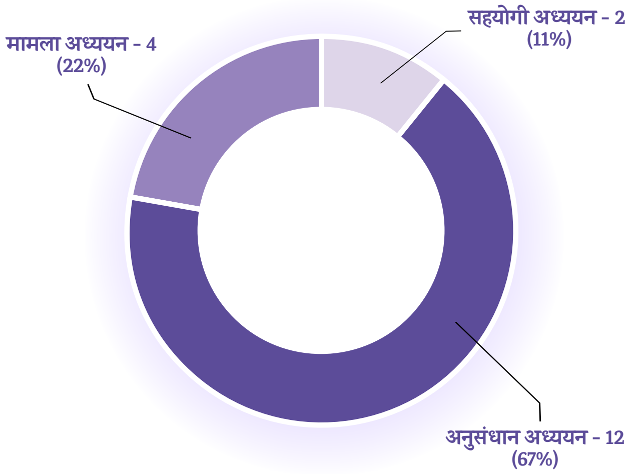

ग्राफ - 8: 2019-20 में आरम्भ किये गये नये अनुसंधान अध्ययनों की श्रेणियाँ

2019-20 के दौरान, 39 अनुसंधान अध्ययन संपूरित किए गए जिनका विवरण परिशिष्ट - IV में दिया गया है। ये अध्ययन अंडमान - निकोबार द्वीप समूह और 23 राज्यों यथा आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, मेघालय, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में किए गए थे। दो अध्ययन अखिल भारतीय स्तर पर भी किए गए थे।

हालांकि अनुसंधान अध्ययनों की अवधि वित्तीय वर्ष के दौरान होती है, इसलिए संदर्भाधीन वर्ष के दौरान संपूरित अध्ययनों के साथ-साथ पिछले वर्ष के दौरान आरंभ किए गए कुछ अध्ययनों को वर्तमान वर्ष के दौरान पूरा किया गया है । समय-सीमा के अनुसार, 33 अध्ययन अभी भी चल रहे हैं और विवरण परिशिष्ट - V में प्रस्तुत किए गए हैं।

3.2.1 अनुसंधान विषय और फोकस क्षेत्र

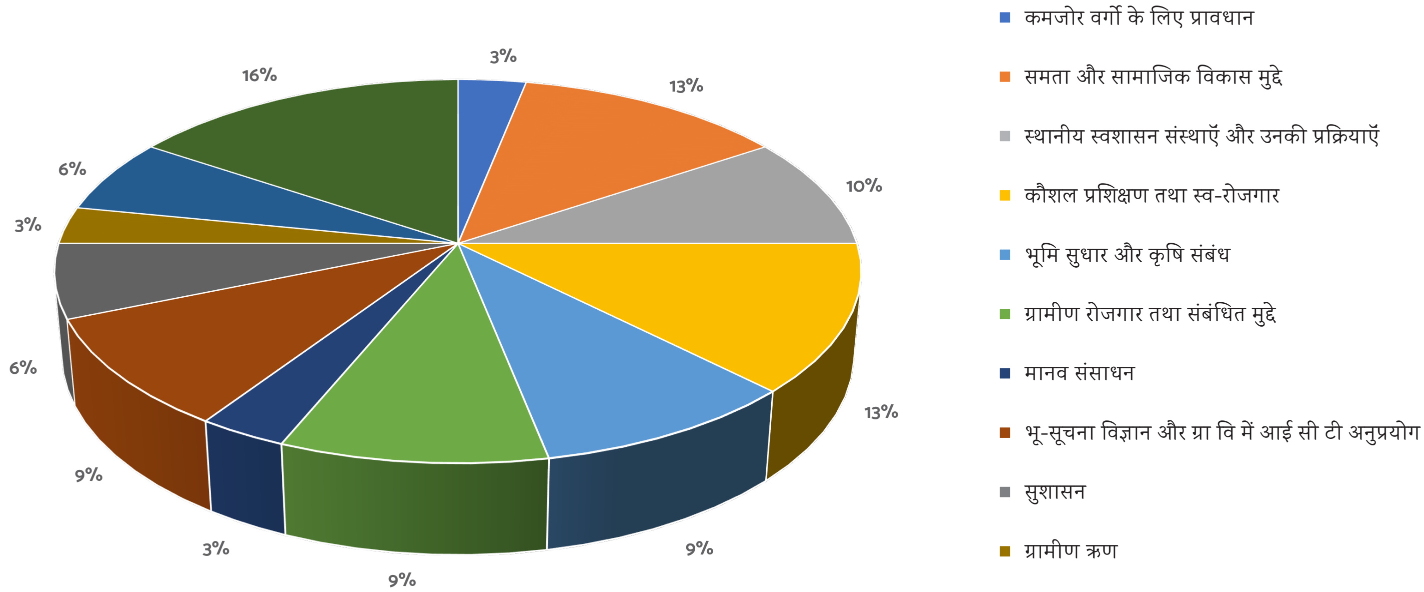

ग्राफ 9: 2019-20 में आरम्भ किए गए विषयवार अनुसंधान अध्ययन

3.2.2 अनुसंधान अध्ययन

क. भारत में उत्थान के लिए सूक्ष्म-सिंचाई मॉडल और स्थूल मुद्दों पर पुन: अवलोकन - डॉ. कृष्णा रेड्डी, डॉ. श्रीकांत वी. मुकाटे, डॉ. रवींद्र एस गवली और डॉ. वी. सुरेश बाबू

राष्ट्र में सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा 2015 में, प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना (पीएमकेएसवाई) शुरु की गई थी। विभिन्न राज्यों के सूक्ष्म-सिंचाई कार्यान्वयन मॉडल के पुन: अवलोकन हेतु वैकल्पिक उत्थान दृष्टिकोण का सुझाव देने के लिए अध्ययन आरंभ किया गया था। अध्ययन में पांच राज्यों अर्थात् गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना को शामिल किया गया । पांच राज्यों में सूक्ष्म सिंचाई कार्यान्वयन कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न हितधारकों (किसान, विभाग, विस्तार विशेषज्ञ, व्यापारी, अनुसंधानकर्ता और निर्माता) से प्रश्नावली के माध्यम से प्राथमिक और माध्यमिक डेटा एकत्र किए गए थे। वर्तमान में सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग करने वाले किसानों को अपनाए गए किसानों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और जो सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन योग्य है उन्हें संभावित किसानों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सूक्ष्म-सिंचाई के अभिग्रहण में योगदान देने वाले कारकों के विश्लेषण के लिए लॉगिट मॉडल का उपयोग किया गया था और सूक्ष्म-सिंचाई के अभिग्रहण और गैर-अभिग्रहण के लिए हितधारकों की धारणा का विश्लेषण करने के लिए गैरिट रैंकिंग का उपयोग किया गया था।

मुख्य अनुसंधान निष्कर्ष

नतीजों से पता चला है कि संभावित किसान को सूक्ष्म सिंचाई के लाभों की जानकारी हैं, लेकिन सिंचाई और निषेचन के समय निर्धारण के बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें और अधिक तकनीकी मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता है। सबसे कम और उच्चतम वित्तीय सहायता अर्थात् सब्सिडी, क्रमशः मध्य प्रदेश और तेलंगाना द्वारा प्रदान की जाती है। सभी राज्य ई-पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं और उनमें से गुजरात हरित क्रांति कंपनी (जीजीआरसी) पोर्टल को अधिक किसान-अनुकूल पाया गया है। जीजीआरसी मॉडल में सात वर्षों के बाद त्रि-पक्षीय समझौता (निर्माता, किसान और सरकार), कोई क्षेत्र कैपिंग सीमा, बैंक ऋण की उपलब्धता और नवीकरणीय सब्सिडी नहीं है।

अनुसंधान अध्ययन किसान की आकस्मिक मृत्यु के मामले में व्यक्तिगत दुर्घटना योजना के तहत जागरूकता कार्यक्रमों और बीमा के साथ ही कार्यान्वयन मॉडल का सुझाव देता है।

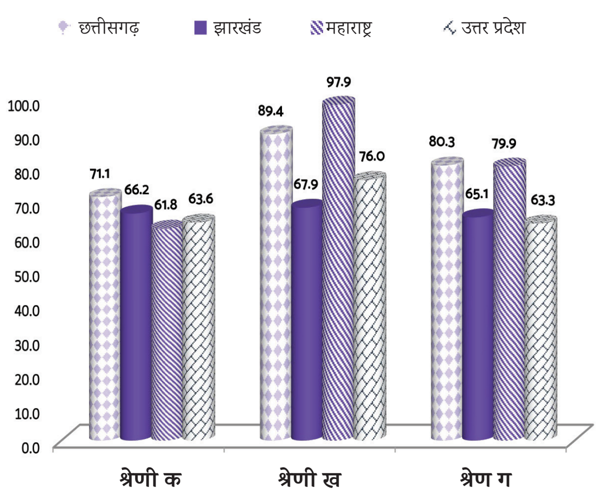

ग्राफ 10 : संपत्ति की गुणवत्ता पर राज्यवार प्रतिक्रिया गणना

ख. महात्मा गांधी एनआरईजीएस परिसंपत्तियाँ: इसका व्यापक मूल्यांकन - डॉ. पी. अनुराधा और डॉ. जी. रजनीकांत

यह अध्ययन 2016-17 में आरंभ हुआ और 2019-20 में संपन्न हुआ, इसे राज्यों के दो भागों में किया गया। छत्तीसगढ़ और झारखंड को विशेष रुप से मुख्य आदिवासी आबादी, गरीबी की उच्च प्रभाविता और सृजित परिसंपत्ति की मात्रा के आधार पर पहले भाग के रूप में चुना गया था। राज्यों के दूसरे भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्र शामिल हैं -उत्तर प्रदेश (बुंदेलखंड क्षेत्र) और महाराष्ट्र (विदर्भ क्षेत्र) - जहाँ एमजीएनआरईजीएस के तहत सृजित परिसंपत्ति का लोगों के जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।

गुणवत्ता के मामले में हितधारकों की प्रतिक्रियाओं को समझने, पूरा करने की समयबद्वता और परिसंपत्तियों की उपयोगिता, परिसंपत्तियों के रखरखाव में पंचायती राज संस्थानों द्वारा निभाई गई भूमिका की जांच करने और सृजित संपत्ति में गुणवत्ता बनाए रखने की आवश्यकता वाले राज्यों की पहचान के लिए अध्ययन किया गया ।

मुख्य अनुसंधान निष्कर्ष

- श्रेणी बी की संपत्ति ने उपयोगकर्ताओं को उच्च संतुष्टि प्रदान की है और श्रेणी डी संपत्ति के अनुसरण में 83 प्रतिशत अंक की संतोषजनक गणना प्राप्त हुई है।
- श्रेणी बी और श्रेणी डी को समय पर कार्य पूरा होने के कारण उच्च स्थान पर रखा गया । अध्ययन किए गए कार्यों की तीन श्रेणियों में से, श्रेणी ए कार्य को पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा के पालन के मामले में अन्य दो श्रेणियों से पीछे है। यह संभव है क्योंकि श्रेणी ए का कार्य परिमाण में बड़ा है और इस प्रकार, समय की अधिकता आम बात हो सकती है।
- परिसंपत्तियों की उपयोगिता की अभिज्ञता श्रेणी बी या श्रेणी डी की परिसंपत्तियों की तुलना में श्रेणी ए की अपेक्षाकृत अधिक है।
- अन्य दो श्रेणियों की तुलना में व्यक्तिगत संपत्ति में 78 प्रतिशत अंक की अधिक रेटिंग होती है - श्रेणी ए 75 प्रतिशत और श्रेणी डी 76.5 प्रतिशत अंक – क्योंकि उनकी व्यक्तिगत परिसंपत्ति होने से बेहतर देख-रेख का कारण लाभार्थी बने रहे ।

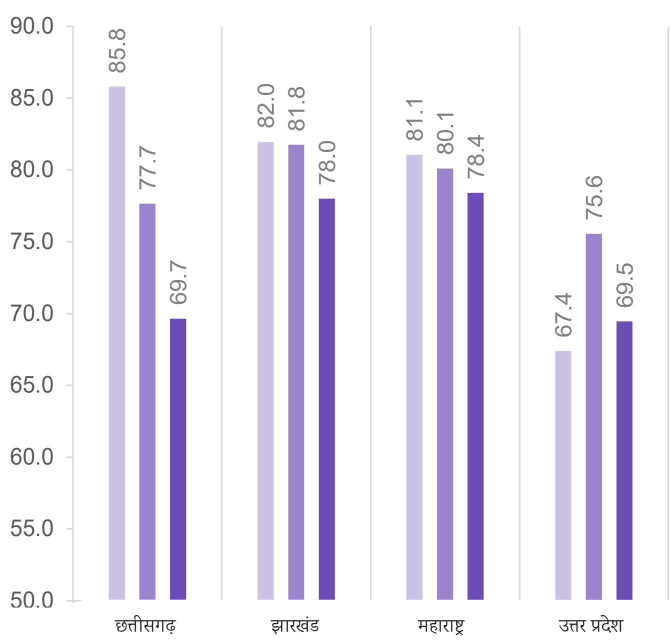

ग्राफ 11 : परिसंपत्तियों की उपयोगिता पर राज्यवार प्रतिक्रिया गणना

ग. ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं के स्रोत राजस्व (ओएसआर) संग्रहण पर चौदहवें वित्त आयोग के निष्पादन अनुदान का प्रभाव मूल्यांकन – डॉ. राजेश कुमार सिन्हा

अवार्ड अवधि 2015-20 के लिए चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) ने ग्राम पंचायतों (जीपी) के लिए रु. 2,00,292.20 करोड़ प्रत्यायोजित किए है । इनमें से 90 प्रतिशत अनुदान मूल अनुदान हैं और 10 प्रतिशत निष्पादन अनुदान (2016-17 से लागू) हैं। उन जीपी को निष्पादन अनुदान दिया जाएगा जो अपने स्वयं के स्रोत राजस्व में वृद्धि करते हैं और अपने लेखों की लेखापरीक्षा कराते हैं। निष्पादन अनुदान की संकल्पना का उद्देश्य विश्वसनीय लेखा परीक्षित लेखा की प्राप्ति एवं व्यय डेटा, और स्वयं के राजस्व में सुधार सुनिश्चित करना है। अध्ययन का उद्देश्य ग्राम पंचायतों द्वारा ओएसआर की मात्रा पर निष्पादन अनुदान के प्रभाव का आकलन करना और ओएसआर सृजन को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करना है।

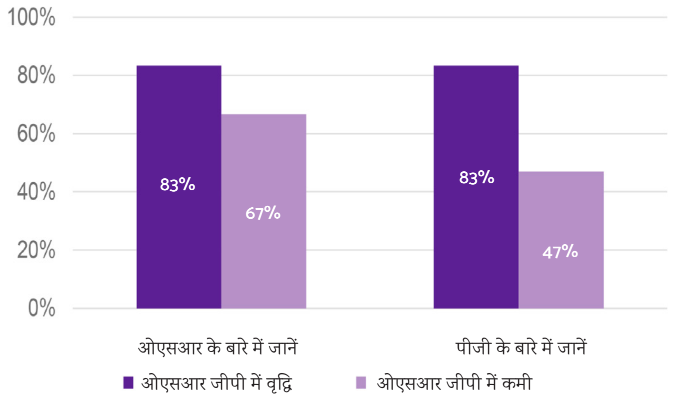

ग्राफ 12: नमूना जीपी के ईआर में ओएसआर और एफएफसी निष्पादन अनुदान की जागरूकता

असम, गोवा, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य हैं उनमें वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 में एफएफसी निष्पादन अनुदान प्राप्त करने वाले जीपी का चयन किया गया था। पिछले चार वर्षों में उच्च और निम्न ओएसआर दर वाले छह नमूना राज्यों में से प्रत्येक से दो जीपी को चुना गया । निम्न और उच्च ओएसआर दर वाले जीपी के ओएसआर संग्रहण की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया गया।

मुख्य अनुसंधान निष्कर्ष

» 2014-15 से 2017-18 तक सभी नमूना राज्यों में, सभी जीपी में प्रति व्यक्ति ओएसआर संग्रहण को प्रवृत्ति में वृध्दि के रूप में देखा गया है। यह असम में बहुत कम है और गोवा में अधिक है।

» कर्नाटक, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल को छोड़कर अधिकांश नमूना राज्यों में ओएसआर संग्रहण की सकल वार्षिक वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में धीरे-धीरे बढ़ रही है, जबकि वर्ष 2016-17 में ओएसआर संग्रहण में नकारात्मक समग्र वृद्धि देखी गई।

» नमूना राज्यों में, 2017-18 के दौरान पश्चिम बंगाल में 43.47 प्रतिशत के साथ उच्चतम वार्षिक ओएसआर वृद्धि दर देखी गई है।

» पिछले वर्ष की तुलना में ओएसआर संग्रहण की मात्रा में वृद्धि के साथ जीपी का प्रतिशत, कर्नाटक को छोड़कर सभी नमूना राज्यों में वर्ष 2016 17 के दौरान कम रहा ।

» जीपी कर वसूली करती है या नहीं, इस सवाल के लिए घरेलू प्रतिक्रियाओं में अंतर-राज्य भिन्नता, जीपी की दो श्रेणियों के बीच घरेलू प्रतिक्रियाओं में भिन्नता की तुलना में अधिक है, जबकि तेलंगाना के मामले में अंतर-जीपी भिन्नता काफी अधिक है।

» आंकड़ों से पता चला है कि घटते ओएसआर वाले जीपी में अधिकांश चुने हुए प्रतिनिधियों (53 प्रतिशत) को एफएफसी निष्पादन अनुदानों की कोई जानकारी नहीं है।

» घटते ओएसआर वाले नमूना जीपी में कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों में से केवल 50 प्रतिशत अपने संबंधित जीपी को कर का भुगतान कर रहे हैं।

घ. स्व-सहायता समूह के नेताओं से लेकर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों तक: पीआरआई में जेंडर-उत्तरदायी शासन का एक अध्ययन – डॉ. एन. वी. माधुरी

1992 में लागू संविधान (73 वां संशोधन) अधिनियम के तहत, संपूर्ण भारत में स्थानीय रूप से चुने गए शासन निकाय जो सामान्यतः पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के नाम से निर्दिष्ट है, उनमें महिलाओं के लिए (सदस्य और अध्यक्ष दोनों के रूप में) एक तिहाई सीटों के आरक्षण की आवश्यकता है। हाल ही में वर्ष 2009 में, भारत सरकार ने पीआरआई में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है। राजस्थान और ओडिशा सहित कई राज्यों ने समान कानून पारित किया है।

इस अनुसंधान अध्ययन की आकांक्षा महिलाओं को स्थानीय चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित करने और निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्युआर) के रूप में उनके प्रभावी कामकाज में सहायता प्रदान करने में एसएचजी प्लेटफॉर्म द्वारा निभाई गई भूमिका को समझना है । विशेष रूप से, इसमें इस सवाल पर गौर किया गया है कि क्या पंचायती राज संस्थानों में विशिष्ट जेंडर मुद्दों या जेंडर-उत्तरदायी शासन की पहल से ईडब्ल्युआर जुड़े हैं या नहीं। राज्यों के चयन का स्वरूप उद्देश्यपूर्ण था। जिन राज्यों में पिछले दो वर्षों से पीआरआई सत्ता में हैं, उनका चयन किया गया था। देश के विभिन्न क्षेत्रों से चार राज्यों, यानि बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल और आंध्र प्रदेश का चयन किया गया ।

मुख्य अनुसंधान निष्कर्ष

» सभी चार राज्यों में, एसएचजी में काम करने वाली महिलाओं ने न केवल महिला एसएचजी उम्मीदवार का समर्थन किया, बल्कि उन्हें चुनाव में भाग लेने के लिए भी प्रेरित किया। एसएचजी सदस्यों को दिए गए प्रशिक्षण ने उन्हें और अधिक दृढ़ तथा स्वतंत्र बना दिया और ये उत्साह उनके चुनाव प्रचार के दौरान दिखाई दिया। ग्रामीणों ने महसूस किया कि सरपंच के रूप में चुने जाने के बाद भी एक एसएचजी सदस्य के साथ बातचीत करना आसान होगा। एसएचजी परिप्रेक्ष्य की महिला सरपंच होने से पंचायत की विभिन्न गतिविधियों जैसे जागरूकता अभियान, स्वच्छता अभियान, आदि में अप्रत्यक्ष रूप से गांव की अन्य महिलाओं की इच्छा और भागीदारी बढ़ जाती है।

» जहां तक एसएचजी सरपंचों का संबंध है, पंचायत कर्तव्यों के बारे में जानकारी, निर्णय लेने की क्षमता, शिक्षा, परिवार का

समर्थन और संचार क्षमता उनकी मुख्य ताकत है, जबकि धन शक्ति, शारीरिक शक्ति और अन्य लोगों द्वारा किए गए नकारात्मक अभियान ने कुछ एसएचजी ईडब्ल्युआर के प्रभावी कामकाज में बाधा उत्पन्न की।

» वे उत्तरदाता जिनका एसएचजी परिप्रेक्ष्य नहीं है, उनको होने वाली कठिनाइयों में पारिवारिक प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप सीमित गतिशीलता है ।

» जिस प्रकार के जेंडर मुद्दों को ईडब्ल्युआई उठाते है वे एसएचजी सदस्यों में व्यावहारिक परिवर्तन को दर्शाते है । आईएमआर / एमएमआर में कमी, दहेज निषेध, शराब पर प्रतिबंध, स्कूल या घर में शौचालय की सुविधा प्रदान करना, बालिका शिक्षा और बालिकाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों को एसएचजी उत्तरदाताओं द्वारा सार्थकता से उठाया गया।

ड. भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग से मुक्त और गैर मुक्त महिलाओं का मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य – डॉ. लखन सिंह

भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग जाति आधारित व्यवसायों में से एक है, जो मानव मल को साफ करने से अपवित्र, सामाजिक रूप से अपमानित, अशोभनीय और अमानवीय काम है। मैनुअल स्कैवेंजिंग के क्षेत्र में किए गए अधिकांश अध्ययन और हस्तक्षेप सामाजिक-आर्थिक मुद्दों से संबंधित रहे हैं। भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर बहुत कम अध्ययन किए गए हैं। यह अध्ययन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था, (जहां अन्य राज्यों की तुलना में सफाई कर्मचारी की संख्या अधिक थी) इसका उद्देश्य मैनुअल स्कैवेंजिंग से मुक्त महिलाओं के परिवारों की सामाजिक जनसांख्यिकीय और आर्थिक स्थिति को समझना, उनके मनोसामाजिक स्वास्थ्य की जांच करना और महिला मैनुअल स्कैवेंजरों के मनोसामाजिक स्वास्थ्य पर मुक्ति के प्रभाव का विश्लेषण करना हैं।

मुख्य अनुसंधान निष्कर्ष

» सभी महिलाएं हिंदू धर्म और अनुसूचित जाति (मेहतर या बाल्मीकि जाति) की थीं।

» संपत्ति सूचकांक गणना के अनुसार, कोई भी गैर-मुक्त परिवार गरीब श्रेणी में नहीं आता है। इसके विपरीत, 62 प्रतिशत मुक्त परिवार गरीब वर्ग के हैं। मुक्त परिवारों की गरीबी का मुख्य कारण उनकी जाति की पहचान और मैनुअल स्कैवेंजिंग में उनकी पूर्व भागीदारी के कारण अन्य नौकरियाँ उपलब्ध नहीं होना था।

» जहां तक घर के सदस्यों की शिक्षा का सवाल है, परिणाम बहुत हतोत्साहित करने वाले थे क्योंकि शायद ही किसी ने उच्च शिक्षा पूरी की हो।

» दोनों प्रकार के परिवार के बच्चों में शिक्षा की स्थिति खराब है, लेकिन गैर-मुक्त बच्चों में शैक्षिक स्थिति थोड़ी बेहतर थी। स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रतिशत कम हो जाता है क्योंकि दोनों परिवारों में उनकी उम्र अधिक है। अधिकांश बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, वे या तो अपने माता-पिता के काम में मदद कर रहे थे या कृषि मजदूर के रूप में काम कर रहे थे।

» स्कूली शिक्षा के औसतन पाँच वर्ष के साथ महिलाओं की शैक्षिक स्थिति बहुत कम थी। 18 वर्ष की आयु तक पहुँचने से पहले ही 40 प्रतिशत मुक्त और 16 प्रतिशत गैर-मुक्त महिलाओं को इस पेशे में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था।

» अधिकांश महिलाओं की शादी 18 साल की कानूनी उम्र से पहले की गई थी। 56 प्रतिशत माताओं ने बताया कि वे गर्भावस्था के नौ महीनों तक मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करती रहीं। उनमें से, 83 प्रतिशत ने स्वास्थ्य समस्याओं की सूचना दी और 13 प्रतिशत ने प्रसव के दौरान अपने बच्चे को खोने की सूचना दी।

» 84 प्रतिशत गैर-मुक्त महिलाओं को उनके नियोक्ताओं द्वारा कभी कोई सुरक्षात्मक सामग्री प्रदान नहीं की गई। महिलाओं के अलावा, बच्चों के साथ भी शिक्षकों और सहपाठियों द्वारा स्कूल में कई प्रकार से भेदभाव किया गया था।

» स्वच्छ भारत अभियान के अति महत्वाकांक्षी अभियान के कारण अधिकांश मुक्त महिलाओं ने पिछले पांच - छह वर्षों से मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम छोड़ दिया है।

» यह जानना निरुत्साहजनक था कि उत्तरदाताओं को शायद ही मैनुअल स्कैवेंजिंग के काम से संबंधित सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में कोई जानकारी और जागरूकता रही हो।

» 24 प्रतिशत मुक्त और केवल एक प्रतिशत गैर-मुक्त महिलाओं को पुनर्वास कार्यक्रमों के तहत सरकार से कुछ मदद मिली थी।

» महिलाओं के मनोसामाजिक स्वास्थ्य को समझने के लिए, दो प्रकार के मनोसामाजिक मापक - सामाजिक कल्याण मापक और मनोसामाजिक स्वास्थ्य मापक - विकसित किए गए थे।

» परिणाम से पता चला कि मुक्त महिलाओं की तुलना में गैर-मुक्त महिलाओं में मनोसामाजिक स्वास्थ्य काफी बेहतर था।

» यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मुक्त महिलाओं के मनोसामाजिक स्वास्थ्य को गैर-मुक्त महिलाओं की तुलना में बेहतर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने मैनुअल स्कैवेंजिंग छोड़ दिया है; बल्कि उनके समग्र विकास के लिए मानवीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

च. एफपीओ के क्षैतिज और वर्टिकल स्कैनिंग पर अनुसंधान अध्ययन - एक परियोजना चक्र अध्ययन - डॉ. सी.एच. राधिका रानी

आने वाले वर्षों में किसान उत्पादक संगठन देश के कृषि-व्यवसाय क्षैतिज में क्रांति लाने जा रहे हैं। देश में लगभग 6000 एफपीओ हैं जो या तो सहकारी समितियों या कई निधिकरण एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही उत्पादक कंपनियों के रूप में पंजीकृत है। इस अध्ययन का उद्देश्य मुख्य संचालकों को उनके संपर्क, संचालन और वित्तीय संकेतकों के संदर्भ में पहचानना, न्यूनतम मानदंडों के कार्य सूचकों को विकसित करना है जो मॉडल एफपीओ बनाते हें । अध्ययन चार राज्यों में किया गया था, यानी महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, जहां अधिकांश एफपीओ ने या तो किसान निर्माता कंपनी या सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत किया है। बेहतर कार्य कर रहे छह एफपीओ, छह मध्यम प्रदर्शन करने वाले और छह धीमी गति से प्रदर्शन करने वाले कुल 24 एफपीओ को चार राज्यों से चुना गया था, ताकि उनके प्रदर्शन स्तर के साथ-साथ उनके कार्यात्मक उद्देश्यों का अध्ययन किया जा सके।

एफपीओ के किसान उनके उत्पाद का प्रसंस्करण करते हुए

मुख्य अनुसंधान निष्कर्ष

देश में किसानों की कुल संख्या लगभग 90 लाख है, जबकि उनमें से लगभग 1.70 प्रतिशत को ही अभी तक एफपीओ में एकजुट किया गया है। एसएफएसी और नाबार्ड की कुल एफपीओ में, कृषि आधारित एफपीओ और गैर-कृषि आधारित एफपीओ क्रमशः 43 और 50 प्रतिशत के आसपास हैं। वर्तमान में, पशुधन आधारित एफपीओ पंजीकृत एफपीओ के केवल सात प्रतिशत के साथ बहुत कम हैं, जिससे इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में एफपीओ की आवश्यकता होती है।

शेयर पूंजी का भुगतान एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन संकेतक बन जाता है जिसमें सदस्यों की अपनी सामुहिक प्रतिबद्वता और एफपीओ की पात्रता दोनों के लिए अपनी व्यावसायिक योजनाओं के लिए ऋण निधि जुटाना शामिल है। गुजरात को छोड़कर, मध्यम और धीमी गति से प्रदर्शन करने वाले एफपीओ की तुलना में सभी राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करने वाली एफपीओ की औसत भुगतान-योग्य शेयर पूंजी अधिक थी। गुजरात में बेहतर प्रदर्शन करने वाले एफपीओ सहकारी समितियां है जिनकी शेयर पूंजी का भुगतान अन्य राज्यों के बेहतर प्रदर्शन वाले एफपीसी की तुलना में कम था।

यह सुझाव दिया गया है कि एक सभ्य सदस्यता आधार पाने और व्यवसाय में बने रहने के लिए, एफपीसी को इनपुट आपूर्ति के लिए मुट्ठी भर फसलों पर ध्यान केंद्रित करना और मूल्य संवर्धन एवं विपणन के लिए एक मुख्य वस्तु की पहचान करना व्यवहार्य हो सकता है। छोटे एनजीओ जिनकी स्थानीय उपस्थिति है और वे जलागम कार्यक्रम या नाबार्ड के डब्ल्युएडीआई कार्यक्रम जैसे कृषि विकास कार्यक्रमों में पूर्व अनुभवों के साथ एक या दो जिलों में कार्य कर रहे है उनको बड़े एनजीओ की तुलना में अनुबंधित किया जा सकता हैं।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि अध्ययन के तहत लगभग 16 प्रतिशत एफपीसी दंड क्षेत्र में होने की सूचना थी। इन एफपीओ के निदेशक मंडल हालांकि अपने कार्यों को जारी रखने के लिए तैयार थे, लेकिन धन, मार्गदर्शन और क्षमता की कमी के कारण असमर्थ थे। यदि आवश्यक हो, तो उन मामलों में जहां योग्यता है परियोजना के वित्तपोषण की पूरक खुराक का प्रावधान होना चाहिए। परिपूरक समर्थन को एफपीओ के क्रिटिकल रेटिंग इंडेक्स (सीआरआई) से भी जोड़ा जा सकता है और सुनिश्चित टेक-ऑफ के लिए बारीकी से निगरानी की जा सकती है।

अध्ययन ने सुझाव दिया कि संरक्षण, सहकारिता और संचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में बेहतर डिजाइन सिद्वांत एफपीओ की स्थिरता को बढ़ावा देगा। यह रेखांकित किया गया है कि कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के सामूहिक प्रयास के तहत राष्ट्रीय स्तर की नोडल एजेंसी के साथ-साथ राज्य स्तर की नोडल एजेंसियाँ डेटा प्रबंधन और एफपीओ की निगरानी के लिए आवश्यक है, जबकि स्टेट फेडरेशन ऑफ एफपीओ को भी कुछ प्रमुख सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के अलावा, एफपीओ के हैण्ड-होल्डिंग की जिम्मेदारी सौंपने पर विचार किया जाना चाहिए।

उभरती हुई महिला-केंद्रित सामूहिकता और उनके उत्पादक उद्यम के इस अंतराल को भर सकते हैं तथा अनुपूरक और पूरक तरीके से मूल्य श्रृंखला विकास में अनुपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक को जोड़ सकते हैं, अभिसरण के सहक्रियाशील विकास मॉडल में संसाधनों और निवेश का अनुकूलन कर सकते है।

नोडल कार्यान्वयन भागीदार के रूप में एनआरएलएम के साथ रु .5,000 करोड़ के परिव्यय के साथ विश्व बैंक द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना (एनआरईटीपी), उत्पादक सामूहिकों के आंदोलन में गेम-चेंजर बनने जा रही है, जिसका एफपीओ द्वारा लाभ उठाने की आवश्यकता है।

छ. तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के गांवों में कृषि और भूमि बाजार में बदलाव से गरीबों की आजीविका में प्रभाव पर अनुसंधान अध्ययन – डॉ. नित्या वी. जी. और डॉ. सीएच राधिका रानी

ग्रामीण परिवर्तन में भूमि बाजारों के महत्व की पहचान बढ़ती जा रही है जो गैर-कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को आधार प्रदान करती है। हाल के दिनों में भूमि के सीमांकन के संदर्भ में ग्रामीण और शहरी दोनों परिदृश्यों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए है अधिक लाभदायक भूमि उपयोग के लिए कृषि पर दबाव बनाया है, यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दो नवगठित राज्यों में अधिक महत्वपूर्ण है, जहां भूमि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। अध्ययन का उद्देश्य भूमि बाजार की गतिशीलता के अंतर्निहित कारकों का पता लगाना और इस गतिशीलता एवं आजीविका परिवर्तनों के बीच संबंध का पता लगाना है। चार गांवों का चयन किया गया था, जिनमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों से दो-दो थे।

मुख्य अनुसंधान निष्कर्ष

अध्ययन क्षेत्र में भूमि वितरण के स्वामित्व और विभिन्न बाजार त्रुटियों में अत्यधिक असमानता का संकेत परिणामों ने दर्शाया है। भूमि स्वामित्व के मामले में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवार की स्थिति अन्य परिवारों (एचएच) की तुलना में बदतर थी। हालांकि, इन श्रेणी के परिवारों को काश्तकारी के द्वारा खेती के लिए भूमि तक पहुंच प्राप्त थी। स्वामित्व रखने के लिए छोटे और बड़े श्रेणी का हिसाब किया

जाता है, जबकि भूमिहीन और सीमांत वर्ग के परिवारों को परिचालन जोत के लिए जिम्मेदार माना जाता है। आंध्र प्रदेश में, काश्तकारी की घटना 57 प्रतिशत अधिक थी, जबकि तेलंगाना में, यह 27 प्रतिशत रही।

अध्ययन क्षेत्र में, अधिकांश काश्तकारी अनुबंध अल्प अवधि के लिए होता हैं, अर्थात्, मौसमी अनौपचारिक अनुबंध। लेकिन सर्वविदित तथ्य यह है कि दीर्घकालिक काश्तकारी अनुबंध उत्पादकता बढ़ाने के उपायों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए अधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं।

अनुमानित लॉजिट मॉडल के अनुसार निम्न शिक्षा स्तर, खेत से आय सृजन, अनौपचारिक ऋण पहुंच, प्रवासन और गैर-कृषि व्यवसाय अध्ययन गांवों में भूमि की बिक्री को काफी प्रभावित कर रहे हैं।

तेलंगाना के गांवों में अधिकांश उत्तरदाताओं ने अपनी भूमि को मुख्य रूप से फसल नुकसान और बार-बार सूखे के परिणामस्वरूप वर्षों से कर्ज के बोझ के कारण बेच दिया। इसके अलावा, उच्च स्वास्थ्य-संबंधी खर्च और विवाह आदि ने भी भूमि की बिक्री को प्रभावित किया है।

50 प्रतिशत से अधिक किसान गैर-संस्थागत स्रोतों के माध्यम से उच्च ब्याज दरों पर ऋण लेते हैं। ऋण संस्थानों का समर्थन काश्तकारों को औपचारिक ऋण लेने के लिए आवश्यक है, जो स्पष्ट रूप से नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने और भूमि पट्टा बाजार में निष्क्रियता को कम करने में मदद करेगा।

भूमि के पट्टे को वैध करने से भूमिहीन और सीमांत किसानों द्वारा भूमि तक पहुंच बेहतर होगी। कुल मिलाकर, अध्ययन से पता चलता है कि भूमि के पट्टे के लिए संस्थागत पुनर्रचना और विकास शासन समय की मांग है, क्योंकि यह सीमांत किसानों और भूमिहीन श्रमिकों द्वारा संसाधनों तक पहुंच बढ़ाएगा और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करेगा।

ज. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में इलेक्ट्रॉनिक और कैशलेस लेनदेन की प्रभावशीलता का एक आकलन - डॉ के प्रभाकर

यह अध्ययन सार्वजनिक रूप से उचित मूल्य दुकानों / युनिट कार्यालय द्वारा प्रदत्त पीडीएस सेवाओं की ई-पीओएस (एईपीडीएस) की गुणवत्ता, जवाबदेही और परिणामों (प्रभावशीलता) का व्यवस्थित रूप से मूल्यांकन करने और समुदाय के लिए सेवा प्रदाता के रूप में उनकी भूमिका में उचित मूल्य दुकानों और उपभोक्ता मामलों के विभाग, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों को होने वाली समस्याओं और बाधाओं की बेहतर समझ को बढाता है।

मुख्य अनुसंधान निष्कर्ष

» लगभग 90 प्रतिशत एचएच ने बताया कि अपने सभी पारिवारिक सदस्यों के लिए एईपीडीएस प्रणाली में आधार सीडिंग पूरा हो चुकी है ।

» चार जिलों में अधिकांश डीलर (99 प्रतिशत) एईपीडीएस से अवगत थे। आधार सीडिंग में रिपोर्ट किया गया मुख्य मुद्दा फिंगर प्रिंट पहचान में कठिनाई थी ।

» सभी कर्मचारी सदस्यों को चार जिलों (100 प्रतिशत) में एईपीडीएस के बारे में पता था।

» उनके अधिकार क्षेत्र में कुल 80 प्रतिशत दुकानें पूरी तरह से एईपीडीएस पहल के तहत शामिल थीं।

कुल मिलाकर, साक्षात्कार किए गए लाभार्थियों ने कहा कि पीडीएस में एईपीडीएस (2015 के बाद से) की शुरुआत के बाद, वास्तविक लाभार्थियों (88 प्रतिशत) तक लाभ पहुंच रहे हैं, यह व्यवस्था अधिक जवाबदेह (71 प्रतिशत), अधिक पारदर्शी (53 प्रतिशत) है, उपभोक्ताओं को सही वस्तुएं वितरित की जाती हैं (54 प्रतिशत), समय पर वितरण (50 प्रतिशत) सुनिश्चित किया जाता है और समग्र उन्नत सेवा वितरण (25 प्रतिशत) की सूचना दी गई।

दिलचस्प बात यह है कि, वास्तविक लाभार्थी ओबीसी-94 प्रतिशत, एससी-89 प्रतिशत और सामान्य श्रेणी -84 प्रतिशत तक पहुँचने वाले लाभों के संदर्भ में एईपीडीएस की शुरुआत अधिकांश सामाजिक वर्गों द्वारा सकारात्मक रूप से की गई थी।

अध्ययन से पता चला है कि पीडीएस सेवा वितरण में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने के लिए एईपीडीएस एक शास्त्रीय पद्वति है। पीडीएस सेवा वितरण के लिए एक बेहतरीन मॉडल के रूप में साबित हुई और अन्य सभी राज्यों को इसे लागू करना चाहिए। भले ही लाभार्थी एईपीडीएस का सफलतापूर्वक अभ्यास कर रहे हों, लेकिन अधिकांश लाभार्थी एईपीडीएस के तहत मिलने वाले सभी लाभों से अनजान है। सतर्कता समिति के सदस्यों के माध्यम से जागरूकता अभियानों को मजबूत करके इस मुद्दे को उजागर किया जा सकता है।

आधार सक्षम पीडीएस सेवा अदायगी का उपयोग करते हुए लाभार्थी

3.3 कार्य अनुसंधान

समकालीन अनुसंधान के निष्कर्षों और वर्तमान मुद्दों / समस्याओं पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता को देखते हुए, एनआईआरडीपीआर अनुसंधान के लिए कई विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है। वर्ष 2019-20 में केंद्रित कुछ विषय थे:

» क्षमता निर्माण और सशक्तिकरण

» गैर-इमारती लकड़ी वन उत्पादों (एनटीएफपी) का मूल्यवर्धन

» डेयरी विकास

» मजदूरी रोजगार

» आपदा प्रबंधन

» सहभागी योजना

» भू-संसूचना तकनीकों का अनुप्रयोग

» जेंडर

» आजीविका संवर्धन

शिनाख्त किए गए व्यापक विषयों में कार्य अनुसंधान के लिए विशिष्ट फोकस क्षेत्र :

» एसएचजी सदस्यों का सशक्तिकरण

» मजदूरी चाहने वालों को जुटाना और सशक्त बनाना

» जन-अनुकूल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके भागीदारी योजना का प्रचार

» सहभागी आपदा तैयारी और प्रबंधन

» एनटीएफपी के अतिरिक्त मूल्य पर क्षमता विकसित करके आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाना

वर्ष 2019-20 के दौरान, चार कार्य अनुसंधान अध्ययन संपूरित हुए। अध्ययनों का विवरण अनुबंध- VI में प्रस्तुत किया गया है। आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और तमिलनाडु राज्य इन अध्ययनों में शामिल थे। कुछ अध्ययनों के निष्कर्ष नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किए गए हैं:

क. पांच राज्य : असम, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और तमिलनाडु में एनएसएपी पर प्रायोगिक सामाजिक लेखापरीक्षा – डॉ. सी. धीरजा, डॉ. श्रीनिवास सज्जा और श्री एम. करुणा

एनआईआरडीपीआर ने एमओआरडी के एनएसएपी प्रभाग के अनुरोध पर असम, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और तमिलनाडु में प्रायोगिक सामाजिक लेखापरीक्षा की सुविधा प्रदान की । राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना) के तहत चार घटकों के अलावा, सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए राज्य-विशिष्ट पेंशन योजनाएं भी शुरु की गईं, जिसे राज्य सरकारों द्वारा लागू किया गया है। जीपी और शहरी स्थानीय निकायों का चयन मनरेगा कैलेंडर और अधिकतम लाभार्थियों की संख्या पर ध्यान केंद्रित करने वाली कार्यान्वयन एजेंसी के साथ विचार-विमर्श पर आधारित था।

कहिकुची ग्राम पंचायत, रानी ब्लॉक, कामरूप (मेट्रो) जिला, असम में पायलट सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए आयोजित ग्राम सभा

कार्य अनुसंधान परियोजना के मुख्य निष्कर्ष

संदर्भ के तहत सभी पांच राज्यों में पाया गया कि लाभार्थियों में जागरुकता का स्तर कम है और पूरी आवेदन प्रक्रिया को समझना भी मुश्किल है। शिकायत निवारण प्रणाली गैर-कार्यात्मक है। ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर रजिस्टरों का रखरखाव कम है और लाभार्थियों की सूची का कोई वार्षिक सत्यापन नहीं किया गया है। खराब पारदर्शिता और जवाबदेही तंत्र की अनुपस्थिति के कारण मृतक लाभार्थियों के नाम भी सूचीबद्ध हो गए हैं। बीपीएल सूची उपलब्ध नहीं है और एमआईएस डेटाबेस या तो अधूरा है या कुछ स्थानों पर डेटा गलत है।

» अधिक पारदर्शिता और सामुदायिक भागीदारी लाने के लिए एनएसएपी में सामाजिक लेखापरीक्षा को संस्थागत बनाने की आवश्यकता है।

» सामाजिक लेखापरीक्षा इकाइयों को सीधे वित्त पोषित किया जा सकता है और पर्याप्त धनराशि प्रदान की जा सकती है।

» प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण अभ्यास बार-बार किया जाना चाहिए।

» लाभार्थी की फोटो और पता, खंड का नाम, वार्ड संख्या, बीपीएल संख्या, बैंक की जानकारी और पिछले 12 महीनों में भुगतान की गई राशि आदि के साथ एक मजबूत एमआईएस डेटाबेस तैयार किया जा सकता है।

» सामाजिक लेखापरीक्षा सलाहकारों को काम पर रखते हुए परियोजना प्रबंधन इकाई को मजबूत करना होगा, या सभी कार्यक्रमों में सामाजिक लेखापरीक्षा का समर्थन करने के लिए एमओआरडी में कार्यक्रम प्रभागों की एक अलग टीम बनाई जा सकती है।

ख. सहभागी जीआईएस दृष्टिकोण का उपयोग करके सतत ग्राम संसाधन विकास योजना की उत्पत्ति – डॉ. एन.एस. आर प्रसाद, डॉ. पी. राज कुमार, श्री डी. एस. मूर्ति और डॉ. पी. केशव राव

ग्राम नियोजन प्रक्रिया में विकेंद्रीकृत और सहभागी निर्णय लेने के दृष्टिकोण के साथ हाल के वर्षों में बड़े पैमाने पर बदलाव हुए है। प्रभावी निर्णय लेने के लिए, भूमि रिकॉर्ड को समझने के लिए नई तकनीकी का उपयोग करके व्यापक डेटाबेस तक पहुँच की आवश्यकता होती है। स्थलाकृति, संसाधन, निपटान पैटर्न और बुनियादी ढांचे आवश्यक है। योजना और निर्णय लेने के लिए समय पर विश्वसनीय जानकारी सृजित करने में स्थानिक प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

इस संदर्भ में, महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले की कर्जत तहसील में स्थित ताजू गांव में एक अध्ययन किया गया था। डेटा के विश्लेषण में रिमोट सेंसिंग और जीआईएस टूल की तकनीकों का उपयोग किया गया था।जीआईएस आधारित कार्य योजनाएं बुनियादी सुविधाओं और गाँव के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण विकास में सुधार के लिए बनाई गई थीं।

कार्य अनुसंधान परियोजना के मुख्य निष्कर्ष

गाँव की ड्रोन मैपिंग से भूमि उपयोग, भूमि पार्सल, उगाई गई फसलों और खोदे गए कुओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिली है। गाँव की सड़कें, तालाब, नहरें, खुली जगह, स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उप-केंद्र आदि जैसी सामुदायिक परिसंपत्तियों की मैपिंग की गई है, जिनका उपयोग बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए किया जा सकता है। इससे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए ग्रामीण आवासीय संपत्तियों के मुद्रीकरण की भी सुविधा होगी और संपत्ति कर के स्पष्ट निर्धारण का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

प्रस्तावित सड़क नेटवर्क कार्यान्वयन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण आदि से ताजु गाँव की आजीविका में सुधार किया जा सकता है। कृषि भूमि और मिट्टी की उर्वरता में सुधार फसल उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। चेकडैम के निर्माण से भूजल को फिर से भरने और सूखे की स्थिति से निपटने में मदद मिल सकती है।

उपलब्ध संसाधनों से, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ग्राम विकास योजना तैयार करने की प्रक्रिया में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता को भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के साथ प्राप्त किया जा सकता है। परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन कोई भी, कहीं भी और कभी भी कर सकता है। जीआईएस और उपग्रह इमेजरी की सहायता से, परियोजनाओं का एक विस्तृत दृश्य रिकॉर्ड बनाए रखा जा सकता है, जिसका कभी भी उपयोग किया जा सकता है।

ग. ग्रामीण परिवारों में कृषि संकट के मानचित्रण और निपटान के लिए प्रोटोकॉल का विकास - सीएएस और एनआरएलएम सेल की एक सामाजिक कार्य अनुसंधान परियोजना - डॉ. सी.एच. राधिका रानी, श्री रविंदर, डॉ. नित्या वी.जी., और श्री नागराज राव

देश में कृषि संबंधी संकट के लिए शिनाख्त किए गए तीन सामान्य कारकों में गैर-संस्थागत ऋण की उच्च लागत के साथ अधिक कर्ज, औपचारिक संस्थागत सहायता प्रणालियों द्वारा बहिष्कृत किसानों की उच्च घटना और बाजार के नुकसानों को सहन करने में किसानों की आर्थिक क्षमता खराब है। एसएचजी और पंचायत संस्थाओं के बीच डिस्कनेक्ट करने के लिये संकट दृढ़ता से सहसंबद्ध है। विरोधाभासी रुप से, ये संस्थाएं प्रभावित परिवारों को सुचारू करने के लिए पूर्वानुमान, निदान और तत्काल उपचारात्मक उपाय प्रदान करने के कार्य में तत्पर हैं । संकट की स्थिति के बाद बाधित परिवारों को सहायता प्रदान की जाती है और इस संकट को रोकने की कोई योजना नहीं है । यहां पर ग्रामीण संस्थाओं की जरूरत है जो हताशा की चेतावनी की पहचान करेगी और उन संकटग्रस्त परिवारों को आत्महत्या के खिलाफ उन्हें प्रेरित करने के लिए 'पहले प्रतिवादी' के रूप में कार्य करेगी।

2018-20 के दौरान तेलंगाना राज्य के सिद्दीपेट जिले के बसवापुर गांव, कोहदा मंडल में कार्य अनुसंधान परियोजना शुरू की गई। इस परियोजना का उद्देश्य हॉट स्पॉट परिवारों की पहचान करने में एसएचजी और पंचायत राज संस्थाओं में अभिसरण के लिए रणनीतियों को विकसित करना, संकट की विशिष्ट प्रकृति का निदान करना और राहत तंत्र प्रदान करना है।

ग्राम संगठन सामाजिक कार्य समितियों (वीओ-एसएसी) और ग्राम पंचायत सामाजिक कार्य समितियों (जीपी-एसएसी) का गठन संकटग्रस्त परिवारों की पहचान करने और बैठकों के संचालन के लिए प्रक्रियाओं और इन समितियों द्वारा कार्यों का पालन करने के लिए किया गया था।

प्रमुख कार्यान्वयन कार्य

» राज्य पंचायत विभाग के सहयोग से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों के माध्यम से वीओ-एसएसी और जीपी-एसएसी की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाने की अधिक गुंजाइश है ।

कृषि संकट के मानचित्रण और निपटान के लिए प्रोटोकॉल विकसित करने हेतु डेटा का संग्रहण करते हुए क्षेत्र अधिकारी

3.4 मामला अध्ययन

क. कृषि बाजार कठिनाइयों की प्रतिक्रिया में संस्थागत नवाचार: एक सामूहिक मामला अध्ययन – डॉ. सुरजीत विक्रमण और डॉ. आर. मुरुगेशन

भारत में कृषि 60 प्रतिशत से अधिक आबादी की आजीविका का समर्थन करती है। उत्पादन और उत्पादकता के क्षेत्र पर महत्वपूर्ण लाभ के बावजूद, कृषि क्षेत्र कई समस्याओं यानी मुख्य रूप से कारक और उत्पाद बाजार की विकृतियों से ग्रस्त है । कई नीतियों और कार्यक्रमों और देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न संस्थागत नवाचारों ने विभिन्न बाजार खामियों को दूर करने की कोशिश की है। इस संदर्भ में, केरल राज्य में कृषि बाजारों में बाधाओं (इनपुट और आउटपुट बाजार की कमी) के जवाब में दो संस्थागत नवाचारों का एक विस्तृत अध्ययन किया गया था।

पहला संस्थागत नवाचार 'ग्रीन आर्मी' का गठन है जो केरल के त्रिचुर जिले के वाडक्कांचरी ब्लॉक में एक सिंचित चावल उत्पादन प्रणाली में कृषि उत्पादन पद्धतियों को कार्यान्वित करने की एक संस्थागत व्यवस्था है। ग्रीन आर्मी भी कल्याण की रक्षा करने के लिए एक संस्था के रुप में कार्य करती है, और इस क्षेत्र में खेतिहर मजदूर जो समाज के सबसे कमजोर वर्ग हैं उनके लिए रोजगार के अवसरों के सृजन से बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करती है। दूसरा संस्थागत नवाचार किसान समूह है जिसने कृषि उत्पादन को बनाए रखने और उन पर निर्भर परिवारों की आजीविका की रक्षा करने के लिए खुद को किसान उत्पादक संगठन में संगठित किया है। केरल के कन्नूर जिले की मय्यिल पंचायत में मय्यिल किसान उत्पादक कंपनी ने सामूहिक रूप से बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों के लाभ प्राप्त करने और साथ ही उत्पादन बाजार की गतिविधियों को विकेंद्रीकृत करने या उन्हें अलग करने के लिए एक विशिष्ट रणनीति अपनाई है।

इन दोनों संस्थाओं के गठन ने इनमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है:

- स्थानीय स्वशासन, कृषि अनुसंधान, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, वित्तीय पहुंच और समावेश, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और ग्रामीण विकास की संस्थाओं का अभिसरण ।
- कृषि श्रमिकों के कौशल स्तर और प्रदर्शन में सुधार, श्रम की गरिमा का प्रावधान, वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा का समर्थन जिसने उनके जीवन स्तर में काफी सुधार किया है।
- ऐसे उपायों को अपनाना जो जेंडर-संवेदी हों और जिसके परिणामस्वरुप जेंडर सशक्तिकरण हो।
- विभिन्न कृषि और ग्रामीण विकास संस्थाओं के अभिसरण के माध्यम से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए पारिस्थितिक रुप से स्थायी रणनीति।
- स्थानीय स्तर पर अनुकूल हस्तक्षेपों के माध्यम से कृषक समुदाय का समावेशी और सतत विकास।

दो संस्थागत नवोन्मेषी अध्ययन ने कृषि बाजार की बाधाओं को दूर करने की कोशिश की है, जिसमें सूक्ष्म स्तर के मुद्दों के समाधान की तलाश में स्थानीय प्रशासन (पीआरआई) की विकेंद्रीकृत योजना और भूमिका का महत्व दिखाया गया है जो स्थायी विकास में बाधा डालता है और इस प्रकार सूक्ष्म स्तरीय लाभों में योगदान देता है। ये वैश्विक समस्याओं के स्थानीय समाधान खोजने की दिशा में अल्प प्रयास हैं जो सतत विकास में बाधक हैं।

ख. फेट्री ग्राम पंचायत को पंचायत सशक्तिकरण से सम्मानित किया गया – सीखने योग्य बातें – डॉ. प्रत्युष्णा पटनायक

दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार (डीडीयुपीएसपी) उन पंचायतों को दिया जाता है जो सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण में सुधार के लिए प्रत्येक स्तर पर पीआरआई द्वारा किए गए अच्छे कार्य की मान्यता के लिए विभिन्न राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती हो।

महाराष्ट्र के नागपुर जिले की फेट्री ग्राम पंचायत को समग्र विकास प्रदर्शित करने के लिए वर्ष 2017 के दौरान पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) की ओर से पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया ।

यह महसूस किया गया कि फेट्री ग्राम पंचायत द्वारा किए गए सफल कार्यों का व्यापक प्रचार और दूसरे ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यों की पुनरावृत्ति के लिए प्रलेखित किया जा सकता है ।

अध्ययन से पता चला कि फेट्री ने पंचायत सदस्यों और नागरिकों में निरंतर परिवर्तनकारी प्रयासों द्वारा मॉडल पंचायत का दर्जा हासिल किया। पंचायत के सदस्यों और नागरिकों ने पंचायत की चुनौतियों को बारीकी से समझने के लिए वर्षों तक प्रयास किया और पंचायत की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण के साथ एक समग्र समाधान विकसित किया है। पंचायत ने निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रयासों के कारण, संपूर्ण स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्ति, पक्की सड़कों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ग्रीन जिम, वाटर एटीएम, डिजिटल स्कूल, प्रभावी कर संग्रहण के लिए स्वयं के संसाधन राजस्व और प्रणाली बढ़ाने के लिए प्रभावी योजनाओं का विकास जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान की हैं । स्थानीय संस्था को मजबूत करने के लिए, चयनित प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के लिए नियमित क्षमता निर्माण की पहल की गई है। फेट्री पंचायत ने समावेशी विकास के विचार से, पारदर्शिता और जवाबदेही तंत्र को संस्थागत रुप दिया है।

इस प्रकार, फेट्री पंचायत से प्राप्त महत्वपूर्ण सीख यह है कि यदि विकास में हिस्सेदारी है तो मोल भाव की शक्ति है और यदि विकास प्रक्रिया में मोल भाव की शक्ति है तो स्वामित्व है। नागरिकों के अनुरुप निर्वाचित प्रतिनिधियों के स्वामित्व संबंधी रवैये ने फेट्री को एक मॉडल पंचायत बनने में सहयोग प्रदान किया है।

ग. ग्रामीण समुदाय में जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य पर कार्य: मेघालय के री भोई जिले का एक मामला अध्ययन – श्रीमती. जी.एस. लिंडम, श्री एल. धर, ईटीसी, नोंगस्डर, री बोई जिला, मेघालय

ग्रामीण समुदाय में पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य की जानकारी और पद्धतियों का आकलन करने के लिए यह अध्ययन मेघालय के री भोई जिले के तीन ब्लॉकों उपलिंग, उमसिंग और जिरांग सी एंड आरडी ब्लॉक में आयोजित किया गया था ।

निष्कर्षों में, ग्रामीणों में उनके समुदाय को प्रभावित कर रहे स्थानीय स्वास्थ्य और स्वच्छता मुद्दों के बारे सृजित जागरुकता सबसे महत्वपूर्ण है । अध्ययन के निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

» अध्ययन क्षेत्र में घरेलू शौचालयों में वृद्धि की गई है और नए शौचालयों का निर्माण प्रगति पर है। 97 प्रतिशत उत्तरदाता शौचालय का उपयोग कर रहे हैं, जबकि उनमें से तीन प्रतिशत को शौचालय का उपयोग करना पसंद नहीं हैं, खासकर रात के समय।

» ऐसे उत्तरदाता जो स्वच्छता पद्धतियों के बारे में अधिक जागरूक थे उन्होंने पिछले दो वर्षों में कम बीमारियों की रिपोर्ट दी है। अध्ययन क्षेत्र में वहां पर मलेरिया और डायरिया जैसी बीमारियों में तेजी से कमी देखी गई। पिछले एक साल में डायरिया के मामलों में 22 फीसदी की कमी आई है और एनीमिया के मामलों में 10 फीसदी की कमी आई है।

» समुदाय के सदस्यों, विशेष रुप से स्कूल जाने वाले बच्चों में व्यवहारिक परिवर्तन देखा गया । उदाहरण के लिए, समुदाय के सदस्य जल स्रोतों, सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों की सफाई कार्य में शामिल हैं । इससे सामाजिक सद्भाव में सुधार हुआ है और कूडे स्थान और जल संचय के कारण उत्पन्न संघर्ष और विरोध में कमी आई है।

» विभिन्न एजेंसियों के हस्तक्षेप और इस कार्यक्रम के तहत बहुआयामी कार्यों के कार्यान्वियन के चलते स्वच्छ भारत मिशन की ओर यह एक सामुदायिक दृष्टिकोण है।

सिफ़ारिशें

» यद्यपि कार्यक्रम का अध्ययन क्षेत्र बहुत प्रभावी है, परन्तु कार्यक्रम में अधिकतम सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्राम-स्तरीय समिति के सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। सदस्यों को जमीनी स्तर पर कार्यक्रम की निगरानी हेतु कार्यभार सौंपा जा सकता है।

» आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं जैसे हितधारकों को स्वयंसेवकों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के बारे में पता नहीं है। इसलिए, यह सुझाव दिया गया है कि समुदाय के सदस्यों को कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाना चाहिए। अल्पकालिक पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम पारस्परिक संचार कौशल के साथ-साथ स्वास्थ्य, स्वच्छता और सफाई के बारे में अपने कौशल और ज्ञान को उन्नत करने के लिए आयोजित किए जा सकते हैं।

» कार्यक्रम की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए हर छह माह में एक मध्यावधि मूल्यांकन किया जा सकता है।

क्षेत्र दौरे के दौरान मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करने वालों के साथ बातचीत करते हुए अध्ययन टीम का सदस्य

घ. ग्रामीण भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग के कार्य पर निरीक्षण (ग्रामीण कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का मामला अध्ययन) – डॉ. आर. रमेश और डॉ. पी. शिवराम

स्वच्छ भारत मिशन के साथ स्वच्छ बनने के इच्छुक देश के लिए मैनुअल स्कैवेंजिंग की पद्धति उचित संकेत नहीं है। इस अध्ययन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 'मैनुअल स्कैवेंजिंग की पद्धति' के प्रचलन की पहचान करना और रिपोर्ट करना; तथा स्वच्छता शौचालयों में परिवर्तित किए गए अस्वच्छ / बेकार शौचालयों की संख्या का पता लगाना है । यह अध्ययन केवल ग्रामीण क्षेत्रों में मैनुअल स्कैवेंजिंग तक ही सीमित है। अध्ययन में तीन राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक को शामिल किया गया था जहां मैनुअल स्कैवेंजिंग का प्रचलन कथित रुप से बहुत अधिक है। 16 जीपी को शामिल करने वाले अस्सी मामला अध्ययन किए गए हैं। अध्ययन के भाग के रुप में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय से प्राप्त मैनुअल स्कैवेंजिंग की सूची से 80 व्यक्तियों का साक्षात्कार किया गया।

भारत के ग्रामीण क्षेत्र में मैनुअल स्कैवेंजिंग जिसे एक कार्य के रुप में परिभाषित किया गया है जिसमें बेकार / अस्वच्छ शौचालयों से मानव मल साफ करना, ले जाना और निपटान करना शामिल है, वह लगभग खत्म हो चुका है। स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) द्वारा अस्वच्छ शौचालयों को स्वच्छ शौचालय में परिवर्तित करने में दिए गए समर्थन को महत्वपूर्ण कारकों में से एक माना जा सकता है – चूंकि इस व्यवसाय में कोई नया व्यक्ति नहीं आया है। इस अध्ययन के लिए साक्षात्कार किए गए अधिकांश लोग 50 वर्ष की ऊपरी आयु समूह के थे। 50 वर्ष से अधिक उम्र के उम्रदराज लोग, जो बेकार शौचालयों से मानव मल को साफ करने, ले जाने और निपटान करने में शामिल थे, धीरे-धीरे सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और दूसरी ओर नियमित रुप से मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए आवश्यक बेकार शौचालयों की संख्या में पिछले पांच साल में कमी आई है। ऐसे समुदायों की युवा पीढ़ी का इस तरह के काम में जुडने की संभावना बहुत कम है। यद्यपि माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे पढे और माता-पिता के व्यवसाय को छोड़ दें, लेकिन कई युवा माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा से आगे नहीं बढ़ पाते हैं।

मैनुअल स्कैवेंजिंग की पद्धति में बदलाव मंद और धीरे-धीरे है। एसबीएम-जी ने पहले से इस परिवर्तन को तेज कर दिया है, जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में नहीं हो पाता था।

3.5 परामर्शी अध्ययन

संकाय सदस्यों की विशेषज्ञता और संस्थान द्वारा व्यापक ध्यान दिए जाने के कारण, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, राज्य सरकारें और कॉर्पोरेट क्षेत्र के संगठन अक्सर विशिष्ट उद्देश्य-उन्मुख अनुसंधान अध्ययन, मूल्यांकन अध्ययन आदि करने के लिए एनआईआरडीपीआर से संपर्क करते हैं। इन अध्ययनों को परामर्शी अध्ययन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इस संबंध में कुछ ग्राहक समूह हैं) i) पंचायती राज मंत्रालय, ii) भूमि संसाधन विभाग, iii) कृषि विभाग, उत्तराखंड, सरकार iv) नियोजन और अभिसरण विभाग, ओडिशा, सरकार v) आरडी, विभाग, तेलंगाना, vi) यूएनडीपी, vii), नाबार्ड, viii) ओडिशा वाटरशेड मिशन, ix) यूएन वुमेन, x) पंचायती राज विभाग, आंध्र प्रदेश, सरकार xi) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली, xii) एनएलसीआईएल, नेयवेली, तमिलनाडु, xiii) एचसीसीबी, आंध्र प्रदेश और xiv) यूपीएएसएसी ।

परामर्शी अध्ययन शुरू करने की प्रक्रिया संस्थान के प्रत्येक केंद्र के पास उपलब्ध विशेषज्ञता पर आधारित है। अध्ययन के अध्यादेश को देखते हुए, प्रत्येक केंद्र प्राप्त अनुरोधों के आधार पर इन अध्ययनों को आयोजित करता है। वर्ष 2019-20 के दौरान, आठ नए अध्ययनों को जारी रखने के अलावा 13 नए परामर्शी अध्ययन आरम्भ किए गए थे जो 2019-20 से पहले प्रारंभ किए गए थे। 2019-20 में कुल 24 परामर्शी अध्ययन सम्पूरित किए गए।

इन अध्ययनों के तहत आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों को कवर किया गया था। दो अध्ययनों ने सभी 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया। अध्ययनों का विवरण परिशिष्ट- VII, परिशिष्ट - VIII और परिशिष्ट - IX में प्रस्तुत किया गया है।

कुछ संपूरित परामर्शी अध्ययन के निष्कर्षों का सारांश नीचे दिया गया है:

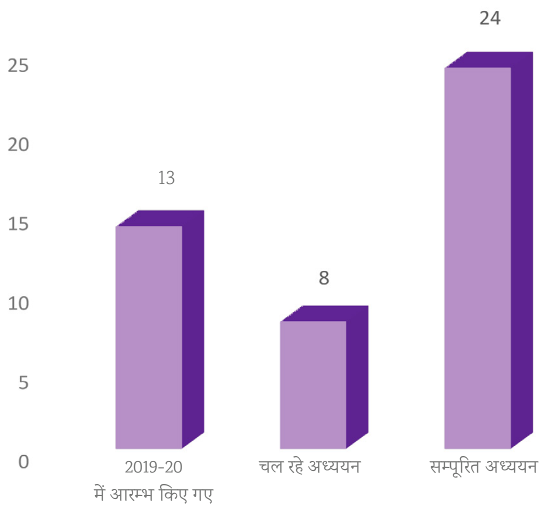

ग्राफ 13: परामर्शी अध्ययन की स्थिति - 2019-20

क. निरंतर प्रशिक्षण और ई-सक्षम (2017-20) द्वारा पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के सुदृढीकरण द्वारा भारत का बदलता स्वरुप

पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) के सहयोग से संस्थान ने 2017-2020 से 'निरंतर प्रशिक्षण और ई-सक्षम (टीआईएसपीआरआई) द्वारा पीआरआई के सुदृढ़ीकरण द्वारा भारत का बदलता स्वरुप शीर्षक पर एक महत्वपूर्ण परियोजना शुरु की थी। पंचायती राज केंद्र ने परियोजना को सफलतापूर्वक लागू किया और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के समग्र उद्देश्यों का समर्थन किया। परियोजना के विभिन्न घटकों के भाग के रूप में, पंचायत शासन और ग्रामीण विकास से संबंधित विषयों को कवर करने वाले 72 मॉड्यूल को यूजीसी और एमएचआरडी दिशानिर्देशों के अनुसार शिक्षण सामग्री के मानकीकरण के लिए विकसित किया गया है। मानकीकृत मॉड्यूल का उपयोग यूजीसी द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए किया जा रहा है, जो हैदराबाद विश्वविद्यालय के सहयोग से दूरस्थ मोड में पंचायती राज शासन और ग्रामीण विकास '(डीपीआरजीआरडी) पर एनआईआरडीपीआर द्वारा आरम्भ किया जा रहा है।

प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के प्रयास में, परियोजना का एक घटक मौजूदा मास्टर प्रशिक्षकों का प्रमाणन था। प्रमाणित मास्टर प्रशिक्षकों का एक पूल तैयार करने के लिए वर्षों से, विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में प्रशिक्षकों के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इस बड़े प्रयास में, 162 बैचों में 27 राज्यों में कुल 6,287 प्रशिक्षकों का मूल्यांकन किया गया है। उनमें से, 4,322 सदस्यों ने ए एंड बी ग्रेड गणना की और विशिष्ट विषयगत क्षेत्रों के तहत मास्टर स्रोत व्यक्ति (एमआरपी) के रूप में प्रमाणित किया गया। वर्ष 2019-20 में, पंचायती राज और ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न विषयगत क्षेत्रों के तहत कुल 1,910 मास्टर स्रोत व्यक्तियों को प्रमाणित किया गया है।

तीसरे घटक के भाग के रूप में, पीआरआई हितधारकों के निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के महत्व को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स प्रदान करने के लिए एक अलग ई-शिक्षण प्लेटफॉर्म प्रारंभ करने का प्रयास किया गया था जिसमें एमआरपी, निर्वाचित प्रतिनिधियों और भारत में पीआर विभागों के अन्य अधिकारियों को लक्षित किया गया था । पंचायत शासन और ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान देने वाले ऑनलाइन पाठ्यक्रम ग्राम स्वराज मंच पर उपलब्ध कराए गए हैं।

चौथे घटक के तहत, विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में विभिन्न भागीदारी संस्थानों द्वारा 32 मामला अध्ययनों का दस्तावेजीकरण किया गया था। अध्ययन के तहत आने वाले राज्य पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश हैं। नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इन मामला अध्ययन का उपयोग किया जाता हैं और एसआईआरडीपीआर के साथ भी साझा किया जाता हैं।

2019 में, ई-एफएमएस पर कुल सात कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण

विकाश प्रगति एसआरसी, अल्मोड़ा, उत्तराखंड की एग्री-प्रोसेसिंग यूनिट

कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और पीईएस अनुप्रयोगों पर 440 स्त्रोत व्यक्तियों की पहचान की गई थी और उन्हें प्रशिक्षित किया गया था।

ख. अपने ऋण पोर्टफोलियो और परिसंपत्ति गुणवत्ता के विशेष संदर्भ के साथ एसएचजी-बीएलपी का मूल्यांकन – डॉ. एम. श्रीकांत

नाबार्ड की एक परिकल्पना जैसे - स्व-सहायता समूह-बैंक संयोजन कार्यक्रम (एसएचजी-बीएलपी) को आज दुनिया का सबसे बड़ा सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम माना जाता है। कार्यक्रम ने लाखों भारतीयों को सफलतापूर्वक एकजुट किया जो बहुत नीचे थे, खासकर महिलाऍं जिन्हें वित्तीय समावेशन के सबसे लोकप्रिय मॉडल में सक्रिय रुप से भाग लेने के लिए एकजुट किया गया । हालांकि यह कार्यक्रम भारतीय वित्तीय परिदृश्य में अपनी लंबी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण दौर से गुजर चुका है, लेकिन इसने 31 मार्च, 2018 को 4,628 करोड़, यानी कुल बकाया ऋण का 6.12 प्रतिशत डूबे ऋण को संचित किया है। उपरोक्त पृष्ठभूमि के आलोक में, सीएफआईई ने इन एनपीए के विकास के कारणों की पहचान करने के लिए एक अनुसंधान अध्ययन किया, जिसमें आय सृजन गतिविधियों के लिए एसएचजी की पहुंच का प्रभाव और हितधारकों की धारणा के आधार पर एसएचजी की स्थिरता की जानकारी है।

अध्ययन से पता चला है कि एसएचजी सदस्यों की खराब आर्थिक स्थिति, विवाह, समारोह, ऋण माफी की उम्मीद आदि से संबंधित किया गया खर्च, एनपीए के अलाभकारी विकास आदि मुख्य कारक हैं। इसके अलावा, अध्ययन में पाया गया कि एसएचजी महिलाएं उच्च ऋण राशि का लाभ नहीं उठा सकती हैं। एसएचजी बीएलपी में शामिल होने के बाद उनके बच्चों की शिक्षा पर उत्तरदाताओं का वार्षिक व्यय स्तर अभूतपूर्व रुप से बढ़ गया। बढ़ते एनपीए से संबंधित मुद्दे से निपटने के लिए, रिपोर्ट में ऋण चूक, एसएचजी के लिए समूह बीमा योजना, एसएचजी सदस्यों के ऋण परामर्श, सामाजिक कार्यों पर खर्च को कम करना, वित्तीय साक्षरता स्तर को बढ़ाने के लिए वित्तीय साक्षरता अभियान के मामले में एसएचजी सदस्यों की सामूहिक जिम्मेदारी को बंद करने का सुझाव दिया गया है। आय सृजन गतिविधियों के लिए ऋण तक एसएचजी की पहुंच में सुधार करने के लिए, इसने बैंकों द्वारा सहानुभूति, एसएचजी सदस्यों में आजीविका को सक्रिय बढ़ावा देने और उद्यमों के लिए उच्च ऋण राशि, वित्तीय साक्षरता अभियान आदि सुनिश्चित करने का सुझाव दिया है । एसएचजी की स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए रिपोर्ट ने एसएचजी सदस्यों को दी जाने वाली शिष्टाचारों और कार्य व्यवहार की रीति – नीतियों पर प्रशिक्षण का सुझाव दिया है।

ग. उत्तराखंड में यूपीएएससी के वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों का प्रभाव मूल्यांकन-

डॉ. एम. श्रीकांत, डॉ. सोनल मोबार रॉय,
डॉ. भवानी ए., श्री विनीत कल्लूर,
सुश्री एस. नव्या श्रीदेवी

कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष (आईएफएडी) के सहयोग से उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा प्रदान करने, आजीविका बढ़ाने और गरीबों की आय बढ़ाने के लिए एकीकृत आजीविका सहायता परियोजना (आईएलएसपी) को लागू कर रही है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में गरीबों की आजीविका में सुधार लाने के लिए, उत्तराखंड पर्वतीय आजीविका संवर्धन कंपनी (यूपीएएससी) आईएलएसपी के तहत तीन परियोजना कार्यान्वियन एजेंसियों में से एक है जो वित्त तक पहुंच की सुविधा प्रदान करती है।

चूंकि आईएलएसपी का कार्यान्वयन 2020 तक पूरा होने की उम्मीद है, इसलिए यूपीएएससी ने एनआईआरडीपीआर को 'उत्तराखंड में यूपीएएससी के वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों के प्रभाव मूल्यांकन' पर एक अनुसंधान परियोजना सौंपी। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान यूपीएएससी के विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना था। इस अध्ययन ने उद्यम विकास और आजीविका के अवसरों के लिए उत्पादक समूहों के सदस्यों, और यूपीएएससी के माध्यम से आजीविका सामूहिकता के लिए प्रदान किए गए संस्थागत ऋण के बैंक लिंकेज और बाह्य प्रभाव का विश्लेषण किया। अध्ययन ने यूपीएएससी द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों की प्रभावशीलता की भी जांच की।

अध्ययन में पाया गया कि यूपीएएससी ने उत्तराखंड के सभी 11 जिलों के उत्पादक समूहों के सदस्यों के लिए बैंक लिंकेज सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 31 मार्च, 2019 तक, यूपीएएससी ने उत्तराखंड में ग्रामीण परिवारों के लिए बैंक से रु. 19.89 करोड़ के 1,412 टर्म लोन, 17.31 करोड़ की 2,136 कैश क्रेडिट लिमिट खातों 60.31 करोड़ के 12,656 किसान क्रेडिट कार्ड दिए है। क्रेडिट लिंक्ड उत्पादक समूह में अधिकांश प्रत्यर्थियों ने उनके जीवन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार की सूचना दी है जैसे बैंक लिंकेज / क्रेडिट लिंकेज के कारण भोजन (84 प्रतिशत), कपड़े (66 प्रतिशत), आश्रय (69 प्रतिशत), स्वास्थ्य सेवा (79 प्रतिशत), और शिक्षा (74 प्रतिशत)। क्रेडिट और नॉन-क्रेडिट लिंक्ड उत्पादक समूह के सदस्यों में से लगभग 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्हें उद्यम स्थापित करने के लिए यूपीएएससी से प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। यूपीएएससी द्वारा प्रदान की जाने वाली आजीविका के वित्तपोषण के कारण कुल बिक्री में निरंतर वृद्धि हुई और आजीविका संग्रह (एलसी) द्वारा लाभ हुआ। एलसी का कारोबार 105 प्रतिशत और मुनाफे में 2016-17 से 2018-19 के बीच 180 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अध्ययन में कहा गया है कि यूपीएएससी ने वित्तीय साक्षरता प्रदान करने और बैंकों के माध्यम से ग्रामीण आजीविका वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे गरीबों की आय में वृद्धि हुई है और वित्तीय समावेशन में लक्ष्य प्राप्त किया।

चम्बामसूरी एसआरसी,
टिहरी का किसान केंद्र

3.6 ग्राम अभिग्रहण

अनुसंधान और कार्य अनुसंधान के आधार पर मॉडल और कार्यान्वियन तंत्र के अनुप्रयोग को प्रदर्शित करने के लिए, संस्थान ग्राम अभिग्रहण अध्ययन कर रहा है। गाँव के अध्ययन का उद्देश्य ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वियन की सुविधा में संकाय सदस्यों की क्षमता को बढ़ावा देना है। विशेष रूप से ग्राम अभिग्रहण अध्ययन के माध्यम से की जाने वाली कार्य अनुसंधान पहल, संकाय सदस्यों को स्वंय को जमीनी स्तर की वास्तविकताओं के साथ बनाए रखने में सक्षम बनाती है। संकाय सदस्यों को गाँव के आकार, गाँव के पिछड़ेपन और अन्य जनसांख्यिकीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट गाँव / ग्राम समूहों का चयन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नामित संकाय सदस्य को गांव की रुपरेखा और मौजूदा सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों आदि का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। संकाय सदस्य स्थानीय और प्रशासन के बीच अंतर को कम करने की कोशिश करते हैं, और स्थानीय सरकारी एजेंसियों से आवश्यक हस्तक्षेप की सुविधा प्रदान करते हैं।

29 राज्यों के लगभग 150 गांवों को ग्राम अभिग्रहण योजना के तहत चुना गया है। विस्तृत सूची परिशिष्ट-X में संलग्न है।

अध्याय

4 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

ग्रामीण क्षेत्रों के परिवर्तन से संबद्ध नयी और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए, संस्थान ने वर्ष 2003 में लगभग 65 एकड़ भूमि में 'ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी)' की स्थापना की। विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और सरकारी संस्थानों के माध्यम से प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण की सुविधा के अलावा, संभावित प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने, प्रौद्योगिकियों में ग्रामीण समुदाय को प्रशिक्षित करने के लिए आरटीपी को उद्यमियों की मदद से संचालित किया जाता है। हर साल विभिन्न ग्रामीण प्रौद्योगिकियों पर प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में ग्रामीण युवाओं और एसएचजी महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाता है।

आरटीपी में राष्ट्रीय ग्रामीण भवन केंद्र (एनआरबीसी) ग्रामीण गृहों के प्रभावी मॉडल को 40 विभिन्न तकनीकों के साथ प्रदर्शित करता है। उचित संख्या में व्यक्तिगत शौचालय मॉडल के साथ 'स्वच्छता पार्क' भी स्थापित किया गया जिसे ग्रामीण जनता वहन कर सकती है।

वर्ष 2018 में निर्मित महानिदेशक का बंगला उचित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके स्थायी आवास को बढ़ावा देने के लिए एक स्थायी आवास पहल है।

यह संस्थान पूर्ववर्ती कपार्ट के परामर्श-सह-मार्गदर्शन केंद्र की भी निगरानी करता है, जो बनिया गाँव, वैशाली, बिहार में स्थित है।

4.1 वर्ष 2019-2020 के क्रियाकलाप

4.1.1 प्रशिक्षण कार्यक्रम

आईटीईसी के तहत भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा प्रायोजित **ग्रामीण आवास पर्यावास परियोजना की योजना और प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम** आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न देशों के आवास और योजना विभागों के साथ काम करने वाले वरिष्ठ और मध्यम स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया था। 13 देशों अर्थात् अफगानिस्तान, बोत्सवाना, डोमिनिकन गणराज्य, केन्या, मॉरीशस, नमीबिया, नेपाल, नाइजीरिया, पैलिस्तीन, दक्षिण सूडान, सूडान, ट्यूनीशिया और जाम्बिया के कुल 22 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में सहभाग लिया।

सभी सहभागी देशों के प्रतिनिधियों के साथ देश-विशिष्ट ग्रामीण आवास और पर्यावास विकास नीतियों और अन्य उचित पद्धतियों को साझा किया गया। लागत प्रभावी, पर्यावरण- अनुकूल, ऊर्जा-कुशल और आपदा-प्रतिरोधी आवास प्रौद्योगिकियों जैसी पहलुओं पर पाठ्यक्रम के भाग के रूप में चर्चा की गई। भारत और अन्य देशों की शिक्षा पर आधारित उनके अपने देश लौटने पर कार्य योजना की तैयारी के लिए प्रतिभागियों को मार्गदर्शन किया गया।

अपनाई गई प्रशिक्षण विधियों में सहभागी दृष्टिकोण, क्लासरूम व्याख्यान, अध्ययन / क्षेत्र दौरे, कार्यशालाएँ, वीडियो प्रस्तुतियाँ, वाद-विवाद / चर्चाएँ, भूमिकाएँ और सीएसई ब्लॉक, अथांगुडी टाइल्स और विभिन्न टिकाऊ आवास प्रौद्योगिकियों के निर्माण पर व्यावहारिक प्रायोगिक अनुभव शामिल हैं।

4.1.2 कार्यशालाएं और सेमिनार

क. 'मत्स्य पालन क्षेत्र के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमशीलता और सतत आजीविका के संवर्धन में एस एवं टी संस्थानों की भूमिका' पर कार्यशाला

मत्स्य पालन क्षेत्र के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमशीलता और सतत आजीविका को बढ़ावा देने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों की भूमिका पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी), हैदराबाद के सहयोग से किया गया। कार्यशाला में मत्स्य पालन क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों के प्रतिनिधियों, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप के मत्स्य विभाग के प्रतिनिधियों और वित्तीय संस्थानों अर्थात् नाबार्ड और मत्स्य क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भाग लिया।

भारत सरकार की 'नीली क्रांति योजना' के तहत दिशानिर्देशों के मद्देनजर विभिन्न हितधारकों को संपूर्ण परिस्थिति की समग्र समझ रखने और मत्स्य क्षेत्र के विकास में योगदान देने के लिए कार्यशाला ने सार्वजनिक मंच प्रदान किया।

एनआईआरडीपीआर के महानिदेशक के साथ
एनएफडीबी के अधिकारी का ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क का दौरा

ख. मध्य प्रदेश के पीएमएवाई-ग्रामीण अधिकारियों के लिए स्थायी आवास प्रौद्योगिकी पर कार्यशाला

कार्यशाला का आयोजन मध्य प्रदेश और पीएमएवाई-ग्रामीण में स्थायी आवास प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए किया गया । इस विषय पर अधिकारियों, इंजीनियरों और राजमिस्त्री की टीम को आरटीपी में प्रशिक्षित किया गया, जिन्हें पीएमएवाई- ग्रामीण कार्यक्रम के तहत हरित पहल शुरु करने हेतु इन तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

4.1.3 कौशल विकास: प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष 2019-20 के दौरान, नि:शुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा, स्व-सहायता समूहों, देश भर के अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार / अवनियोजित युवाओं सहित लगभग 12,156 प्रतिभागियों को कई स्व-वित्त पोषित प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम में कवर किया गया । पुदुचेरी, चंडीगढ़ और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, नई दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्यों के लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया।

विश्व बैंक एनएएचईपी परियोजना और कई अन्य गैर सरकारी संगठनों के तहत राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, किसान उत्पादक संगठन, ग्रामीण विकास ट्रस्ट, अनंतपुर, श्री भूमा ट्रस्ट, आंध्र प्रदेश, कृषि तकनीकी प्रबंधन एजेंसियां, स्वराज्य अभ्युदय सेवा समिति, विकासा (एनजीओ), केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद, बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी-जीविका, आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, गुंटूर, आंध्र प्रदेश नामक विभिन्न संगठनों द्वारा शिनाख्त लाभार्थियों के लिए स्थायी आजीविका पर जागरुकता सृजित करने के इरादे से, कई विशेष प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

तालिका 5 क: 4: 2019-20 के दौरान प्रशिक्षण क्रियाकलाप

क्र.सं.	विवरण	संख्या	कुल लाभार्थी
1	आरटीपी प्रशिक्षण (नि:शुल्क)	14	365
2	आरटीपी प्रशिक्षण (भुगतान)	11	535
3	प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण (प्रायोजित)	19	528
4	प्रदर्शन दौरा और अध्ययन दौरा	193	10,526
5	कार्यशालाएं	6	202
कुल		**243**	**12,156**

4.2. गणमान्य व्यक्तियों का दौरा

तेलंगाना राज्य के माननीय राज्यपाल डॉ. तमिलिसाई सौंदराराजन ने 19 अगस्त, 2019 को ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क में तमिलनाडु और तेलंगाना के स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए ग्रामीण उत्पादों की प्रदर्शनी-सह-बिक्री का अवलोकन किया। सतत आजीविका प्रौद्योगिकियों और सौर ऊर्जा समाधान के संवर्धन में आरटीपी / एनआरएलएम के प्रयासों की सराहना करते हुए, उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए पंचायत स्तर पर इन प्रयासों को बढ़ाने की जरुरत है।

एनआईआरडीपीआर के दौरे के समय तमिलनाडु की एसएचजी महिलाओं के साथ बातचीत करते हुए तेलंगाना के माननीय राज्यपाल डॉ. तमिलिसाई सौंदराराजन

4.3 विशेष पहल

क. मध्य प्रदेश के महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एमजीएसआईआरडी के इंजीनियरों और राजमिस्त्री के लिए स्थायी आवास प्रौद्योगिकी पर कार्यक्रम

संस्थान ने एमजीएसआईआरडी, जबलपुर के सहयोग से स्थायी आवास प्रौद्योगिकियों पर जागरूकता सृजित करने और संस्थान के ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क में प्रदर्शित विभिन्न तकनीकों में से उनके संबंधित राज्य के लिए उचित स्थायी प्रौद्योगिकियों को निर्धारित करने के लिए मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के राज्य स्रोत व्यक्ति (एसआरपी), इंजीनियर, राजमिस्त्री/प्रदर्शकों सहित 60 प्रतिभागियों की एक बैच के लिए स्थायी आवास प्रौद्योगिकियों पर एक प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। चूहा-जाल बॉन्ड प्रौद्योगिकी निर्माण, भराव स्लैब, मिट्टी और फ्लाई ऐश के साथ सीमेंट के मजबूत ब्लाक बनाना, मेहराब बनाना, भूमि समतल तकनीक, कीचड़ प्लास्टर पर प्रतिभागियों के लिए प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के दौरान, इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने अध्ययन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में एक कमरे का निर्माण किया।

ख. 'कृषि आधारित उद्यमशीलता'पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

आचार्य एन. जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश के सहयोग से संस्थान ने 'कृषि-आधारित उद्यशीलता' पर एक महीने के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों के स्नातक छात्रों और युवा किसानों को मिलाकर चौंतीस प्रतिभागियों ने सहभाग किया।

ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं, महिलाओं और हाशिए के समुदायों में कृषि आधारित उद्यमियों का सृजन, प्रबंधन तथा शिक्षा प्रदान करने और कृषि में उत्पादकता बढ़ाने और स्थानीय रोजगार का विस्तार करने के लिए मार्ग प्रशस्त करने हेतु एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए कार्यक्रम की योजना बनायी गयी। केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, इक्रीसैट, एनआईईएलएएन – भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान के प्रौद्योगिकी व्यापार इन्यूबेटर, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, कुक्कुट अनुसंधान निदेशालय, कृषि संस्थान और जल एवं भूमि प्रबंधन प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान नामक विभिन्न विकास से संबंधित संगठनों की गतिविधियों से प्रशिक्षुओं को अवगत कराया गया।

प्रतिभागियों को कृमि-खाद, नीम के तेल का निष्कर्षण और टिकिया बनाना, मशरूम की खेती, जैव-कीटनाशक, जैव-उर्वरक, सुगंधित तेल निष्कर्षण, खाद्य प्रसंस्करण के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक और कृषि के लिए इलेक्ट्रो स्पार्क उपकरण और साधन संबंधी व्यावहारिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया गया।

4.4 अध्ययन दौरा और औद्योगिक दौरे

संस्थान के ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क द्वारा प्रदर्शित विभिन्न तकनीकों और की जा रही गतिविधियों को समझने के लिए वर्ष के दौरान, बड़ी संख्या में आगंतुक, जिनमें आम जनता, स्कूल / कॉलेज के छात्र, अधिकारी / गणमान्य व्यक्ति, विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों ने संस्थान का दौरा किया।

तालिका 5 ख: वर्ष 2019-20 के दौरान आरटीपी का दौरा करने वाले प्रतिभागियों का विवरण

क्र.सं.	श्रेणी	संख्या
1	अंतर्राष्ट्रीय अधिकारी / प्रतिनिधि	250
2	अध्ययन दौरा (स्कूल के छात्र)	4,411
3	औद्योगिक दौरा (कॉलेज के स्नातक - एमबीए, कृषि स्नातक	2,758
4	संस्थान / सरकारी / गैर-सरकारी संगठन	1,644
5	एनआईआरडीपीआर के प्रतिभागी	1,113
6	विभिन्न राज्यों के अधिकारी	350

4.5 परामर्श और तकनीकी सहायता सेवाएं

क) संस्थान ने बायोगैस प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश के कानपुर में नंदिनी गौशाला में 15 क्यूबिक मीटर नियत गुंबद बायोगैस संयंत्र की स्थापना की सुविधा प्रदान की। संस्थान ने तमिलनाडु राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् और उनके संस्थानों अर्थात् तमिलनाडु के अनबगम स्कूल, छात्रावास और विवेकानंद कॉलेज के लिए खाद के बाग़ सहित कचरे से ऊर्जा बनाने के लिए जैविक कचरा प्रबंधन बायोगैस संयंत्र और प्रौद्योगिकी की स्थापना की सुविधा भी प्रदान की।

कानपुर, उत्तर प्रदेश में बायोगैस प्लांट स्थापित

ख) प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और प्रसार के भाग के रूप में, पश्चिम बंगाल व्यापक क्षेत्र विकास निगम, पश्चिम बंगाल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और पश्चिम बंगाल सहकारी समितियां, मछली पालन आयुक्त, तेलंगाना को इको-हैचरी, सौर निर्जलीकरण, मोबाइल कोल्ड रूम, आइस ब्लॉक बनाने की मशीनों की प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण की सुविधा संस्थान ने अपनी प्रौद्योगिकी साझेदारी के माध्यम से प्रदान की ताकि उक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से विशेष रूप से एसएचजी महिलाओं और मछुआरों की आजीविका के अवसर सृजित कर सकें।

ग) मत्स्य इकाई को प्रभावी ढंग से बनाए रखने के उद्देश्य से बिजली की निरंतर आपूर्ति के लिए एक प्रदर्शन संयंत्र के रूप में संस्थान ने राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, हैदराबाद में 15 किलो वैट सौर इकाई की स्थापना की सुविधा प्रदान की चूंकि इकाई को मछलियों के स्वस्थ विकास के लिए बिजली की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है।

4.6 वार्षिक कार्यक्रम

क. ग्रामीण नवप्रवर्तक स्टार्ट-अप सभा (आरआईएससी) – 2019

2017 से संस्थान वार्षिक रूप से ग्रामीण नवप्रवर्तक स्टार्ट-अप सभा का आयोजन कर रहा है और अपने नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए नवप्रवर्तकों और स्टार्ट-अप के लिए एक मंच बनाया और निधिकरण तथा नेटवर्क समर्थन के साथ साझेदारी करने का अवसर प्रदान किया है। ग्रामीण नवप्रवर्तन डिजाइन चुनौती (आरआईडीई) घटक छात्रों को ग्रामीण जीवन में सुधार के लिए नवीन विचारों को जुटाने का अवसर प्रदान करते हैं।

आंध्र बैंक, इंडियन बैंक और नाबार्ड द्वारा प्रायोजित आरआईएससी - 2019 का उद्घाटन डॉ. जी. रणजीत रेड्डी और श्री अरविंद धर्मपुरी, माननीय सांसद, लोकसभा की उपस्थिति में श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण और पंचायती राज मंत्री ने किया। उनके नवाचारों, प्रौद्योगिकियों और उत्पादों की प्रतिकृतियों को प्रदर्शित करते हुए कुल मिलाकर, 90 नवप्रवर्तकों और 48 स्टार्ट-अप ने कार्यक्रम में भाग लिया। इसके अलावा, 58 कॉलेज के छात्रों और 68 स्कूली छात्रों ने उनके अभिनव डिजाइन और प्रतिकृति के साथ आरआईडी चुनौती में भाग लिया।

उद्घाटन के दौरान और माननीय केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति में, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया और निम्नलिखित के बीच आदान-प्रदान किया गया:

1. खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के लिए एनआईआरडीपीआर और सीएफटीआरआई
2. प्राकृतिक डाई और बुनाई प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए एनआईआरडीपीआर और मैरी गोल्ड
3. बायोमास, बायोगैस और खाद उद्यान प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के लिए एनआईआरडीपीआर और बायो-टेक रिन्यूएबल एनर्जी, केरल। प्रदर्शकों और आगंतुकों के लाभ के लिए विभिन्न विषयों पर पैनल चर्चाओं की एक श्रृंखला निर्धारित की गई थी।

समापन कार्यक्रम के लिए साध्वी निरंजन ज्योति, माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। उन्होंने 12 प्रदर्शकों को जिनके नवाचारों, प्रौद्योगिकियों और विचारों को विशेषज्ञों की जूरी ने उत्कृष्ट रूप में मूल्यांकित किया उनको विशेष मान्यता प्रमाणपत्र प्रदान करने के अलावा 14 नवप्रवर्तकों, 11 स्टार्ट-अप और 41 (21 स्कूल के छात्रों, 20 कॉलेज के छात्रों) को योग्यता प्रमाण पत्र और पुरस्कार वितरित किए।

एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद के आरआईएससी – 2019 के दौरान श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, माननीय ग्रामीण विकास, कृषि कल्याण और पंचायती राज मंत्री

एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद के आरआईएससी – 2019 के दौरान साध्वी निरंजन ज्योति, माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

ख. ग्रामीण प्रौद्योगिकी और शिल्प मेला – 2019

ग्रामीण प्रौद्योगिकी और शिल्प मेला के '17 वें संस्करण' के अवसर पर - पांच दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन तेलंगाना के माननीय राज्यपाल, डॉ. तमिलिसाई सौंदराराजन ने किया। मेला का आयोजन संस्थान द्वारा ग्रामीण उद्यमियों, नवोन्मेषकों और कारीगरों को उनके उत्पादों के विपणन में मदद करने के लिए किया जाता है ताकि उनके प्रसार को बढ़ाया जा सके।

आरटीपी मेला -2019 का विषय 'महिला उद्यमिता' था और इसमें केवल महिला स्वयं सहायता समूहों एवं महिला उद्यमियों को भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हुए एक विशेष महिला-उन्मुख समारोह बनाया गया । कार्यक्रम में सहभाग लेने के लिए स्वयं सहायता समूहों के अभिनिर्धारण में देश भर के एसआरएलएम ने एनआईआरडीपीआर को समर्थन दिया। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और भारतीय पैकेजिंग संस्थान, हैदराबाद के सहयोग से, भाग लेने वाले एसएचजी को ई-मार्केटिंग, ब्रांडिंग और पैकेजिंग के बारे में शिक्षित करने का प्रयास किया गया।

जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और 23 राज्यों-आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की एसएचजी महिलाओं समेत चार सौ पचास प्रतिभागियों ने मेले में सहभाग लिया। 2019 के मेले की मुख्य विशेषता पूर्वोत्तर राज्यों से भागीदारी अधिक था।

इस आयोजन के एक भाग के रूप में, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद के सहयोग से 'मछली महोत्सव' का आयोजन किया गया था। कई मत्स्य-संबंधित प्रौद्योगिकियां प्रदर्शित की गईं और आगंतुकों को एनएफडीबी की नीली क्रांति योजनाओं और एनआईआरडीपीआर के माध्यम से प्रशिक्षण के अवसर से भी अवगत कराया गया। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एनएफडीबी, हैदराबाद और मत्स्यपालन विभाग, तेलंगाना सरकार के सहयोग से, एक स्वस्थ और पौष्टिक भोजन के रूप में मछली के सेवन को बढ़ावा देने के लिए एक सचेत प्रयास किया गया।

पीओएस मशीन के माध्यम से एसएचजी में डिजिटल लेन-देन में भारतीय स्टेट बैंक और स्त्री निधि (एसएचजी बैंक), तेलंगाना के समर्थन के माध्यम से व्यापारिक पत्राचार को बढ़ावा दिया गया।

एनआईआरडीपीआर के ग्रामीण प्रौद्योगिकी और शिल्प मेले के दौरान डॉ. तमिलिसाई सौंदराराजन, तेलंगाना के माननीय राज्यपाल

4.7 वर्ष 2019-20 में अन्य उपलब्धियां

क. मोरिना, मध्य प्रदेश में ग्रामीण प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना

संस्थान की एक टीम ने मोरिना का दौरा किया और मोरिना में एक ग्रामीण प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा की। टीम ने भूमि और प्रौद्योगिकियों का अभिनिर्धारण किया जो उक्त केंद्रों में क्षमता निर्माण / प्रशिक्षण और उक्त प्रौद्योगिकियों के प्रसार के लिए स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा, विचार हेतु एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एमओआरडी को प्रस्तुत की गई। इस केंद्र को भारत सरकार से अवसंरचना के लिए और मध्यप्रदेश सरकार से आवर्ती व्यय के लिए के निधिकरण सहायता के साथ शुरू करने का प्रस्ताव है।

ख. सीएसईबी प्रौद्योगिकी का संवर्धन

स्थायी आवास प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने के इरादे से, दो नए मेहराबों, यानी एक मुख्य प्रवेश द्वार पर और दूसरा आरटीपी के प्रवेश द्वार पर कंप्रेस्ड स्टेबलाइज्ड अर्थन ब्लॉक्स (सीएसईबी) का उपयोग करके बनाया गया था। संस्थान के परिसर में भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम स्कूल का विस्तार कार्य भी स्थायी आवास प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके किया जा रहा है।

ग. 107 वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, बेंगलुरु

संस्थान ने 107 वें भारतीय विज्ञान सम्मेलन के भाग के रूप में आयोजित 'प्राइड ऑफ इंडिया' प्रदर्शन में भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। एनआईआरडीपीआर के स्टॉल ने स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए उपलब्ध कई विकल्पों पर जागरुकता सृजित करने के लिए विभिन्न तकनीकों पर जानकारी को प्रसारित किया। सीएसबीई ब्लॉक, अट्टंगुडी टाइल्स आदि जैसी वहनीय सामग्री भी प्रदर्शित की गई। इसके अलावा, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एनआईआरडीपीआर द्वारा प्रकाशित पुस्तकों और ग्रामीण विकास के लिए जीआईएस अनुप्रयोग पर साहित्य और डीडीयू-जीकेवाई रोजगार-उन्मुख कार्यक्रमों पर पुस्तिका भी प्रदर्शित की गई।

4.8 नई प्रौद्योगिकी इकाइयाँ

क. जैव ऊर्जा अनुसंधान केंद्र

वैकल्पिक ऊर्जा समाधानों की बढ़ती मांग के आलोक में, बायो-टेक एनर्जी लिमिटेड, केरल के साथ साझेदारी में संस्थान में एक जैव-ऊर्जा / बायोमास समाधान इकाई स्थापित की गई थी जिसका शुभारंभ श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने किया।

ख. डेयरी विकास इकाई

साध्वी निरंजन ज्योति, माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार ने गौशाला और अन्य बुनियादी सुविधाओं की स्थापना के लिए शिलान्यास किया। डेयरी-संबंधित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और मूल्य वर्धित उत्पादों के अवसरों का पता लगाने के लिए यह परियोजना एनआईआरडीपीआर और फॉर्च्यून डेयरी, हैदराबाद द्वारा एक संयुक्त उद्यम है।

अध्याय

5

नवोन्मेषी कौशल और आजीविका

भारत में काम करने वाले आयु समूह में 1.3 बिलियन की आबादी में 62 प्रतिशत से अधिक की जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त है और 25 वर्ष से कम आयु समूह में इसकी जनसंख्या 54 प्रतिशत से अधिक है। वर्तमान में, 55 मिलियन मजबूत ग्रामीण आबादी सामाजिक-आर्थिक बाधाओं और एक अनुभवात्मक पारंपरिक कृषि कौशल के चलते काम के अवसरों का उपयोग नहीं कर रही है, जिन्हें अधिक कृषि उत्पादकता के लिए उन्नत करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, एनआईआरडीपीआर ग्रामीण भारत के लिए स्थायी आजीविका विकल्प तैयार करने के लिए सक्रिय रूप से नवीन कौशल अवसरों की खोज कर रही है। नवीन कौशल और आजीविका एक उभरती प्रक्रिया है और बाजार की स्थितियों, सूचना प्रौद्योगिकी और स्थानांतरण में परिवर्तन के कारण सक्रिय है। ग्रामीण गरीबी को खत्म करने के लिए आजीविका के दृष्टिकोण को पहली बार अपनाया गया और स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अनुभव के आधार पर, ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक शीर्ष कार्यक्रम, 1999 से एक दशक से भी अधिक समय से लागू किया गया था, जिसका पुनर्गठन किया गया है और 2010-11 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। एसजीएसवाई का लक्ष्य ग्रामीण गरीबी रेखा से नीचे की आय (बीपीएल) परिवारों को आय पैदा करने वाली संपत्ति / आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से स्थायी आय प्रदान करना था ताकि उन्हें गरीबी से ऊपर उठाया जा सके।.

5.1 स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना विशेष परियोजनाएं (एसजीएसवाई (एसपी))

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना विशेष परियोजनाएं ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) की कौशल और पदस्थापन पहल है। यह ग्रामीण गरीबों की आय में विविधता लाने और अपने युवाओं की व्यावसायिक आकांक्षाओं को पूरा करने की आवश्यकता से विकसित हुआ। पदस्थापन-संयोजित कौशल विकास विशेष परियोजनाओं का उद्देश्य बीपीएल परिवारों से ग्रामीण युवाओं को कौशल दिलाना और संगठित क्षेत्र में मजदूरी रोजगार दिलाया जा सके ।

2007 से, मंत्रालय ने 87 एसजीएसवाई विशेष परियोजनाओं को समन्वय और निगरानी एजेंसी के रूप में एनआईआरडीपीआर को सौंपा है। 87 परियोजनाओं में से 17 परियोजनाएं औपचारिक रूप से बंद हो गई हैं। मंत्रालय और एनआईआरडीपीआर शेष 70 परियोजनाओं को व्यवस्थित रूप से बंद करने के लिए प्रयास कर रहे है।

एसजीएसवाई विशेष परियोजनाओं के कार्यान्वयन से एक महत्वपूर्ण सीख अन्य बातों के साथ-साथ यह अपर्याप्त था या स्पष्ट परिचालन प्रोटोकॉल की कमी थी जिसे उपयोगी रूप में बदला जा सका । इससे परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को काफी असुविधा हुई, जिनकी परियोजना के लिए नकदी-प्रवाह अक्सर बाधित नहीं थी। इस तरह के विशिष्ट अंतराल को भरने के लिए, एक नया कार्यक्रम, अर्थात दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) को एक बेहत्तर परिभाषित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के साथ शुरु किया गया ।

5.2 दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई)

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) देश के उपेक्षित ग्रामीण युवाओं के लिए पदस्थापन-संयोजित एक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है। कार्यक्रम को ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), भारत सरकार द्वारा परियोजना मोड में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, जो राज्य सरकारों के साथ साझेदारी कर रहा है। डीडीयू-जीकेवाई देश या विदेशों में एक अच्छी नौकरी के लिए ग्रामीण युवाओं को सुसज्जित करने के लिए विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने में विश्वास रखता है।

एनआईआरडीपीआर में स्थित डीडीयू-जीकेवाई सेल इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन से जुड़ी मुख्य गतिविधियों को एमओआरडी की केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी (सीटीएसए) के रूप में संचालित करने के लिए उत्तरदायी है। सीटीएसए के रूप में, एनआईआरडीपीआर देश के 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम कार्यान्वयन की देखरेख करता है, जो रोशनी (वामपंथी अतिवादी जिलों में), हिमायत (जम्मू-कश्मीर) बैनरों और बाकी देश में डीडीयू जीकेवाई के रूप में मंत्रालय की आंख और कान के रूप में क्रियान्वित है।

5.2.1 निगरानी और मूल्यांकन

कार्यक्रम और नीति की प्राथमिकताओं को प्राप्त करने के लिए डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम में निगरानी और मूल्यांकन महत्वपूर्ण है, खासकर परिणामों की उपलब्धि पर केंद्रित वातावरण में। एक प्रभावी निगरानी रेजिमेंट के माध्यम से निरंतर निगरानी, यह सत्यापित कर सकती है कि क्या योजना के अनुसार और कुशल तरीके से गतिविधियाँ की गई हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान संस्थान द्वारा की गई गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:

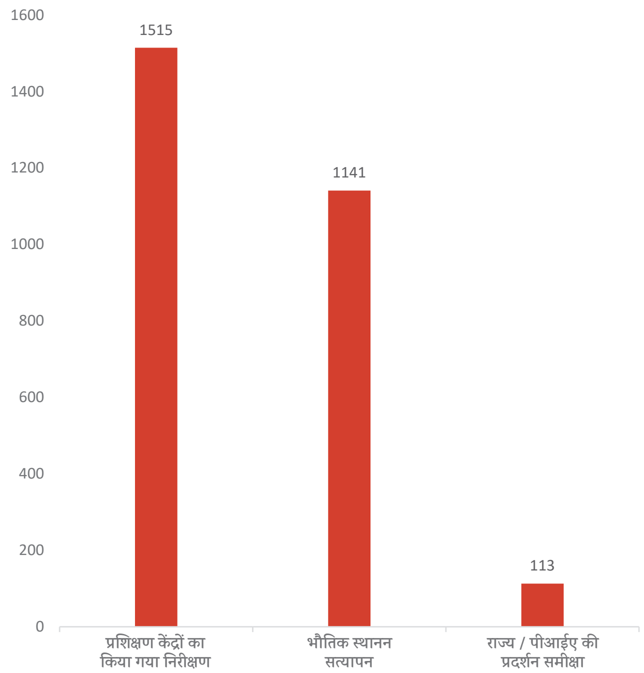

ग्राफ 14: डीडीयू-जीकेवाई सेल, एनआईआरडीपीआर के तहत निगरानी टीम द्वारा क्रियाकलाप

तालिका 6: अप्रैल 2019 - मार्च 2020 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण केंद्रों का निरीक्षण

क्र. सं.	राज्य/यूटी	परियोजनाओं की संख्या प्रगति में	सक्रिय टीसी की संख्या	निरीक्षणों की संख्या			सलाह की संख्या		
				देय	किया हुआ	%	उठाए गए	किए गए	%
1.	आन्ध्र प्रदेश	76	145	259	237	92%	2,191	163	7%
2.	असम	78	86	118	118	100%	925	499	54%
3.	बिहार	71	93	140	140	100%	1,688	785	47%
4.	गुजरात	37	34	54	48	89%	799	558	70%
5.	हरियाणा	17	19	22	21	95%	349	152	44%
6.	झारखंड	72	91	155	155	100%	1,920	932	49%
7.	जम्मू-कश्मीर	35	57	76	78	103%	972	592	61%
8.	कर्नाटक	41	64	74	75	101%	724	372	51%
9.	केरल	150	140	247	214	87%	2,074	1,729	83%
10.	मेघालय	15	12	24	24	100%	203	96	47%
11.	पंजाब	54	29	30	30	100%	1,141	240	21%
12.	राजस्थान	102	98	95	95	100%	845	237	28%
13.	सिक्किम	5	4	3	5	167%	62	0	0%
14.	तमिलनाडु	59	62	96	88	92%	686	275	40%
15.	तेलंगाना	74	77	104	104	100%	1,484	170	11%
16.	पश्चिम बंगाल	30	78	83	83	100%	829	532	64%
	कुल	916	1,089	1,580	1,515	96%	16,892	7,332	43%

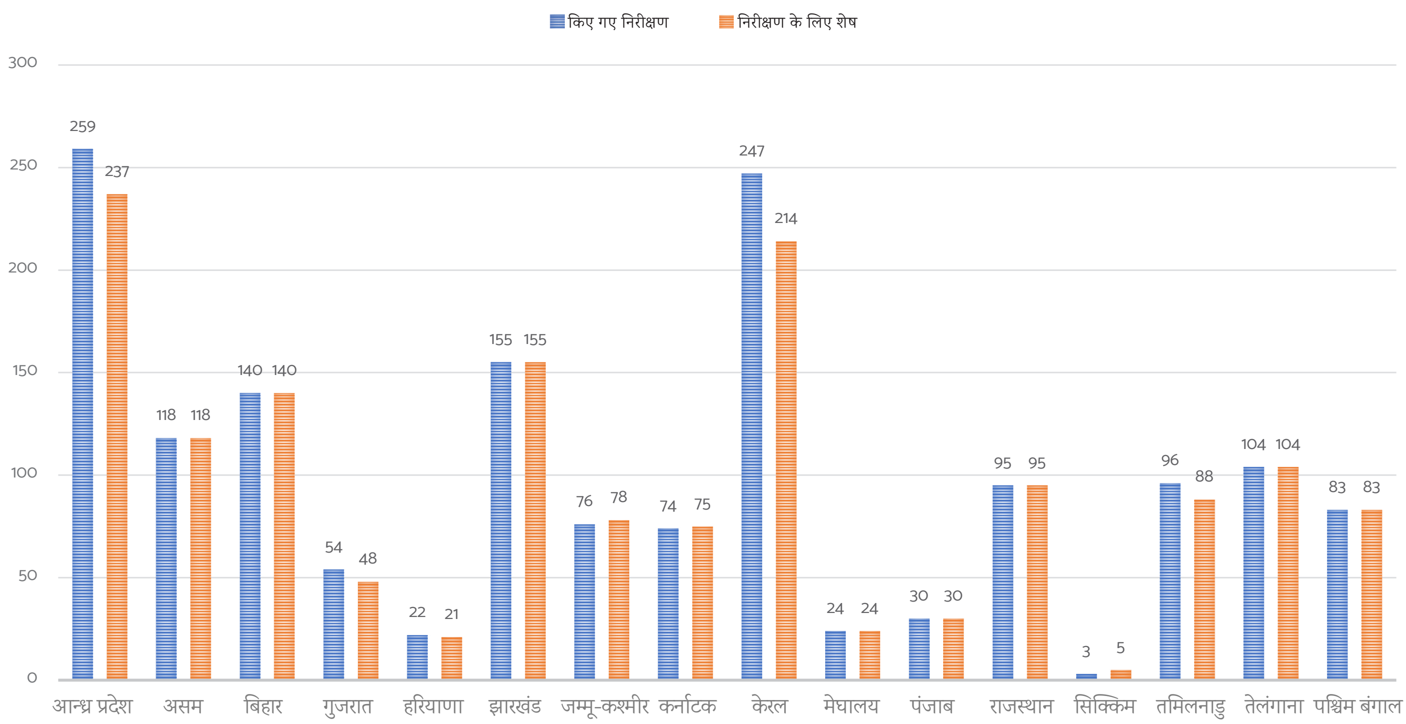

ग्राफ 15: अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक निरीक्षण स्थिति

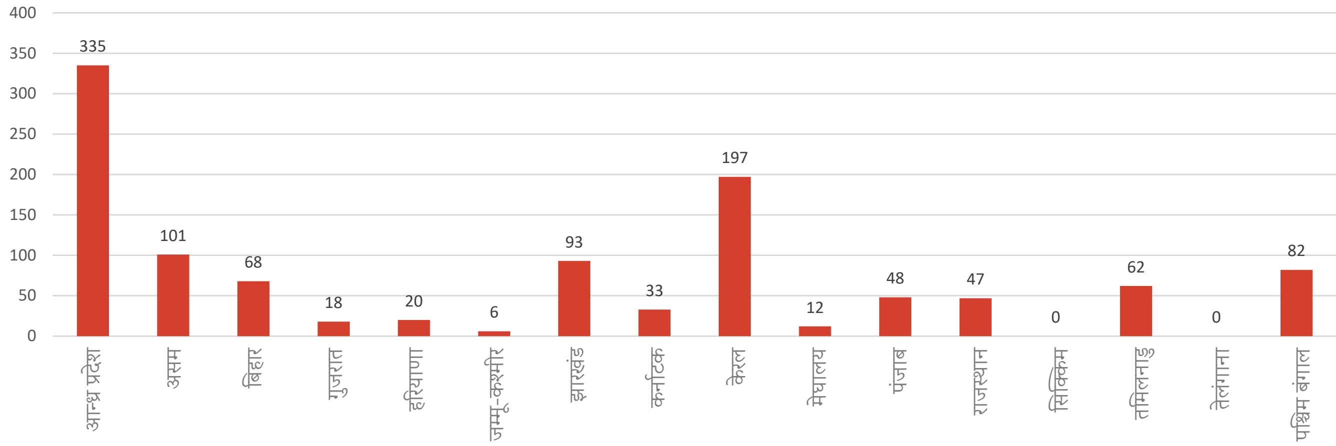

ग्राफ़ 16: अप्रैल 2019 - मार्च 2020 के दौरान एनआईआरडीपीआर द्वारा कवर किए गए राज्यों में सत्यापित पदस्थापन सैंपल

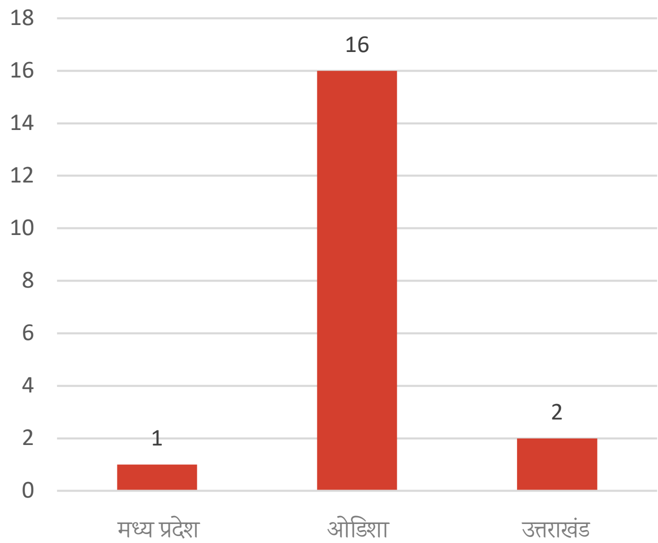

ग्राफ 17: अप्रैल 2019 - मार्च 2020 के दौरान एनएबीसीओएनएस द्वारा कवर किए गए राज्यों में सत्यापित पदस्थापन सैम्पल

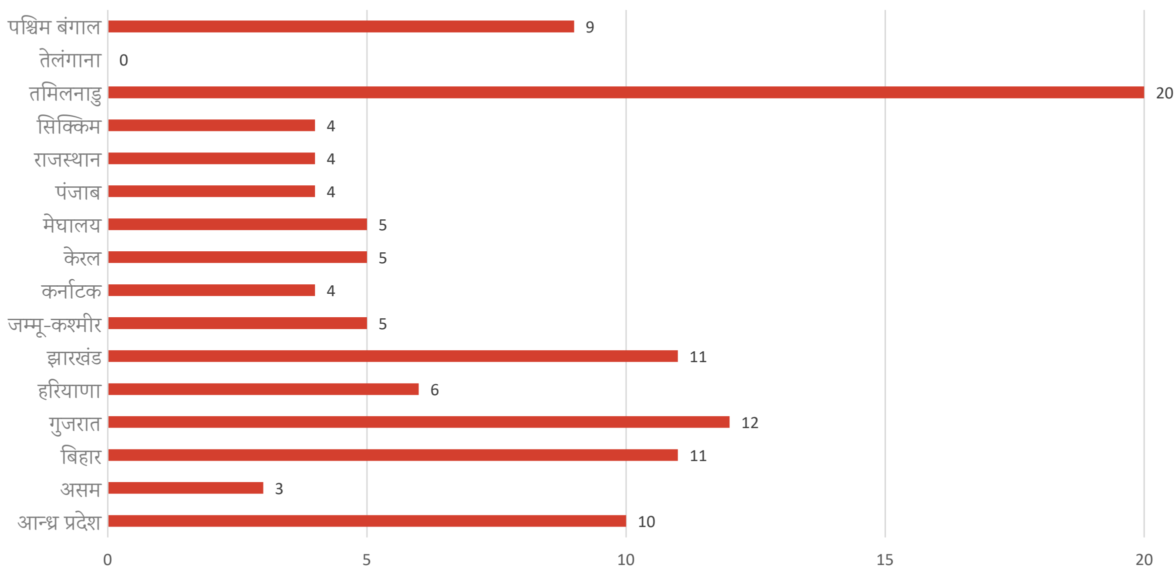

ग्राफ़ 18: अप्रैल 2019 – मार्च 2020 के दौरान सहभाग / आयोजित परियोजना कार्य निष्पादन पुनरीक्षण (एमओआरडी और राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा)

5.2.2 विषयगत विश्लेषण और अध्ययन

एनआईआरडीपीआर ने वर्ष 2019-20 के दौरान निम्नलिखित विश्लेषणात्मक अध्ययन किए, जिसका उद्देश्य डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम द्वारा अनुभव किए गए कुछ मुद्दों के मूल कारणों को निर्धारित करना था। अध्ययन रिपोर्ट को एमओआरडी के साथ भी साझा किया गया।

क. पीआईए को किस्त जारी करने में देरी के कारण

ख. पदस्थापन की चुनौतियाँ

ग. डीडीयू-जीकेवाई के संग्रहण पर एक परिचालन पुस्तिका

घ. उच्च गंभीरता वाले एनसी का विश्लेषण

ड़. निरीक्षण के दौरान पाए जाने वाले एनसी की मात्रा के आधार पर प्रशिक्षण की आवश्यकता विश्लेषण (टीएनए)

5.2.3 राज्यों को मानव संसाधन सहायता प्रदान करना

डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम के कार्यान्वयन में गठबंधन के लिए अपने संसाधनों को प्रदान करते हुए एनआईआरडीपीआर कुछ राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों जैसे आन्ध्र प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक आदि को मानव संसाधन सहायता प्रदान कर रहा है। एनआईआरडीपीआर नियत-परिश्रम, निरीक्षण, किस्त प्रसंस्करण आदि जैसे कार्यों को करने में राज्यों की मदद करता रहा है।

5.2.4 प्रशिक्षण और विकास

वर्ष 2019-2020 के दौरान योजना के सुचारु कार्यान्वयन के लिए डीडीयू-जीकेवाई के हितधारकों के लिए विभिन्न विषयगत कार्यशालाएं, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण गतिविधियां आयोजित की गईं। डीडीयू-जीकेवाई के विभिन्न विषयों पर 2,596 प्रतिभागियों ने भाग लिया, कुल 105 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

नीचे दी गई तालिका में वित्तीय वर्ष 2019-2020 में प्रस्तुत प्रत्येक विषय पर दिए गए प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यक्रमों की संख्या, प्रतिभागियों की संख्या और लक्षित दर्शकों पर जानकारी का एक त्वरित दृश्य प्रदान किया गया है।

तालिका 7: प्रदत्त कार्यक्रमों का विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रम का शीर्षक	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	श्रोतागण
1.	कौशल सलाह - डीडीयू- जीकेवाई पर अभिमुखीकरण कार्यक्रम: पोस्ट पीआरएन	11	260	पीआरएन के साथ संगठनों के सीईओ, वे कर्मचारी जो डीडीयू-जीकेवाई परियोजना के संचालन के लिए जिम्मेदार हैं
2.	कौशल प्रवेश – डीडीयू-जीकेवाई पर प्रवेश कार्यक्रम : परियोजना सहित	7	178	परिचालन प्रमुख, गुणवत्ता प्रमुख, एमआईएस प्रमुख, वित्त प्रमुख, नए पीआईए के राज्य प्रमुख / डीडीयू-जीकेवाई के उपरोक्त कार्यवाहक जो पीआईए में नए शामिल हुए हैं
3.	एसआरएलएम के लिए डीडीयू-जीकेवाई पर प्रवेश और पुनश्चर्या कार्यक्रम	1	24	एसआरएलएम के अधिकारी
4.	कौशल प्रवीण: टीओटी	17	317	पीआईए के प्रशिक्षक
5.	आईटी मंच पर विषयगत कार्यशाला: पीएफएमएस	6	186	एसआरएलएम और पीआईए के वित्त कर्मचारी जो अपने संबंधित राज्यों में पीएफएमएस की देखभाल करते हैं
6.	कौशल प्रगति	1	13	एसआरएलएम और पीआईए
7.	आईटी मंच पर विषयगत कार्यशाला: एसओपी	2	21	एसआरएलएम और पीआईए
8.	गुणवत्ता प्रबंधन पर कार्यशाला	1	6	पीआईए (गुणवत्ता प्रबंधक)
9.	केंद्र प्रबंधन पर विषयगत कार्यशाला	5	102	पीआईए (केंद्र प्रबंधक)
10.	किश्त जारी करने पर विषयक प्रशिक्षण	5	93	एसआरएलएम और पीआईए
11.	कौशल भारत	13	392	एसआरएलएम, पीआईए और सीटीएसए
12.	मूल्यांकन और वित्त पर प्रशिक्षण	7	141	एसआरएलएम, पीआईए और सीटीएसए
13.	कौशल पंजी	7	265	एसआरएलएम और पीआईए
14.	अन्य प्रशिक्षण	22	598	एसआरएलएम, पीआईए और सीटीएसए
	कुल	**105**	**2596**	

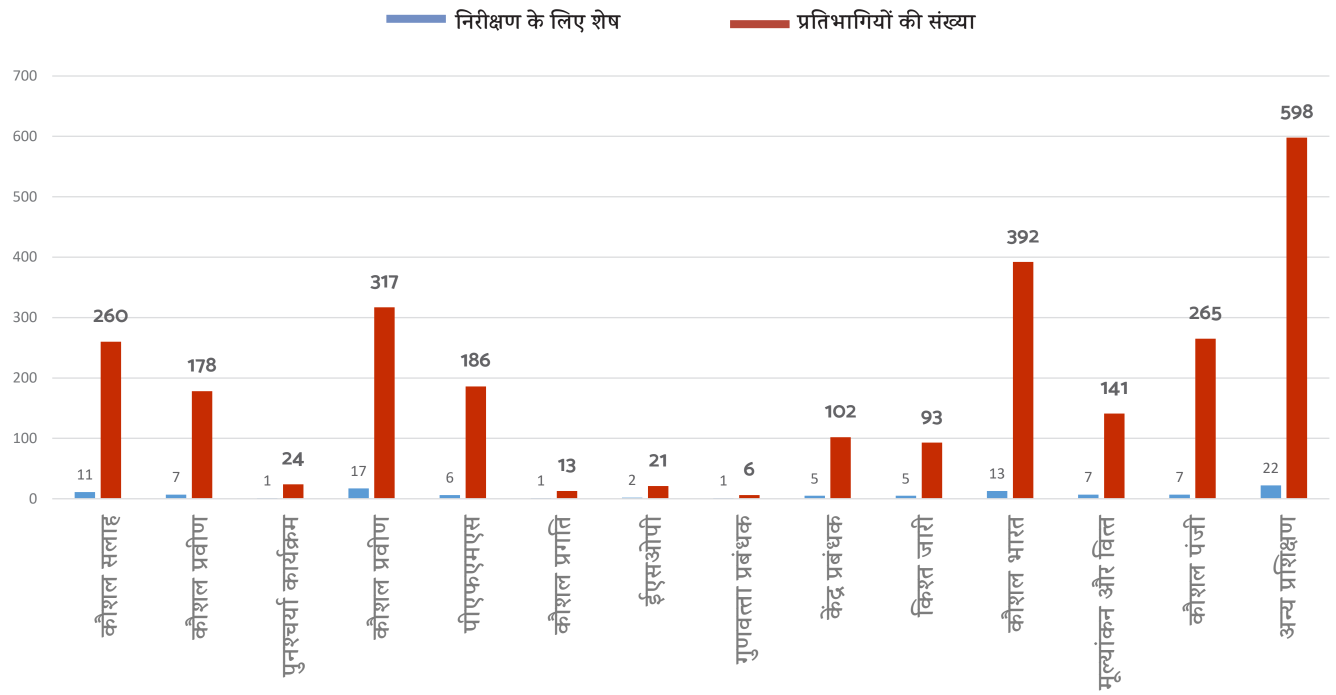

ग्राफ 19: डीडीयू जीकेवाई के तहत कार्यक्रम-वार भागीदारी

नीचे दिया गया ग्राफ़ वर्ष भर में प्रदत्त किए गए उपरोक्त कार्यक्रमों की राज्यवार भागीदारी प्रदान करता है

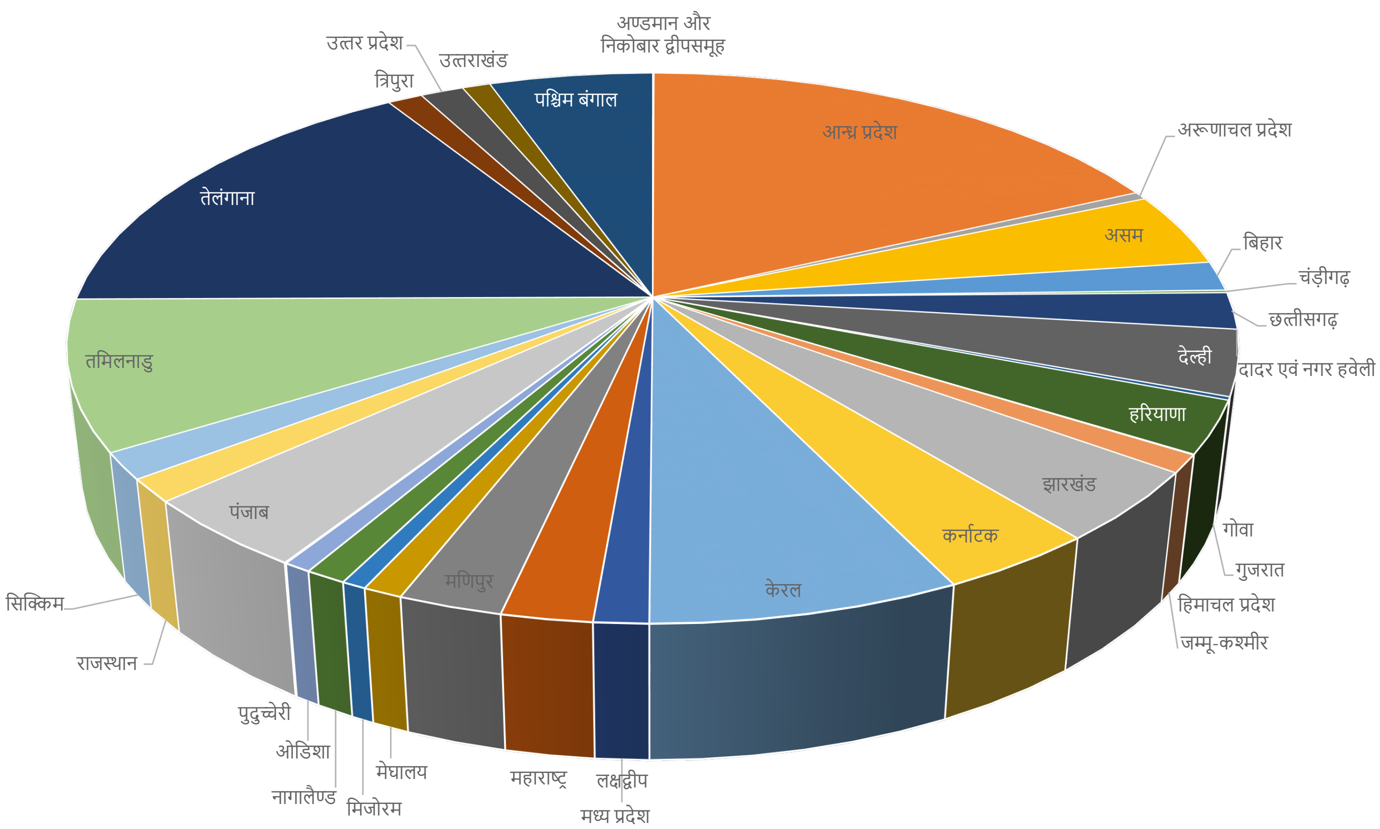

ग्राफ 20: डीडीयू-जीकेवाई प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राज्यवार भागीदारी

एनआईआरडीपीआर द्वारा दिसंबर 2017 में कौशल क्रियाविधि पर प्रारंभ किया गया कौशल प्रवीण, डीडीयू-जीकेवाई के प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण डीडीयू-जीकेवाई उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक साधन है। सीखने की क्षमताओं पर गरीबी के प्रभाव को शामिल करते हुए और कौशल अर्जन के दौरान इससे उभरने में प्रशिक्षुओं को मदद करने के लिए 2019 में इस प्रशिक्षण को पुनः लोड किया गया था। प्रशिक्षक एक पूर्व-परीक्षण और पूर्व-कार्यशाला डेमो शिक्षण (मौजूदा वितरण कौशल का आकलन करने के लिए) से गुजरते हैं और तीन दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान सीखी गई कौशल पद्धति पर दो शिक्षण-बैक प्रस्तुत करना पड़ता हैं ।

तालिका 8: कौशल प्रवीण की विशेषताएं - 2019-20

आयोजित कुल कार्यक्रम (2019-20)	कुल प्रशिक्षित (2019-20 में)	राज्य
17	317	आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, केरल, मणिपुर, सिक्किम

इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रत्येक प्रशिक्षक टेलीग्राम ऐप पर प्रशिक्षकों के एक वास्तविक समुदाय से जुड जाते है, जिसके माध्यम से मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा सलाह ली जाती है और कौशल प्रशिक्षण में सर्वोत्तम प्रथाओं को देश भर के प्रशिक्षकों के बीच साझा किया जाता है।

5.2.5 डीडीयू-जीकेवाई हितधारकों और क्षेत्र कौशल परिषदों के साथ जुड़ाव

एनआईआरडीपीआर द्वारा 'पदस्थापन: चुनौतियां और संभावनाएं' विषय पर डीडीयू-जीकेवाई के लिए एसआरएलएम के सीईओ और सीओओ का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। आयोजन में ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, नाबार्ड परामर्शी सेवा और क्षेत्र कौशल परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। संगोष्ठी में पदस्थापन के लिए एसएससी, एसआरएलएम, एमओआरडी और सीटीएसए के एकीकृत मंच का सुझाव दिया गया और बताया कि पीआईए और एसआरएलएम को समर्पित पदस्थापन सेल होना चाहिए। यह निष्कर्ष निकाला गया कि राज्यों में जहां भी जरूरत हो, विभिन्न सरकारी लाइन विभागों के बीच अभिसरण आवश्यक है। सुझाव दिया गया कि उत्तर-पूर्व में उम्मीदवार पदस्थापन के लिए बम्बू एसोसिएशन का लाभ उठाया जा सकता है। इसके अलावा, यह प्रस्तावित किया गया कि एक व्यापक स्किल अंतराल विश्लेषण फ्रेमवर्क का उपयोग पीआईए और राज्यों द्वारा मांग और प्रशिक्षण की जरूरतों का आकलन करने के लिए केंद्रीय रूप से इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

5.2.6 परामर्श कार्यशाला

व्यावसायिक परामर्श और मार्गदर्शन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम को डिजाइन करने के लिए एनआईआरडीपीआर में डीडीयू-जीकेवाई के तहत 'ग्रामीण युवाओं की प्रति धारणा के लिए व्यावसायिक परामर्श और मार्गदर्शन' पर तीन दिवसीय परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई। एनआईआरडीपीआर ने देश के विभिन्न भागों से उच्च-अनुभवी प्रोफेसरों और चिकित्सकों को आमंत्रित किया। परामर्श मॉड्यूल को तैयार करने के लिए 'काउंसलिंग' पर एक राइटशॉप आयोजित किया गया । एक परामर्श रुपरेखा तैयार की गई और प्रत्येक विशेषज्ञ ने प्रशिक्षण के लिए अध्याय लिखने की पहल की।

सीईओ संगोष्ठी के दौरान श्रोताओं को सम्बोधित करते हुए डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर

श्री चरणजीत सिंह, संयुक्त सचिव, एमओआरडी

5.2.7 प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस)

संस्थान डीडीयू-जीकेवाई परियोजनाओं की सूचना-प्रौद्योगिकी संबंधी जरूरतों को पूरा करता है। संस्थान उन अनुप्रयोगों के विकास और रखरखाव में लगा हुआ है जिनमें 'कौशल भारत', 'मूल्यांकन प्रणाली', 'एसओपी लर्निंग पोर्टल', 'रूरल कनेक्ट', 'मॉनिटर्स एप्लीकेशन', 'ddugky.info पोर्टल' और 'डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम' (डीएमएस) शामिल हैं। डीडीयू-जीकेवाई परियोजनाओं से संबंधित डेटा और रिपोर्ट प्रदान करके विभिन्न हितधारकों का समर्थन किया जाता है। ये रिपोर्ट ज्यादातर राष्ट्रीय / राज्य / परियोजना स्तर से संबंधित जानकारी को दर्शाता हैं।

संस्थान द्वारा विकसित मूल्यांकन प्रणाली एप्लिकेशन का उपयोग भावी पीआईए द्वारा प्रस्तुत आवेदनों के मूल्यांकन और आकलन के लिए परियोजना मूल्यांकन एजेंसियों (पीएए) द्वारा किया जाता है। यह पोर्टल 10 जुलाई, 2018 को लागू हो गया। प्रणाली निम्नलिखित आंकड़ों में परिलक्षित होती है:

कौशल भारत एप्लिकेशन एक एकल देश-व्यापी मंच है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय को डीडीयू-जीकेवाई योजना के एंड-टू-एंड, मोबिलाईजेशन से लेकर पदस्थापन और ट्रैकिंग तक की निगरानी करने में सक्षम बनाता है। डीडीयू-जीकेवाई की केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी (सीटीएसए) के रूप में एनआईआरडीपीआर ने डीडीयू-जीकेवाई के लिए एक व्यापक आईटी प्लेटफॉर्म विकसित करने की पहल की । परिणामस्वरूप, एमओआरडी के मार्गदर्शन में, डीडीयू-जीकेवाई, एनआईआरडीपीआर द्वारा 'कौशल भारत' वेब एप्लिकेशन विकसित किया गया । यह डीडीयू-जीकेवाई के तहत सभी विषयों को कवर करते हुए, प्रत्येक हितधारक की वास्तविक समय की व्यावसायिक प्रक्रिया आवश्यकताओं को पूरा करता है। यहां तक कि यह एमओआरडी, एसआरएलएम और सीटीएसए जैसी निगरानी एजेंसियों को किसी प्रोजेक्ट के किसी भी मोड़ पर कार्यक्रम में ट्रैक करने, मूल्यांकन और अंतराल पाटने के लिए सक्षम बनाता है। यह अपने पूरे जीवन चक्र के माध्यम से सभी परियोजनाओं को कवर करने की मंशा रखता है।

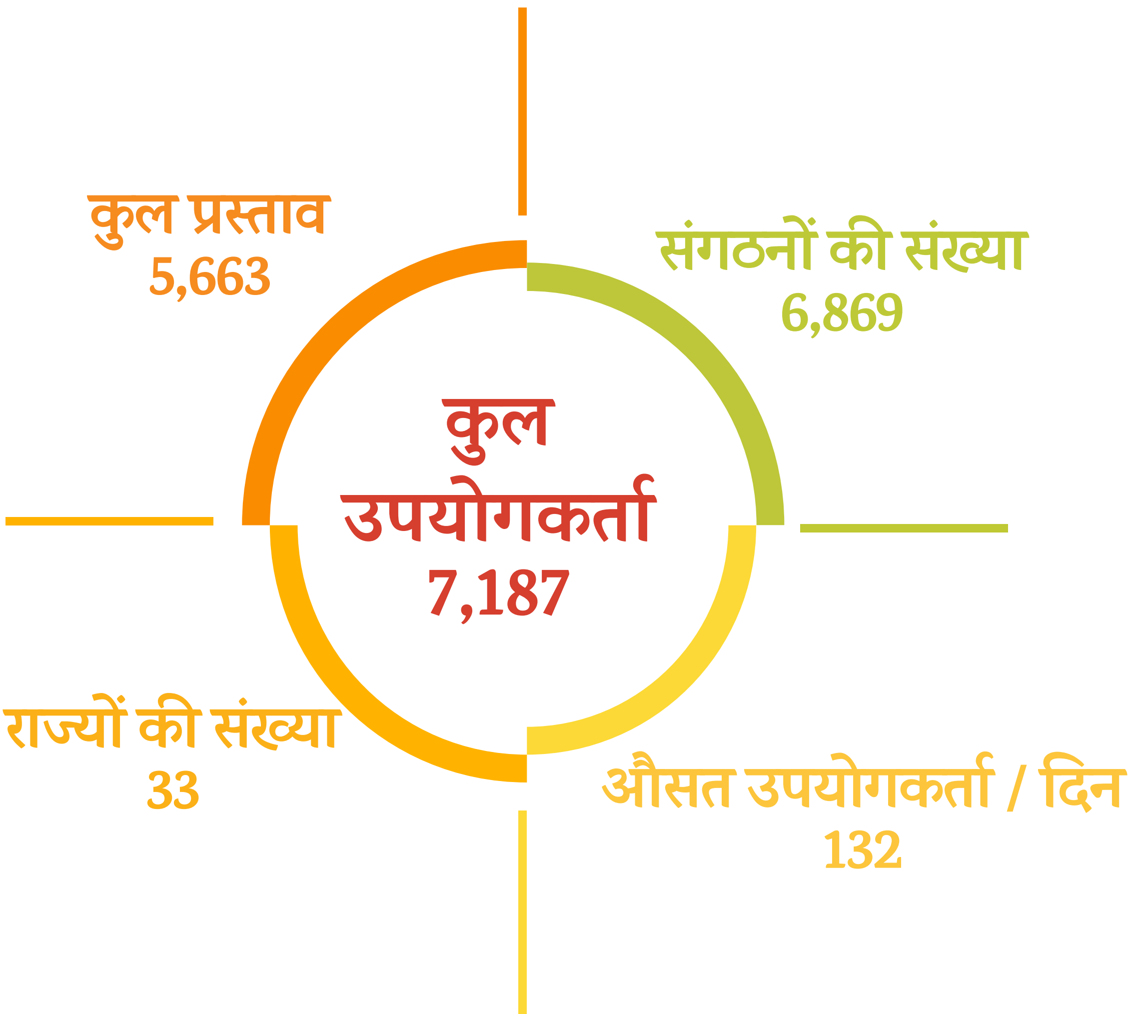

चित्र 1: मूल्यांकन प्रणाली का उपयोग

संस्थान द्वारा विकसित ई-एसओपी लर्निंग पोर्टल का उपयोग डीडीयू-जीकेवाई के निष्पादन में शामिल सभी हितधारकों द्वारा किया जाता है। एसडीओ के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रशिक्षित, मूल्यांकन और प्रमाणित किए जाने के लिए डीडीयू-जीकेवाई के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सीधे तौर पर शामिल सभी हितधारकों के लिए इसे अनिवार्य बनाया गया है। ईएसओपी लर्निंग पोर्टल के उपयोग की स्थिति नीचे दी गई है:

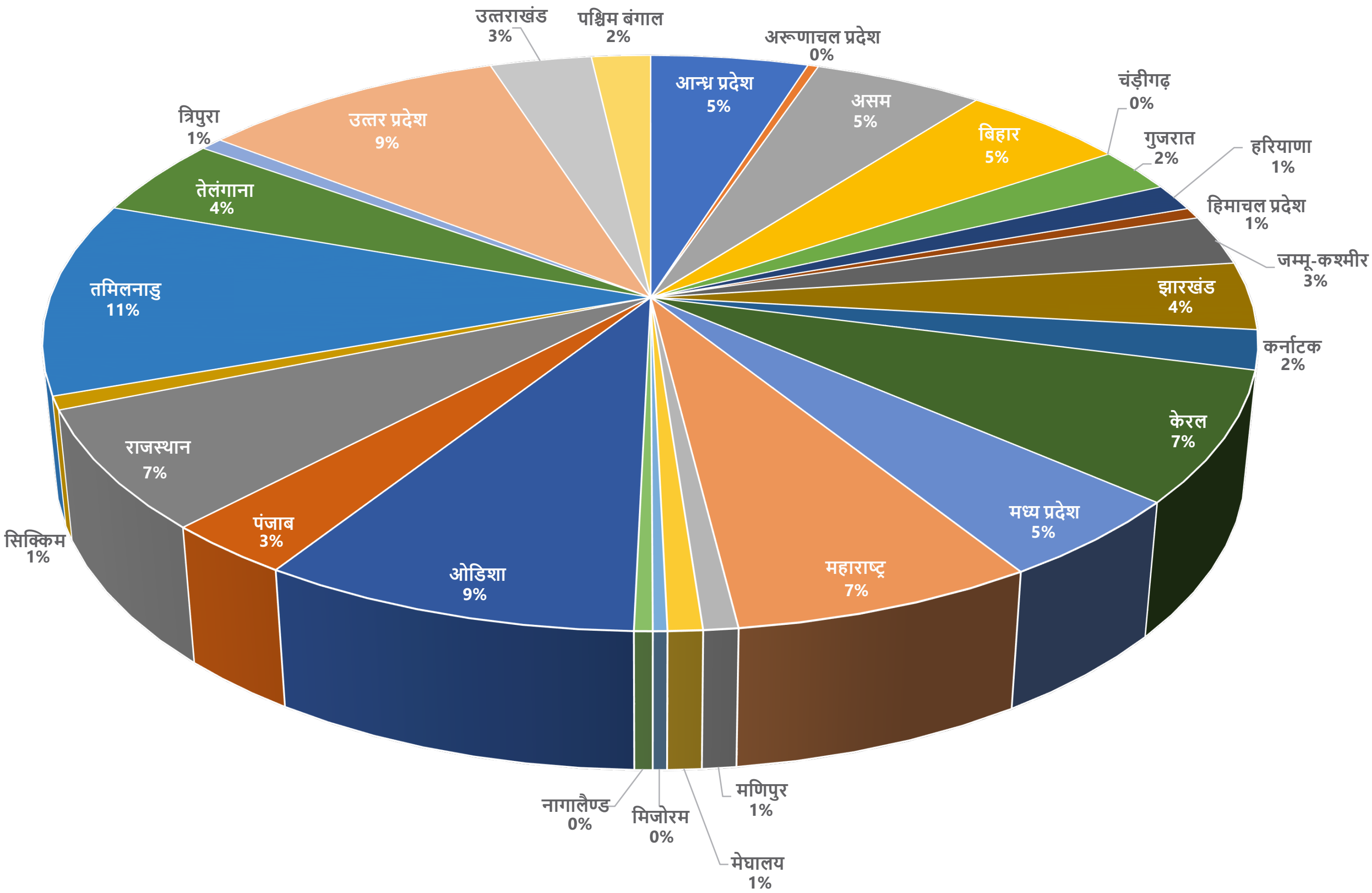

ग्राफ 21 - राज्यों द्वारा परियोजना की ऑनबोर्डिंग की स्थिति

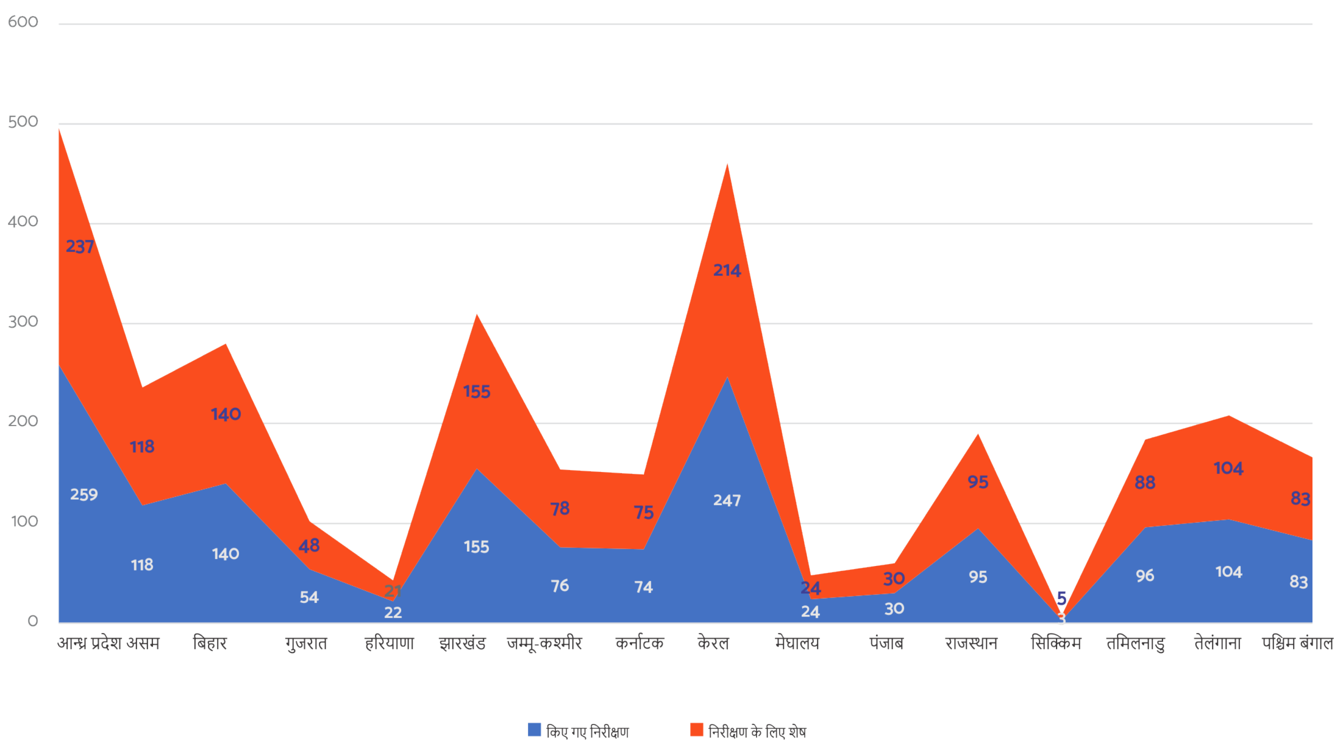

ग्राफ 22: 2019-20 में एनआईआरडीपीआर द्वारा आयोजित डीडीयू-जीकेवाई परियोजनाओं की वित्तीय जांच

5.2.8 डीडीयू-जीकेवाई परियोजनाओं की समवर्ती वित्तीय निगरानी

एसओपी के अनुसार, एनआईआरडीपीआर को राज्यों में परियोजनाओं की त्रैमासिक यादृच्छिक लेखापरीक्षा करनी है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, एनआईआरडीपीआर ने 16 राज्यों में 172 जांच की, जैसा कि नीचे दिए गए ग्राफ में दिखाया गया है:

5.2.9 डीडीयू-जीकेवाई के लिए परियोजनाओं का मूल्यांकन

डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम के लिए मूल्यांकन एजेंसी के रूप में एनआईआरडीपीआर, पूरे देश में बिल्कुल सही पीआईए और सही समवर्ती निगरानी के चयन पर जोर देता है। ग्यारह राज्यों के डीडीयू-जीकेवाई परियोजनाओं (रोशनी, हिमायत और सागरमाला सहित) के लिए आवेदन एमओआरडी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार किए जाते हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान संस्थान द्वारा कुल 1,286 प्रस्तावों की स्क्रीनिंग की गई।

तालिका 9: मूल्यांकन स्थिति

01/04/2019 से 31/03/2020 तक मूल्यांकन की स्थिति											
क्र.सं.	परियोजना राज्य	प्राप्त प्रस्ताव	अतिरिक्त लक्ष्य / आईएस शुल्क अस्वीकृत	प्रारंभिक जांच			गुणात्मक मूल्यांकन				
				अनुशंसित (चैंपियन नियोक्ता)	अनुशंसित (गैर-चैंपियन नियोक्ता)	सिफारिश नहीं की गई	सिफारिश की गई	सिफारिश नहीं की गई	राज्य द्वारा क्यूए को छूट दी गई	प्रक्रियाधीन	क्यूए शुल्क भुगतान नहीं किया गया
1.	आंध्र प्रदेश	3	0	0	1	2	1	0	0	0	0
2.	असम	300	15	1	194	90	82	37	19	3	53
3.	बिहार	236	13	2	156	65	71	39	0	2	44
4.	हरियाणा	155	3	1	96	55	39	31	0	0	26
5.	जम्मू-कश्मीर	20	3	0	15	2	6	2	0	5	2
6.	झारखंड	106	10	3	46	47	23	5	0	3	15
7.	कर्नाटक	112	4	3	55	50	24	9	0	0	22
8.	मेघालय	38	0	0	26	12	7	11	0	0	8
9.	मिजोरम	5	0	0	4	1	4	4	0	0	6
10.	सिक्किम	19	2	1	11	5	6	1	3	0	1
11.	तेलंगाना	67	5	0	48	14	32	8	0	1	7
12.	उत्तराखंड	225	8	2	132	83	61	46	0	0	25
कुल योग		1286	63	13	784	426	356	193	22	14	209

5.2.10 परियोजना प्रदर्शन पर प्रतिनिवेश का प्रावधान

एसआरएलएम से अपेक्षा की जाती है कि वह आवेदक पीआईए को परियोजनाओं की मंजूरी देने से पहले डीडीयू-जीकेवाई परियोजनाओं में पीआईए के प्रदर्शन पर फीडबैक ले । इसलिए, डीडीयू-जीकेवाई की मौजूदा परियोजनाओं में पीआईए के प्रदर्शन पर एसआरएलएम के फीडबैक का प्रावधान सीटीएसए के रूप में एनआईआरडीपीआर के निर्णायक कार्य में से एक है।

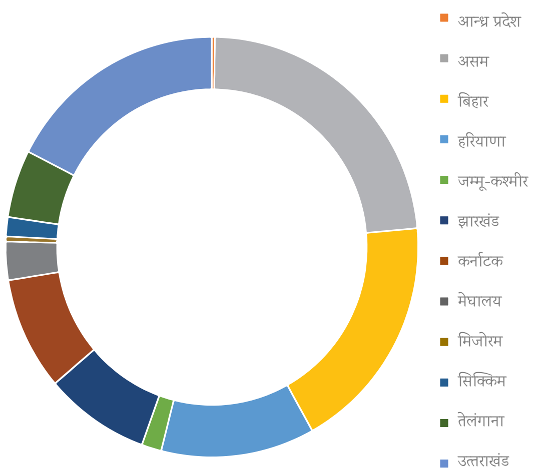

ग्राफ 23 - विभिन्न राज्यों से मूल्यांकन के लिए प्राप्त प्रस्तावों की स्थिति

5.3 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) परियोजना

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) की आरसेटी परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीबी और ग्रामीण युवाओं में बेरोजगारी, कृषि मजदूरों की बेरोजगारी और ग्रामीण आबादी के शहरी केंद्रों में पलायन जैसी सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को कम करना है। एमओआरडी का लक्ष्य और मिशन ग्रामीण बेरोजगार बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) युवाओं को अच्छी गुणवत्ता वाले कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में हर जिले में एक आरएसईटीआई भवन का निर्माण करना है ताकि वे स्थानीय बैंकों से ऋण संयोजन की सहायता से रोजगार उद्यम में स्वयं को सक्षम करके उद्यमी बन सकें।

एमओआरडी के तहत आरसेटी आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए एनआईआरडीपीआर नोडल एजेंसी है। एनआईआरडीपीआर को अनुमोदन के लिए एमओआरडी को प्रस्तावों की सिफारिश करते हुए, बैंकों को मंत्रालय की मंजूरी को सूचित करते हुए और आरसेटी इमारतों के निर्माण के लिए प्रायोजक बैंकों को अनुदान-सहायता निधि जारी करते हुए आरसेटी को प्रायोजित करने वाले विभिन्न बैंकों द्वारा प्रस्तुत अनुदान-सहायता अनुरोध प्रस्तावों को प्राप्त करने और कार्यवाही करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

एनआईआरडीपीआर भवन निर्माण के लिए भूमि के निर्विवाद स्वामित्व के लिए आरसेटी को सहायता करता है, आरसेटी को जिला / राज्य प्राधिकरणों द्वारा भूमि के आवंटन से संबंधित विभिन्न मुद्दों को हल करने में बैंकों को प्रायोजित करने में मदद करता है और भवनों के निर्माण के लिए विभिन्न मंजूरी / अनुमोदन प्राप्त करने में भी मदद करता है। प्रायोजक बैंकों को एमओआरडी के दिशानिर्देशों के अनुसार आरसेटी भवनों के निर्माण को पूरा करने में सहायता और मार्गदर्शन दिया जाता है। एनआईआरडीपीआर आरसेटी निदेशकों के लिए सेमिनार आयोजित करने, प्रायोजक बैंकों के नोडल अधिकारियों के लिए कार्यशालाओं और भूमि आवंटन और भवन निर्माण की स्थिति की समीक्षा के लिए राज्यों के अधिकारियों और संपर्क अधिकारियों को शामिल करने और आगे की प्रक्रिया के लिए उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान करता है।

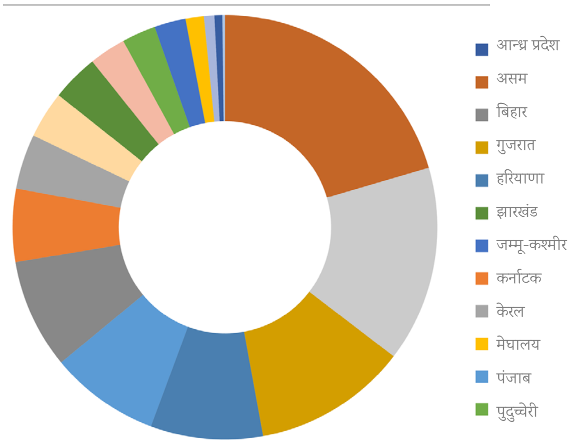

ग्राफ 24 – सीटीएसए के रूप में एनआईआरडीपीआर द्वारा एसआरएलएम को प्रदान किया गया फीडबैक

पर्यावरण अनुकूल आईसीआईसीआई जोधपुर आरसेटी भवन का निर्माण एमओआरडी की अनुदान सहायता से किया गया

5.3.1 पुरस्कार विजेता आईसीआईसीआई-जोधपुर आरसेटी भवन का उद्घाटन

जोधपुर में 11 सितंबर, 2019 को आईसीआईसीआई बैंक द्वारा प्रायोजित एक नए पर्यावरण अनुकूल आरसेटी भवन का उद्घाटन किया गया। भवन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) द्वारा 'नेट ज़ीरो एनर्जी - प्लैटिनम' रेटिंग से सम्मानित किया गया है। यह देश का अपनी तरह का पहला भवन है जिसे यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। निर्माण के लिए भूमि राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की गई और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान ने ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 1 करोड़ रुपये की अनुदान-सहायता जारी की। 100+ प्रशिक्षुओं की क्षमता वाले केंद्र का उद्घाटन श्रीमती अल्का उपाध्याय, आईएएस, अपर सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया ।

देश के अन्य सभी आरसेटी की तरह, आईसीआईसीआई जोधपुर आरसेटी भवन चार मुख्य प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करता है:

1. कृषि पाठ्यक्रम जैसे डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री और वर्मीकम्पोस्टिंग।
2. उत्पाद-उन्मुख पाठ्यक्रम जहां प्रशिक्षु उत्पादों को बनाने के लिए कौशल प्राप्त करते हैं जैसे पापड़, अचार आदि।
3. प्रक्रिया-उन्मुख पाठ्यक्रम जो प्रशिक्षुओं को मोबाइल रिपेयर, दुपहिया और चौपहिया सर्विसिंग इत्यादि जैसी सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाता है।
4. सामान्य ईडीपी (उद्यमिता विकास) पाठ्यक्रम जिसमें उम्मीदवारों को उद्यमशीलता और व्यवहार कौशल प्रदान किया जाता है।

एमओआरडी द्वारा देश के विभिन्न जिलों में आरसेटी को प्रायोजित करने वाले विभिन्न बैंकों के सभी कार्यपालक निदेशकों / महाप्रबंधकों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य आरसेटी भवनों जिसका निर्माण किया जाना है में दोहराए जा सकने वाले लागत-प्रभावी और पर्यावरण-अनुकूल सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जा सकें।

5.3.2 2019-20 में आरसेटी परियोजना एनआईआरडीपीआर की प्रगति और उपलब्धियां

31 मार्च, 2020 तक, देश में 585 कार्यात्मक आरएसईटीआई हैं, जो विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रायोजित हैं। एनआईआरडीपीआर ने संचयी रूप से 28 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित 492 आरसेटी को रु. 376.04 करोड़ जारी किए ।

2019-20 के दौरान रु. 36 आरसेटी को 13.92 करोड़ जारी किए गए हैं और अब तक 269 जिलों में आरसेटी भवनों का पूरी तरह से निर्माण किया गया है।

विभिन्न बैंकों द्वारा प्रायोजित आरसेटी की संख्या व्यापक रूप से भिन्न होती है। जबकि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, मेघालय ग्रामीण बैंक और त्रिपुरा ग्रामीण बैंक जैसे कुछ बैंकों ने पाँच या उससे कम आरसेटी को प्रायोजित किए हैं, भारतीय स्टेट बैंक जैसे अन्य बैंकों ने पूरे देश में 150 से अधिक आरसेटी को प्रायोजित किए हैं।

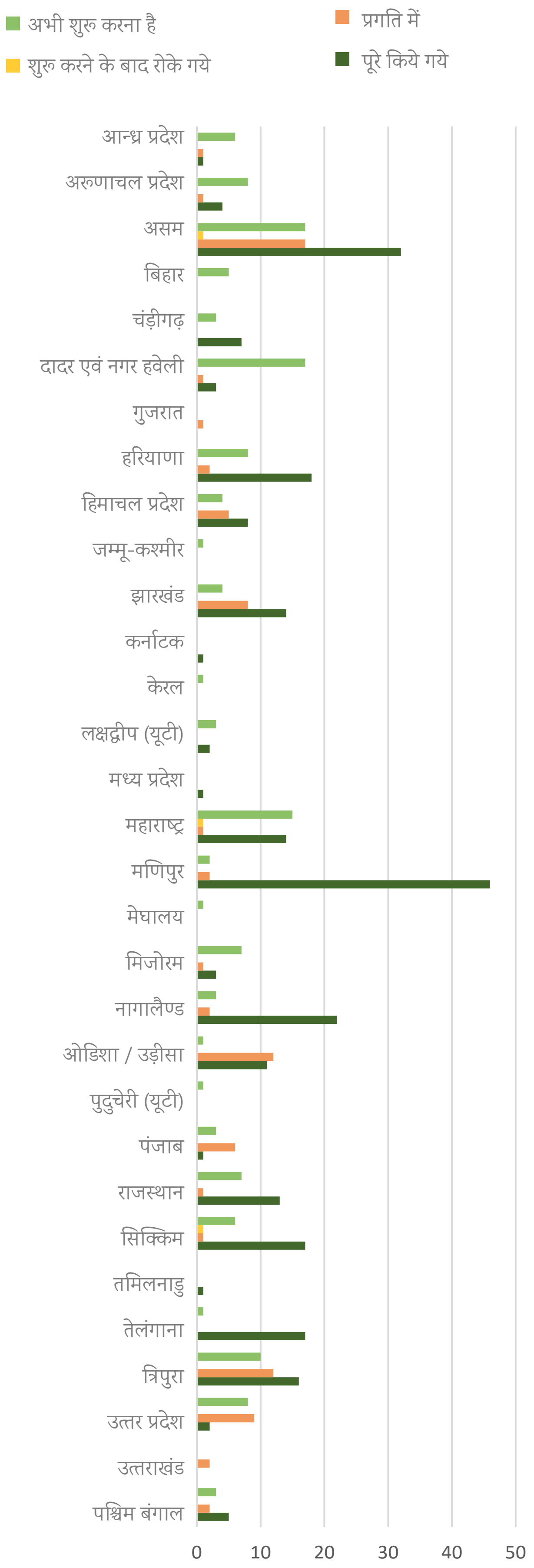

ग्राफ 25 – 31 मार्च, 2020 को आरसेटी भवन के निर्माण की राज्यवार स्थिति

5.4 दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), भारत सरकार द्वारा जून 2011 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के पुनर्गठन संस्करण के रूप में आजीविका - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) को शुरु किया गया। मिशन का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावी संस्थागत मंच तैयार करना है ताकि उन्हें स्थायी आजीविका संवर्द्धन के माध्यम से घरेलू आय में वृद्धि करने में मदद मिल सके और वित्तीय सेवाओं में सुधार हो सके।

नवंबर 2015 में, कार्यक्रम का नाम बदलकर दीन दयाल अंत्योदय योजना (डीएवाई-एनआरएलएम) रखा गया। एनआईआरडीपीआर में 2012 में विभिन्न ग्रामीण आजीविका कार्यों की सुविधा के साथ-साथ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों (एसआरएलएम) की क्षमता निर्माण की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक संसाधन प्रकोष्ठ बनाया गया था।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान संस्थान द्वारा की गई प्रमुख गतिविधियाँ है। एसआरएलएम के नए भर्ती कर्मचारियों का प्रेरण-सह-विसर्जन, सभी वर्टिकल, सोप ट्रेनिंग में कैडरों का प्रेरण के साथ पुनश्चर्या प्रशिक्षण दृष्टि निर्माण पर कार्यशाला और व्यवसाय विकास योजना, बैंकर्स ओरिएंटेशन, बैंक सखी प्रशिक्षण, महिला किसान सशक्तिकरण योजना (एमकेएसपी) मूल्यांकन, संयुक्त देयता समूह अध्ययन, पशुधन मॉड्यूल विकास कार्यशाला, जेंडर एकीकरण पर कार्यशाला, जेंडर परिचालन रणनीतियों, राष्ट्रीय स्तर के सामुदायिक संसाधन व्यक्तियाँ (एनसीआरपी) का विकास मुद्दा, एसआरएलएम को कार्यक्रम करने में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्त्रोत व्यक्तियों (एनआरपी) को संदर्भ जारी करना आदि।

5.4.1 वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान क्षमता निर्माण पहल

2019-20 के दौरान विभिन्न कैम्पस और ऑफ-कैम्पस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। परिसर कार्यक्रमों के अलावा, संस्थान ने अपने कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के लिए आवश्यक कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए विभिन्न एसआरएलएम का समर्थन भी किया और विभिन्न विषयगत कार्यक्षेत्रों के तहत क्षमता निर्माण एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, बैंकों, पीआईए, सरकारी अधिकारियों आदि को प्रशिक्षित भी किया।

क. संस्थागत निर्माण और क्षमता निर्माण पर प्रशिक्षण (आईबीसीबी)

संस्थागत निर्माण और क्षमता निर्माण मौजूदा कर्मचारियों और नए प्रवेशकों के क्षमता निर्माण में राज्य मिशनों के समर्थन के लिए संस्थान का एक प्रमुख घटक है जो एसआरएलएम में एकमतता बनाने और नई पहल करने और लागू करने में सहायक है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, विभिन्न क्षमता निर्माण प्रशिक्षण और कार्यशालाएं, यानी, एसआरएलएम स्टाफ प्रवेश, शासन और फेडरेशन प्रबंधन पर एसओपी प्रशिक्षण और विजन बिल्डिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट प्लान पर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। मॉडल क्लस्टर स्तर के संघों के विकास में एसआरएलएम का समर्थन करने के लिए चौहत्तर राष्ट्रीय स्तर के सामुदायिक स्त्रोत व्यक्तियों (एनसीपीआर) को भी प्रशिक्षित किया गया।

'संस्थागत निर्माण एवं क्षमता निर्माण' विषय के तहत कुल 101 कैम्पस

और ऑफ-कैम्पस ट्रेनिंग, कार्यशाला, प्रवेश और पुनरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें 16 राज्यों झारखंड, पंजाब, बिहार, राजस्थान, गोवा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पुदुचेरी, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और पांडीचेरी संघ शासित प्रदेश के 4,746 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

ख. जेंडर विषय पर प्रशिक्षण

2019-20 के दौरान, एक कैम्पस और दो ऑफ-कैम्पस कार्यशालाएं और नौ ऑफ-कैम्पस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 15 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर यूटी से 309 प्रतिभागियों ने भाग लिया। एनआरपी को एसआरएलएम में कर्मचारियों, कैडरों, नेताओं और सीबीओ के सदस्यों के लिए विभिन्न क्षमता निर्माण क्रियाकलापों की योजना बनाने और संचालित करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था।

ग. खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य, जल, स्वास्थ्य और स्वच्छता (एफएनएचडब्ल्यु) विषय पर प्रशिक्षण

पोषण अभियान के अनुरूप, संस्थान एनआरपी के समर्थन से सभी राज्यों में एफएनएचडब्ल्यु पहल को आगे बढ़ाने के लिए समर्थन कर रहा है। 2019-20 के दौरान, छह एनआरपी को नौ राज्यों अर्थात् हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, मणिपुर, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तैनात किया गया । भोजन, पोषण, स्वच्छता, संस्थागत सुपुर्दगी, पानी के घटकों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कुपोषण, टीकाकरण आदि के प्रत्येक मुद्दे पर वीओ-एसएसी फॉलो-अप केवल एसएचजी के स्तर तक प्रशिक्षण प्रदान किया गया था को संबोधित किया गया ।

घ. वित्तीय समावेशन विषय पर प्रशिक्षण

2019-20 में, बैंकरों के कार्योन्मुख कार्यक्रम, बैंक सखी प्रशिक्षण, एसएचजी बैंक लिंकेज, एसएचजी क्रेडिट लिंकेज के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना, वित्तीय समावेशन के लिए ई-लर्निंग मॉड्यूल, ऑनलाइन ऋण आवेदन प्रणाली पर टीओटी जैसे विभिन्न क्रियाकलाप शुरू की गईं। 2019-20 के दौरान, संस्थान ने 10 राज्यों यथा तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बैंक अधिकारियों के लिए एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 172 बैचों में 12,658 प्रतिभागियों को कवर किया गया। वित्तीय समावेशन पर दो ई-लर्निंग मॉड्यूल (एसएचजी-बैंक लिंकेज और एसबी खाता का उद्घाटन) भी विकसित किए गए । पाँच राज्यों में से छह सौ तिहत्तर 'बैंक सखियों' उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा को भी वित्तीय समावेशन के विषय पर प्रशिक्षित किया गया।

इ. आजीविका पर प्रशिक्षण

संस्थान ने वर्ष 2019-2020 में एसआरएलएम की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा किया, राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई (एनएमएमयू), एसआरएलएम का समर्थन आदि को व्यवस्थित करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर विभिन्न क्षमता निर्माण क्रियाकलापों का संचालन किया और एक मानक संचालन प्रक्रिया, मॉड्यूल तैयारी, सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन और प्रलेखन किया।

कृषि आजीविका के तहत, संस्थान ने कृषि पारिस्थितिकी पद्धतियों, पशुधन, मूल्य श्रृंखला, किसान उत्पादक समूहों और किसान उत्पादक संगठनों पर समुदाय स्त्रोत व्यक्तियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में एसआरएलएम का समर्थन किया और एमकेएसपी मूल्यांकन, सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रलेखन के लिए एनआरपी को तैनात किया।

गैर-कृषि आजीविका के तहत संस्थान ने महाराष्ट्र और दक्षिणी राज्यों के लिए एनआईआरडीपीआर हैदराबाद में, पश्चिम बंगाल और उत्तर-पूर्व राज्यों के लिए कोलकाता में और बाकी राज्यों के लिए बिहार में एक क्षेत्रीय टीओटी का आयोजन किया। बीपीएम, सीआरपी ईपी सहित 201 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है।

5.4.2 आयोजित अध्ययन

संस्थान द्वारा विभिन्न अध्ययन भी किए गए जैसे झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में आम के फलों पर मूल्य-श्रृंखला अध्ययन किया गया, महाराष्ट्र में एसजीएसवाई विशेष परियोजना पर मूल्यांकन अध्ययन और पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में सुंदरबन क्षेत्र में चार ब्लॉकों में एनआरएलएम विशेष परियोजना का अंतिम मूल्यांकन किया गया।

संस्थान ने एनआरएलएम के तहत कुल 340 प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित कीं, जिसमें पूरे भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित

प्रदेशों के 16,849 प्रतिभागी शामिल हुए।

तालिका 10: 2019-20 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण और कार्यशालाएं

विषय	कैम्पस प्रशिक्षण	कैम्पस कार्यशालाएं	ऑफ कैम्पस प्रशिक्षण	ऑफ कैम्पस कार्यशालाएं	कुल
आईबीसीबी	12	3	83	3	101
वित्तीय समावेशन	2	0	185	1	188
कृषि आजीविका	1	4	17	6	28
जेंडर	0	1	9	2	12
मानव संसाधन	2	0	8	0	10
गैर कृषि आजीविका	1	0		0	1
एसआईएसडी-एफएनएचडब्ल्यु	0	0		0	0
कुल	**18**	**8**	**302**	**12**	**340**

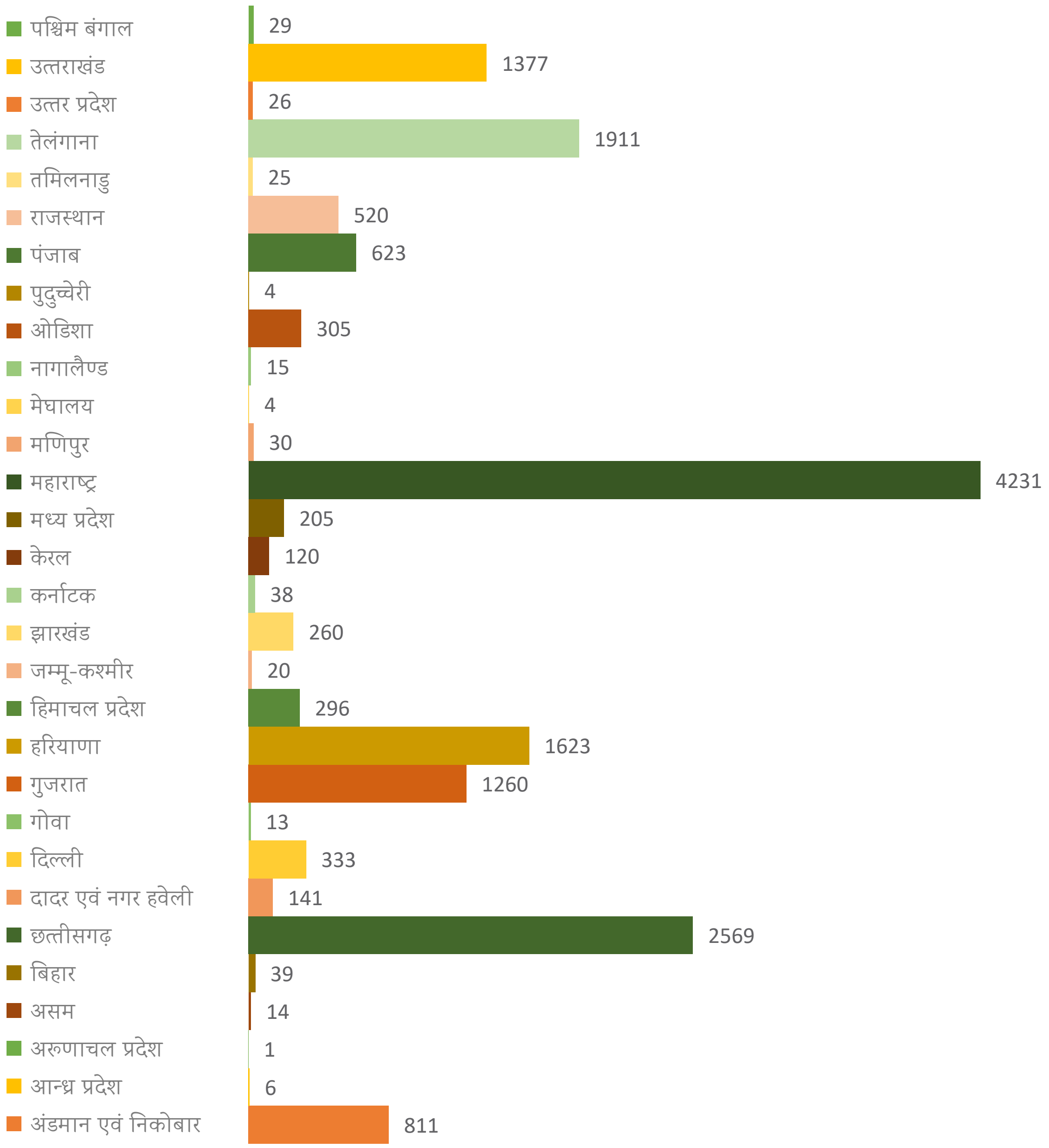

ग्राफ 26 - विभिन्न एनआरएलएम प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत राज्य-वार भागीदारी

अध्याय 6

शैक्षणिक कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद में पीजीडीआरडीएम पाठ्यक्रम स्नातकों का 16 वां दीक्षंत समारोह 9 अगस्त 2019 को संपन्न हुआ, इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती नीला गंगाधरण, पूर्व मुख्य सचिव, केरल सरकार उपस्थित हुई

देश में युवा ग्रामीण विकास प्रबंधन विशेषज्ञों के एक कैडर को तैयार करने के लिए संस्थान ने अपने दृष्टिकोण में शैक्षणिक कार्यक्रमों की शुरुआत की। वर्ष 2018 में ग्रामीण विकास प्रबंधन (पीजीडीआरडीएम) में एक वर्षीय आवासीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम प्रति वर्ष प्रति बैच 50 छात्रों की क्षमता के साथ शुरू किया गया था। संस्थान ने एआईसीटीई, नई दिल्ली से अनुमोदन के साथ विकास प्रबंधन-ग्रामीण प्रबंधन (पीजीडीएम-आरएम) कार्यक्रम में दो वर्षीय पूर्णकालिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा को प्रारंभ किया।

शुरुआती दौर में हैदराबाद, विश्वविद्यालय (यूओएच) के सहयोग से संस्थान ने 2010 में सतत ग्रामीण विकास (पीजीडी-एसआरडी) में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम के साथ दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया। इसके बाद, संस्थान ने 2012 में जनजातीय विकास प्रबंधन (पीजीडी-टीडीएम) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम और अगस्त, 2014 में ग्रामीण विकास में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा नामक कार्यक्रमों को शुरू किया है। उपरोक्त तीन कार्यक्रम एआईसीटीई, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित हैं। वर्ष 2018 में, संस्थान ने हैदराबाद विश्वविद्यालय के सहयोग से 'पंचायती राज शासन और ग्रामीण विकास' पर एक और डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किया।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), अरुणाचल प्रदेश ने 2013-14 में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) हैदराबाद के सहयोग से एक स्व-प्रायोजित पाठ्यक्रम के रूप में एम.टेक (उपयुक्त प्रौद्योगिकी और उद्यमिता पद्धति) कार्यक्रम शुरू किया है।

ग्राफ 27 - एनआईआरडीपीआर द्वारा प्रस्तावित शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रकार

6.1 नियमित स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम

6.1.1 ग्रामीण विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआरडीएम) कार्यक्रम

1-वर्षीय पीजीडीआरडीएम का 17 वां बैच 26 जून, 2019 से शुरू हुआ, जिसमें कुल 31 छात्रों का नामांकन हुआ। छात्रों को समूह चर्चा के साथ अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा उसके बाद एक व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया गया, ये छात्र भारत के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं। मध्य भारत से 2, दक्षिणी भारत से 14, उत्तरी भारत से 2, पूर्वी भारत से 7, पश्चिमी भारत से 2। फिजी, म्यांमार, और इंडोनेशिया से सिर्डाप द्वारा प्रायोजित चार अंतरराष्ट्रीय इन-सर्विस छात्र कार्यक्रम में उपस्थित हुए । 31 मार्च, 2020 तक, प्रथम दो ट्राइमेस्टर पूरे हो चुके हैं और तीसरा / अंतिम ट्राइमेस्टर जुलाई 2020 तक पूरा हो जाएगा।

6.1.2 प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा-ग्रामीण प्रबंधन (पीजीडीएम-आरएम) कार्यक्रम

पीजीडीएम-आरएम का दूसरा बैच 22 जून, 2019 से 21 छात्रों के साथ शुरू हुआ। छात्रों का चयन गुणांक के आधार पर किया गया, जो अखिल भारतीय प्रबंधन एप्टीट्यूड परीक्षा में उनके प्रदर्शन पर निर्भर करता है, उसके बाद समूह परिचर्चा और व्यक्तिगत साक्षात्कार होता है। लगभग 20 प्रतिशत छात्र विज्ञान (जैसे कृषि, बागवानी, पशु चिकित्सा विज्ञान) से हैं, 20 प्रतिशत छात्र आर्ट्स से हैं और शेष 60 प्रतिशत प्रबंधन, इंजीनियरिंग, वाणिज्य आदि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान में, छात्र संगठनात्मक इंटर्नशिप कर रहे हैं। 31 मार्च, 2020 तक प्रथम दो ट्राइमेस्टर पूरे हो चुके हैं और शेष चार ट्राइमेस्टर जून 2021 तक पूरे हो जाएंगे।

पीजीडीएम-आरएम का पहला बैच, जो अगस्त 2018 में अठारह छात्रों के साथ शुरू हुआ था, वर्तमान में प्रगति पर है। वर्तमान में, छात्र छठे और अंतिम ट्राईमेस्टर, अर्थात् परियोजना कार्य कर रहे हैं, जो जुलाई 2020 तक समाप्त हो जाएगा।

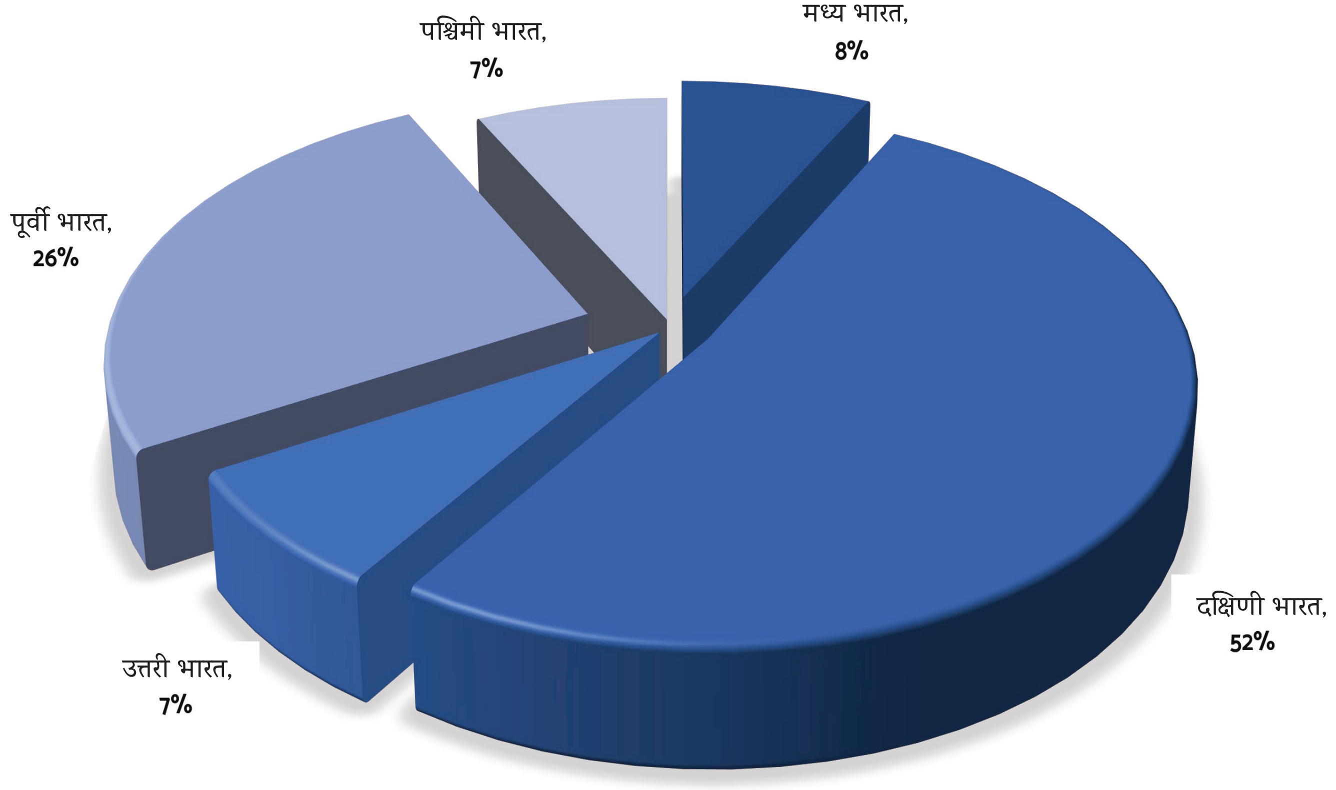

चित्र 2 : बैच 17 पीजीडीआरडीएम कार्यक्रम की संरचना

क. आवासीय कार्यक्रम के लिए ग्रामीण संगठनात्मक इंटर्नशिप

पीजीडीआरडीएम बैच -17 और पीजीडीएम-आरएम बैच -2 छात्रों के लिए फरवरी 2020 में आठ सप्ताह की ग्रामीण संगठनात्मक इंटर्नशिप का आयोजन किया गया ताकि ग्रामीण समाज और इसकी गतिशीलता की कट्टर समस्याओं के प्रति छात्रों को संवेदनशील बनाया जा सके। क्षेत्र सम्बद्धता घटक मुख्यत: संस्थानों, संगठनात्मक संरचनाओं, संगठनात्मक संस्कृति, प्रबंधन प्रणाली, मानव संसाधन विकास, वित्त, उत्पादन प्रक्रियाओं, विपणन, मूल्य संवर्धन आदि पर केंद्रित है। क्षेत्र कार्य संगठनात्मक सम्बद्धता के साथ किया गया। (i) आईसीआईसीआई फाउंडेशन (ii) एमपीएसडीएम (iii) धन फाउंडेशन (iv) एसआरएलएम - उत्तराखंड (v) एसआरएलएम - उत्तर प्रदेश (vi) एसआरएलएम - हरियाणा (vii) एसईआरपी - तेलंगाना (viii) ग्राम विकास (ix) अक्षरा आजीविका (xii) एसआरएलएम - राजस्थान (xiii) आईसीआईसीआई आरसेटी (xiv) एमवाईआरएडीए (xv) एसआरएलएम - पश्चिम बंगाल (xvi) एसआरएलएम - झारखंड (xvii) आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम (xviii) श्रीजन (xix) क्वेस कॉर्प (xx) आरवाईएसएस।

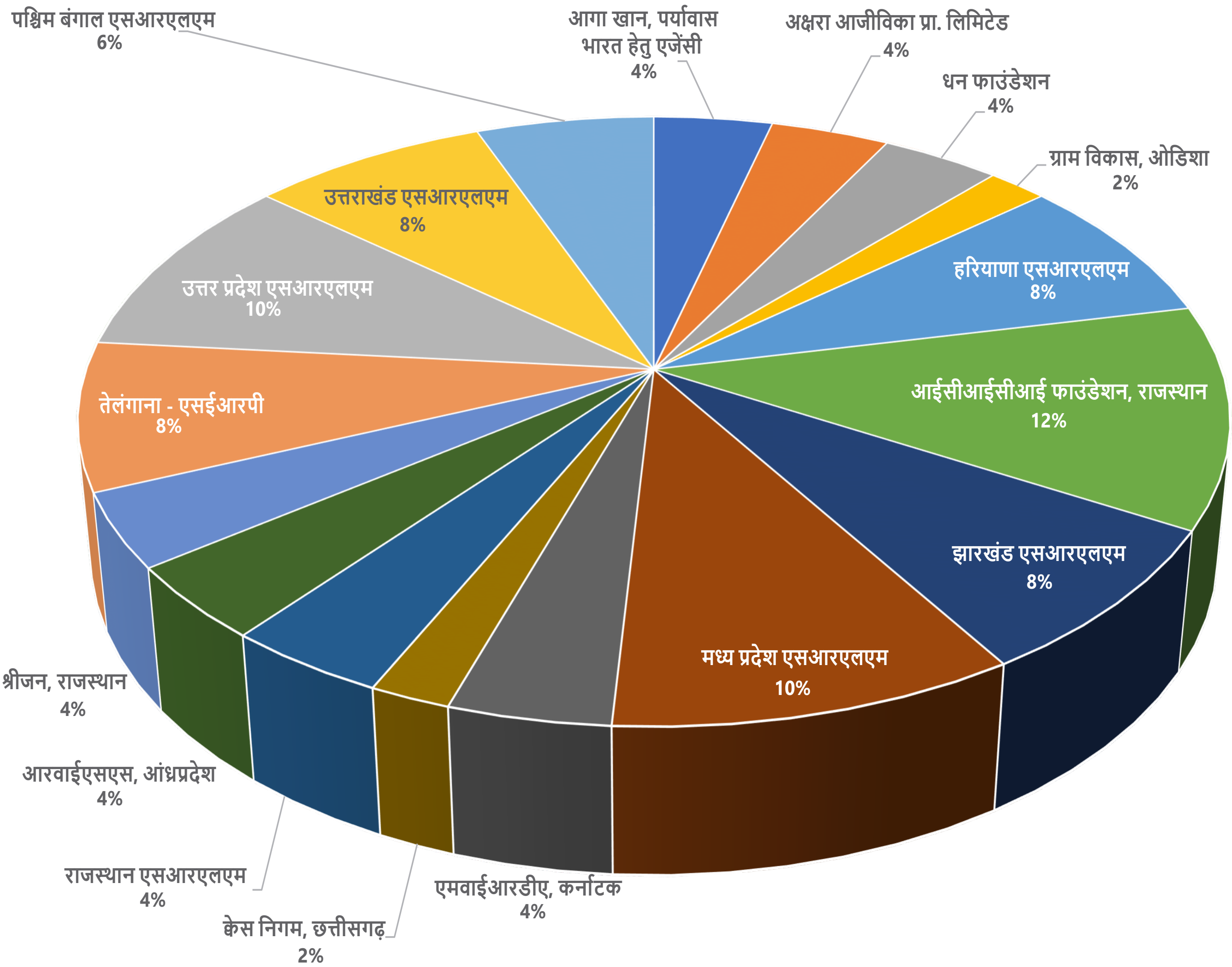

चित्र 3 : आवासीय पीजी कार्यक्रम कर रहे छात्रों का इंटर्नशिप विवरण

ख. बैच -16 पीजीडीआरडीएम कार्यक्रम की कैम्पस नियुक्तियाँ

पीजीडीआरडीएम कार्यक्रम के बैच 16 के उन छात्रों के लिए संस्थान ने 100 प्रतिशत नियुक्ति की है, जिन्होंने अगस्त 2019 में संस्थान से स्नातक की शिक्षा ग्रहण की थी । निम्नलिखित आठ संगठनों में सभी 34 छात्रों को प्लेसमेंट प्रदान किया गया : (i) झारखंड राज्य आजीविका प्रमोशन सोसाइटी (ii) ओडिशा आजीविका मिशन, (iii) मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, (iv) उत्तराखंड एसआरएलएम (v) एसईआरपी-तेलंगाना, (vi) अक्षरा नेटवर्क (vii) आईसीआईसीआई - आरसेटी और (viii) कर्नाटक एसआरएलएम।

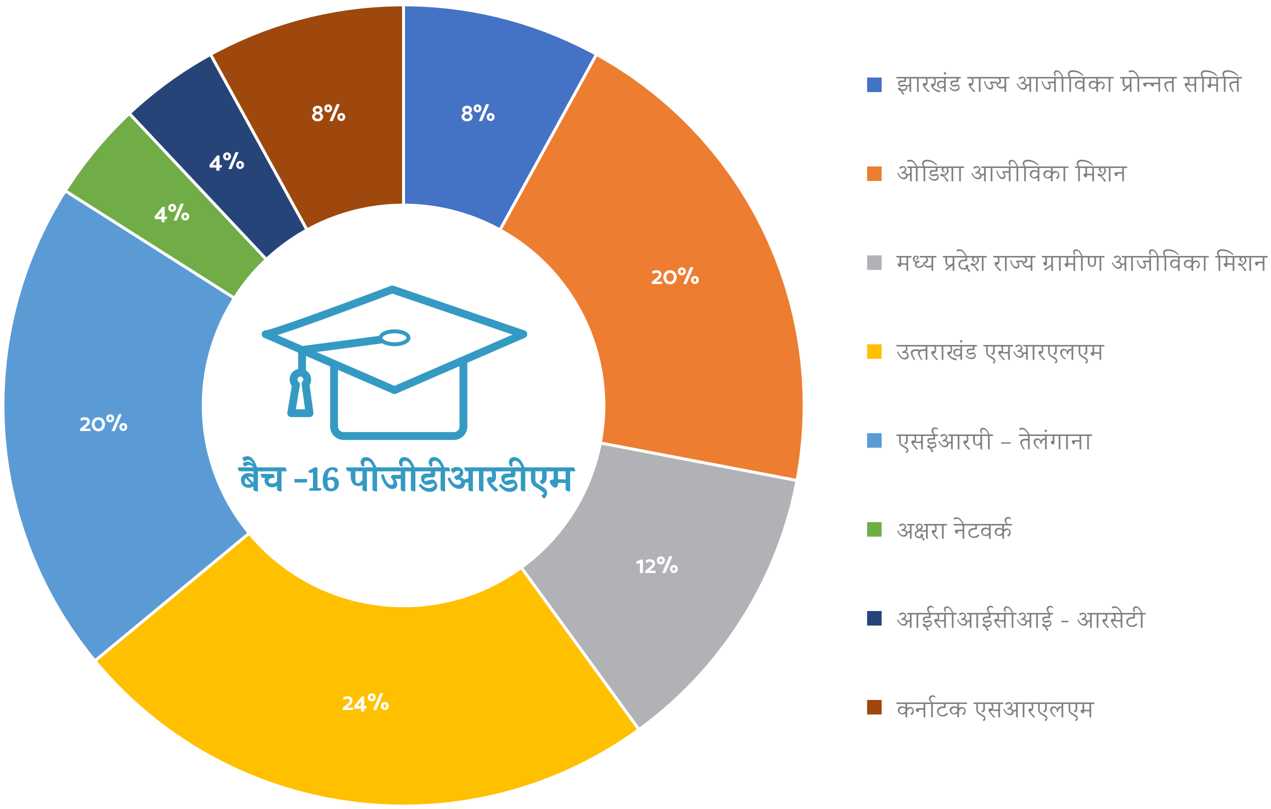

चित्र 4: पीजीडीआरडीएम बैच 16 – छात्रों का पदस्थापन विवरण

ग. बैच -16 पीजीडीआरडीएम कार्यक्रम का दीक्षांत समारोह

बैच 16 पीजीडीआरडीएम कार्यक्रम का डिप्लोमा पुरस्कार समारोह 9 अगस्त 2019 को आयोजित किया गया। सुश्री नीला गंगाधरन, आईएएस (सेवानिवृत्त), पूर्व मुख्य सचिव, केरल सरकार, इस अवसर के मुख्य अतिथि थे।

डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक और अध्यक्ष, अकादमिक समिति, एनआईआरडीपीआर, पीजीडीआरडीएम ने डिप्लोमा अवार्ड समारोह की अध्यक्षता की ।

पीजीडीआरडीएम पाठ्यक्रम ग्रेज्युएट्स के 16 वें दीक्षांत समारोह में प्रमाण-पत्र प्रदान करते हुए, श्रीमती नीला गंगाधरन, पूर्व मुख्य सचिव, केरल सरकार और डॉ. डब्ल्यु.आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर

6.2. उपयुक्त प्रौद्योगिकी और उद्यमिता (एटीई) पर सहयोगी दो वर्षीय एम.टेक. कार्यक्रम

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), अरुणाचल प्रदेश ने उपयुक्त प्रौद्योगिकी और उद्यमिता (एटीई) पर संस्थान के साथ दो-वर्षीय एम.टेक कार्यक्रम की पेशकश के लिए सहयोग किया है। वर्तमान में, एम.टेक का छठा बैच प्रगति पर है। 3 और 4 सेमिस्टर के दो छात्र जून 2020 में समाप्त होने वाले कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। एनआईआरडीपीआर में, छात्रों को ऑनलाइन टेलरिंग सर्विसेज और पुरोहितों की ऑनलाइन सेवाओं जैसे उद्यमों की स्थापना के लिए प्रदर्शन दिया गया है।

6.3 दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम

6.3.1 सतत योग्य ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएसआरडी)

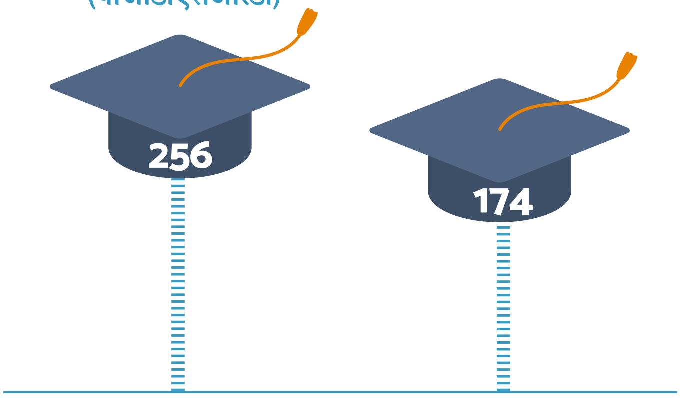

पीजीडीएसआरडी बैच – 11 पीजीडीएसआरडी बैच – 12

ग्राफ 28 (क): बैच -11 और बैच -12 के लिए छात्रों का नामांकन

256 छात्रों के साथ 18 महीने के एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित पीजीडीएसआरडी बैच -11 कार्यक्रम (दूरस्थ पद्धति) प्रगति पर है। इस कार्यक्रम की अवधि जनवरी 2019 से जून 2020 तक है। संपर्क कक्षाएं और प्रथम सेमिस्टर की अंतिम परीक्षाएं 10 से -18 जुलाई, 2019 से आयोजित की गईं और दूसरा सेमिस्टर 22 से 28 दिसंबर, 2019 तक आयोजित किया गया । वर्तमान में, छात्र तीसरे सेमिस्टर परियोजना कार्य में कार्यरत है। पीजीडीएसआरडी बैच -12 की शुरुआत जनवरी 2020 में हुई जिसमें 174 छात्रों ने प्रवेश पाया ।

इसके अलावा, संस्थान अफगानिस्तान से भी पाठ्यक्रम के लिए छात्रों को प्रवेश देता है और अफगानिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट (एआईआरडी), काबुल के माध्यम से भी इसकी सुविधा प्रदान करता है। संपर्क कक्षाएं काबुल में आयोजित की जाती हैं और एनआईआरडीपीआर के संकाय सदस्यों को कक्षाएं लेने के लिए तैनात किया जाता है। कार्यक्रम एक वर्ष की अवधि का है। पीजीडीएसआरडी कार्यक्रम का 10 वां बैच जनवरी, 2019 में शुरू हुआ। चौबीस छात्र इस कार्यक्रम में शामिल हुए और पहली और दूसरी सेमिस्टर परीक्षाओं में शामिल हुए। अफगानिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट (अफगानिस्तान) में 11 वें बैच पीजीडीएसआरडी कार्यक्रम में 18 छात्रों का एक समूह शामिल हुआ, जो जनवरी 2020 में शुरु हुआ और कार्यक्रम अभी जारी हैं।

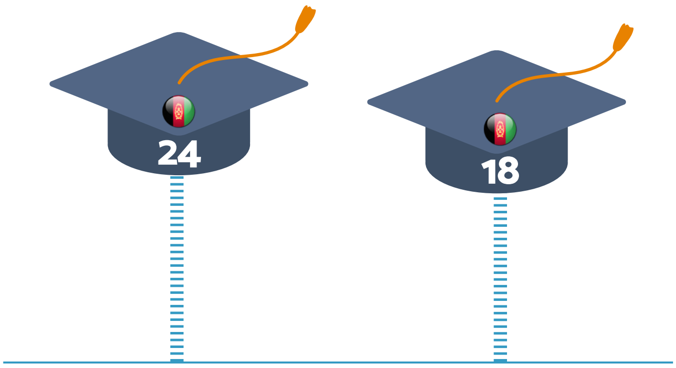

पीजीडीएसआरडी बैच – 10 पीजीडीएसआरडी बैच – 11

ग्राफ 28 (ख): एआईआरडी, अफगानिस्तान में बैच -10 और बैच -11 पीजीडीएसआरडी कार्यक्रम के लिए छात्रों का नामांकन

6.3.2 जनजातीय विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीटीडीएम)

जनवरी 2019 से 18 महीने की एआईसीटीई द्वारा स्वीकृत पीजीडीटीडीएम बैच -8 की शुरुआत हुई। इस बैच में 33 छात्र हैं। संपर्क कक्षाएं और प्रथम सेमिस्टर अंत की परीक्षाएं 10 से 18 जुलाई, 2019 तक और दूसरे सेमिस्टर संपर्क कक्षाओं और परीक्षाओं का आयोजन 22 से 28 दिसंबर, 2019 तक किया गया । वर्तमान में, छात्र तीसरे सेमिस्टर परियोजना के कार्य में कार्यरत है। पीजीडीटीडीएम, बैच -9 की शुरुआत जनवरी 2020 से 45 छात्रों के प्रवेश के साथ हुई ।

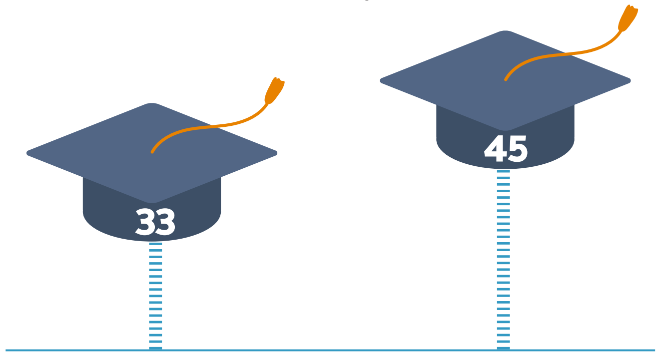

पीजीडीएसआरडी बैच – 8 पीजीडीएसआरडी बैच – 9

ग्राफ 29: बैच - 8 और बैच - 9 पीजीडीटीडीएम कार्यक्रम के लिए छात्रों का नामांकन

6.3.3 ग्रामीण विकास में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीजीएआरडी)

18 महीने की एआईसीटीई अनुमोदित पीजीडीजीएआरडी बैच – 4 को जनवरी, 2019 से शुरु किया गया । इस बैच में 98 छात्र हैं। संपर्क कक्षाएं और प्रथम सेमिस्टर की अंतिम परीक्षाएं 24 जून से 6 जुलाई, 2019 तक आयोजित की गईं और द्वितीय सेमिस्टर संपर्क कक्षाएं और परीक्षाएं 26 दिसंबर, 2019 से 4 जनवरी, 2020 तक आयोजित की गईं। वर्तमान में, छात्र तीसरे सेमिस्टर परियोजना कार्य में कार्यरत है। पीजीडीजीएआरडी का बैच -5 जनवरी 2020 में 103 छात्रों के नामांकन के साथ शुरु हुआ था।

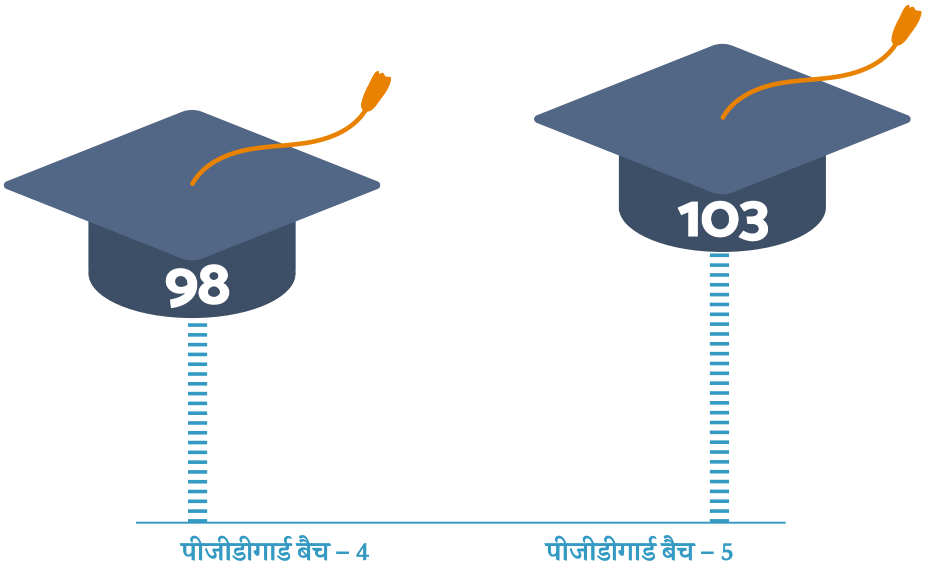

ग्राफ 30: बैच -4 और बैच -5 पीजीडीगार्ड कार्यक्रम के लिए छात्रों का नामांकन

6.3.4 हैदराबाद विश्वविद्यालय के सहयोग से पंचायती राज शासन और ग्रामीण विकास पर डिप्लोमा कार्यक्रम (डीपी-पीआरजीआरडी)

जनवरी 2019 में प्रारंभ डीपी-पीआरजीआरडी बैच -1 का एक वर्ष का कार्यक्रम दिसंबर 2020 में पूरा हुआ। इस बैच में 131 छात्र थे। संपर्क कक्षाएं और प्रथम सेमिस्टर की अंतिम परीक्षाएं 10 से 18 जुलाई 2019 तक आयोजित की गईं और दूसरे सेमिस्टर की संपर्क कक्षाएं और परीक्षाएँ 15 से 21 फरवरी, 2020 तक आयोजित की गईं। डीपी-पीआरजीआरडी का दूसरा बैच 47 छात्रों के नामांकन के साथ जनवरी 2020 से शुरू हुआ। ।

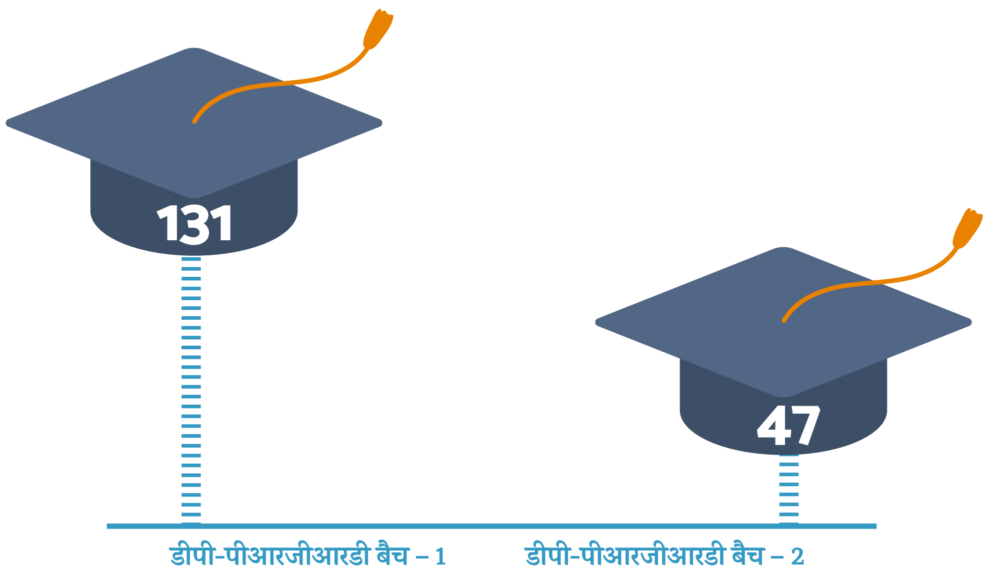

ग्राफ 31: बैच -1 और बैच -2 डीपी-पीआरजीआरडी कार्यक्रम के लिए छात्रों का नामांकन

अध्याय

7

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र पर विशेष फोकस

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान का उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र (एनआईआरडीपीआर – एनईआरसी) को भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं और क्षमताओं की पूर्ति के लिए अपने प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों को कार्योन्मुख करने के उद्देश्य से जुलाई 1983 में गुवाहाटी में स्थापित किया गया था ।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र :

- वरिष्ठ विकास अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सम्मेलनों, सेमिनारों और कार्यशालाओं का आयोजन करना ।
- अपने स्तर पर या अन्य एजेन्सियों के माध्यम से अनुसंधान आरंभ करना, सहायता करना, बढ़ावा देना और समन्वय स्थापित करना ।
- ग्रामीण विकास, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, विकेंद्रीकृत शासन, आई टी अनुप्रयोग, पंचायती राज और उनसे जुड़े मुद्दों के लिए कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन में जिन समस्यांओं का सामना करना पड़ा है उनका विश्लेषण और समाधान करना ।
- संस्थान के मूल उद्देश्यों को बढ़ाने में पत्रिकाओं, रिपोर्टों और अन्य प्रकाशनों के माध्यम से सूचना का प्रचार-प्रसार करना ।

7.1 प्रशिक्षण की मुख्य विशेषतायें : 2019-20

वर्ष 2019-20 के दौरान प्रत्येक कार्यक्रम में 33 प्रतिभागियों की औसतन सहभागिता के साथ 1,753 प्रतिभागियों को सम्मिलित करते हुए एनआईआरडीपीआर – एनईआरसी द्वारा कुल 51 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें प्रशिक्षण सत्र, कार्यशालायें एवं सेमिनार सम्मिलित हैं । प्रत्येक कार्यक्रम में औसत महिला भागीदारी लगभग सात रही है ।

आयोजित कुल कार्यक्रमों में 32 कार्यक्रम ऑन-कैम्पस थे जबकि 21 ऑफ-कैम्पस कार्यक्रमों को एसआईआरडी और क्षेत्र के अन्य संस्थानों और संगठनों में आयोजित किया गया ।

तालिका 11 : विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभागियों की विस्तृत जानकारी

क्र.सं.	प्रतिभागियों की श्रेणियां	प्रत्येक श्रेणी में प्रतिभागियों की संख्या
1	सरकारी पदाधिकारी	1,426
2	जेड पी/पीआरआई/वी डी बी/वी सी कार्यकर्ता	20
3	राष्ट्र और राज्य स्तरीय संस्थानों से शोधार्थी	74
4	विश्वविद्यालयों/कॉलेजो के संकाय/ पदाधिकारी	56
5	अन्य : पीएसयु/वीओ/बैंकर्स/ वैयक्तिक इत्यादि	177
कुल		**1,753**

तालिका 12 : विभिन्न कार्यक्रमों के लिए उत्तर-पूर्वी राज्यों से सहभागिता

क्र.सं.	राज्य	प्रतिभागियों की संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	55
2	असम	454
3	मणिपुर	236
4	मेघालय	187
5	मिजोरम	203
6	नागालैंड	299
7	सिक्किम	48
8	त्रिपुरा	123
कुल		**1,605**

तालिका 13 : उत्तर-पूर्वी राज्यों को छोड़कर भारत के शेष भागों से सहभागिता

क्र.सं.	राज्य	प्रतिभागियों की संख्या
1	बिहार	**3**
2	दिल्ली	**24**
3	गोवा	**1**
4	गुजरात	**1**
5	झारखंड	**2**
6	कर्नाटक	**3**
7	महाराष्ट्र	**20**
8	ओडिशा	**3**
9	तेलंगाना	**10**
10	उत्तराखंड	**66**
11	पश्चिम बंगाल	**15**

वर्ष 2019-20 के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मुख्य विषय इस प्रकार थे:

- ग्रामीण आजीविका
- ग्राम विकास योजना की तैयारी
- खाद्य प्रसंस्करण
- सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
- डिजिटल भुगतान व्यवस्था
- सततयोग्य कृषि क्षेत्र आजीविका एवं उद्यमों को बढावा देना
- ग्रामीण क्षेत्रों में जेंडर समानता के लिए जेंडर बजटिंग
- पीएमजीएसवाई सड़कों की योजना और प्रबंधन के लिए भू-स्थानिक तकनोलॉजी
- जीआईएस आधारित ग्राम पंचायत योजना
- ई-शासन
- खुला स्त्रोत आईसीटी अनुप्रयोग
- प्रशिक्षण क्रियाविधि एवं संचार कौशल
- कृषि क्षेत्र में कौशल विकास
- ग्राम पंचायत विकास योजना
- कंप्यूटर सुरक्षा एवं डिजिटल स्वच्छता

जीवन रक्षक तकनीकों का प्रदर्शन कर रही एनडीआरएफ टीम

7.2 आपदा जोखिम में कम करने पर सहयोगात्मक कार्यक्रम

संस्थान के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र (एनआईआरडीपीआर – एनईआरसी) ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन आई डी एम), गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से दो कार्यक्रम आयोजित किए पहला ग्रामीण विकास नीतियों और कार्यक्रमों में आपदा जोखिम में कमी एवं जलवायु परिवर्तन व्यवहार्यता का एकीकरण एवं दूसरा बाल केंद्रित आपदा (सी सी आर) जोखिम में कमी था ।

ग्रामीण विकास नीतियों और कार्यक्रमों में आपदा जोखिम में कमी एवं जलवायु परिवर्तन व्यवहार्यता का एकीकरण का उद्देश्य आपदा प्रबंधन के मूल सिद्धान्तों तथा संकट प्रबंध के विभिन्न चरणों का विश्लेषण करना था । कार्यक्रम के मुख्य विषयों जैसे – आपदा प्रबंधन एवं ग्रामीण विकास के संस्थागत ढांचो का एकीकरण तथा ग्राम आपदा प्रबंधन योजना की भूमिका और ग्राम आपदा प्रबंधन समितियों और आपदा प्रबंधन टीमों के गठन (डीएमटी) पर बल दिया । इसके अलावा, आपदा, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, सतत विकास की चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए पीआरआई की भूमिका पर सत्रों को शामिल किया गया । कुल मिलाकर, 43 मध्य स्तरीय कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में शामिल किया गया जो मुख्यत: लाईन विभागों सहित ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, कृषि और पशु पालन इत्यादि से संबंधित थे और वे सभी उत्तर-पूर्वी राज्यों से आपदा प्रबंधन समस्याओं के कार्य से संबंधित थे ।

बाल केंद्रित आपदा जोखिम की कमी कार्यक्रम का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक संकट से बच्चों की बढ़ती संवेदनशीलता पर प्रकाश डालना एवं जोखिम सूचित कार्यक्रम में बच्चों की क्षमता को बढ़ाना तथा आपदा जोखिम की कमी में बाल सहभागिता को प्रोत्साहित करना है । इस कार्यक्रम में स्कूल सुरक्षा मुद्दों एवं बाल केंद्रित आपदा संकट की कमी कार्यक्रमों पर प्रकाश डालना है ।

इस कार्यक्रम में 45 पदाधिकारियों ने भाग लिया जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एस डी एम ए), जिला संकट प्रबंधन प्राधिकरण (डी डी एम ए) एवं अन्य लाईनों विभागों विशेषकर शिक्षा विभाग से संबंधित थे ।

7.3 वर्ष 2019-20 के दौरान अनुसंधान हस्तक्षेपों की विशेषतायें

वर्ष 2019-20 के दौरान एनआईआरडीपीआर एवं परामर्शी श्रेणी में कुल मिलाकर 10 अनुसंधान अध्ययनों को प्रारंभ किया गया जिसमें तीन अध्ययन संपूरित हुए और सात अध्ययन प्रगति के विभिन्न चरणों में है ।

7.4 इंटर्नशिप

एनआईआरडीपीआर – एनईआरसी के संकायों ने क्षेत्र के विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से आए एमएससी / एमटेक / एमएस डब्ल्यु / एमए के कई छात्रों का मार्गदर्शन किया । इन छात्रों ने जीआईएस क्षेत्र में टूल्स और तकनीक, दूरसंवेदी एवं जीपीएस सीखा तथा क्षेत्र डाटा अनुसूचियों के निर्माण में क्षेत्र डाटा संकलन, विश्लेषण, परियोजना का आयोजन एवं रिपोर्ट लेखन में उनके ज्ञान और कौशल को बढ़ाया ।

वर्ष 2019-20 के दौरान निम्नलिखित विश्वविद्यालय / कॉलेज छात्रों ने शोधकार्य तथा इंटर्नशिप पूरा किया।

- असम इंजीनियरिंग कॉलेज, गुवाहाटी से एम टेक के छात्र
- महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, मेघालय से एम एस डब्ल्यु के छात्र
- महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, मेघालय से एम ए ग्रामीण विकास के छात्र
- कॉटन विश्वविद्यालय, गुवाहाटी असम से एम एस सी भूगोल के छात्र
- विज्ञान एवं टेक्कनोलॉजी विश्वविद्यालय, मेघालय से एम ए के छात्र
- कर्नाटक केंन्द्रीय विश्वविद्यालय

मयांग ब्लॉक, असम में अक्सर आने वाली बाढ – प्रभावित गांव में प्रतिभागियों का दौरा

7.5 एनआरएलएम संसाधन कक्ष, एनआईआरडीपीआर, एनईआरसी, गुवाहाटी के क्रियाकलाप

संस्थान का उत्तर-पूर्वी केंद्र, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के एसआरएलएम की क्षमता निर्माण आवश्यकताओं की पूर्ति करता है । वर्ष 2019-20 के वित्तीय वर्ष के दौरान एसआरएलएम के क्षमता निर्माण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं कार्यशालाओं जैसे प्रमुख क्रियाकलापों तथा एसआरएलएम के नव नियुक्त कर्मचारियों का आरंभिक प्रशिक्षण, राज्य समुदाय संवर्गों तथा एसएचजी – बैंक संयोजन पर बैंक पदाधिकारियों का प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन आदि प्रारंभ किया ।

7.5.1 वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान एनआरएलएम सेल, गुवाहाटी की प्रमुख उपलब्धियां

एनआरएलएम संसाधन सेल ने अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक की अवधि में कुल 1,672 प्रतिभागियों (918 महिला प्रतिभागियों सहित) को शामिल करते हुए 52 कार्यक्रमों का आयोजन किया । कुल 24 ऑफ-कैम्पस, 23 ऑन-कैम्पस और पांच एनएमएमयू समन्वित कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें सभी एनई -एसआरएलएम और पश्चिम बंगाल, ओडिशा, दिल्ली और केरल के प्रतिभागियों को शामिल किया गया । इन 52 कार्यक्रमों के अलावा, संस्थान ने मेघालय, असम और मिजोरम राज्यों में 15 एनआरपीएस तैनात करके विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में एनई -एसआरएलएम का समर्थन किया।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान संस्थागत निर्माण और क्षमता निर्माण, सामाजिक समावेश और सामाजिक विकास पर कुल 31 कार्यक्रम आयोजित किए गए, वित्तीय समावेशन पर 5 कार्यक्रम, आजीविका पर 11 कार्यक्रम और समीक्षा कार्यशालाओं सहित 5 बैठकें आयोजित की गईं। कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित रूप में इस प्रकार हैं:

वर्मीकम्पोस्ट की तैयारी के बारे में समझाते हुए स्त्रोत व्यक्ति

क. संस्थागत निर्माण और क्षमता निर्माण, सामाजिक समावेशन और सामाजिक विकास

i. **नव नियुक्त स्टाफ का प्रेरण और अभिविन्यास :** इस अवधि के दौरान कुल पांच प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गए और सिक्किम, मेघालय, असम, मणिपुर और मिजोरम के 180 नव नियुक्त कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य एनआरएलएम प्रक्रियाओं पर नव नियुक्त कर्मचारियों को कार्योन्मुख करना था।

ii. **ग्राम संघ से संबंधित प्रशिक्षण:** प्राथमिक-स्तर के महासंघ से संबंधित कुल छह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 145 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों को अवधारणा, आवश्यकता, गठन प्रक्रिया, गठन, प्रकार और ग्राम संगठन (वीओ) की उपसमितियों की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में प्रशिक्षित करना था। वी ओ सामान्य सभा (जीबी) की बैठक में एसएचजी सदस्य-स्तरीय स्वरुप को मजबूत करने के लिए वी ओ सुविधाकर्ता के लिए एक टीओटी उपलब्ध हैं।

नागालैंड एसआरएलएम के कर्मचारियों के लिए एफएनएचडब्ल्यू पर टीओटी

iii. **जेंडर, खाद्य पोषण स्वास्थ्य और डब्ल्युएएसएच (एफएनएचडब्ल्यु) और सामाजिक समावेशन पर प्रशिक्षण और कार्यशाला :** प्रशिक्षण, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम , आवधिक दौरे, जेंडर से सम्बंधित क्षेत्र प्रदर्शन और जेंडर, एफएनएचडब्ल्यु और सामाजिक समावेशन से संबंधित कार्यशालाओं सहित 11 कार्यक्रम आयोजित किये गए। 67 प्रतिभागियों (31 महिलाओं) ने परियोजना गांवों में भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता तथा डब्ल्युएएसएच हस्तक्षेप के महत्व पर कर्मचारियों को उन्मुख करने के लिए दो एफएनएचडब्ल्यु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए । मेघालय के गारो पहाड़ी जिलों में समाज में लैंगिक मुद्दों, चुनौतियों और असमानताओं के प्रकार और सीमा को समझने के लिए दो दौरे किये गए।

iv. **मॉडल समूह स्तर के संघ (सीएलएफ) से संबंधित प्रशिक्षण और कार्यशाला :** असम और मेघालय एसआरएलएम के लिए मॉडल सीएलएफ के गठन, सुदृढ़ीकरण, प्रबंधन और पंजीकरण से संबंधित कुल चार प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की गईं। कार्यक्रम में कुल 260 (महिला 199) प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के उद्देश्य नए सीएलएफ स्थापित करने और ग्राम संगठन तथा एसएचजी के समर्थन के लिए मॉडल सीएलएफ को सुदृढ करना था।

v. **सूक्ष्म ऋण योजना तैयार करने पर प्रशिक्षण :** एम सी पी के महत्व पर जानकारी और एम सी पी तैयारी पर एसआरएलएम कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए असम और मेघालय राज्य के लिए कुल पांच एम सी पी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए । प्रशिक्षण में एक-दिवसीय कक्षा सत्र और क्षेत्र में दो-दिवसीय प्रायोगिक सत्र शामिल थे।

एमजेड एसआरएलएम सिक्किम एसआरएलएम के सतत कृषि पर एसआरपी प्रशिक्षण

ख. वित्तीय समावेशन: बैंक सखी प्रशिक्षण

एनआरएलएम के तहत एसएचजी के वित्तीय समावेशन की मूल अवधारणा के बारे में जागरूक बनाने के लिए असम और मेघालय के बैंक सुविधाकर्ताओं के लिए दो बैंक सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए। प्रशिक्षण की सामग्री में एनआरएलएम से परिचय, एनआरएलएम के तहत विभिन्न फंड, बैंक सखी की मुख्य भूमिकाएं और जिम्मेदारियां, बैंकिंग शब्दावली और बैंकिंग सेवाओं के लिए फॉर्म भरना, प्रलेखन, एसएचजी को विभिन्न प्रकार के बैंक ऋण और इसकी चुकौती, अवधारणा और सीबीआरएम का महत्व , बैंक सखी और दावा प्रक्रिया का पारिश्रमिक पैटर्न आदि शामिल हैं।

ग. आजीविका

प्रदर्शनी दौरा- सह –प्रशिक्षण: 70 महिलाओं सहित 74 प्रतिभागियों ने 3 प्रदर्शन दौरा सह - यह प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। प्रतिभागियों में एसएचजी नेता और आजीविका संवर्ग शामिल थे। प्रशिक्षण की पाठ्यक्रम सामग्री में एकीकृत खेती प्रणाली (आई एफ एस), मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया, सतत योग्य कृषि, पशुधन प्रबंधन, मछली पालन और खाद्य प्रसंस्करण विषय शामिल थे।

एसआरपी सतत योग्य कृषि एवं पशुधन : एसआरपी के 5 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, कार्यक्रम में 101 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें 42 महिलाएँ शामिल थीं। प्रशिक्षण में कृषि-पारिस्थितिक पद्धतियों और पशुधन पालन के क्षेत्र में राज्य स्रोत व्यक्तियों (एस आर पी) का एक पूल बनाने के उद्देश्य से आठ-दिवसीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शामिल है, जो आगे क्षेत्र में सामुदायिक स्रोत व्यक्तियों को प्रशिक्षित करेगा।

1. अप्रैल-मई 2019 के दौरान एनआईपीआरडीपीआर के पीजीडीआरडीएम और पीजीडीएम (आरएम) छात्रों के लिए 35-दिवसीय इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए अनुभव समर्थन: एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में शिक्षा ले रहे 10 प्रशिक्षुओं को सह-सलाहकार के रुप में संसाधन सेल ने सहायता प्रदान की, जिन्हें पांच एनई एसआरएलएम अर्थात् मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा में नियुक्ति मिली । सेल ने अपने 35-दिवसीय इंटर्नशिप अवधि और अंतिम रिपोर्ट लेखन के दौरान प्रशिक्षुओं को सलाह दी।

2. एनआईआरडीपीआर-हैदराबाद में 17 वां ग्रामीण प्रौद्योगिकी शिल्प मेला: एनआरएलएम संसाधन सेल ने एनआईआरडीपीआर-हैदराबाद में आयोजित 17 वें ग्रामीण प्रौद्योगिकी और शिल्प मेला में मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश एसआरएलएम के एसएचजी की भागीदारी का समर्थन किया । एनआरएलएम संसाधन सेल ने एसएचजी को बिक्री, प्रचार, ब्रांड पहचान, उत्पाद मूल्यों को समझने और मूल्य निर्धारण में मदद की। संबंधित राज्य समन्वयकों ने उनके एसएचजी को आगंतुक की मांग के अनुरुप तैयार करने के लिए समर्थन दिया और उत्पाद अवलोकन एवं बिक्री को बढ़ावा देने के लिए उनके साथ एक रणनीतिक बैठक की व्यवस्था की।

3. क्षेत्र डायरी वॉल्यूम-I: एनआरएलएम-आरसी एनईआरसी ने जमीनी स्तर पर एनआरएलएम के हस्तक्षेप को समझने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में क्षेत्र दौरा किया। 'फील्ड डायरी' इन दौरों का परिणाम है, जो निर्माण संस्थानों की जमीनी स्तर की कहानियों को दर्शाती हैं- एसएचजी और इसके संघ, सामाजिक परिवर्तन की दिशा में काम करने वाली महिलाएं, ग्रामीण आजीविका की वृद्धि और ग्रामीण आजीविका के सुधार के लिए एसआरएलएम के प्रयास आदि । फ़ील्ड डायरी का लोकार्पण डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस , महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने किया।

श्रेणी	प्रतिभागियों की संख्या
सरकारी अधिकारी (एनआरएलएम)	1,069
बैंक कर्मी और समुदाय संगठन	73
अन्य (पीएसयू/व्यक्तियाँ) समुदाय संवर्ग	530
कुल	**1,672**

क्षेत्र दौरे के दौरान एसएचजी के महिला सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए बैंक कर्मी

अध्याय 8

नीति परामर्श

एनआईआरडीपीआर ग्रामीण विकास और पंचायती राज के विभिन्न क्षेत्रों और आयामों के लिए नीतियां बनाने में विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों की सहायता करते हुए विचार भंडार के रूप में कार्य करता है। शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं की एक बहुत मजबूत टीम के साथ, संस्थान ग्रामीण जनता के चेहरे पर उज्ज्वल मुस्कान लाने के लिए एक विकास क्षेत्र बनाने का प्रयास करता है। संस्थान को अनुसंधान और कार्य अनुसंधान अध्ययन करने के लिए बाध्य किया जाता है और विभिन्न ग्रामीण विषयों पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन करता है। संस्थान द्वारा की गई गतिविधियों के निष्कर्ष और सीख विभिन्न अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को डिजाइन करने के लिए गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और अध्ययन के निष्कर्ष विभिन्न विकास कार्यक्रमों के नीति निर्धारण और प्रबंधन में महत्वपूर्ण हैं।

वर्ष 2019-20 में आयोजित किए गए कार्यक्रम और प्रारम्भ किये गए अध्ययन प्रभावी नीति निर्धारण और ग्रामीण लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी निवेश और सुझाव प्रदान करते हैं।

8.1 ग्रामीण विकास योजनाओं और कार्यक्रमों का आकलन

सामान्य पुनरीक्षण मिशन (सीआरएम) को 2016 से एमओआरडी द्वारा प्रतिवर्ष नियुक्त किया जाता है ताकि विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन का एक स्वतंत्र मूल्यांकन किया जा सके, अंतराल की पहचान की जा सके और आगे सुधार के लिए सुझाव दिए जा सकें। सीआरएम राज्य सरकार के अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं के काम को प्रतिबिंबित करने, उनके कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों को उजागर करने और एमओआरडी को प्रतिक्रिया देने का अवसर प्रदान करता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सीआरएम के 5 वें संस्करण का आयोजन नवंबर 2019 में किया गया था और सीआरएम के सदस्यों को प्रशासन और शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों से आकर्षित किया गया था। 31 सदस्यों की सीआरएम टीम का नेतृत्व श्री राजीव कपूर, आईएएस (सेवानिवृत्त) ने किया।

एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद और एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी, गुवाहाटी की टीम जिसमें श्रीमती राधिका रस्तोगी, डॉ. ए. सिम्हाचलम, डॉ. रुबीना नुसरत और सुश्री हेमांगी शर्मा शामिल हैं, क्रमशः राजस्थान, मणिपुर, छत्तीसगढ़ और मेघालय राज्यों का दौरा किया।

समग्र अध्ययन और क्षेत्र दौरों से इस बात का पता चला हैं कि बेहत्तर बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है। जिन गांवों का दौरा किया गया, वे धातुयुक्त सड़कों से जुड़े थे। असंबद्ध ग्रामीण बस्तियों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जोड़ा गया है और इससे ग्रामीण जनता के जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिली है। पीएमएवाई-जी के माध्यम से ग्रामीण आवास की समस्या को बहुत कम समय में बड़े पैमाने पर संबोधित किया गया है। बनाए गए घरों में एलपीजी कनेक्शन के साथ शौचालय की सुविधा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण परिवारों को मजदूरी रोजगार देने और स्थायी संपत्ति बनाने में सफल रही है। सामुदायिक बुनियादी ढांचा बनाने पर भी अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत भवन और पीएमएवाई घरों के निर्माण के लिए अन्य योजनाओं के साथ एमजीएनआरईजीएस के अभिसरण के परिणामस्वरूप धन और संसाधनों का अधिकतम उपयोग हुआ है। सामाजिक लेखापरीक्षा, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, पीएफएमएस और परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही तंत्र ने रिसाव, धन के दुरुपयोग को रोकने और बेहतर निगरानी को सक्षम करने में मदद की है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के माध्यम से महिलाओं को बड़े पैमाने पर सशक्त बनाया गया है और एसएचजी आंदोलन ने जबरदस्त सामाजिक पूंजी बनाई है और इसके परिणामस्वरुप आय प्राप्त हुई है। व्यक्तिगत और समूह आर्थिक गतिविधियों ने ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर प्रदान किए हैं और प्रभावी निर्णय सृजन में उनका आत्मविश्वास बढ़ाया है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम द्वारा प्रदान किया जाने वाला सामाजिक सुरक्षा कवर उन वृद्ध व्यक्तियों, दिव्यांगो, विधवाओं, परिवारों के लिए एक वास्तविक सहायता है, जिन्होंने अपने प्रमुख आय-सर्जक और विकलांग व्यक्तियों को खो दिया है।

डीडीयू-जीकेवाई और आरएसईटीआई जैसे कुशल कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण युवाओं में बेरोजगारी के मुद्दे को बड़े पैमाने पर संबोधित किया है। जिससे उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में और उन्हें बेहतर प्लेसमेंट के लिए तैयार किया है या अपना स्वयं का उद्यम स्थापित करने में मदद की है।

सीआरएम टीम ने निम्नलिखित सुझाव दिए:

- विभिन्न ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज योजनाओं के बेहतर समन्वय और बेहतर परिणामों के लिए ग्रामीण विकास और पंचायती राज के विभागों का विलय किया जा सकता है।
- विभिन्न पदाधिकारियों की बेहतर जवाबदेही के लिए ब्लॉक और ग्राम पंचायतों के संगठन डिजाइन का पुनरीक्षण किया जा सकता है।
- विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के तहत रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरकर मानव संसाधन मुद्दों को निपटाया जा सकता है । यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि अनुबंध के आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित भुगतान जाए।
- प्रत्येक योजना के बेहतर मानकों को बनाए रखने के लिए गुणवत्ता मानकों को परिभाषित करने की आवश्यकता है।
- विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के बीच उनके अधिकारों और हकों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए योजनाओं में आईईसी गतिविधियों को मजबूत करने की आवश्यकता है।
- सभी ग्रामीण विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए एक सामान्य एकीकृत पोर्टल विकसित किया जा सकता है जो उपयोगकर्ता के अनुकूल और परिचालन में आसान है।
- प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ज्ञान / कौशल को अद्यतन करने के लिए, प्रशिक्षण आदि के माध्यम से क्षेत्र-स्तरीय पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाना है।
- जीपीडीपी केंद्रित ढांचे को विभिन्न योजनाओं में बेहतर अभिसरण के लिए अपनाया जा सकता है।
- एनआरएलएम को अपस्केल करने की तत्काल आवश्यकता है और एसएचजी को शुरु से अंत तक मूल्य श्रृंखला विकास और उद्यम बनाने के लिए पूंजी और तकनीकी सहायता प्रदान की जा सकती है।
- मौजूदा एसईसीसी सूचियों को बाह्य और समावेशी त्रुटियों से बचने के लिए अद्यतन किया जा सकता है।
- आईटीआई / पॉलिटेक्निक कॉलेजों / व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों का मौजूदा नेटवर्क डीडीयू-जीकेवाई के तहत परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में शामिल हो सकता है क्योंकि वे दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित हैं और प्रशिक्षण भागीदारों के पूल के विस्तार में मदद करेंगे।
- जहां भी संभव हो, ग्रामीण विकास योजनाओं में कम लागत, हरित प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- मिशन के कई निष्कर्ष नीतिगत निहितार्थ और विभिन्न आरडी योजनाओं के डिजाइन और कार्यप्रणाली में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में कार्य करेंगे।

8.2 पेसा अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन: नीतिगत कार्यान्वयन के लिए एक रुपरेखा

अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायतों का विस्तार (पीईएसए) अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत / ग्राम सभा के लिए शासन को प्रत्यायोजित करना हैं इसके द्वारा पांचवी अनुसूची क्षेत्र में आदिवासी स्व-शासन, संस्कृति, प्रथागत कानूनों के संरक्षण और प्राकृतिक जीवन की रक्षा करने के लिए संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है। हालांकि 23 साल पहले पेसा अधिनियम लागू किया गया था, लेकिन अभी तक पेसा क्षेत्रों में शासन को मजबूत किया जाना है और विकास के प्रयास लोगों के द्वार तक नहीं पहुंचे हैं। इस अधिनियम के कार्यान्वयन में समस्याओं को दूर करने के लिए, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सहयोग से संस्थान ने एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता माननीय श्री जुएल ओराम, आदिवासी मामलों के मंत्री, भारत सरकार ने की। इस दो दिवसीय संगोष्ठी ने पांचवें अनुसूची क्षेत्रों में कुशल प्रशासन के लिए कार्यान्वयन प्रक्रिया को पहचानने और मजबूत करने पर विचार-विमर्श और चर्चा के लिए अवसर प्रदान किया।

संगोष्ठी ने जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास को लाने के लिए कई क्षेत्रों में व्यावहारिक समाधान प्रस्तावित किए। सेमिनार ने विकास योजनाओं की रुपरेखा तैयार करने में महत्वपूर्ण जानकारी दी और देश में पेसा अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कई प्रकार की सिफारिशें प्रस्तुत कीं:

- पेसा राज्यों के राज्यपालों को पेसा अधिनियम के कार्यान्वयन में पहल करनी चाहिए, जैसा कि महामहिम श्री सी.विद्यासागर राव, महाराष्ट्र राज्य के तत्कालीन राज्यपाल द्वारा किया गया था।

एमओआरडी द्वारा संचालित 5वें सीएमआर के अन्य सदस्यों के साथ एनआईआरडीपीआर के कर्मचारी

पीईएसए अधिनियम, 1996 के प्रभावी कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान श्री जुएल ओराम, माननीय जनजातीय मामला मंत्री, भारत सरकार

- पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों वाले राज्यों के राज्यपाल के कार्यालय में, एक आदिवासी विकास सलाहकार सेल का गठन किया जाना चाहिए ताकि वह अपनी संवैधानिक शक्तियों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में पांचवीं अनुसूची राज्यों के राज्यपालों की सहायता कर सके।
- भारत के राष्ट्रपति से अनुरोध किया जा सकता है कि वे पीईएसए अधिनियम के कार्यान्वयन में प्रगति का आकलन करने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों के साथ संबंधित राज्यों के राज्यपालों के साथ समय-समय पर बैठकें करें।
- पांचवीं अनुसूची क्षेत्र के राज्यों में कानूनों को उन्हें पेसा अधिनियम, 1996 के अनुरुप लाने के लिए संशोधित नहीं किया गया है। वास्तव में, पीईएसए अधिनियम राज्य के कानूनों को ओवरराइड करेगा। यह प्रावधान जो पहले से ही वर्तमान पेसा अधिनियम का एक हिस्सा है, को राज्यों द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। इसलिए, इसे लागू किया जाना अनिवार्य है ।
- आदिवासियों के प्रथागत कानूनों को प्रलेखित किया जा सकता है। विशेष रुप से, इस प्रावधान के अनुपालन के लिए विवाद समाधान के प्रथागत मोड को राज्यों के राज्यपालों द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।
- अनुसूची क्षेत्रों में लघु वन उत्पाद (एमएफपी) पर मालिकाना हक के लिए सभी एमएफपी को वन विभाग के नियंत्रण से मुक्त करके इसे पेसा ग्राम सभा तक बढ़ाया जा सकता है। अनुसूचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर घोषित किए गए सभी एमएफपी को निरस्त किया जाना चाहिए और उनका नियंत्रण और स्वामित्व पेसा ग्राम सभाओं के लिए घोषित किया जाना चाहिए।
- पेसा अधिनियम के तहत गांवों को अधिसूचित किया जाना चाहिए। ग्राम सभा की कार्यपद्वति भी को सुनिश्चित करने के लिए इसे अधिसूचित किया जाए और इसकी संरचना (कार्यकर्ताओं और प्रकार्यों) को परिभाषित किया जाना चाहिए । ग्रामसभा के कामकाज में ग्राम सभा के सदस्यों को समर्थ किया जा सकता है ।
- किसी व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति समुदाय के रुप में प्रमाणित करने से पहले ग्राम सभा से अनुमोदन आवश्यक है। महिलाओं के नाम पर आदिवासियों से गैर-आदिवासियों द्वारा जमीन हड़पने के लिए सभी गैरकानूनी भूमि लेनदेन की जांच करने के लिए ग्राम सभा जांच प्राधिकारी होगा ।
- ग्राम सभा को जल-जंगल-जमीन के लिए शक्तियाँ दी गई हैं। लघु निकायों के संबंध में नियम और शर्तें ग्राम सभा द्वारा तैयार की जानी चाहिए । रॉयल्टी-ग्राम कोष का हिस्सा होना चाहिए।
- आदिवासी विकास योजना को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
- सभी राज्यों में पेसा नियमों को जल्द ही पूरा करना चाहिए। झारखंड राज्य, मध्य प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ को अभी उन नियमों को लागू करना बाकी है जिन्हें तत्काल लिया जाना चाहिए ।
- पंचायती राज मंत्रालय अधिनियम के समुचित कार्यान्वयन के लिए सामुदायिक संघटकों की सिफारिश कर सकता है ।

8.3 राष्ट्रीय रुरबन मिशन- डिजाइन में सुधार

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरबन मिशन (एसपीएमआरएम) को 2016 में 'राष्ट्रीय रुरबन मिशन' (एनआरयूएम) के नाम से आरम्भ किया था। मिशन को प्रारम्भ हुए लगभग पाँच साल हो गए हैं। राष्ट्रीय रुरबन मिशन (एनआरयूएम) वास्तव में कैसे काम करता है, इस पर कई अध्ययन नहीं किए गए हैं। क्षेत्र की वास्तविकताओं को समझने के लिए गुणात्मक अनुसंधान डिजाइन का उपयोग करके तमिलनाडु और केरल में चार रुरबन समूहों में तेजी से अध्ययन किया गया।

राष्ट्रीय रुरबन मिशन (एनआरयूएम) को प्रथम कार्यक्रम के रुप में मान्यता दी जानी चाहिए, जिसने वास्तविक धरातल पर अभिसरण का प्रदर्शन किया है। हालांकि, एक क्लस्टर में वांछित परिवर्तन और अभिसरण के लिए चुनी गई योजनाओं के प्रकार के बीच सामंजस्य की कमी है। इसके अलावा, विभिन्न विभागों की ओर से किए गए हस्तक्षेपों

की अपर्याप्त/आकस्मिक प्रकृति वांछित परिणाम देने मैं सक्षम नहीं है। उदाहरण के लिए, जब एक समूह बनाने के लिए 5-6 ग्राम पंचायतों को एकजुट किया जाता हो तो आवासीय स्थान बहुत व्यापक होता है। नतीजा यह होता हैं की कार्यान्वित योजनाओं की प्रभाविता के प्रभाव को आंकने के लिए दिक्कते आ जाती है। इसलिए, अध्ययन ने निम्नलिखित सुझाव दिए:

1. राज्यों को समूह पहचान और क्षेत्र रेखांकन के संबंध में व्यावहारिक अनुकूलन के लिए अनुमति दी जानी चाहिए।

2. हर समूह में 30 प्रतिशत महत्वपूर्ण अंतराल निधि (सीजीएफ) जारी रखा जाना चाहिए, क्योंकि यह राज्य और जिला प्रशासन में इस कार्यक्रम के प्रमुख प्रस्तावक के रूप में कार्य करता है। ग्राम पंचायतों को लाभ पहुँचाने वाले कार्यक्रम के दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं: (i) भू-स्थानिक योजना, और (ii) गतिविधियों / हस्तक्षेपों के लिए योजना बनाने में सक्षम होने की सुविधा जो कोई मौजूदा योजनाएं निधि नहीं दे सकती हैं - क्योंकि सीजीएफ ऐसे निवेशों/व्यय को कवर कर सकता है । इसलिए, एनआरयूएम के तहत सीजीएफ की अवधारणा को जारी रखा जाना चाहिए।

3. जब एक स्पष्ट ग्राम पंचायतों में समूह के रूप में लाने वाले एनआरयूएम में स्पष्ट रूप से रखरखाव की व्यवस्था नहीं है, तो सृजित की गई संपत्ति का रखरखाव एक मुद्दा बन जाता है। कुछ संपत्तियां सभी 4-5 ग्राम पंचायतों की हैं। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक पंचायत लाभार्थी है और प्रत्येक पंचायत जिम्मेदार है। जल-जीवन मिशन की तर्ज पर, परियोजना की शुरुआत से पहले सभी ग्राम पंचायतों से एकत्र किए गए एक विशेष रखरखाव फंड के निर्माण के माध्यम से, शायद, इसे संबोधित किया जा सकता है। इस निधि को रखरखाव के लिए चक्रावर्तन निधि के रूप में माना जा सकता है।

8.4 ग्रामीण भारत में लाभकारी रोजगार अवसरों के विस्तार में सेवा क्षेत्र की भूमिका

विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों की कमी को देखते हुए, कृषि श्रमिकों को कृषि से बाहर खदेड़ा जा रहा है और गंभीर रूप से इस संकट के कारण - पलायन हो रहा है । अतः गाँव में ही रोजगार / या उद्यमीय अवसर उत्पन्न करने की तत्काल आवश्यकता है, जो इन श्रमिकों के लिए उच्च उत्पादकता, सुरक्षितता और स्थायी आजीविका सुनिश्चित करेगा । इसे देखते हुए, 2010-11, 2015-16 की अवधि के लिए भारत में असमावेशित गैर-कृषि (निर्माण को छोड़कर) उद्यमों से ड्राइंग यूनिट रिकॉर्ड डेटा तथा उद्यम विकास के दृष्टिकोण से सेवा क्षेत्र में रोजगार सृजन की भूमिका और क्षमता को समझने के लिए अध्ययन का आयोजन किया गया। । यह अध्ययन सेवा क्षेत्र के उद्यमों के उत्थान और पतन को उनके रोजगार में हिस्सेदारी और वृद्धि के संदर्भ में जानकारी प्रदान करता है। यह अध्ययन महिलाओं तक पहुंच और अंशकालिक बेरोजगारी की घटनाओं के मामले में गुणात्मक रोजगार चुनौतियों पर भी प्रकाश डालता है। अध्ययन में पाया गया है कि ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र के भीतर, सेवा क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक रोजगार प्रदाता के रूप में उभर रहा है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत, फुटकर व्यापार, भूमि, परिवहन, समुदाय, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवा गतिविधियाँ, खाद्य सेवा गतिविधियाँ और वित्तीय सेवा क्रियाकलापों के कुल रोजगार का लगभग 80 प्रतिशत भाग हैं। हालांकि, कुल रोजगार में महिलाओं की हिस्सेदारी इन क्षेत्रों में से कई उद्यमों में बहुत कम है और अंशकालिक रोजगार का प्रभाव भी इस अवधि में बढ़ रहा है। अध्ययन में आकार, स्थान, स्वामित्व प्रकार और अन्य उद्यम-विशिष्ट विशेषताओं के मेजबान द्वारा महत्वपूर्ण भिन्नता देखी गई। मांग में गिरावट, ऋण की अनुपलब्धता और वित्तीय बकाया की प्राप्ति न होना सेवा क्षेत्र के उद्यमों के संचालन और विस्तार के लिए मुख्य बाधा बताया गया है।

सेवा क्षेत्र के उद्यमों में वित्त और विपणन के अलावा रोजगार सृजन की अपार संभावनाओं को देखते हुए ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को ध्यान में रखते हुए अनुकूल कौशल और क्षमता विकास कार्यक्रम तैयार किए जाने की आवश्यकता है। निरंतर और दीर्घकालिक अनुभव और आकांक्षी और मौजूदा उद्यमियों दोनों को सलाह देना भी इन उद्यमों को एक पैमाने की सीढ़ी पर रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा, जो मध्यम और दीर्घकालिक समय में रोजगार उत्पन्न करेगा। एनएलआरएम के तहत मौजूदा गैर-कृषि आजीविका कार्यक्रम, जिसमें स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम (एसवीईपी) शामिल है, को इस दिशा में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यह अध्ययन कई सवालों की श्रृंखला का मार्ग प्रशस्त करती है, जिन्हें प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर जांचने की जरूरत है। ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) पर संपूर्ण चर्चा में सेवा क्षेत्र के रोज़गार से जुड़े मुद्दों को कैसे मुख्य धारा में लाया जा सकता है, की सूचना भी देता हैं।

8.5 एसएलएसीसी परियोजना: नीति सिफारिशें

संस्थान ने 2019 के दौरान जलवायु परिवर्तन (एसएलएसीसी) के लिए सतत आजीविका और अनुकूलन पर परियोजना शुरु की है। इस परियोजना को वैश्विक पर्यावरण सुविधा और विश्व बैंक और एमओआरडी द्वारा वित्त पोषित किया गया । सामुदायिक स्त्रोत व्यक्तियों (सीआरपी) और मिशन कर्मचारियों को उत्पादन, प्रौद्योगिकी, पारिस्थितिकी और वित्तीय पहलुओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जलवायु व्यवहार्य पद्धतियों का प्रदर्शन किया गया। निम्नलिखित बिंदुओं को शायद परियोजनाओं की उपलब्धियों के आधार पर नीतिगत उपायों के रूप में माना जाता है:

- महिला एसएचजी, बैंकों / संवाददाताओं और बीमा एजेंटों के माध्यम से क्रेडिट और बीमा की बड़े पैमाने पर प्रविष्टियां वांछनीय है, क्योंकि गांव के अनपढ़ लोग क्रेडिट सुविधाओं तक पहुंचने में असमर्थ हैं।
- पारंपरिक किराया केंद्र (सी एच सी) को सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन उपकरणों को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त बजट और आवंटन की आवश्यकता होती है। लाइन बुवाई के लिए बीज ड्रिल का कार्य महिलाओं की कठिनाइयों, लागत और समय को कम करने के लिए उपयोगी हैं।
- छोटे जुगाली करने वाले पशु 10 से 20 फीसदी परिवारों तक ही बहुत सीमित मात्रा में हैं। पशु खरीद और रखरखाव के लिए एसएचजी के लिए अतिरिक्त धन आजीविका गतिविधियों में सुधार कर सकता है।
- मौसम आधारित कृषि सलाह (डब्लु बी ए ए) सेवाएं सीआरपी के माध्यम से गांवों तक पहुंचनी चाहिए।
- खेत तालाबों और सूक्ष्म सिंचाई के विस्तार की आवश्यकता है, जिसमें केवल संभावित क्षेत्र के 18 प्रतिशत को अपनाना है। एक त्रिकोणीय समझौते के साथ कार्यान्वयन दृष्टिकोण में जागरुकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाई जा सकती है।

अध्याय

9

प्रशासन

संस्थान का प्रशासनिक खंड संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अनुसंधान और परामर्शी गतिविधियों का संचालन करने में और दिन प्रतिदिन के कामकाज से संबंधित सभी मामलों को पूरा करने में संकाय सदस्यों को समर्थन और सहायता देता है। संस्थान का संचालन महापरिषद, कार्यकारी परिषद और शैक्षणिक परिषद द्वारा किया जाता है।

संस्थान की अध्यक्षता महानिदेशक करते हैं जो संस्थान के प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं और कार्यकारी परिषद के निदेश और मार्गदर्शन के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हैं।

महानिदेशक, उप महानिदेशक, निदेशक (वित्तीय प्रबंधन) -सह-वित्तीय सलाहकार और रजिस्ट्रार सह निदेशक (प्रशासन) को सहायक रजिस्ट्रार (स्थापना), सहायक रजिस्ट्रार (प्रशिक्षण), सहायक वित्तीय सलाहकार सह वेतन और लेखा अधिकारी द्वारा सहायता दी जाती है। संगठनात्मक ढाँचे को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है।

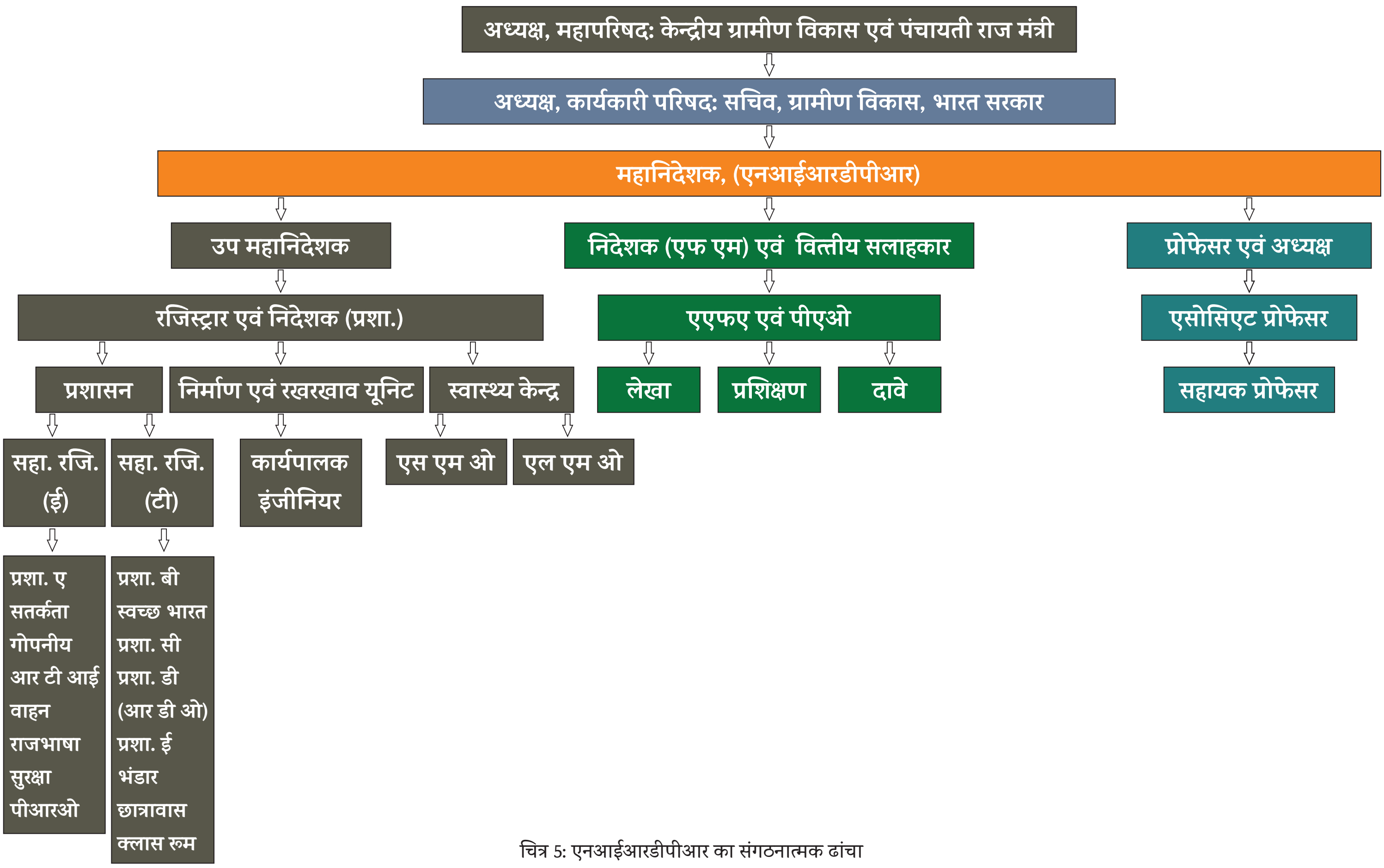

चित्र 5: एनआईआरडीपीआर का संगठनात्मक ढांचा

9.1 विभिन्न परिषदें

9.1.1 महापरिषद

महापरिषद की अध्यक्षता माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार करते है। संस्थान के प्रबंधन और प्रभावी कार्य पद्धति के लिए महापरिषद जिम्मेदार होता है। 31 मार्च, 2020 तक वर्ष 2019-20 के लिए महापरिषद का गठन अनुबंध XI में दिया गया है।

9.1.2 कार्यकारी परिषद

सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। संस्थान का प्रबंधन और प्रशासन महापरिषद द्वारा प्रदत्त सामान्य नियंत्रण और दिशानिर्देशों के अध्ययधीन कार्य करना कार्यकारी परिषद की जिम्मेदारी है। 31 मार्च, 2020 को वर्ष 2019-20 के लिए कार्यकारी परिषद का गठन अनुबंध XII में है।

9.1.3 शैक्षणिक परिषद

शैक्षणिक परिषद संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वार्षिक कैलेंडर को अंतिम रूप देने सहित अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मामलों का निपटान करता है। शैक्षणिक परिषद के गठन को अनुबंध XIII में दिया गया है।

9.2 एनआईआरडीपीआर के कार्यरत केंद्र

ग्रामीण विकास के लिए क्षमता निर्माण की बढ़ रही चुनौतियों से निपटने के लिए, संस्थान में समग्र ग्रामीण विकास के विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में 6 स्कूलों के अंतर्गत आने वाले 22 केंद्र हैं। इसके अतिरिक्त, संस्थान में तीन व्यावसायिक सहायता केंद्र भी हैं—प्रलेखन एवं प्रकाशन के संचालन के लिए विकास प्रलेखन एवं संचार केंद्र, आईटी- समाधान एवं आईटी आधारभूत संरचना को बनाये रखने में प्रस्तावित सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी केंद्र जबकि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण समन्वयन और नेटवर्किंग केंद्र विभिन्न राज्य स्तरीय संस्थानों के साथ अनुसंधान और प्रशिक्षण गतिविधियों के समन्वय, साझेदारी और नेटवर्किंग के लिए जिम्मेदार है।

तालिका 15: एनआईआरडीपीआर के स्कूल और केंद्र

क्र.सं.	स्कूल	स्कूल के अंतर्गत केंद्र
1	विकास अध्ययन एवं सामाजिक न्याय	i. मानव संसाधन विकास केंद्र ii. जेंडर अध्ययन एवं विकास केंद्र iii. समता एवं सामाजिक विकास केंद्र iv. कृषि अध्ययन केंद्र v. स्नातकोत्तर अध्ययन एवं दूरस्थ शिक्षा केंद्र
2	ग्रामीण आजीविका और आधारभूत संरचना	i. मजदूरी रोजगार केंद्र ii. कौशल और रोजगार केंद्र iii. ग्रामीण आधारभूत संरचना केंद्र iv. उद्यमिता विकास केंद्र v. वित्तीय समावेशन और उद्यमिता केंद्र vi. आजीविका केंद्र
3	सतत विकास	i. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन केंद्र ii. जलवायु परिवर्तन और आपदा न्यूनीकरण केंद्र
4	सार्वजनिक नीति और सुशासन	i. योजना, निगरानी और मूल्यांकन केंद्र ii. सीएसआर, सार्वजनिक निजी भागीदारी और जन iii. कार्रवाई केंद्र iv. सुशासन और नीति विश्लेषण केंद्र
5	स्थानीय सुशासन	i. पंचायती राज केंद्र ii. विकेंद्रीकृत योजना केंद्र iii. सामाजिक सेवा वितरण केंद्र iv. सामाजिक लेखापरीक्षा केंद्र
6	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और ज्ञान प्रणाली	i. ग्रामीण विकास में भू-संसूचना विज्ञान अनुप्रयोग केंद्र ii. नवाचार और उपयुक्त प्रौद्योगिकी केंद्र
व्यावसायिक सहायता केंद्र		i. विकास प्रलेखन एवं संचार केंद्र ii. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी केंद्र iii. अनुसंधान एवं प्रशिक्षण समन्वय और नेटवर्किंग केंद्र

9.3 सामान्य प्रशासन

महानिदेशक, संस्थान के मुख्य कार्यपालक अधिकारी होते है जो संस्थान के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होते हैं और कार्यकारी परिषद के अनुदेशो और मार्गदर्शन के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हैं।

संस्थान का प्रशासन खंड, सांविधिक बैठकों का आयोजन, स्थापना और कार्मिक प्रबंधन, अतिथि गृहों का प्रबंधन, परिसर सहायक सेवा, स्वास्थ्य सेवाओं और कर्मचारियों के कल्याण के लिए जिम्मेदार है।

9.3.1 सांविधिक बैठकें

तालिका 16: वर्ष 2019-20 के दौरान आयोजित सांविधिक बैठकें

बैठक	दिनांक	स्थान
127 वीं कार्यकारी परिषद	27.05.2019	i. ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली
128 वीं कार्यकारी परिषद	28.11.2019	ii. ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली
129 वीं कार्यकारी परिषद	24.01.2020	iii. ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली
62 वीं महापरिषद	17.02.2020	iv. भारत पर्यावास केंद्र, नई दिल्ली

9.3.2 आधारभूत संरचना सुविधाएं

संस्थान 174.21 एकड़ के क्षेत्र में स्थित है जिसमें आधारभूत संरचना सुविधाएॅं जैसे संकाय भवन, प्रशासनिक भवन, सुसज्जित पुस्तकालय, 223 अतिथि कमरों के साथ चार वातानुकूलित अतिथि गृह, 11 सम्मलेन कक्ष, 300 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाला सभागार, सामुदायिक भवन, स्वास्थ्य केंद्र, खेल परिसर, 219 आवासीय क्वार्टर, स्टाफ कैंटीन, शिशु सदन, योग और जिमनेसियम सुविधाएं आदि है ।

संस्थान के पास एक उत्कृष्ट आईटी आधारभूत संरचना है जिसमें इंटरनेट और इंट्रानेट की समर्पित कनेक्टिविटी सहित कंप्यूटर केंद्र है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है।

एनआईआरडीपीआर नेटवर्क प्रभावी शैक्षणिक, प्रशासनिक कार्यों, ई-ऑफिस, ई-जर्नल्स, आईपीकेएन के साथ राज्य, जिलों, एसआईआरडी / ईटीसी, राष्ट्रीय संस्थानों, अनुसंधान संगठनों आदि के लिए ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करता है और इसमें भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों के लिंक के साथ 1000 अलग-अलग नेटवर्क रेंज है ।

संस्थान को राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) कनेक्टिविटी से 45 एमबीपीएस रिडंडेंसी समर्पित लिंक के साथ 1 जीबीपीएस की कनेक्टिविटी के माध्यम से निर्बाध इंटरनेट सेवाएं मिलती हैं। वाई-फाई सुविधाएं परिसर, कार्यालय भवनों और अतिथि गृहों में उपलब्ध है।

अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण, मूल्यांकन, प्रायोगिक अभ्यास आदि के लिए दो सुसज्जित कंप्यूटर लैब और जीआईएस लैब उपलब्ध है। ये प्रयोगशालाएँ कार्यालय की वर्तमान आवश्यकताओं और संस्थान की प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों को पूरा करती हैं और उद्योग के समरुप हैं ।

9.3.3 सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

संस्थान ने सूचना प्रदान करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों को लागू करने के लिए कदम उठाए हैं। एनआईआरडीपीआर वेबसाइट आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत प्रदान किए गए अनिवार्य खुलासे का विवरण प्रदान करती है। संस्थान ने आरटीआई आवेदकों द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने के लिए अपीलीय प्राधिकारी, जन सूचना अधिकारी, दो सहायक जन सूचना अधिकारियों और पारदर्शिता अधिकारी को नामित किया है और उनके नाम एनआईआरडीपीआर वेबसाइट में भी प्रदर्शित किए गए हैं। संस्थान का गुवाहाटी के अपने पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केंद्र (एनईआरसी) गुवाहाटी के लिए एक अलग अपीलीय प्राधिकारी और जन सूचना अधिकारी भी है।

वर्ष 2019-20 के दौरान नागरिकों से 67 आरटीआई आवेदन और विभिन्न मुद्दों पर अपील प्राप्त हुई और प्रक्रिया के अनुसार उनका निपटान किया गया था। संस्थान ने प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन तिमाही रिटर्न भी जमा किया है। आरटीआई आवेदन परियोजनाओं, शैक्षिक कार्यक्रमों, सेवा मामलों, अदालती मामलों, भर्तियों, प्रकाशनों और अपील आदि से संबंधित हैं।

9.3.4 संकाय विकास

संकाय विकास और अभिवृद्वि प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, संस्थान के संकाय और गैर-संकाय सदस्यों को भारत और विदेशों में विभिन्न सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नियमित आधार पर प्रतिनियुक्त किया जाता है। 2019-20 के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में संकाय और गैर-संकाय की भागीदारी का विवरण अनुबंध XIV में दिया गया है।

9.3.5 कर्मचारी विवरण

शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की कुल संख्या तालिका -17 में दी गई है:

संस्थान की हितकारी निधि से बहुत कम ब्याज दरों पर ग्रुप सी एवं डी कर्मचारियों के बहुत से बच्चों के विवाह, उच्च शिक्षा आदि के लिए पुनर्देय ऋण जैसे लाभ दिए गए ।

गरीब महिला समूह का समर्थन करने के प्रयास के रुप में, संस्थान के कैंटीन प्रबंधन को एक स्व-सहायता समूह को सौंपा गया है। संस्थान परिसर में स्थित भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम (बीवीबीवी) को भी सहायता और समर्थन प्रदान करता है।

9.3.6 भर्तियाँ

वर्ष के दौरान निदेशक (एफएम) एवं एफए और सहायक वित्तीय सलाहकार एवं वेतन और लेखा अधिकारी (एएफए और पीएओ) के पद प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे गए । सहायक रजिस्ट्रार के रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति पर भरने के लिए भर्ती नियमों में संशोधन के बाद, रिक्तियों को भरने के लिए नवंबर 2019 में एक विज्ञापन जारी किया गया था और साक्षात्कार मार्च 2020 में आयोजित किए गए थे। संस्थान समय-समय पर विभिन्न परियोजनाओं के लिए अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती भी करता है।

तालिका 17: शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की संख्या

शैक्षणिक पद							
1	2	3	4	5	6	7	8
संवर्ग	अनु. जाति	अनु. जनजाति	ओबीसी	अन्य	कुल	पूर्व सैनिक	स्तम्भ 5 में से महिलाएं
ग्रुप-A	6	3	15	34	58	-	14
ग्रुप -B	-	-	1	3	4	-	-
कुल	6	3	16	37	62	-	14
गैर शैक्षणिक कर्मचारी							
1	2	3	4	5	6	7	8
संवर्ग	अनु. जाति	अनु. जनजाति	ओबीसी	अन्य	कुल	पूर्व सैनिक	स्तम्भ 5 में से महिलाएं
ग्रुप -A	1	1	-	12	14	-	4
ग्रुप -B	4	-	4	13	21	-	7
ग्रुप -C	12	4	40	50	106	5	26
ग्रुप -C (पुनः वर्गीकृत)	32	5	19	16	72	0	11
कुल	49	10	63	91	213	5	48

9.4 2019-2020 में संस्थान द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण कार्यक्रम

संस्थान हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस आयोजित करता है, बीवीबीवी के छात्रों द्वारा मार्च पास्ट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों प्रस्तुत किया जाता है जिसमें भारतीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए स्पॉट गेम्स प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। अन्य देशों के साथ अच्छे संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रयास के रूप में, संस्थान अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों को भी सुविधा प्रदान करता है जो संस्थान के विभिन्न केंद्रों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का एक हिस्सा हैं।

महत्वपूर्ण कार्यक्रम जैसे डॉ. बी. आर. अम्बेडकर जयंती और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को एनआईआरडीपीआर के कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्य और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों के साथ मनाया गया।

9.4.1 स्थापना दिवस समारोह

संस्थान का 61 वां स्थापना दिवस मनाया गया और 'संपूर्ण भारत में चेंज मेकर संरपचों द्वारा अनुभव साझा करना' पर दो दिवसीय कार्यशाला के आयोजन सहित विभिन्न कार्यक्रमों, पैनल चर्चाओं का आयोजन किया गया। भारत भर में कुल 200 सरपंचों को अपने अनुभवों को साझा करने और परिवर्तन के लिए सच्चे आदर्श बनने के लिए आमंत्रित किया गया। समारोह के भाग के रूप में, ग्रामीण विकास पर चौथे राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का भी आयोजन किया गया, जिसने युवा फिल्म निर्माताओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और ग्रामीण मुद्दों एवं ग्रामीण विकास पर आधारित वृत्तचित्र फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान किया।

फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण के लिए, प्रविष्टियों को दो श्रेणियों में आमंत्रित किया गया था – (i) ग्रामीण विकास पर सरकारी योजनाएं (दस्तावेजी) और (ii) ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न विधाओं में फिल्में (कथा) । प्रत्येक श्रेणी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार विजेताओं को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र के साथ पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक निरंतरता - ग्रामीण से शहरी और कम होते विभाजन - ग्रामीण से शहरी तक विषयों पर एक मोबाइल फिल्म निर्माण प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी। कुल मिलाकर, देश के 18 राज्यों से 55 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं थी ।

बाल दिवस समारोह के दौरान विजेता को पुरस्कार प्रदान करते हुए डॉ. डब्लु. आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर; श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर

9.4.2 बाल दिवस समारोह

समारोहों के भाग के रूप में, एनआईआरडीपीआर परिसर के भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम के छात्रों के लिए एक क्विंटरडाईल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें दिए गए पाठ को पढ़ना, दिए गए विषय पर बोलना और प्रख्यात व्यक्तियों की तस्वीरों को देखकर पहचानना आदि विषय शामिल थे। प्रतियोगिता में कक्षा V से कक्षा IX के कुल 55 छात्रों ने भाग लिया। डॉ. डब्लु. आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर और श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर द्वारा विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।

मोबाइल फिल्म निर्माण पर प्रतिभागियों के साथ बातचीत करते हुए श्री शशि भूषण, वित्तीय सलाहकार ((बाएं से प्रथम), डॉ. डब्लु. आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर (बाएं से दूसरे), श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर (दाएं से तीसरे) और डॉ. आकाँक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर, अध्यक्ष (प्रभारी), सीडीसी

9.4.3 मोबाइल फिल्म निर्माण पर तीन दिवसीय कार्यशाला

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की विज्ञान प्रसार युनिट के सहयोग से संस्थान ने 2019 में मोबाइल फिल्म निर्माण पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। स्रोत व्यक्ति श्री निमिष कपूर, वैज्ञानिक ई, विज्ञान प्रसार और श्री संतोष पांडे, वरिष्ठ निर्माता, ईटीवी भारत, श्री सुनील प्रभाकर और श्री रितेश तकसांदे ने फिल्म निर्माण के विभिन्न विषयों पर बात की।

प्रतिभागियों (एनआईआरडीपीआर में पीजी पाठ्यक्रम के छात्र) को फिल्मांकन की मूल बातें सिखाई गईं जैसे कि कैमरा शॉट्स, कहानी दृष्टिकोण, पटकथा लेखन और फिल्म संपादन। कार्यशाला के दौरान, स्मार्टफोन का उपयोग करके फिल्म के निर्माण पूर्व, निर्माण और निर्माण के बाद संचालन पर जोर दिया गया।

9.4.4 पुस्तकालय वार्ता

कर्मचारियों और स्टाफ की समग्र भलाई के लिए संस्थान नियमित रूप से विभिन्न वार्ता और सेमिनार आयोजित करता है। 2019-20 में, पाँच पुस्तकालय वार्ता और ग्रामीण विकास से लेकर मानव की भलाई तक की एक विशेष बातचीत - पशुधन के माध्यम से बेहतर आजीविका, अधिकतम मेडिटेशन के माध्यम से तनाव को खत्म करना, मानव शरीर पर नमक खाने के दुष्प्रभाव, गौरैया का संरक्षण, मनरेगा का दशक: स्थिति और मुद्दे, ग्रामीण विकास पर गांधी की प्रासंगिकता और प्रभाव - का आयोजन किया गया।

9.5 प्रलेखन और संप्रेषण

संस्थान में विकास प्रलेखन और संचार केंद्र (सीडीसी) के साथ ही साथ पांच उप-अनुभाग जैसे प्रलेखन, पुस्तकालय, प्रकाशन, राजभाषा और दृश्य-श्रव्य का व्यावसायिक समर्थन केंद्र है। संस्थान के अनुसंधान और प्रशिक्षण गतिविधियों और विकास समुदाय के अन्य सदस्यों को जानकारी का समर्थन प्रदान करने के लिए, विकास प्रलेखन और संचार केंद्र, ग्रामीण विकास साहित्य की पहचान करने, एकत्र करने और प्रभावी तथा व्यापक प्रसार के लिए समान दस्तावेज बनाने में लगा हुआ है। किताबें, जर्नल, सीडी / डीवीडी, ई-बुक्स, और ग्रामीण विकास पर ई-डेटाबेस जैसे मुद्रित और गैर-मुद्रित के रूप में सूचना संसाधनों का एक समृद्ध संग्रह है और वर्षों से एकत्र संबद्ध पहलू एनआईआरडीपीआर की ताकत है और उसी सूचना भंडार को प्रसारित करने के लिए मजबूत बनाता है।

2019-20 के दौरान, संस्थान ने अपने संग्रह में कुल 250 पुस्तकें और अन्य दस्तावेज जोड़े हैं। केंद्र में 1,23,448 पुस्तकों / प्रकाशनों का संग्रह है। संस्थान ने प्रतिभागियों और कर्मचारियों के लिए हिंदी पुस्तकों का एक अलग संग्रह बनाए रखा है। आवश्यकता और मांग के आधार पर, इस खंड में पुस्तकों का नियमित समावेश किया जाता है।

संस्थान ने वर्ष 2020 में ई-बुलेटिन, एक द्विमासिक समाचार पत्र भी शुरु किया, जो केंद्र में आए नई पुस्तकों, पत्रिकाओं, ई-संसाधनों और नवीनतम घटनाओं के बारे में जानकारी का प्रसार करने के लिए आरम्भ किया गया था ।

ई-संसाधन

सभी इलेक्ट्रॉनिक संसाधन दूरस्थ रुप से एनआईआरडीपीआर के पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं (छात्रों, संकाय और कर्मचारियों) के लिए रिमोट एक्स एस सर्वर के माध्यम से सुलभ हैं। उपयोगकर्ता यूजर आईडी के रूप में ईमेल आईडी से एनआईआरडीपीआर पोर्टल में सूचीबद्ध ई-संसाधनों के विभिन्न रुपों जैसे ई-बुक्स, ई-जर्नल्स, ई-डेटाबेस आदि का उपयोग कर सकते हैं।

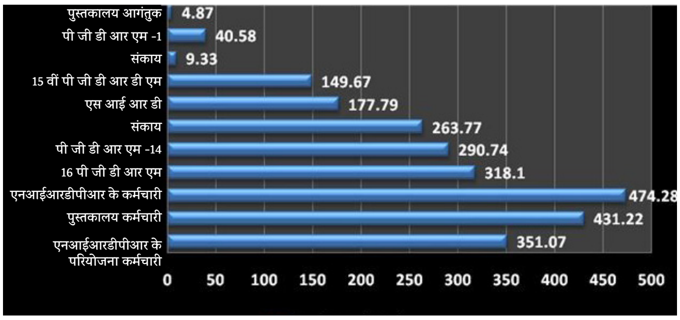

ग्राफ-32: 2019-20 वर्ष के लिए उपयोगकर्ता द्वारा ई-संसाधनों का उपयोग

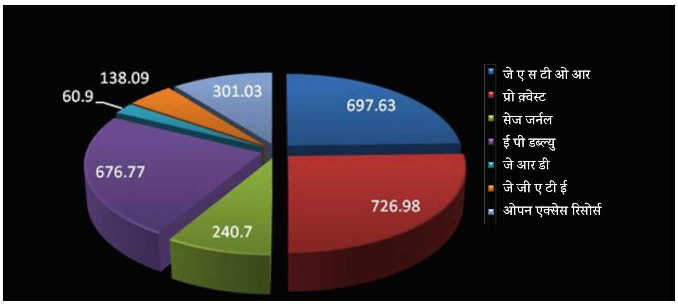

ग्राफ-33: 2019-20 वर्ष के लिए ई-संसाधनों का उपयोग

9.5.1 प्रलेखन प्रबंधन प्रणाली

आधिकारिक उद्देश्यों के लिए डिजिटल प्रारूप में दस्तावेजों का प्रबंधन करने और सूचना सुरक्षा नीति को बनाए रखने के लिए, संस्थान ने दस्तावेजों को व्यवस्थित, सुरक्षित करने, अधिकृत और डिजिटल करने का एक स्वचालित वेब आधारित दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) स्थापित की है। विभिन्न केंद्रों / स्कूलों, विभागों और समितियों को आधिकारिक रिकॉर्ड रखने के लिए http://dms.nirdpr.in पर डीएमएस का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। डीएमएस में प्रलेखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कुल संख्या 542 है, जिसमें 31 मार्च, 2020 तक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, आयोजित कार्यक्रमों की अध्ययन सामग्री, शोध पत्र, वार्षिक रिपोर्ट आदि शामिल हैं।

9.5.2 प्रकाशन

क) ग्रामीण विकास पत्रिका

त्रैमासिक ग्रामीण विकास पत्रिका एनआईआरडीपीआर का प्रमुख प्रकाशन है और ग्रामीण विकास एवं संचार प्रशासन के क्षेत्र में अग्रणी शैक्षणिक पत्रिकाओं में से एक है। एक प्रभावशाली परिसंचरण के साथ, यह शैक्षणिक समुदाय, ग्रामीण विकास प्रशासकों और योजनाकारों द्वारा सबसे अधिक मांग वाली पत्रिकाओं में से एक है।

वर्ष के दौरान, महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती से संबंधित एक विशेष अंक सहित जेआरडी के चार अंकों का प्रकाशन किया गया। चार अंकों में 34 लेख और एक पुस्तक समीक्षा शामिल है।

ख) एनआईआरडीपीआर का समाचार पत्र

एनआईआरडीपीआर का समाचार पत्र 'प्रगति', एक मासिक प्रकाशन है, जो एनआईआरडीपीआर द्वारा नियमित आधार पर चलाए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों और कार्यशालाओं की सिफारिशों और महत्वपूर्ण घटनाओं को उजागर करता है । समाचार पत्र में संकाय विकास, प्रशिक्षण कार्यक्रम, मामला अध्ययन, ग्रामीण विकास पेशेवरों के साक्षात्कार, सफलता की कहानियां, दौरे और संस्थान के (भारतीय और विदेशी दोनों) प्रतिनिधिमंडल आदि के समाचार शामिल होते हैं। इसके माध्यम से, एनआईआरडीपीआर एसआईआरडी, ईटीसी, डीआरडीए और एनजीओ के साथ नियमित संपर्क बनाए रखता है। वर्ष के दौरान कुल 12 समाचार पत्र प्रकाशित किए गए।

ग) वर्ष 2019-20 के दौरान अन्य प्रकाशन

संस्थान ने वार्षिक रिपोर्ट - 2018-19, वार्षिक लेखा - 2018-19 और प्रशिक्षण कैलेंडर 2019-20 के अलावा 2019-20 में कुल 18 प्रकाशनों को प्रकाशित किया जो इस प्रकार हैं:

1. अनुसंधान रिपोर्ट - पीएमएवाई-जी का प्रभाव आकलन (मध्य प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल)
2. लोक कार्यक्रम अभियान पुस्तिका - अंग्रेजी और हिंदी
3. सतत आजीविका और जलवायु परिवर्तन के लिए अनुकूलन - प्रशिक्षण पुस्तिका – अंग्रेजी
4. सतत आजीविका के लिए जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पर राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए सार पुस्तिका
5. बिहार के लिए नीति संक्षेप - सतत आजीविका और जलवायु परिवर्तन के लिए अनुकूलन
6. मध्य प्रदेश के लिए नीति संक्षेप - सतत आजीविका और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन
7. एसएलएसीसी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 24-पृष्ठों वाला फ्लिपकार्ट
8. कार्यशाला की कार्यवाही - ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमशीलता और सतत आजीविका को बढ़ावा देने में एस एवं टी संस्थानों की संभावित भूमिका
9. ग्रामीण नवप्रवर्तक स्टार्ट-अप संगोष्ठी (आरआईएससी-2018) - रिपोर्ट
10. ग्रामीण नवप्रवर्तक स्टार्ट-अप संगोष्ठी (आरआईएससी -2019) की कार्यवाही
11. भारत में सामाजिक लेखापरीक्षा की स्थिति, 2019, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सामाजिक लेखापरीक्षा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी की कार्यवाही और अनुशंसाएँ
12. अपने ऋण पोर्टफोलियो और परिसंपत्ति गुणवत्ता के विशेष संदर्भ में स्वयं सहायता समूह-बीएलपी का मूल्यांकन
13. एनआईआरडीपीआर-नाबार्ड सहयोगी क्षेत्रीय कार्यशाला के लिए 11 लेखा पुस्तकों का संग्रह
14. प्रशिक्षण विवरणिका (पोषण अभियान जन आन्दोलन और ग्राम पंचायत पोषण कहानी)
15. पीआरआई प्रशिक्षक पुस्तिका (पोषण अभियान जन आंदोलन पर पीआरआई सदस्यों का अभिमुखीकरण)
16. अंग्रेजी और तेलुगु में महिला स्वास्थ्य पर 6-पृष्ठ की विवरणिका - (एनआईआरडीपीआर -बीडीएल सहयोग)
17. जल संग्रह - महात्मा गांधी नरेगा के तहत (एमओआरडी के लिए) जल संरक्षण की कहानियां
18. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

9.6 राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा का उत्तरोत्तर प्रयोग : 2019-20

संस्थान समय-समय पर भारत सरकार की राजभाषा नीति को लागू करता रहा है। राजभाषा के क्षेत्र में संस्थान का कार्य निष्पादन उल्लेखनीय रहा। 'प्रतिदिन एक हिंदी शब्द सीखिए' संस्थान में अधिकारियों / कर्मचारियों के कार्यसाधक ज्ञान को बढ़ाने के लिए लागू किया जा रहा है। संस्थान के अधिकारी / कर्मचारियों में हिंदी में रुचि पैदा करने के लिए संस्थान के प्रमुख स्थानों पर हिंदी उद्धरण भी प्रदर्शित किए गए हैं।

9.6.1 संस्थान में हिंदी भाषा के प्रगामी प्रयोग के संबंध में निरीक्षण

श्री बृजभान, संयुक्त निदेशक, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा निरीक्षण किया गया । राजभाषा अनुभाग के कार्य प्रदर्शन की सराहना की गई और संस्थान के प्रयासों को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टोलिक) के संयोजक के रूप में सराहा गया।

9.6.2 2019-2020 में राजभाषा अनुभाग के क्रियाकलाप

उत्तर-पूर्व में राजभाषा की प्रगति के माध्यम से कार्यालय की संबद्वता और उन्नति पर प्रकाश डालने हेतु वर्ष 2019-20 के दौरान, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, गुवाहाटी और राजभाषा तकनीकी सेमिनार जैसे कई सेमिनार आयोजित किए गए। हिंदी पखवाड़ा / हिंदी दिवस भी मनाया गया और संस्थान के कर्मचारियों और छात्रों में हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित हिंदी प्रकाशन भी प्रकाशित किए गए:

- वार्षिक रिपोर्ट - 2018-19
- वार्षिक लेखा - 2018-19
- एनआईआरडीपीआर प्रशिक्षण कैलेंडर- 2019-20
- एनआईआरडीपीआर प्रगति समाचार पत्र - 12 अंक
- सामाजिक लेखापरीक्षा के दिशानिर्देश
- सतत आजीविका और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन
- जीपीडीपी - सबकी योजना सबका विकास
- सोलार पैनल पुस्तिका

अध्याय

10

वित्त एवं लेखा

Image credit @ pixabay

एनआईआरडीपीआर के लेखा कर्मचारियों के लिए आयोजित वित्त कार्यशाला के दौरान पदाधिकारी

एनआईआरडीपीआर अपने सभी गतिविधियों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित एक केंद्रीय स्वायत्त निकाय है। हर साल, अनुमोदित बजट के अनुसार, मंत्रालय वेतन / सामान्य शीर्षों के तहत अनुदान जारी करता है। एनआईआरडीपीआर के प्रस्तावों और आवश्यकता के अनुसार विशिष्ट पूंजीगत व्यय के लिए अनुदान भी जारी किया जाता है। संस्थान के वित्त और लेखा प्रभाग को बजटिंग, भुगतान और निधियों के लेखांकन, वार्षिक लेखा की तैयारी आदि के कार्य सौंपे जाते हैं। संस्थान प्रति वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होनेवाले और 31 मार्च को समाप्त होनेवाले वित्तीय वर्ष की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली का अनुसरण कर रहा है। संस्थान के वार्षिक खातों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए सीएजी द्वारा अनुमोदित निर्धारित मानदंडों का पालन करते हुए संस्थान के खातों को यथोचित तैयार किया जाता है। संस्थान के खातों पर सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट हर साल वार्षिक खातों में शामिल की जाती है और संसद को प्रस्तुत की जाती है।

संस्थान की मुख्य गतिविधियों जैसे क्षमता निर्माण, अनुसंधान, विकास, सेमिनार और सम्मेलन, ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क, प्रकाशन, पत्रिकाओं की सदस्यता, पुस्तकालय, रखरखाव और अन्य आवर्ती और गैर-आवर्ती व्यय पर व्ययों को पूरा करने के लिए वेतन / सामान्य शीर्षों के तहत जारी अनुदान का उपयोग किया जाता है। उपरोक्त के अलावा, एनआईआरडीपीआर को ग्रामीण क्षेत्र में भारत सरकार के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों जैसे दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयूजीकेवाई), सासंद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई), रुर्बन मिशन, मनरेगा, सामाजिक लेखापरीक्षा के तहत क्षमता निर्माण, एनआरएलएम, आरसेटी, आदि के लिए एमओआरडी के विभिन्न कार्यक्रम प्रभागों से निधियां भी प्राप्त होती हैं। विभिन्न अन्य मंत्रालयों, राज्य सरकारों, संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय निकायों आदि से भी अनुसंधान, प्रभाव मूल्यांकन और क्षमता निर्माण के लिए निधियां प्राप्त होती हैं जो कि वित्त पोषण एजेंसियों की आवश्यकता के लिए विशिष्ट हैं।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, 80.42 करोड़ रु. के दाम पर जारी किए गए अनुदान के मुकाबले संस्थान का व्यय 80.00 करोड़ रुपये है।

पिछले पांच वर्षों में उपगत अनुदान और व्यय के संबंध में ग्राफीय प्रतिपादन निम्नानुसार है ।

तालिका 18: अंतिम पाँच वर्षों में संस्थान का व्यय

वर्ष	कुल अनुदान (करोड़ रुपये में)	व्यय (करोड़ रुपये में)
2015-16	57.23	67.64
2016-17	58.83	62.25
2017-18	50.00	70.88
2018-19	72.17	79.32

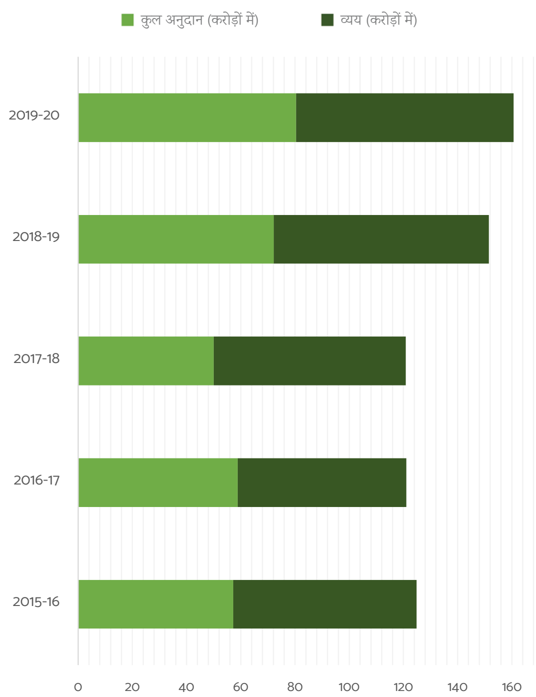

ग्राफ 34: अनुदान और व्यय के संबंध में तुलना

10.1 एनआईआरडीपीआर की समग्र निधि

संस्थान की समग्र निधि की स्थापना 2008-09 में 21 अगस्त, 2008 को हुई कार्यकारी परिषद (ईसी) की 105 वीं बैठक में अनुमोदन से की गई थी। उक्त बैठक में निधि के उद्देश्यों, स्रोतों, अनुप्रयोगों, प्रबंधन आदि को निर्दिष्ट करते हुए, निधि के संचालन और प्रबंधन के लिए समग्र निधि नियम ईसी द्वारा अनुमोदित किए गए थे। निधि का मुख्य उद्देश्य संस्थान की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है। 31 मार्च, 2020 तक, समग्र निधि 263.21 करोड़ रुपये रही जो 31 मार्च, 2019 तक 217.72 करोड़ रुपये थी। यह संस्थान की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और आत्मनिर्भरता की अनिवार्यता को पूरा करने के लिए सकल रूप से अपर्याप्त है, यह देखते हुए कि संस्थान ने 2019-20 के दौरान लगभग 80 करोड़ रुपये का व्यय उपगत किया है (अधिक भर्तियां और संस्थान की गतिविधियों में घातीय वृद्धि के कारण इसके अतिरिक्त बढ़ने की उम्मीद है)।

संचालन की देखरेख के लिए समग्र निधि प्रबंधन समिति (सीएफएमसी) का गठन ईसी द्वारा किया गया है और निधि के प्रबंधन की परिकल्पना ईसी अनुमोदित समग्र निधि नियमों में की गई है। समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

i. महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर (समिति के अध्यक्ष)

ii. उप-महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर

iii. निदेशक (एफएम) एवं एफए, एनआईआरडीपीआर

iv. रजिस्ट्रार एवं निदेशक (प्रशा.), एनआईआरडीपीआर

v. ईसी द्वारा नामित एक सदस्य

vi. निवेश बैंकिंग अनुभव रखनेवाले एक विशेषज्ञ

vii. महानिदेशक द्वारा नामित निवेश अनुभव रखनेवाले एक विशेषज्ञ

समग्र निधि नियमों के अनुसार, निधि से संबंधित व्यवहार के लेन-देन के लिए समिति को जितनी बार आवश्यक माना जाता है उतनी बार बैठक होती है । निधि का परिचालन प्रबंधन ईसी द्वारा सीएफएमसी को सौंपा जाता है ।

तदनुसार, एनआईआरडीपीआर समग्र निधि प्रबंधन समिति के लिए एक सदस्य नामित करने हेतु संस्थान के अनुरोध की प्रतिक्रिया में, एमओआरडी ने डॉ. सुपर्णा पचौरी, संयुक्त सचिव (वित्त), एमओआरडी को 28.02.2020 से नामित किया ।

निवेश बैंकिंग में विशेषज्ञ को अभिनिर्धारित करने के लिए अनुभव, अर्हता एवं आयु के आधार पर कतिपय अभ्यर्थियों का विचार किया गया । कोष, ऋण और सामान्य बैंकिंग सहित वित्तीय बाजार में 30 से अधिक वर्षों का सुसंगत अनुभव रखनेवाले सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी श्री. माधवन शेखर को इस समिति में नामित किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दी गई है ।

10.2 एनआईआरडीपीआर द्वारा अनुरक्षित अन्य निधियां

इसके अलावा, संस्थान ने विकास निधि, हितकारी निधि, भविष्य निधि, भवन निधि और चिकित्सा समग्र निधि की भी स्थापना की है, जो एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ प्रयोजन-उन्मुख हैं। निधियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

एनआईआरडीपीआर के प्रतिभाशाली कर्मचारी/अधिकारियों की उच्चतम शिक्षा, संस्थान के वित्त विशिष्ट विकासात्मक परियोजनाओं आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु विकास निधि की स्थापना 4 अक्तूबर 1982 को प्रारंभ की गई। कर्मचारियों के कल्याण के उपाय जैसे ग्रुप सी कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा और विवाह के लिए ऋण, मृतक कर्मचारियों के परिवारों को एक बार की वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उसी अवधि में हितकारी निधि की भी स्थापना की गई। उपर्युक्त दो निधियों का मुख्य स्रोत परामर्श परियोजनाओं और निधि पर अर्जित ब्याज से संस्थान की निवल बचत / आय का एक नियत अंश है। 31 मार्च, 2020 तक निधियों का शेष क्रमशः 9.48 करोड़ रुपये और 5.76 करोड़ रुपये था।

भवन निधि का गठन 20 अप्रैल 1989 को किया गया था, जो मुख्य रूप से उसी के लिए निर्धारित निधि से संस्थान के ढांचागत विकास के लिए शुरु किया गया था। 31 मार्च, 2020 तक निधि का शेष 29.26 करोड़ रुपये था।

संस्थान के कर्मचारियों के सभी पीएफ से संबंधित लेनदेन के लिए भविष्य निधि की स्थापना की गई थी। 31 मार्च, 2020 तक निधि का शेष 19.68 करोड़ रुपये था।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को चिकित्सा लाभ प्रदान करने के लिए चिकित्सा समग्र निधि की स्थापना की गई थी। इस निधि का स्रोत कर्मचारियों / सेवानिवृत्त कर्मचारियों से सदस्यता और निधि पर अर्जित ब्याज है। 31 मार्च, 2020 तक निधि का शेष 1.63 करोड़ रुपये था।

तालिका 19 : 2019-20 के दौरान विभिन्न गतिविधियों के लिए आवंटित निधि

क्र.सं.	वित्तपोषण	राशि (रुपये में)
1.	एनआईआरडीपीआर कैंटीन	**1,65,000**
2.	कर्मचारी के आश्रितों और लोकहितैषी गतिविधियों हेतु संगीत शिक्षक के लिए एनआईआरडीपीआर महिला मंडली को	**1,10,000**
कुल		2,75,000

परिशिष्ट

परिशिष्ट –I

2019-20 के दौरान एनआईआरडीपीआर कार्यक्रमों में शामिल प्रतिभागियों का श्रेणी-वार वितरण											
महीना	सरकारी अधिकारी	वित्तीय संस्थाएं	जेडपीसी और पीआरआई	गैर सरकारी संगठन	अनु. एवं प्रशि. एसआरएलएम हेतु राष्ट्रीय / राज्य संस्थाएं	विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय	अंतर्राष्ट्रीय	(एसएचजी, किसान, बीएफटी, बेरोजगार युवा)	कुल	महिलाएं	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या
क) हैदराबाद											
अप्रैल	66	0	129	77	15	0	0	7	**294**	118	8
मई	428	0	238	62	50	7	0	0	**785**	214	22
जून	183	33	69	55	52	3	16	182	**593**	150	19
जुलाई	769	78	163	74	83	227	44	210	**1648**	415	39
अगस्त	373	30	117	90	43	20	0	1198	**1871**	190	29
सितंबर	782	10	524	79	62	2	68	347	**1874**	558	31
अक्तूबर	780	30	375	64	37	39	41	245	**1611**	410	31
नवंबर	340	127	303	43	28	12	50	589	**1492**	677	23
दिसंबर	441	1	78	55	39	3	0	269	**886**	152	19
जनवरी	514	48	36	49	9	19	117	322	**1114**	339	35
फरवरी	211	12	92	128	39	85	22	481	**1070**	297	28
मार्च	62	1	100	23	0	5	0	24	**215**	28	7
कुल	**4949**	**370**	**2224**	**799**	**457**	**422**	**358**	**3874**	**13453**	**3548**	**291**
आरटीपी	**647**	**240**	**149**	**39**	**0**	**4863**	**100**	**5664**	**11702**	**4124**	**210**
नेटवर्किंग											
एनआरएलएम आरसी					16855				**16855**	7674	340
मनरेगा								13578	**13578**		650
डीडीयू-जीकेवाई								2471	**2471**	606	105
Total	**5596**	**610**	**2373**	**838**	**17312**	**5285**	**458**	**25587**	**58059**	**15952**	**1596**
ख) एनईआरसी											
अप्रैल	28	0	0	0	3	0	0	0	**31**	10	1
मई	81	0	4	0	3	0	0	0	**88**	20	3
जून	23	0	0	0	19	0	0	0	**42**	5	2
जुलाई	155	2	0	0	5	0	0	2	**164**	32	2
अगस्त	42	0	0	0	1	0	0	30	**73**	31	4
सितंबर	302	0	5	24	18	5	0	8	**362**	59	10
अक्तूबर	63	0	0	16	0	0	0	0	**79**	17	3
नवंबर	79	0	11	0	17	0	0	1	**108**	26	4
दिसंबर	42	0	0	0	0	0	0	0	**42**	0	1
जनवरी	96	0	0	0	5	4	0	0	**105**	21	4
फरवरी	393	1	0	53	0	45	0	1	**493**	137	11
मार्च	122	0	0	38	3	2	0	1	**166**	38	6
एनआरएलएम एनईआरसी	1069	73	0	0	0	0	0	530	**1672**	918	52
कुल	**2495**	**76**	**20**	**131**	**74**	**56**	**0**	**573**	**3425**	**1314**	**103**
कुल योग (क+ख)	8091	686	2393	969	17386	5341	458	26160	61484	17266	1699
सहभागिता प्रतिशतता में	13.18	1.12	3.89	1.58	28.28	8.69	0.74	42.55	**100.00**	28.12	9.8

परिशिष्ट -II

अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण

क. विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के आईटीईसी फेलोशिप कार्यक्रम

» ग्रामीण रोजगार परियोजनाओं का प्रबंधन और गरीबी उन्मूलन
» ग्रामीण विकास में भू-संसूचना अनुप्रयोग पर कार्यक्रम
» इंडोनेशिया के ग्राम नेताओं के लिए ग्रामीण विकास
» सतत ग्रामीण आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
» ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए सुशासन
» ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की योजना और प्रबंधन
» ग्रामीण विकास के लिए सतत कृषि रणनीतियाँ
» ग्रामीण विकास के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण
» ग्रामीण आवास और पर्यावास परियोजनाओं की योजना और प्रबंधन
» गरीबी निवारण और सतत विकास के लिए सहभागी योजना
» विकास पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण क्रियाविधि

ख. एमओआरडी- एनआईआरडीपीआर- सिर्डाप सहयोगी कार्यक्रम

» सहभागी ग्रामीण विकास पर सिर्डाप अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम
» ग्रामीण रोजगार परियोजनाओं का प्रबंधन और गरीबी उन्मूलन
» भू-संसूचना पर भू-संसूचना प्रशिक्षण कार्यक्रम और योजना एवं प्रबंधन के लिए मॉडल सर्वेक्षण तकनीक
» सतत ग्रामीण आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

ग. अन्य

» ग्रामीण उद्यमिता और सूक्ष्म वित्त: वित्तीय समावेशन में बिंदुओं को जोड़ना
» ग्रामीण विकास के लिए लघु उद्यम का वित्तपोषण

परिशिष्ट -III

वर्ष 2019-20 के दौरान प्रारंभ किए गए अनुसंधान अध्ययन

क्र. सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल	के दौरान प्रारंभ किए गए
क.	अनुसंधान अध्ययन		
1.	निचले कावेरी डेल्टा में कृषि परिवर्तन की एक सदी: पलकुरिची गांव का एक अध्ययन, 1918-2018	डॉ. सुरजित विक्रमन, डॉ. मुरुगेसन	01-07-2019
2.	ग्रामीण युवाओं के कौशल और रोजगार के निर्माण में आरसेटी की दक्षता पर एक अध्ययन	डॉ. आर. अरुणा जयमणि, सुश्री चंपकवल्ली	01-08-2019
3.	बिहार में शीतोष्ण प्रवृत्ति - आजीविका और सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों पर शराब निषेध के प्रभाव का विश्लेषण	डॉ. ज्योतिस सत्यपालन	01-08-2019
4.	प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन में सेवा वितरण शासन मुद्दों और चुनौतियों का आकलन	डॉ. के. प्रभाकर, डॉ. एस. ज्योतिस सत्यपालन, श्री राजेश्वर, सुश्री सुरक्षा रॉय (एसआईआरडीपीआर सिक्किम)	01-08-2019
5.	ग्राम पंचायतों के लिए राजस्व के अपने स्रोत (ओएसआर) को बढ़ाने और विकास में इसकी भूमिका के लिए पहल - चयनित राज्यों में एक अध्ययन	डॉ. आर. चिन्नादुरै	01-08-2019
6.	ग्राम पंचायत के लिए ई-गवर्नेंस रेडीनेस इंडेक्स का विकास	श्री के राजेश्वर	01-08-2019
7.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में समूह शासन	डॉ. एस के सत्यप्रभा, श्री नागराज राव, मिशन प्रबंधक, एनआरएलएम	01-08-2019
8.	तेलंगाना में कृषि में निवेश पर आय सहायता योजना का कार्यान्वयन और इसके प्रभाव	डॉ. सीएच राधिका रानी, डॉ. नित्या वी.जी.	01-08-2019
9.	ग्रामीण मजदूरी में एमजीएनआरईजीएस न्यूनतम मजदूरी और रुझान	डॉ. ज्योतिस सत्यपालन, डॉ. दिगंबर. ए, डॉ. पी. अनुराधा	01-08-2019
10.	ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी पर डीएवाई-एनआरएलएम के पीआरआई-सीबीओ परियोजना का प्रभाव और उनके मांगों के लिए जीपी का प्रतिक्रिया	डॉ. राजेश कुमार सिन्हा	01-08-2019
11.	ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में 'जिला विकास संयोजन और निगरानी समिति (डीआईएसएचए) की भूमिका' - पुरस्कार विजेता राज्यों का अध्ययन	डॉ. आर. अरुणा जयमणि	01-08-2019
12.	उन्नत भारत अभियान योजना का मूल्यांकन - उद्देश्यों की उपलब्धि का पता लगाने के लिए एक त्वरित गहन अध्ययन	डॉ. जी. वेंकट राजू, डॉ. वानिश्री जोसेफ	2019
ख.	मामला अध्ययन		
13.	कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश में ई-डिस्ट्रिक्ट अनुप्रयोग के कार्यान्वयन का अध्ययन करना	श्री के राजेश्वर, श्री मनु महाजन	1-7-2019
14.	ग्रामीण समुदाय रेडियों की सफल कहानी का मानचित्रण (आरसीआर) – एक मामला अध्ययन	डॉ. आकाँक्षा शुक्ला	1-8-2019
15.	व्यापक ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की प्रक्रिया और रणनीति - सफल जीपी के मामलों का दस्तावेजीकरण	डॉ. आर. चिन्नादुरै	1-6-2019
16.	ग्राम पंचायतों को मानव संसाधन सहायता: झारखंड में जीपी स्वयंसेवकों का मामला अध्ययन	डॉ. राजेश कुमार सिन्हा	01-08-2019
ग.	सहयोगात्मक अध्ययन		
17.	एसएचजी व्यवहार परिवर्तन दिशायें	डॉ. एस के सत्यप्रभा, डॉ. सुचरिता पुजारी	1-4-2019
18.	एसएचजी के माध्यम से ग्रामीण महिला उद्यमियों का सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण: जम्मू - कश्मीर में उम्मीद का अध्ययन	जेकेआईएमपीए एवं आरडी, जम्मू - कश्मीर	01-08-2019

परिशिष्ट –IV

वर्ष 2019-20 के दौरान संपूरित अनुसंधान अध्ययन

क्र. सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल	के दौरान प्रारंभ किए गए
क.	**अनुसंधान अध्ययन**		
1.	जल उपयोगकर्ता संघों के माध्यम से सहभागी सिंचाई प्रबंधन: कुछ चयनित सिंचित कमान क्षेत्रों का आकलन	डॉ. यू. हेमंत कुमार, डॉ. के. प्रभाकर, डॉ. पी. राज कुमार	2015-16
2.	भू-संसूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके स्थानिक निर्णय समर्थन प्रणाली (एसडीएसएस) विकसित करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों और ग्रामीण आजीविका पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन	डॉ. पी. केशव राव, ईआर.एच.के. सोलंकी, श्री डी.एस.आर. मूर्ति, डॉ. राज कुमार पम्मी	2015-16
3.	महात्मा गांधी एनआरईजीएस के तहत संभावित वेतन रोजगार तक पहुंच की सुविधा और मांग कैप्चरिंग : नलगोंडा जिला, तेलंगाना में एक खोजपूर्ण अनुसंधान	डॉ. दिगंबर अबाजी चिमनकर डॉ. जी. रजनीकांत	2016-17
4.	विभिन्न भूमि वितरण कार्यक्रमों के तहत गरीबों को आवंटित भूमि की स्थिति: चयनित राज्यों में एक मूल्यांकन	डॉ. जी.वी. कृष्णलोही दास	2016-17
5.	महात्मा गांधी एनआरईजीएस परिसंपत्ति: इसका व्यापक मूल्यांकन	डॉ. पी. अनुराधा डॉ. जी. रजनीकांत	2016-17
6.	निचले स्तर (जीपी) पर महिला प्रतिनिधि: चयनित राज्यों में एक अध्ययन	डॉ. एस.एन. राव	2016-17
7.	सहभागी और विभागीय दृष्टिकोण का उपयोग कर अंतराल के आकलन के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर मौजूदा सामुदायिक अवसंरचना और उचित आवश्यकताओं का जीआईएस आधारित अध्ययन: ग्राम पंचायत हंत्रा, जिला भरतपुर, राजस्थान का मामला	ईआर. एच.के. सोलंकी, डॉ. पी. केशव राव	2016-17
8.	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (डीडीयू-जीकेवाई) का मूल्यांकन – भारत में एक अध्ययन	डॉ. जी. वेंकट राजु	2017-18
9.	भारत में बढावा देने के लिए सूक्ष्म सिंचाई मॉडल और मुद्दों पर ध्यान देना	डॉ. के. कृष्णा रेड्डी, डॉ. श्रीकांत वी. मुकाटे, डॉ. रविंद्र एस. गवली, डॉ. वी. सुरेश बाबु	2017-18
10.	ग्रामीण भारत में उत्पादक रोजगार अवसरों के विस्तार में सेवा क्षेत्र की भूमिका	डॉ. पार्थ प्रतिम साहु	2017-18
11.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक और कैशलेस लेनदेन की प्रभाविता का आकलन	डॉ. के. प्रभाकर, डॉ. राज कुमार पम्मी	2017-18
12.	भारत में हाथ से मैला ढोने से मुक्त और गैर-मुक्त महिलाओं का मनोसामाजिक स्वास्थ्य	डॉ. लखन सिंह	2017-18
13.	जिला योजनाएँ तैयार करने और उन्हें लागू करने में विफलता के कारणों की जाँच करना - नीति निर्माण के लिए सीख	डॉ. आर. अरुणा जयमणि, डॉ. वाई. भास्कर राव	2017-18
14.	कृषि बाजार अटकलों के जवाब में संस्थागत नवाचार: एक सामूहिक मामला अध्ययन	डॉ. सुरजीत विक्रमण, डॉ. मुरुगेसन	2017-18
15.	भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग के अभ्यास में एक जांच (यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक में मामला अध्ययन)	प्रोफेसर पी शिवराम, डॉ. आर. रमेश	2017-18
16.	देश भर में प्रदर्शन आकलन के लिए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) की समानांतर और ऊर्ध्वाधर स्कैनिंग - एक परियोजना चक्र अध्ययन	डॉ. सीएच राधिका रानी एवं दल	2017-18
17.	विकास हेतु डिजिटल मीडिया: दूरस्थ ग्रामीण तेलंगाना में संचार अध्ययन	डॉ. आकाँक्षा शुक्ला, डॉ. कथिरेसन	2018-19
18.	स्व सहायता समूह (एसएचजी) नेताओं से निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ईडब्लुआर) तक: पीआरआई में जेंडर उत्तरदायी शासन का अध्ययन	डॉ. एन.वी. माधुरी, डॉ. रुचिरा भट्टाचार्य एवं दल	2018-19
19.	ग्रामीण भारत में महिलाओं के खाद्य उत्पादन पहुंच के संबंध में पोषण में जेंडर अंतर को समझना	डॉ. रुचिरा भट्टाचार्य, डॉ. एन.वी. माधुरी	2018-19
20.	पंचायतों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना: पीआरआई-एसएचजी अभिसरण पर एक अध्ययन	डॉ. प्रत्युषना पटनायक	2018-19
21.	ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं के स्रोत राजस्व संग्रहण पर चौदहवें वित्त आयोग के प्रदर्शन अनुदान का प्रभाव आकलन	डॉ. राजेश कुमार सिन्हा, डॉ. वानिश्री जोसेफ	2018-19
22.	ग्रामीण और पेरी-शहरी क्षेत्रों में भूमि बाजार में परिवर्तन और गरीबों की आजीविका पर इन परिवर्तनों का प्रभाव: तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का तुलनात्मक अध्ययन	डॉ. नित्या वी.जी., डॉ. सी.एच. राधिका रानी	2018-19
23.	ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी पर डीएवाई-एनआरएलएम के पीआरआई-सीबीओ परियोजना का प्रभाव और उनके मांगों के लिए जीपी का जवाब	डॉ. राजेश कुमार सिन्हा	2019-20

क्र. सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल	के दौरान प्रारंभ किए गए
ख.	**मामला अध्ययन**		
24.	सफल ग्राम पंचायतों के स्वयं स्रोत राजस्व-चयनित जीपी के मामला अध्ययन	डॉ. आर. चिन्नादुरै	2018-19
25.	चैंपियन ऑफ चेंज: पंजाब के सबसे युवा सरपंच पर एक मामला अध्ययन	डॉ. सी. कतिरेसन	2018-19
26.	यूनेस्को की "दुलार" पहल के लिए कार्य पद्धति और मांग	डॉ. रुचिरा भट्टाचार्य, डॉ. एन.वी. माधुरी	2018-19
27.	पंचायत सशक्तिकरण से सम्मानित फेटरी ग्राम पंचायत - सबक सीखा जाना	डॉ. प्रत्युषना पटनायक	2018-19
28.	व्यापक ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की रणनीतियां और प्रक्रिया - सफल जीपी के मामलों का दस्तावेजीकरण	डॉ. आर.चिन्नादुरै	2019-20
29.	ग्राम पंचायतों को मानव संसाधन सहायता: झारखंड में जीपी स्वयंसेवकों का मामला अध्ययन	डॉ. राजेश कुमार सिन्हा	2019-20
ग.	**सहयोगात्मक अध्ययन**		
30.	अंडमॉन-निकोबार द्वीपसमूह संघ शासित क्षेत्र में पीआरआई में जनशक्ति की वास्तविक आवश्यकता पर विश्लेषणात्मक अध्ययन	डॉ. सी. कतिरेसन, डॉ. प्रत्युषना पटनायक, श्री मोहम्मद तकीउद्दीन	2018-19
31.	मनरेगा के तहत जल संरक्षण का आकलन और जल निकायों (नदियों सहित) का जीर्णोद्वार: उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से सीख	भारतीय प्रबंधन संस्थान, काशीपुर, उत्तराखंड	2016-17
32.	नरेगा और उसकी संपत्ति: झारखंड, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में नरेगा परिसंपत्तियों का व्यापक मूल्यांकन	मानव विकास संस्थान (आईएचडी), नई दिल्ली	2017-18
33.	सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर जलागम विकास कार्यक्रम का प्रभाव और आजीविका, आय मानक और हितधारकों के व्यवहार संबंधी पहलू पर इसका प्रभाव	डीडीयू-एसआईआरडी, यूपी	2016-17
34.	महिला सशक्तिकरण के लिए एसएचजी का सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन	डीडीयू-एसआईआरडी, यूपी	2016-17
35.	लुंगली जिला, मिजोरम, भारत में ढलान वाली कृषि भूमि प्रौद्योगिकी (एसएएलटी) और गैर-ढलान वाली कृषि भूमि प्रौद्योगिकी के बीच तुलनात्मक अध्ययन	ईटीसी, पुकपुई, लुंगली, मिजोरम	2016-17
36.	स्वच्छ भारत अभियान का प्रभाव - रिबोई जिला, मेघालय का मामला अध्ययन।	ईटीसी, नांगसडर, मेघालय	2017-18
37.	पेसा क्षेत्रों में रीति-रिवाजों और परंपराओं की पद्धतियां	पीआरटीआई/ईटीसी, मशोब्रा, शिमला, एचपी	2017-18
38.	'स्वच्छ भारत' के कार्यान्वयन और सर्वोत्तम प्रथाओं का विश्लेषण- कालाहांडी जिला, ओडिशा का मामला अध्ययन	ईटीसी, भवानीपटना, कालाहांडी, ओडिशा	2017-18
39.	मेघालय की गारो जनजाति में ग्रामीण परिवारों की बचत के व्यवहार का अध्ययन करना	ईटीसी, दकोपगरे, तुरा मेघालय	2018-19

परिशिष्ट -V

वर्ष 2019-20 के दौरान चल रहे अनुसंधान अध्ययन

क्र. सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल	के दौरान प्रारंभ किए गए
क.	**अनुसंधान अध्ययन**		
1.	एससीएसपी/ टीएसपी का मूल्यांकन - आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का अध्ययन	डॉ. एस.एन. राव	2016-17
2.	कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी व्यय पद्धति और तौर-तरीके: एनएलसी और डीआरएल पर अध्ययन	डॉ. मुरुगेसन एवं दल	2016-17
3.	कृषि पर सतत और प्रतिकारक मॉडल विकसित करना - बेहतर पोषण परिणामों के लिए पोषण संयोजन	डॉ. सुरजीत विक्रमण, डॉ. मुरुगेसन	2017-18
4.	सतत आजीविका और वंचित समुदाय: कर्नाटक के चुनिंदा जिले में डब्लुएडीआई कार्यक्रम का अध्ययन	डॉ. राज कुमार पम्मी	2017-18
5.	भारत में ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थानों का प्रदर्शन: एक आकलन अध्ययन	डॉ. टी. विजया कुमार, डॉ. लखन सिंह, डॉ. सोनल मोबर रॉय	2017-18
6.	एनएसएपी एवं राज्य पेंशन योजनाएँ और डीबीटी का विस्तार- 8 राज्यों में अध्ययन	डॉ. एस.एन. राव	2017-18
7.	किन्नरों के सामाजार्थिक और मनोवैज्ञानिक अध्ययन और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए रणनीतियाँ (दो राज्यों का अध्ययन)	डॉ. एस.एन. राव	2017-18
8.	एमजीएनआरईजीएस के तहत आजीविका अभिवृद्धि और सततता (प्रभाव)	डॉ. यू हेमंत कुमार डॉ. जी.वी.के.लोही दास, डॉ. राज कुमार पम्मी, डॉ. पी. शिवराम	2017-18
9.	नोट बंदी और कृषि पर इसके पश्च प्रभाव पर अध्ययन: एक महत्वपूर्ण विश्लेषण	डॉ. के. कृष्णा रेड्डी , डॉ. रविंद्र एस. गवली	2017-18
10.	बिहार में महिला नेतृत्व वाले ग्राम पंचायतों का प्रदर्शन: सत्ता, प्रतिरोध, बातचीत और परिवर्तन पर विश्लेषण	डॉ. मुकेश कुमार श्रीवास्तव, श्रीमती स्मिता सिन्हा, बीआईपीएआरडी	2017-18
11.	एमजीएनआरईजीएस के सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों में प्रवृत्तियों का अध्ययन और राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई और उसका प्रभाव	डॉ. सी. धीरजा, डॉ. एस. श्रीनिवास, श्री करुणा मुथैया	2018-19
12.	प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण में सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता	डॉ. श्रीनिवास सज्जा, डॉ. सी. धीरजा, श्री करुणा एम	2018-19
13.	उपयोग और रखरखाव पर ध्यान देने के साथ ओडीएफ स्थिति का पुनसत्यापन: एक अनुभवपरक जांच	डॉ. आर. रमेश, डॉ. पी. शिवराम	2018-19
ख.	**मामला अध्ययन**		
14.	मध्य प्रदेश में आजीविका पहल और विशेष रुप से कमजोर आदिवासी समूहों के जीवन स्तर पर एक मामला अध्ययन	डॉ. आर. मुरुगेशन	2015-16
15.	एमजीएनआरईजीएस के सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों पर सतर्कता प्रणाली की भूमिका- आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का मामला	डॉ. सी. धीरजा, डॉ. एस. श्रीनिवास, श्री करुणा मुथैया	2018-19
ग.	**सहयोगात्मक अध्ययन**		
	i) एसआईआरडीपीआर		
16.	चेन्चुओं (पीटीजी) में प्रमुख आजीविका स्रोत - महबूब नगर जिला, आंध्र प्रदेश का मामला अध्ययन	टीएसआईआरडी, तेलंगाना	2012-13
17.	सूखा ग्रस्त क्षेत्रों की आजीविका पर एमजीएनआरईजीएस का प्रभाव आकलन: महबूब नगर जिला, आंध्र प्रदेश का मामला अध्ययन	टीएसआईआरडी, तेलंगाना	2012-13
18.	पापुमपरे जिले के अंतर्गत राग सीडी ब्लॉक और एसआईआरडी के आसपास के गांवों में एसएचजी के माध्यम से आजीविका परियोजनाएं/ सूक्ष्म उद्यम	एसआईआरडी, अरूणाचल प्रदेश	2014-15
19.	तमिलनाडु के कुड्डलूर जिले के रासपेट्टई गांव में ग्राम आपदा जोखिम प्रबंधन योजना (वीडीआरएमपी) पर कार्य अनुसंधान परियोजना	एसआईआरडी, तमिलनाडु	2015-16

क्र. सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल	के दौरान प्रारंभ किए गए
20.	त्रिपुरा में महिलाओं के व्यवहार परिवर्तन पर स्वच्छता अभियान का प्रभाव	एसआईआरडी, त्रिपुरा	2016-17
21.	तेलंगाना राज्य में प्राथमिक शिक्षा में नामांकन और छात्रों की प्रतिधारणा को प्रभावित करने वाले कारक (एससी और एसटी के संदर्भ में)	टीएसआईआरडी, तेलंगाना	2016-17
22.	शिक्षा और महिला सशक्तिकरण तथा जेंडर न्याय के बीच संबंधों का पता लगाना : पश्चिम बंगाल, केरल और मिजोरम के बीच तुलनात्मक विश्लेषण	बीआरआईपीआरडी, पश्चिम बंगाल	2016-17
23.	"झारखंड में आदिवासी महिला पीआरआई सदस्यों को सशक्त करना, लेकिन क्या यह पेसा के संदर्भ में है? - झारखंड के दस (10) पेसा जिलों में अध्ययन"	एसआईआरडी, झारखंड	2016-17
24.	झारखंड में ई-पंचायत - चुनौतियां और प्रस्तावित समाधान	एसआईआरडी, झारखंड	2016-17
25.	पश्चिम मिदनापुर, पुरुलिया और अली के विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों (लोढ़ा, बिरहोर और टोटो) से संबंधित प्राथमिक स्कूल के बच्चों के पोषण और शैक्षिक स्थिति पर पकाये गए मध्याह्न-भोजन कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक अंतर-अनुभागीय अध्ययन,	एसआईआरडी, पश्चिम बंगाल	2017-18
26.	मनरेगा में अभिसरण पहल: राजौरी जिले का एक मामला अध्ययन (जम्मू-कश्मीर)	जेकेआईएमपीए और आरडी, जम्मू - कश्मीर	2017-18
27.	मध्यप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा और ग्राम पंचायत सदस्यों के कार्यों को लागू करने के संबंध में मानसिकता और संस्थागत संरचनात्मक परिस्थितियों का निर्धारण करने के लिए विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक अध्ययन	एमजीएसआईआरडी, एमपी	2018-19
28.	ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों के पलायन को रोकने में मनरेगा योजना की भूमिका	एमजीएसआईआरडी, एमपी	2018-19
29.	एमजीएनआरईजीएस योजना के कुल कम्प्यूटरीकरण का प्रभाव (कुंडम ब्लॉक, जबलपुर, एमपी में दो जनपद पंचायतें)	एमजीएसआईआरडी, एमपी	2018-19
30.	पंचायत दरपन में की जा रही ऑनलाइन प्रविष्टियों में आने वाली कठिनाइयों का अध्ययन	एमजीएसआईआरडी, एमपी	2018-19
31.	ग्राम सभा का संस्थानीकरण और कार्य का आकलन और ग्राम सभाओं में महिलाओं की भागीदारी	एमजीएसआईआरडी, एमपी	2018-19
32.	कुंडम ब्लॉक, जबलपुर, एमपी में प्रधान मंत्री आवास योजना- ग्रामीण के तहत लाभार्थियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति	एमजीएसआईआरडी, एमपी	2018-19
	ii) ईटीसी		
33.	महात्मा गांधी नरेगा: मावुर ग्राम पंचायत में एक मामला अध्ययन	ईटीसी, तलिपरम्बा, करिंबम, कन्नूर जिला, केरल	2016-17
34.	सामुदायिक स्वच्छता और स्वस्थता में पुकपुई गांव को गोद लेने के लिए कार्य अनुसंधान	ईटीसी, पुकपुई, लुंगली, मिजोरम	2016-17

परिशिष्ट -VI

वर्ष 2019-20 का कार्य अनुसंधान अध्ययन

क्र. सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल	के दौरान प्रारंभ किए गए
	चल रहे अध्ययन		
1.	कंप्रेस्ड मड प्रोसेस का उपयोग करके रुफ टाइल्स, फ्लोर टाइल्स और पेवर ब्लॉक का डिजाइन और विकास	डॉ. रमेश सक्तिवेल	2018-19
2.	स्कूलों में बालिका शौचालयों की स्थिति में सुधार के लिए जल रहित मूत्र प्रणाली का डिजाइन और विकास	डॉ. रमेश सक्तिवेल	2018-19
3.	100+ क्लस्टर विकास कार्यक्रम और 250 मॉडल जीपी क्लस्टर बनाने के लिए परियोजना	डॉ. अर्जन के भंज, श्री दिलीप कुमार पाल	2018-19
	संपूरित अध्ययन		
4.	सहभागी जीआईएस दृष्टिकोण का उपयोग करके सतत ग्राम संसाधन विकास योजनाओं का सृजन (सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसजीएसवाई) योजना पर आधारित)	डॉ. एन.एस.आर. प्रसाद, डॉ. डी.एस.एम. मूर्ति, डॉ. राज कुमार पम्मी, डॉ. पी. केशव राव	2015-16
5.	ग्रामीण परिवारों के बीच कृषि संकट के मानचित्रण और निवारण के लिए प्रोटोकॉल का विकास करना	डॉ. सीएच राधिका रानी डॉ. नित्या, श्री रविंदर, श्री नागराज	2017-18
6.	एनएसएपी के लिए प्रायोगिक सामाजिक लेखापरीक्षा का आयोजन	डॉ. सी. धीरजा, डॉ. श्रीनिवास सज्जा, डॉ. राजेश के सिन्हा	2018-19
7.	पीएमएवाई-यू के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा का आयोजन	डॉ. सी. धीरजा, डॉ. श्रीनिवास सज्जा	2018-19

परिशिष्ट -VII

वर्ष 2019-20 के दौरान प्रारंभ किए गए परामर्शी अध्ययन

क्र. सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल	के दौरान प्रारंभ किए गए
1.	2015-16 और 2016-17 के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए आरकेवीवाई परियोजनाओं का तीसरा पक्ष मूल्यांकन	डॉ. जी.वी. कृष्णलोही दास, डॉ. यू. हेमंत कुमार, डॉ. के. कृष्णा रेड्डी	1-4-2019
2.	एमजीएनआरईजीएस के साथ आईडब्ल्युएमपी का अभिसरण और इसके निहितार्थ	डॉ. यू. हेमंत कुमार, डॉ. जी.वी. कृष्णलोही दास	1-4-2019
3.	समेकन और अंतिम अवधि चरण का मूल्यांकन, बैच -III, पीएमकेएसवाई परियोजनाएं, नागालैंड	श्री ए. सिम्हाचलम	01.06.2019
4.	महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य के पिछड़े जिलों में ग्रामीण परिवारों के बीच राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रदर्शन पर मूल्यांकन अध्ययन – परामर्शी परियोजना	डॉ. आकाँक्षा शुक्ला, डॉ. टी. जयन	1.5.2019
5.	स्त्री निधि - भारतीय सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में एक डिजिटल नवाचार	डॉ. एम. श्रीकांत	21.4.2019
6.	अंडमान-निकोबार द्वीप समूह की ग्रामीण सड़क परियोजना (पीएमजीएसवाई-II और एसएफए)	डॉ. पी. केशव राव, डॉ. एम.वी. रविबाबू, डॉ. एन.एस.आर प्रसाद, डॉ. एच.के. सोलंकी	1.8.2019
7.	समय और गति अध्ययन-एमजीएनआरईजीएस	डॉ. ज्योतिस सत्यपालन एवं दल	2019
8.	भारत में एमजीएनआरईजीएस में समय और गति अध्ययन के लिए नई तकनीकों को पेश करने वाले सार्वजनिक कार्य कार्यक्रमों में श्रम उत्पादकता पर रीडिंग विश्वविद्यालय	डॉ. ज्योतिस सत्यपालन एवं दल	2019
9.	मिशन अंत्योदय ग्राम पंचायतों का प्रदर्शन -प्रगति का आकलन करने के लिए एक त्वरित मध्यावधि मूल्यांकन अध्ययन (दूसरा चरण अध्ययन)	डॉ. जी. वेंकट राजू	2019
10.	सौर स्ट्रीट लाइट पर प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन - यूपी में एनएलसीआईएल का एक सीएसआर कार्य	डॉ. आर. मुरुगेसन	16.7.2019
11.	एचसीसीबी (कोका-कोला) का सामाजिक जल जोखिम मूल्यांकन अध्ययन	डॉ. आर. मुरुगेसन	10.10.2019
12.	यूपीएएसएसी के वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों का प्रभाव मूल्यांकन	डॉ. एम. श्रीकांत, डॉ. सोनल मोबर रॉय, डॉ. भवानी अक्कपेद्दी श्री विनीत जे. कल्लूर, सुश्री एस. नव्या श्रीदेवी	10.5.2019
13.	सतत योग्य आजीविका और जलवायु परिवर्तन का अनुकूलन (एसएलएसीसी)	डॉ. रवीन्द्र एस. गवली, डॉ. के. कृष्णा रेड्डी, डॉ. वी. सुरेशबाबू	2019

परिशिष्ट -VIII

वर्ष 2019-20 के दौरान पूरे किए गए परामर्शी अध्ययन

क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल	के दौरान प्रारंभ किए गए
1.	पीएमकेएसवाई के जलागम घटक के तहत ऑनलाइन जलागम आकलन, ई-डीपीआर और भू-जल विज्ञान मॉडल तैयारी के लिए प्रशिक्षण विस्तार और समर्थन	डॉ. पी. केशव राव, डॉ. एच.के. सोलंकी, श्री डी.एस.आर. मूर्ति	2015-16
2.	एमजीएनआरईजीएस का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव - छह राज्यों में समानांतर अध्ययन	डॉ. एस.वी. रंगाचार्युलु, डॉ. जी. राजनीकांत डॉ. पी. अनुराधा	2015-16
3.	कमजोर समुदायों में संकट प्रवास पर मनरेगा का प्रभाव- 4 राज्यों में समूह मध्यम अवधि के पुनरावृत्ति उपायों का अध्ययन	डॉ. प्रत्युषना पटनायक एवं दल	2015-16
4.	एपीआईबी देहरादून डेटा आधारित परियोजना की मान्यता	डॉ. पी. केशव राव, डॉ. एच.के. सोलंकी, श्री डी.एस.आर. मूर्ति, डॉ. राज कुमार पम्मी	2015-16
5.	एकीकृत कार्य योजना पर मूल्यांकन अध्ययन	डॉ. ए. देबप्रिया, डॉ. वी. माधव राव, डॉ. सुचरिता पुजारी	2016-17
6.	तेलंगाना राज्य में ग्रामीण परिवारों के सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों पर एमजीएनआरईजीएस का प्रभाव	डॉ. पी. अनुराधा डॉ. जी. राजनीकांत, डॉ. एस.वी. रंगाचार्युलु	2016-17
7.	ऋण पोर्टफोलियो और संपत्ति की गुणवत्ता संदर्भ के साथ एसएचजी-बीएलपी का मूल्यांकन	डॉ. एम. श्रीकांत	2017-18
8.	भारत में पीआर कार्यप्रणाली के लिए समय और कार्य अध्ययन	डॉ. वाई भास्कर राव	2017-18
9.	ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं के लिए सेवा वितरण मानक विकसित करना, मानव संसाधन का मूल्यांकन, कार्य भार और सेवाओं की लागत	डॉ. के. जयलक्ष्मी, डॉ. वाई भास्कर राव	2017-18
10.	'पंचायती राज सांख्यिकी पर पुस्तिका संकलन और प्रकाशन	डॉ. एस.एन. राव	2017-18
11.	आरएलटीएपी के तहत विशेष मूल्यांकन एसीए (आरएलटीएपी), 314 एमडब्लुएस का टर्मिनल मूल्यांकन	डॉ. ए. देबप्रिया, डॉ. पी. केशव राव, डॉ. सोनल मोबर रॉय, डॉ. आर. अरुणा जयमणि	2017-18
12.	विशेष योजना (150 एम डब्लु एस) केबीके के विशेष मूल्यांकन का टर्मिनल मूल्यांकन	डॉ. ए. देबप्रिया, डॉ. पी. केशव राव, डॉ. सोनल मोबर रॉय, डॉ. आर. अरुणा जयमणि	2017-18
13.	आंध्र प्रदेश राज्य के एमजीएनआरईजीएस के तहत सीसी सड़कों का तीसरा पक्ष मूल्यांकन	डॉ. पी. केशव राव, डॉ. एम.वी. रविबाबु, डॉ. एन.एस.आर. प्रसाद, डॉ. एच.के. सोलंकी	2017-18
14.	"सतत प्रशिक्षण और ई-सक्षम" द्वारा पंचायत राज संस्थानों को मजबूत बनाते हुए भारत का बदलता स्वरुप	डॉ. प्रत्युषना पटनायक, डॉ. सी. कतिरेसन	2017-18
15.	झारखंड के पंचायती राज संस्थानों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ईडब्लुआर) की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण	डॉ. प्रत्युषना पटनायक	2017-18
16.	मणिपुर के पंचायती राज संस्थानों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ईडब्लुआर) की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण	डॉ. प्रत्युषना पटनायक	2018-19
17.	पूर्वी सियांग जिला, अरुणाचल प्रदेश में मत्स्य विकास के लिए जीआईएस आधारित संसाधन मानचित्रण।	श्री ए. सिम्हाचलम	2018-19
18.	आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़क परियोजनाओं में भू-संसूचना का उपयोग	डॉ. पी.केशव राव, डॉ. एच.के. सोलंकी	2018-19
19.	त्रिपुरा, मध्य प्रदेश और सिक्किम राज्यों में पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़क परियोजनाओं में भू-संसूचना का उपयोग।	डॉ. एन.एस.आर. प्रसाद, डॉ. एम.वी. रविबाबु	2018-19
20.	मिशन अंत्योदय ग्राम पंचायतों का प्रदर्शन - प्रगति का आकलन करने के लिए एक त्वरित मध्यावधि मूल्यांकन अध्ययन (दूसरा चरण अध्ययन)	डॉ. जी. वेंकट राजु	2019-20
21.	सोलार स्ट्रीट लाइट्स पर प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन - यूपी में एनएलसीआईएल का सीएसआर कार्य	डॉ. आर. मुरुगेसन	2019-20
22.	एचसीसीबी का सामाजिक जल जोखिम मूल्यांकन अध्ययन (कोका-कोला)	डॉ. आर. मुरुगेसन	2019-20
23.	यूपीएएसएसी के वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों का प्रभाव मूल्यांकन	डॉ. एम. श्रीकांत, डॉ. सोनल मोबर रॉय, डॉ. भवानी अक्कपेद्दी श्री विनीत जे. कल्लूर, सुश्री एस. नव्या श्रीदेवी	2019-20
24.	रुरबन मिशन: निर्माण में स्मार्ट गांवों का एक अध्ययन	डॉ. आर. रमेश, डॉ. पी. शिवराम	2018-19

परिशिष्ट -IX

वर्ष 2019-20 के दौरान चल रहे परामर्शी अध्ययन

क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल	के दौरान प्रारंभ किए गए
1.	मेडागास्कर में सीगार्ड प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना	डॉ. पी.केशव राव , डॉ. एन.एस.आर. प्रसाद, डॉ. एम.वी. रविबाबु, डॉ. एच.के. सोलंकी	2017-18
2.	भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके रोटेशन चक्र द्वारा झूम कृषि पर जियो-डाटाबेस का सृजन, मानचित्रण और वेब प्रकाशन: उत्तर पूर्वी भारत के सात जिलों का अध्ययन	डॉ. ए. सिम्हाचलम, डॉ. एन.एस.आर. प्रसाद	2017-18
3.	गुजरात, ओडिशा और उत्तराखंड राज्यों में पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़क परियोजनाओं में भू-संसूचना का उपयोग	डॉ. एम.वी. रविबाबु, डॉ. एन.एस.आर. प्रसाद	2018-19
4.	हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्यों में पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़क परियोजनाओं में भू-संसूचना का उपयोग	डॉ. एच.के. सोलंकी, डॉ. पी. केशव राव	2018-19
5.	अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों में पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़क परियोजनाओं में भू-संसूचना का उपयोग	श्री ए. सिम्हाचलम, डॉ. एन.एस.आर. प्रसाद	2018-19
6.	स्पेक्ट्रम पुस्तकालय निर्माण और आंध्र प्रदेश के कर्नूल में हाइपरस्पेक्ट्रल और म्यूटिस्पेक्ट्रल सेंसर का उपयोग करके विभिन्न चावल फसलों की तुलना	डॉ. एम.वी. रविबाबु, डॉ. के. सुरेश	2018-19
7.	टेहरी-गढ़वाल जिला, उत्तराखंड में कृषि-जलवायु योजना और सूचना बैंक (एपीआईबी)	डॉ. पी. केशव राव, डॉ. एन.एस.आर. प्रसाद, डॉ. एम.वी. रविबाबु, डॉ. एच.के. सोलंकी	2018-19
8.	एमजीएनआरजीएस परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग का थर्ड पार्टी मूल्यांकन	डॉ. पी. केशव राव , डॉ. एन.एस.आर. प्रसाद, डॉ. एच.के. सोलंकी, डॉ. एम.वी. रविबाबु	2018-19

परिशिष्ट -X

वर्ष 2019-20 के दौरान चल रहे ग्राम अभिग्रहण अध्ययन

क्र.सं.	राज्य	जिला	ब्लॉक	गाँवों का समूह
1.	आंध्र प्रदेश	कर्नूल	नंदवरम मंडल	नगलदिनने, गुरुजाला, रायचोटी
		अनंतपुर	लेपाक्षी	कोंडूर जीपी
2.	अरुणाचल प्रदेश	जिला - पश्चिम कामेंग	सर्किल-दिरंग	गाँव- चंदर, पंगमा और पंचवटी। दूसरे चरण में दो और गाँव, अर्थात चेरॉन्ग और सेमनाक को भी कवर किया जा सकता है। जीपी- थेम्बांग
3.	असम	नालाबारी	बोरिगॉग बुनभांग और पब नालबारी विकास खंड	गुवाकुची, तंत्रसंकरा बालिकुची, बाजाली उदयपुर कतोरा
4.	बिहार	गया	बोधगया ब्लॉक	बकरौर और बसरही जीपी समूह
5.	छत्तीसगढ़	धमतरी	कुरूड	मुल्ले, अनवरी, कंजारपुरी
6.	गोआ	दक्षिण गोआ	संगुइम	उगुएम, भाटी, कुर्दी, नेतुर्लिम, काले कॅलेम
7.	गुजरात	गांधीनगर पाटन	देहगम ब्लॉक हरिज ब्लॉक	बडापुर जीपी बुदा जीपी
8.	हरियाणा	करनाल	नीलोखेरी	मंचुरी, पसताना बीर बदलवा
9.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	मशोबरा	जीपी कोट
10.	जम्मू - कश्मीर	जम्मू बडगाम	अखनूर खानसाहिब	राजचक फ्रस्ट्रवार
11.	झारखंड	रामगढ़	मंडु	गारगली समूह
12.	कर्नाटक	मैसूर	तिरुमकूडलू नरसीपुरा	मडमुरा जीपी
13.	केरल	इडुक्की	जपी: मुन्नूरु और चिन्नकनाल	कन्ननदेवन हिल्स, वटटवडा, गुंडुमलाई, चिन्नकनाल
14.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	कुंडम ब्लॉक	जुजहरी ग्राम पंचायत के तहत 4 गाँव
15.	महाराष्ट्र	पुणे	पुरंदर	सोनारी जीपी
16.	मणिपुर	इम्फाल पूर्व	क्षत्रियगांव ब्लॉक	टॉप दूसरा ग्राम पंचायत
17.	मेघालय	रीबोई	किर्देम ब्लॉक	अमिंडा रंगसा, अमिंडा अडिंग, अमिंडा सिमसांग्रे, गाम्बेग्रे, दिलनिग्रे, सुरिंग्रे
18.	मिजोरम	ऐजवाल	ऐबाक, आर.डी. ब्लॉक	सुमसुई, चामरिंग, ह्मुइफांग
19.	नगालैंड	दीमापुर	चुमुकेदिमा	दोशेहे, बमुनपुखुरी ए, दरोगाजन, तोलुवी, बमुनपुखुरी बी, सुगरमिल एरिया विलेज
20.	ओडिशा	कटक	नरसिंहपुर ब्लॉक	शारदापुर जी.पी.
21.	पंजाब	अमृतसर	अटरी	रोडनवालाकलान रोडनवालाकुरुद मोद्देय, धनोईकलान धनोईखुर्द, रत्तन
22.	राजस्थान	जयपुर	शाहपुरा	हनुतिया, मरखी, बिशनगढ़
23.	सिक्किम	दक्षिण सिक्किम	जोरतंग	डेन्धुंग, डोंग, नंदगाँव, समतार, समसेबोंग, पोकलोक-डेन्धुंग-जीपी
24.	तमिलनाडू	विरुधुनगर	अरुप्पुकोत्तै	पलवनथम, कुल्लोरुसन्दै, सोलक्करै, मीनाक्षीपुरम
25.	तेलंगाना	महबूबनगर	फारूकनगर	जीपी: बरगुला
26.	त्रिपुरा	धलाई	सलेमा	कालाचेरी जीपी
27.	उत्तर प्रदेश	रायबरेली	लालगंज	बेहटा, बुंदई, नरसिंहपुर मालपुरा
28.	उत्तराखंड	पिथोरागढ़	गंगोलीहाट	खारिक, सुनोली, पिपलेट, जाजुत और उप्रदा। जीपी: उप्रदा और जाजू
29.	पश्चिम बंगाल	उत्तर दिनाजपुर	गोलपोखर- II ब्लॉक के कांकी जी.पी.	सिमुलिया, नयानगर, मटियारी, सुइया, बसतपुर

परिशिष्ट -XI

महापरिषद के सदस्यों की सूची

क्र. सं.	नाम व पता
1.	श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
2.	साध्वी निरंजन ज्योति माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
3.	श्री पुरुषोत्तम रुपाला माननीय पंचायती राज राज्य मंत्री, कमरा नंबर 322, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
4.	श्री नागेन्द्र नाथ सिन्हा, आईएएस सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
5.	अध्यक्ष कजरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, अमूल डेयरी, आनंद-388001 गुजरात
6.	अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली – 110002
7.	अध्यक्ष भारतीय विश्वविद्यालय का संघ (एआईयू), 16 कामरेड इंद्रजीत गुप्ता मार्ग, राष्ट्रीय बाल भवन के सामने, आई.टी.ओ. नई दिल्ली – 110002
8.	सचिव (डीडब्लुएस) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, सी विंग, चौथी मंजिल, पंडित दीन दयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003
9.	सचिव, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
10.	सचिव, पंचायती राज मंत्रालय कृषि भवन, नई दिल्ली -110 001
11.	सचिव कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कमरा नंबर 115, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
12.	सचिव उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 127-सी, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
13.	सचिव, नीति आयोग, सी -8, टॉवर- I, न्यू मोती बाग, नई दिल्ली - 110 021
14.	सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110 001
15.	सचिव (एफएस) वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मत्रांलय, 6ए, तीसरी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली -110001

क्र. सं.	नाम व पता
16.	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
17.	अपर सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
18.	संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली – 110001
19.	संयुक्त सचिव जनजातीय मामला मंत्रालय, 218, द्वितीय तल, डी विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110 001
20.	संयुक्त सचिव (एसडी और मीडिया) सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय, शास्त्री भवन, सी विंग, डॉ.राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली - 110 011
21.	कुलपति जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय, नई दिल्ली -110 067
22.	कुलपति हैदराबाद विश्वविद्यालय, गच्चीबावली, हैदराबाद -500046
23.	महानिदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), राजेंद्रनगर, हैदराबाद – 500030
24.	सचिव (डीएआरई) एवं महानिदेशक, आईसीएआर ए -1, एनएएससी कॉम्प्लेक्स, डीपीएस मार्ग नई दिल्ली -110 012
25.	निदेशक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, नं.1210, प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर, 80 फीट रोड, 560 104, चंद्र लेआउट, बेंगलुरु - 560040 कर्नाटक
26.	वरिष्ठ सलाहकार कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, कमरा न. 322, बी-विंग, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली – 110001
27.	संयुक्त सचिव, आरएल और मिशन निदेशक (एनआरएलएम) 7 वीं मंजिल, एनडीसीसी- II, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जय सिंह रोड, नई दिल्ली – 110001
28.	कार्यकारी निदेशक (प्रभारी) वित्तीय समावेशन और विकास विभाग (एफआईडीडी), 10 वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, पी.बी.10014, मुंबई - 400 001
29.	मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, 1-1-61, आरटीसी 'एक्स' रोड, पीबी नंबर .863, मुशीराबाद, हैदराबाद - 500020 तेलंगाना
30.	निदेशक ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, पोस्ट बॉक्स नंबर 60, आनंद, गुजरात- 388001
31.	निदेशक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, वीरपुर मार्ग, एन. देवनार, मुंबई- 400088

क्र. सं.	नाम व पता
32.	निदेशक भारतीय प्रबंधन संस्थान, वस्त्रपुर, अहमदाबाद, गुजरात – 380 015
33.	निदेशक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर, पश्चिम बंगाल - 721 302
34.	निदेशक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, (बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221005
35.	निदेशक भारतीय वन प्रबंधन संस्थान(आईआईएफएम), पोस्ट बॉक्स नंबर 357, नेहरू नगर, भोपाल – 462003
36.	महानिदेशक मैनेज, राजेंद्रनगर, हैदराबाद – 500030
37.	निदेशक प्रभारी महिला विकास अध्ययन केंद्र (सीडब्यु डीएस), 25, भाई वीर सिंह मार्ग (गोल मार्केट), नई दिल्ली - 110001, भारत
38.	चेतना - सचिव रैरा सेक्टर, बिलासपुर - 174001 हिमाचल प्रदेश
39.	प्रशासनिक प्रबंधक आरोग्यधाम दीन दयाल अनुसंधान संस्थान सियाराम कुटीर, चित्रकूट, सतना - 485331 मध्य प्रदेश
40.	सचिव, विकास भारती, ब्लॉक - बिष्णुपुर, पीएस - विष्णुपुर, जिला - गुमला, झारखंड
41.	महानिदेशक रामभाऊ महगी प्रबोधिनी, 17, चंचल स्मृति, जी.डी. अम्बेडकर मार्ग, वडाला, मुंबई – 400031
42.	संपादक (ग्रामीण मामले) इंडियन एक्सप्रेस, एक्सप्रेस बिल्डिंग, बी -1 / बी, सेक्टर -10, नोएडा- 201 301 उत्तर प्रदेश, भारत
43.	निदेशक आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय (नॉर्थ कैम्पस), नई दिल्ली - 110 007
44.	श्री पाशा पटेल विठ्ठल हाउसिंग सोसाइटी, चर्च रोड, लातूर, महाराष्ट्र - 412 512
45.	प्रमुख सचिव, पीआर एवं आरडी ग्रामीण विकास विभाग, कमरा नंबर 607, साची भवन, यूपी सचिवालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 266 001
46.	प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, असम सरकार, जनता भवन, 'ई'- ब्लॉक, भूतल, दिसपुर, गुवाहाटी -781006 असम

क्र. सं.	नाम व पता
47.	प्रमुख सचिव ओडिशा सरकार, ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, भुवनेश्वर, पिन - 751 001 ओडिशा
48.	सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, वल्लभ भवन, भोपाल – 462004 मध्य प्रदेश
49.	सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, महाराष्ट्र सरकार, 7 वीं मंजिल, बांधकाम भवन, 25-मरज़बान रोड, मुंबई - 400001, महाराष्ट्र
50.	अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर – 302005 राजस्थान
51.	अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास और पंचायती राज, मणिपुर सरकार, नया सचिवालय, इंफाल -795001
52.	उप-कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय, बेनिटो जुआरेज़ रोड, दक्षिण मोती बाग, साउथ कैम्पस, दिल्ली – 110021
53.	डॉ. आर.एम. पंत निदेशक, एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी, गुवाहाटी 781022
54.	डॉ. वाई. रमणा रेड्डी प्रोफेसर एवं अध्यक्ष (सीएचआरडी), एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद – 500030.
55.	डॉ. सी. कथिरेसन, एसोसिएट प्रोफेसर (सीपीआर) एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद – 500030.
56.	श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद – 500030.
57.	महानिदेशक बिहार लोक प्रशासन और आरडी संस्थान, वाल्मीकि कैम्पस, फुलवारी शरीफ़, पटना - 801505, बिहार
58.	उप आयुक्त, करनाल और निदेशक सह प्राचार्य हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, ईटीसी कॉम्प्लेक्स, जिला – करनाल, नीलोखेड़ी - 132117 हरियाणा
59.	अध्यक्ष क्षेत्रीय ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केंद्र, वन विभाग के पास, संजय नगर, धमतरी जिला, कुरुद - 493663, छत्तीसगढ़

परिशिष्ट -XII

कार्यकारी परिषद के सदस्यों की सूची

क्र.सं.	नाम व पता
1.	सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली -110 001
2.	महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, राजेंद्रनगर, हैदराबाद – 500030
3.	सचिव, पंचायती राज विभाग, पंचायती राज मंत्रालय, कृषि भवन, डॉ राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली – 110001
4.	सचिव (डीडब्लुएस) सचिव का कार्यालय (डीडब्लुएस) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, सी विंग, चौथी मंजिल, पंडित दीन दयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली
5.	सचिव, भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
6.	अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
7.	अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
8.	संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली – 110001
9.	डॉ. ज्योतिस सत्यपालन प्रोफेसर और अध्यक्ष, सीडब्लुई एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद - 5000030
10.	निदेशक, केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान (केआईएलए) मुलमकुन्नत्तुकाऊ पी.ओ. त्रिचुर (केरल)
11.	निदेशक, आईआईटी, हैदराबाद, कंडी, संगारेड्डी – 502285 (तेलंगाना)
12.	निदेशक नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन - भारत ग्रामभारती, अमरापुर, गांधीनगर - 382650 (गुजरात)
13.	सचिव (एफएस) वित्तीय सेवा विभाग वित्त मत्रांलय, 6 ए, तीसरी मंजिल, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग नई दिल्ली -110001

परिशिष्ट -XIII

शैक्षणिक परिषद के सदस्यों की सूची

क्र.सं.	नाम व पता
1.	ग्रामीण विकास के क्षेत्र में गहन ज्ञान और उच्च शैक्षणिक प्रमाणिकता वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति अकादमिक परिषद का अध्यक्ष (अंशकालिक) होंगे संस्थान के महानिदेशक सह अध्यक्ष होंगे।
2.	कार्मिक विभाग, मानव संसाधन विकास, कृषि, ग्रामीण विकास, ई एंड एफ, पंचायती राज, ईटीसी में प्रशिक्षण के प्रभारी संयुक्त सचिव
3.	एनआईआरडीपीआर के उप महानिदेशक (कार्यक्रम समर्थन) – सदस्य सचिव
4.	एनआईआरडीपीआर स्कूलों के डीन i. डॉ. आर. मुरुगेसन, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीएसआरपीपीपी एवं पीए ii. डॉ. जी. वेंकट राजू, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीपीएमई iii. डॉ. ज्योतिस सत्यपालन, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीडब्लुई iv. डॉ. रवींद्र एस गवली, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीएनआरएम v. डॉ. वाई. रमना रेड्डी, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीएफएल
5.	आईआरएमए, एलबीएसएनएए, एएससीआई, आईआईपीए, ईटीसी जैसे राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में से प्रत्येक नामांकित
6.	कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष की मंजूरी से अध्यक्ष द्वारा नामित विशेष ज्ञान वाले चार व्यक्ति, लेकिन दो साल से अधिक नहीं।
7.	राज्यों के पांच एसआईआईआरडी के प्रमुख जो सामान्य परिषद के सदस्य हैं (हर दो साल में चक्रावर्तन द्वारा) i. निदेशक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान आधारताल, जबलपुर (एमपी) ii. निदेशक, राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान गोपबंधुनगर, भुवनेश्वर (ओडिशा) iii. महानिदेशक आईजीपीआरएस एवं ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडीआई) जयपुर (राजस्थान) iv. निदेशक, राज्य पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान इंफाल (मणिपुर) v. आयुक्त, करनाल और निदेशक सह प्राचार्य हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, नीलोखेड़ी, हरियाणा

परिशिष्ट -XIV

2019-20 के दौरान संकाय और गैर-संकाय सदस्यों द्वारा संकाय विकास कार्यक्रम में सहभागिता

अंतर्राष्ट्रीय (शैक्षणिक) 2019-20

क्र. सं.	संकाय सदस्य का नाम और पदनाम	अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम
1.	डॉ. सोनल मोबर रॉय सहायक प्रोफेसर, सीपीजीएस एवं डीई	25-30 जून 2019 के दौरान सेंट ह्ग्स कॉलेज, ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालय, लंदन में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन में प्रपत्र की मौखिक प्रस्तुति
2.	डॉ. राजेश कुमार सिन्हा सहायक प्रोफेसर (सीआरटीसीएन)	11 - 24 जुलाई, 2019 के दौरान ताइपेई, ताइवान, चीन गणराज्य में "स्थानीय सामाजिक विकास" पर विकास निधि के लिए ताइवान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर कार्यशाला।
3.	डॉ. एम. श्रीकांत एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष प्रभारी (सीएफआईई)	03-06 सितंबर, 2019 के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास संस्थान (एनआईसीडी), पोलगोल्ला, श्रीलंका में वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (वीएएमएनआईसीओएम), पुणे और राष्ट्रीय सहकारी विकास संस्थान (एनआईसीडी), पोलगोल्ला, श्रीलंका के साथ सहयोग से श्रीलंका में सहकारी व्यवसाय मॉडल पर परिचयात्मक दौरा कार्यक्रम
4.	डॉ. प्रत्युस्ना पटनायक सहायक प्रोफेसर, सीपीआर	03-06 सितंबर, 2019 के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास संस्थान (एनआईसीडी), पोलगोल्ला, श्रीलंका में वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (वीएएमएनआईसीओएम), पुणे और राष्ट्रीय सहकारी विकास संस्थान (एनआईसीडी), पोलगोल्ला, श्रीलंका के साथ सहयोग से श्रीलंका में सहकारी व्यवसाय मॉडल पर परिचयात्मक दौरा कार्यक्रम
5.	डॉ. रवींद्र एस गवली प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीएनआरएम	18 सितंबर, से 1 अक्टूबर 2019 तक ताइवान, आरओ चीन में ''जल प्रबंधन'' पर ताइवान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास निधि (ताइवान-आईसीडीई) के तहत प्रशिक्षण-सह-कार्यशालाएं
6.	डॉ. जयंत चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर (प्रतिनियुक्ति पर), एनआईआरडीपीआर, एनईआरसी, गुवाहाटी	30-11-2019 से 01-12-2019 तक ढाका विश्वविद्यालय, ढाका, बांग्लादेश में ऑक्सफेम और ढाका विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आपदा प्रबंधन और सामुदायिक व्यवहार्यता (डीएमआरसी) में भाग लेने की अनुमति

राष्ट्रीय (शैक्षणिक)

क्र. सं	संकाय सदस्य का नाम और पदनाम	राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम
1.	के. राजेश्वर, सहायक प्रोफेसर (सीआईसीटी)	राष्ट्रीय प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम (टीडीपी) - 11-06-2019 से 15-06-2019 के दौरान डॉ. एमसीआर एचआरडी संस्थान, हैदराबाद द्वारा आयोजित "प्रशिक्षण का प्रबंधन'' (एमओटी) पर डीओपीटी, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित 5 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का पाठ्यक्रम
2.	डॉ. सोनल मोबर रॉय सहायक प्रोफेसर, सीआईसीटी	राष्ट्रीय प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम (टीडीपी) - 11-06-2019 से 15-06-2019 के दौरान डॉ. एमसीआर एचआरडी संस्थान, हैदराबाद द्वारा आयोजित "प्रशिक्षण का प्रबंधन'' (एमओटी) पर डीओपीटी, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित 5 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का पाठ्यक्रम
3.	डॉ. सीएच राधिका रानी एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष	बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रुरल डेवलपमेंट, लखनऊ द्वारा 18 से 25 नवंबर, 2019 के दौरान "हाईटेक कृषि, कृषि-प्रसंस्करण डेयरी और जल संसाधन प्रबंधन" पर इज़राइल में प्रशिक्षण-सह-परिचयात्मक दौरा
4.	डॉ. आर मुरुगेसन प्रोफेसर एवं अध्यक्ष (सीएसआर, पीपीपी और पीए)	इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में 26-27 सितंबर, 2019 के दौरान ग्रामालय नामक एक एनजीओ द्वारा आयोजित मासिक धर्म स्वच्छता और प्रबंधन पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन
5.	डॉ. रुचिरा भट्टाचार्य सहायक प्रोफेसर, सीजीएसडी	23-27 सितंबर, 2019 के दौरान दिल्ली में सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) में 'प्रशिक्षण का डिजाइन' (डीओटी) पर पाठ्यक्रम
6.	डॉ. आकाँक्षा शुक्ला एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष (प्रभारी) सीडीसी	कोलकाता में 6-8 नवंबर 2019 के दौरान आईआईएसएफ 2019 के दौरान आयोजित सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता में तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (आईएसएसएफएफआई) में भाग लिया और प्रपत्र प्रस्तुत किया
7.	डॉ. आर रमेश एसोसिएट प्रोफेसर, सीआरआई	03-07 जनवरी 2020 के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली में "केस टीचिंग एंड केस राइटिंग" पर प्रमाणपत्र कार्यक्रम
8.	डॉ. लखन सिंह सहायक प्रोफेसर (सीएचआरडी)	हैदराबाद में 04-05 मार्च, 2020 के दौरान हैडलिंग कॉन्फ्रेंस प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा आयोजित रुरल डेवलपमेंट, सोशल डायनेमिक्स और महिला कल्याण पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पेपर प्रस्तुति।

राष्ट्रीय (गैर-शैक्षणिक)

क्र. सं	संकाय सदस्य का नाम और पदनाम	राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम
1.	सुश्री पलता, डीडीयू-जीकेवाई	राष्ट्रीय प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम (टीडीपी) - 11-06-2019 से 15-06-2019 के दौरान डॉ. एमसीआर एचआरडी संस्थान, हैदराबाद द्वारा आयोजित "प्रशिक्षण का प्रबंधन'' (एमओटी) पर डीओपीटी, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित 5 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का पाठ्यक्रम
2.	सुश्री अर्शिया, डीडीयू-जीकेवाई	राष्ट्रीय प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम (टीडीपी) - 11-06-2019 से 15-06-2019 के दौरान डॉ. एमसीआर एचआरडी संस्थान, हैदराबाद द्वारा आयोजित "प्रशिक्षण का प्रबंधन'' (एमओटी) पर डीओपीटी, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित 5 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का पाठ्यक्रम
3.	श्री रामकृष्णा रेड्डी कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	1 अक्टूबर 2019 से 14 नवंबर, 2019 के दौरान बेंगलूरु में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, बेंगलूरु द्वारा आयोजित प्रेरण अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (अनिवार्य) में भाग लिया
4.	सुश्री सोनी अर्पणा लकरा पीजीडीआरडीएम छात्र	इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में 26-27 सितंबर, 2019 के दौरान ग्रामालय नामक एक एनजीओ द्वारा आयोजित मासिक धर्म स्वच्छता और प्रबंधन पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन
5.	श्री अमित वहाणे पीजीडीआरडीएम छात्र	इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में 26-27 सितंबर, 2019 के दौरान ग्रामालय नामक एक एनजीओ द्वारा आयोजित मासिक धर्म स्वच्छता और प्रबंधन पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन
6.	श्री टी. रामकृष्णा वरिष्ठ कार्यक्रमकर्ता (अनुबंध पर)	25-11-2019 से 30-11-2019 के दौरान हैदराबाद के वासवी इंजीनियरिंग कॉलेज में "डीप लर्निंग और उसके अनुप्रयोग'' पर संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी)" पर कार्यशाला

NIRDPR

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

राजेंद्रनगर, हैदराबाद - 500030, भारत

www.nirdpr.org.in

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास | नीति प्रयोजन और समर्थन | प्रौद्योगिकी अंतरण | शैक्षणिक कार्यक्रम | अभिनव कौशल और आजीविका